Page No 1

राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक 3] पंचम विधान सभा के तृतीय सत्र का 48 वां दिवस [संख्या 33

बुधवार,
दिनांक 4 अप्रेल, 1973

विधान सभा की बैठक म० पू० 11.8 बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री राम किशोर व्यास, अध्यक्ष पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

(कृषि, वित्त, समाज कल्याण, अकाल राहत, जनसम्पर्क, योजना, पशुपालन, उद्योग, जन स्वास्थ्य, श्रम, गृह, शिक्षा, नियोजन, नगर आयोजन एवं सहायता विभाग)

प्रश्न संख्या 957

श्री अध्यक्ष : प्रश्न !
श्री दलपतसिंह ।
अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये ।

श्री मोहरसिंह।

श्री मोहम्मद गफ्फार अली (जौहरी बाजार, जयपुर): अध्यक्ष महोदय, यह मजदूरों का महत्वपूर्ण सवाल है, मजदूरों को मजदूरी नहीं मिलती। जो अधिकारी गिल्टी हैं, उनको....

श्री अध्यक्ष : लास्ट में इसको ले लेंगे।

सूचना केन्द्र, कलकत्ता

958. **श्री मोहरसिंह** (चूरू): क्या जन सम्पर्क मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि कलकत्ता में राजस्थान सरकार के सूचना केन्द्र में राजस्थान के बारे में सूचनाओं का अत्यन्त अभाव रहता है ?

(2) उपर्युक्त सूचना केन्द्र में कितनी पुस्तकें राजस्थान के बारे में उपलब्ध हैं ? कितने अखबार राजस्थान के इस केन्द्र में मंगाये जाते हैं ? इस कार्य पर सालाना कितना खर्चा किया जाता है ?

(3) कलकत्ता स्थित सचना केन्द्र पर सालाना कितना खर्चा होता है ?

(4) क्या यह सही है कि उक्त सूचना केन्द्र राजस्थान के बारे में जानकारी देने में पूर्णतया असफल रहा है ?

(5) राज्य सरकार इस सूचना केन्द्र की कार्यप्रणाली एवं व्यवस्था में सुधार के लिये क्या कार्यवाही करेगी ?

राज्य मंत्री, जन सम्पर्क (श्रीमती कमला बेनीवाल) : (1) जी नहीं ।

(श्रीमती कमला बेनीवाल)

(2) इस केन्द्र में राजस्थान के साहित्य, लोक साहित्य, इतिहास, भूगोल, उद्योग जन संख्या, विकास एवं विविध विषयों से संबंधित 904 पुस्तकें उपलब्ध हैं। राजस्थान के प्रमुख दैनिक पत्रों के अतिरिक्त अनेक साप्ताहिक तथा राजस्थान से निकलने वाली विभिन्न प्रकार की 23 मासिक पत्रिकायें भी मंगाई जाती हैं। इस कार्य पर प्रति वर्ष लगभग 1,000 रु० व्यय किये जाते हैं।

(3) सूचना केन्द्र पर प्रति वर्ष लगभग 63,000 रु० व्यय होते हैं।

(4) जी नहीं।

(5) अर्थाभाव से अभी इसके और अधिक सुधार व विकास का कोई कार्यक्रम नहीं बनाया गया है।

श्री मोहरसिंह : मैंने प्रश्न दो में पूछा है कि कितने अखबार राजस्थान के इस केन्द्र में आते हैं? इसका कोई उत्तर नहीं आया।

श्रीमती कमला बेनीवाल : मैंने निवेदन किया कि राजस्थान के प्रमुख दैनिक पत्रों के अतिरिक्त साप्ताहिक एवं मासिक पत्रिकायें मंगाई जाती हैं।

श्री मोहरसिंह : राजस्थान का कोई अखबार वहां पर पढ़ने को उपलब्ध नहीं होता है? कहां भेजे जाते हैं?

श्रीमती कमला बेनीवाल : उपलब्ध होते हैं।

श्री मोहरसिंह : नहीं होते हैं। मेरे पास हजारों आदमियों की शिकायतें आईं।

श्रीमती कमला बेनीवाल : मैं स्वयं भी सूचना केन्द्र में गई थी। उस समय तमाम अखबारों को मैंने देखा है, हो सकता है जिस दिन आप वहां पहुंचे····

श्री रोशनलाल शर्मा (सलूम्बर): आप पधारीं तो उस समय थे, मोहरसिंहजी गये तो नहीं थे।

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : जितने केन्द्र आपने खोल रखे हैं उन पर जो कॉस्ट आती है उसके अनुसार युटिलिटी है या नहीं? मेरी मान्यता यह है कि उसकी युटिलिटी नहीं है। पैसा वेस्ट हो रहा है?

श्रीमती कमला बेनीवाल : मैं यह महसूस करती हूं कि सूचना केन्द्र पूरी उपयोगिता दे रहा है।

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : पहले के मुकाबले में कितने टूरिस्ट बढ़े हैं? कितनी विधायें बढ़ी हैं?

श्रीमती कमला बेनीवाल : इसके द्वारा 4 हजार लोगों को पर्यटन के लिये सूचना दी गयी है। राजस्थान में पर्यटन के लिये भेजे गये, उनके लिये सुविधायें जुटायी गयीं। उसके लिये धन्यवाद भी सूचना केन्द्र को पेश किया।

साहित्य, कला, संस्कृति और उद्योग के संबंध में बराबर बंगाल में रहने वाले राजस्थानी लोगों से सूचना केन्द्र संपर्क करता है और 12 करोड़ की लागत की 66 योजनायें यहां भेजी। उनमें से बहुत सी स्थापित हो चुकी हैं। 3 करोड़ के अन्य प्रस्तावित प्रस्ताव मौजूद हैं उनको भी स्वीकृत कराने के लिये वे कोशिश में है। जो भी कार्यक्रम बंगाल और राजस्थान

Page No 3

(**श्रीमती कमला बेनीवाल**)

के बीच में हो सकते हैं उनको खूबी के साथ यह केन्द्र संचालित कर रहा है, यह मैं मानती हूं।

श्री मूलचंद सामरिया (दौसा) : माननीय मंत्री महोदया ने फर्माया, हो सकता है कि प्रश्नकर्ता वहां पधारे हों और उस समय बाई चान्स पेपर्स न हों। क्या यह संभव नहीं है कि आपके पधारने से पेपर्स की व्यवस्था कर दी गई हो अन्यथा वहां पेपर्स न रखे जाते हों?

श्रीमती कमला बेनीवाल: अन्य माननीय सदस्यों ने भी सूचना केन्द्र को विजिट किया है। इस केन्द्र के कार्य सचालन, इसके फंक्शन्स के तरीके के बारे में किसी ने यह नहीं कहा कि इसका तरीका उचित नहीं है ।

श्री अध्यक्ष: आगे के लिये और व्यवस्था कर दीजिये।

श्री मोहरसिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं वहां पर सात दिन लगातार गया हूं। एक दिन नहीं। मैंने वहां पर पेपर्स नहीं पाये हैं।

मुख्य मंत्री (श्री बरकतुल्ला खां) : माननीय अध्यक्ष महोदय, इसका इन्तजाम कर दिया जायगा कि राजस्थान के अखबार वहां पर रहें।

श्री श्रीराम गोटेवाला (किशनपोल, जयपुर) : मैं बहुत देर से एक प्रश्न पूछने की कोशिश कर रहा था लेकिन मौका नहीं मिला। राजस्थान में भयंकर अकाल है उसके संबंध में अकाल की जो भयंकर स्थिति है उसके लिये सचना केन्द्र ने कलकत्ता में जो हमारे राजस्थानी प्रवासी हैं उनको सूचित करने और उनसे मदद के लिये कोई प्रयास किया है?

श्रीमती कमला बेनीवाल : व्यक्तिशः प्रयास किया है, संस्थाओं से संपर्क स्थापित किया है और उनसे निवेदन किया है कि जितनी वे मदद कर सकते हैं वे करें।

श्री श्रीराम गोटेवाला : उसके क्या परिणाम आये? पांच करोड़ की स्कीम एक चल रही है और 3 करोड़ की स्कीम चल रही है । उसी प्रकार से मैं जानना चाहता हूं कि यह जो प्रयत्न किये गये हैं उनके क्या रिजल्ट्स रहे हैं?

श्रीमती कमला बेनीवाल: जिन लोगों ने दिया है उनकी राशि पहुंचायी है। मैं बता सकती हूं कि कितनी 2 राशि पहुंचायी है ।

श्री मोहरसिंह: एक प्रश्न है मेरा। कलकत्ता से उद्योगों के संबंध में प्रस्ताव आये हैं उनमें जन सम्पर्क विभाग का किसी प्रकार का सहयोग नहीं है। मैंने स्वयं ने जानकारी की है कि उनको उद्योग विभाग के बारे में कोई जानकारी नहीं है।

श्रीमती कमला बेनीवाल: मैं यह निश्चित रूप से कह सकती हूं कि 5 करोड़ के और 3 करोड़ के जो प्रस्ताव भेजे गये हैं वे शुद्ध रूप से सूचना केन्द्र के माध्यम से तैयार कराये गये हैं। सारे प्रयास सूचना केन्द्र के हैं। इसकी मुझे पर्सनल जानकारी है।

श्री मोहरसिंह: विभाग से गये थे वहां ठहरे थे.....

प्रश्न संख्या 959

श्री अध्यक्ष: श्री भीमसेन ।

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

श्री वृद्धिचन्द्र जैन।

सघन पशु विकास योजना

960. **श्री वृद्धिचन्द्र जैन** (बाड़मेर) : क्या पशु पालन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राजस्थान में किन किन जिलों में सघन पशु विकास योजना चल रही है ? योजना की क्या प्रगति है ?

(2) राज्य सरकार बाड़मेर जिले में उक्त योजना कब चालू करेगी ?

पशुपालन मंत्री (श्री परसराम मदेरणा) : (1) सघन पशु विकास योजना इस समय केवल बीकानेर जिले में चल रही है। योजना की प्रगति सम्बन्धी तालिका सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) फिलहाल ऐसी कोई योजना नहीं है।

(कृपया परिशिष्ट 1 देखिये)

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : अध्यक्ष महोदय, बाड़मेर जिले में थरपारकर ब्रीड, कांकरेज ब्रीड और पशुओं की संख्या ज्यादा है तो जिस प्रकार बीकानेर जिले में इन्टेन्सिव कैटल डवलपमेंट स्कीम है उस प्रकार की बाड़मेर जिले में भी स्कीम चालू करने में क्या दिक्कत है ?

श्री परसराम मदेरणा : बीकानेर में जो प्रोग्राम चल रहा है वह सेन्ट्रली स्पोन्सर्ड है। आपके सुझाव के साथ सहानुभूति है लेकिन अर्थाभाव के कारण यह योजना हाथ में नहीं ली जा सकती है।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : अर्थाभाव का प्रश्न तो हमेशा रहता है। बीकानेर के लिये सेन्ट्रली स्पोन्सर्ड स्कीम है तो बाड़मेर जिले के लिये भी इस प्रकार की स्कीम बना कर सेन्टर को रिकमन्ड करके भेजी जा सकती है और वह मंजूर हो सकती है।

श्री परसराम मदेरणा : आपके यहां डेयरी की योजना प्रारम्भ होने वाली है। कैटल डवलपमेन्ट की गतिविधियां भी उसी के साथ ली जावेंगी। उसके साथ में पॉश्चर डवलपमेंट का काम भी लिया जावेगा। इसका भी प्रोग्राम है। वह योजना प्रारम्भ हो जावेगी तो अलग से कैटल ब्रीडिंग डवलपमेंट का काम देने की आवश्यकता नहीं है।

श्री अध्यक्ष : श्री चतुर्भुज।

टोडारायसिंह में पानी की टंकी का निर्माण

961. **श्री चतुर्भुज** (टोडा रायसिंह): क्या जनस्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

क्या कस्बा टोडारायसिंह में पानी की टंकी बनाने की योजना थी ? क्या उसे ऊंची बना दी गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

राज्य मंत्री, जन स्वास्थ्य (श्री जुझारसिंह): कस्बा टोडारायसिंह की पुनर्गठित जल प्रदाय योजना तैयार की जा चुकी है जिसमें पानी की बड़ी टंकी बनाने का भी प्रावधान है। योजना की तकनीकी जांच की जा रही है। धनराशि की उपलब्धि पर आवश्यक कार्यवाही की जावेगी।

श्री चतुर्भुज : अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न यह है कि टोडारायसिंह में 25 हजार की एक टंकी और बनाने की योजना थी। पानी बिना बड़े संकट में है। इसलिये इसमें वृद्धि कर पानी की व्यवस्था की जावे।

श्री जुझारसिंह : अध्यक्ष महोदय, जैसा निवेदन किया कि इसकी रिवाइज्ड स्कीम बना ली गयी है। जन संख्या को ध्यान में रखते हुए जैसे ही धनराशि उपलब्ध होगी, उसको बना दिया जायगा।

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : कब प्राप्त होगी? 80-82 में ?

श्री जुझारसिंह : यहां पर सन् 59 से वाटर वर्क्स की स्कीम चल रही है। पहले जन संख्या के हिसाब से टंकी बनायी गयी थी। जन संख्या बढ गयो है उस अनुपात में अब आवश्यकता है उसके लिये धनराशि की व्यवस्था की जावेगी।

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : कब तक हो जावेगी।

श्री जुझारसिंह : फिफ्थ फाइव इयर प्लान में किया जा सकेगा।

श्री मोहम्मद गफ्फारअली : कब तक?

श्री चतुर्भुज : पानी कब तक मिल जावेगा?

श्री जुझारसिंह : अभी भी पानी दिया जा रहा है। 25 हजार की एक्स्ट्रा टंकी बनाने की योजना तैयार की गयी है। उसके बन जाने से जो संख्या होगी उसको पानी दिया जा सकेगा।

एक माननीय सदस्य : ऊंचा नहीं है आग पाइप इसलिये चढता नहीं है पानी।

श्री चतुर्भुज : दो तीन साल से है।

श्री जुझारसिंह : 55 फीट ऊंची है पानी पहुंचाने का है।

श्री अध्यक्ष : श्री गुमानमल लोढा।

बीकानेर जिप्सम कम्पनी लि० के सब-कॉन्ट्रेक्टर्स

962. **श्री भानुकुमार शास्त्री** (उदयपुर) [श्री गुमानमल लोढा (जोधपुर) की अनुपस्थिति में] : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि बीकानेर जिप्सम कम्पनी लिमिटेड ने झामर कोटड़ा में रॉक फासफेट के कितने कितने टन उत्खनन, ग्राईन्डिग व ट्रान्सपोर्टेशन के लिये सब-कान्ट्रेक्टर्स नियुक्त किये हैं? तथा किन-किन को कब कब और किस किस दर पर ?

(2) क्या सब कान्ट्रेक्टर्स के लिये निविदा आमंत्रित किये गये थे ? यदि हां, तो किस-किस कार्य के लिये, कब कब? कृपया एन० आई० टी० (नोटिस इनवाइटिंग टेण्डर) की एक एक प्रति सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(3) निविदायें आमन्त्रित करने के नोटिस की सूचना किस प्रकार प्रसारित की गई ? कृपया इसका विवरण सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(4) किस किस नोटिस इनवाइटिंग टेण्डर के सम्बन्ध में किस किस के किस किस दर से निविदा प्राप्त हुए और किस किस का निविदा किस किस अधिकारी द्वारा स्वीकार किया गया ? कृपया निविदाओं की एक तुलनात्मक तालिका सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(5) क्या सब कान्ट्रेक्टर्स से कोई अनुबंध लिखाया गया था? यदि हां, तो किस

(श्री भानुकुमार शास्त्री)
किस से और कब-कब ? कृपया अनुबंधों की एक एक प्रति सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें ।

(6) क्या बीकानेर जिप्सम लिमिटेड ने झामर कोटड़ा रॉक फासफेट का कोई कार्य बिना सब-कान्ट्रेक्ट के ही सम्पन्न किया है ? यदि हां, तो किस किस प्रकार का, कितना कितना और कब कब ? इन कार्य में किस किस वर्ष में प्रति टन व्यय की क्या औसत रही है ?

राज्य मंत्री, उद्योग (श्रीमती कमला बेनीवाल) : इस प्रश्न का सम्बन्ध खनिज विभाग से है। वे अपनी बारी पर इसका जवाब देंगे ।

श्री भानुकुमार शास्त्री : खनिज विभाग से पूछा तो कहा कि उद्योग विभाग से सम्बन्ध है । उद्योग विभाग से पूछा तो कहते हैं कि खनिज विभाग से सम्बन्ध है ।

श्रीमती कमला बेनीवाल : उन्हीं से सम्बन्ध है और वे शुक्रवार को जवाब देंगे।

श्री अध्यक्ष: श्रीमती कान्ता कथूरिया ।

बेरोजगारों की संख्या

963. **श्री श्रीराम गोटेवाला** (किशनपोल, जयपुर) [श्रीमती कान्ताकथूरिया (कोलायत) की अनुपस्थिति में] : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) बीकानेर जिले में पिछले पांच वर्षों में बेरोजगारों की संख्या कितनी बढ़ी है ? इस जिले के कितने बेरोजगारों को काम मिल गया है और कितने बेरोजगार अभी तक पंजीकृत हैं !

(2) बीकानेर जिले में फरवरी, 1973 तक कितने स्नातक एवं स्नातकोत्तर युवक युवतियां बेरोजगार थीं ? इनमें से कितने इंजीनियरिंग एवं चिकित्सा क्षेत्र के हैं ?

(3) इस जिले में कितने बेरोजगार स्नातकों को सरकार द्वारा स्टाइपेन्ड दिया जा रहा है ?

श्रम मंत्री (श्री ओंकारलाल चौहान): (1) आज से पांच साल पूर्व जिला चूरू भी बीकानेर नियोजन कार्यालय के अन्तर्गत था। इसलिये पांच साल पूर्व बीकानेर जिले के अलग आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं बल्कि चूरू जिले के आंकड़े भी उसमें सम्मिलित हैं । इस प्रकार 31-12-67 को चूरू तथा बीकानेर जिलों में मिला कर कुल बेरोजगारों की संख्या 5,940 थी जो दिनांक 31-21-72 को बढ़ कर 11,110 हो गई । इस प्रकार इस संख्या में 5,170 की वृद्धि हुई। बीकानेर तथा चूरू जिलों में नियोजन कार्यालय के माध्यम से कुल काम पर लगाये आशार्थियों की संख्या संलग्न सूची में है ।

(2) सूची संलग्न है ।

(3) इस प्रश्न का संबंध इस विभाग से नहीं है ।

(कृपया परिशिष्ट 2 देखिये)

श्री श्रीराम गोटेवाला : यह आंकड़े जो आपने दिये हैं उसमें किस हिसाब से लोगों को नियुक्ति मिलेगी ? इसके लिये क्या प्रक्रिया अपनायी जायेगी ?

श्री ओंकारलाल चौहान : जो आशार्थी अपना नाम एम्पलोयमेंट एक्सचेन्ज में दर्ज करा लेते हैं उनके अनुसार लेते हैं ।

श्री श्रीराम गोटेवाला : इस प्रकार इसमें आपके जवाब के अनुसार 5,170 लोगों की वृद्धि हुई। और इस प्रकार 31-12-72 तक कुल मिलाकर 11,110 आशार्थी हो गये। अब इन्हें कब तक आप नौकरी पर लगा देंगे ?

श्री ओंकारलाल चौहान : यह तो एम्पलायमेंट एक्सचेन्ज में ज्यों ज्यों मांग जायेंगी त्यों-त्यों उनको नौकरियां खाली जगहों पर उनकी योग्यता के अनुसार दे दी जायेंगी।

श्री मूलचन्द सामरिया : इस वर्ष आपने कितने लोगों को नियुक्ति दे दी है ?

श्री ओंकारलाल चौहान : यह अलग से प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष : श्री विरदाराम।

काश्तकारों को ऋण

964. **श्री रघुनाथ बिश्नोई** (सांचोर) [श्री विरदाराम (जालोर) की अनुपस्थिति में]: क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

क्या यह सही है कि सरकार ने बैंक द्वारा किसानों को जो कर्जा देने की स्कीम बनायी है वह बड़ी ही जटिल है और काश्तकारों को ठीक समय पर ऋण नहीं मिल पाता ? यदि हां, तो क्या सरकार इस प्रणाली को सरल बनाने का विचार रखती है जिससे गरीब काश्तकारों को समय पर ऋण मिल सके ?

कृषि मंत्री (श्री परसराम मदेरणा) : सरकार ने व्यवसायिक बैंकों द्वारा किसानों को कर्जा देने की कोई स्कीम नहीं बनायी है। अतः स्कीम के जटिल होने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। कृषकों को ऋण देने हेतु व्यावसायिक बैंकों ने अपने स्तर पर योजना अवश्य बनायी है जिनकी क्रियान्विति के लिये वे ही जिम्मेवार हैं। इन बैंकों पर राज्य सरकार का कोई प्रशासनिक नियन्त्रण नहीं है फिर भी समय समय पर इन बैंकों के प्रतिनिधियों को राज्य स्तर पर बुलाकर कृषि क्षेत्र में अधिकाधिक ऋण प्रदान करने ग्रामीण क्षेत्रों में नई शाखायें खोलने एवं ऋण की स्वीकृति की प्रणाली को सरल बनाने के प्रयास अवश्य किये गये हैं।

श्री रघुनाथ बिश्नोई : क्या इसका कोई नतीजा निकला ?

श्री परसराम मदेरणा : अगर कोई विचार विमर्श किया जाता है तो उसका नतीजा निकलता ही है।

श्री रघुनाथ बिश्नोई : मैं मंत्री महोदय से यह निवेदन करना चाहता कि क्या सरकार वहां अगर व्यवसायिक बैंक नहीं खुलते हैं तो दूसरे बैंक्स खोल दें जैसे बीकानेर बैंक वगैरह हैं और उसमें इसके लिये प्राविजन्स करा दें।

श्री परसराम मदेरणा : यह कामर्शियल बैंक्स वगैरह खोलना सभी रिजर्व बैंक आफ इन्डिया के हाथ में है। इसलिये आप अपने क्षेत्र के जो एम० पी० हैं उन्हें टेप करिये ताकि वह जाकर लोकसभा में इसके लिये मिनिस्टरी आफ फाइनेन्स से इसकी व्यवस्था करायेंगे।

श्री मोहरसिंह : अध्यक्ष महोदय, यह व्यवसायिक बैंक्स वगैरह लोन देते हैं उनकी वसूली नहीं होती है इसके लिये क्या राज्य सरकार कोई कदम उठा रही है ?

Page No 8

श्री परसराम मदेरणा : इसका संबंध भी राज्य सरकार से नहीं है।

श्री अध्यक्ष : श्री केशरीमल।

दुकान एवं वाणिज्य संस्थान अधिनियम के एनफोर्समेंट का कार्य

965. **श्री केशरीमल** (ब्यावर) : क्या म. मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या यह बात सही है कि दुकान एवं वाणिज्य संस्थान अधिनियम के एनफोर्समेंट का श्रम विभाग को दिये जाने का निर्णय श्रम सलाहकार मण्डल की बैठक में लिया गया था ? यदि हां, तो यह कार्य कब से श्रम विभाग को सौंपा जा रहा है ? अभी तक इस कार्य को श्रम विभाग को क्यों नहीं सौंपा गया ?

श्रम मंत्री (श्री ओंकारलाल चौहान): जी हां। मितव्ययता की दृष्टि से यह कार्य उद्योग विभाग को सौंपा गया था। अब इस कार्य को वापिस श्रम विभाग को दिये जाने का प्रश्न राज्य सरकार के विचाराधीन है।

श्री केशरीमल : यह कब से विचाराधीन है ? यह कार्य कब तक पूरा कर दिया जायेगा?

श्री ओंकारलाल चौहान : मैं निवेदन करना चाहूंगा कि यह सन् 1957 में श्रम विभाग से उद्योग विभाग को यह काम दिया गया था लेकिन बाद में श्रम सलाकार की 15 वीं बैठक में यह निर्णय लिया कि इसको वापिस श्रम विभाग को दिया जाना चाहिये। यह प्रश्न अब राज्य सरकार के विचाराधीन है। मैं समझता हूं कि इस बारे में राज्य सरकार द्वारा जल्दी ही निर्णय ले लिया जायेगा।

एक माननीय सदस्य : यह कब हुआ ?

श्री ओंकारलाल चौहान : मैंने निवेदन किया था कि गत वर्ष जो 15वीं बैठक हुई थी उसमें यह निर्णय लिया गया था और उसमें यह तय किया गया था कि यह वापिस अब श्रम विभाग को दे दिया जायेगा।

श्री श्रीराम गोटेवाला : अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि इसमें काफी अनियमिततायें हो रही हैं और इससे आज लोग बहुत ही परेशान हो रहे हैं। और इसको जल्दी ही श्रम विभाग को दिया जाना चाहिए अध्यक्ष महोदय, जो बात गत वर्ष तय हो गई है लेकिन राज्य सरकार अभी तक कोई निर्णय नहीं ले पा रही है। आज उद्योग विभाग इस ओर बिलकुल ध्यान नहीं देता है। आखिर यह कब तक विचाराधीन रहेगा। श्रम विभाग को चाहिए, जल्दी इसको अपने हाथ में ले।

श्री ओंकारलाल चौहान: इसके लिये शीघ्रातिशीघ्र कार्यवाही की जायेगी।

श्री श्रीराम गोटेवाला : यह आपका शीघ्रातिशीघ्र वाला मामला खराब है। आप एक निश्चित तारीख बता दें, निश्चित समय बता द। एक माह, दो माह, साल या दस साल या कब तक ?

श्री केशरीमल: अध्यक्ष महोदय, आज दुकानों के खुलने की पालना नहीं हो रही है, वहां पर काम करने वालों को छुट्टी नहीं मिल रही है। आखिर आप यह कब तक करदेंगे ?

श्री ओंकारलाल चौहान : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य से यह निवेदन करना चाहूंगा कि जल्दी केबीनेट से निर्णय ले लिया जायेगा।

श्री श्रीराम गोटेवाला : आप दृढ़ता से कहें, कब तक हो जायेगा ?

Page No 9

श्री ओंकारलाल चौहान : दृढ़ता से ही कह रहा हूं कि जल्दी से जल्दी राज्य सरकार इसको श्रम विभाग के अन्तर्गत दे देगी ।

प्रश्न संख्या 966

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट। श्री गोपाल जोशी ।
(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिए)

श्री श्रीराम गोटेवाला !

एम्पलायमेन्ट एक्सचेन्ज से आवेदकों का नौकरियों के लिए नाम भेजने का आधार

967. **श्री श्रीराम गोटेवाला** (किशनपोल), **श्री रावतराम** (छापर): क्या श्रम एवं नियोजन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि एम्पलायमेन्ट दफ्तर आवेदकों के नाम भेजने के लिये अपना मनमाना ढंग अपनाते हैं और कोई नियम का पालन नहीं करते हैं ? यदि नियम का पालन करते हैं तो वह नियम क्या हैं ?

(2) क्या एम्पलायमेन्ट दफ्तर पर यह पाबन्दी है कि किस जगह के लिये कितने नाम भेजने चाहिए ?

(3) क्या नियोजक उक्त संख्या को निर्धारित कर सकते हैं ? यदि हां, तो एम्पलायमेन्ट दफ्तर अनेक नामों में से छांटने के लिये क्या विधि अपनाते हैं या अपने या नियोजक के मर्जीदानों के नाम ही भेजते हैं ?

(4) क्या किसी एम्पलायमेन्ट आफिसर को गलत या असंगत योजना बनाकर नाम भेजने के कारण निलम्बित कर दिया है ? यदि हां, तो उस आफिसर द्वारा अपनाई गई योजना और सही या संगत योजना की प्रति सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें ।

(5) क्या राज्य के अन्य ऑफिसरों ने उक्त सही योजना को ही उक्त विषय के लिये अपनाया है ? यदि नहीं, तो उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ? और यदि नहीं, तो क्यों नहीं की गई ?

(6) क्या बैंक ऑफ बीकानेर तथा जयपुर से कनिष्ठ लिपिक, केशियर इत्यादि के रिक्त स्थानों का ज्ञापन माह मार्च-अप्रेल, 1972 में राज्य के समस्त अथवा अधिकतर नियोजन कार्यालय को किया गया था ? यदि हां, तो इन व्यक्तियों में प्रार्थी प्रेषण के लिए सही प्रार्थी प्रेषण योजना नियमों के अन्तर्गत क्या होनी चाहिए थी की प्रति भी सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

श्रम एवं नियोजन मन्त्री (श्री ओंकारलाल चौहान): अध्यक्ष महोदय, इसका उत्तर काफी लम्बा है वह प्राप्त नहीं हो सका है इसलिये इसको स्थगित किया जाय ।

श्री श्रीराम गोटेवाला : अध्यक्ष महोदय, उत्तर तो प्राप्त हो जाना चाहिए था । काफी पहले प्रश्न की सूचना दी जा चुकी थी।

श्री अध्यक्ष : स्थगित किया गया ।
प्रश्न संख्या 968। श्री भानुकुमार शास्त्री।

उदयपुर दुग्ध वितरण योजना

968. **श्री भानुकुमार शास्त्री** (उदयपुर) : क्या पशुपालन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि उदयपुर दुग्ध वितरण योजना के दूध, घी, मक्खन, दही, क्रीम, स्वीट मिल्क आदि के विक्रय और स्टॉक का किसी लेखा-जोखा पार्टी ऑडिट द्वारा किया गया है ? यदि हां, तो ऑडिट रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखी जावे ।

Page No 10

(श्री भानुकुमार शास्त्री)

(2) क्या यह सही है कि इसी दुग्ध वितरण योजना का 1972 में टेस्ट चैकिंग हुआ और उस टेस्ट चैकिंग द्वारा ऑडिट पार्टी ने 4521 रुपये का घी के हिसाब में गबन पाया ? यदि हां, तो इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई ?

(3) विगत वर्षों में उदयपुर दुग्ध वितरण योजना के विभिन्न कालों में कब कब, कितना दूध फटा व खट्टा हुआ और उसमें से निकाले हुए घी की प्रतिशत मात्रा क्या रही ? सूची सदन के पटल पर रखने का कष्ट करें।

पशुपालन मन्त्री (श्री परसराम मदेरणा): (1) जी हां, प्रतिलिपि सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) जी हां, रकम प्राप्त की गई। दोषी व्यक्ति को सस्पेन्ड किया गया तथा दंडित किया गया।

(3) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

श्री भानुकुमार शास्त्री: मैं मन्त्री महोदय से यह पूछना चाहूंगा कि अमुक व्यक्ति ने यह 4521 रुपये की रकम कब तक अपने पास रखी और आपके ध्यान में कब आया? क्या उसने अमानत में खयानत नहीं की? आपने उसको सस्पेन्ड किया लेकिन आपने उसका प्रोसीक्यूशन क्यों नहीं किया, उसका चालान पेश क्यों नहीं किया गया ?

श्री परसराम मदेरणा: अध्यक्ष महोदय, यह उदयपुर यूनिवर्सिटी का इनटरनल मामला है उसमें राज्य सरकार क्या कर सकती है। विश्वविद्यालय ने ही उसे सस्पेन्ड किया और जो इन्क्वायरी कमेटी थी उसने इसके इन्क्रीमेन्ट रोके हैं।

श्री भानुकुमार शास्त्री: अध्यक्ष महोदय, मैं यह पूछना चाहता हूं कि उस व्यक्ति ने कितने महीनों तक वह रकम अपने पास रखी और कब पता चला कि उक्त राशि का गबन हुआ है ? अध्यक्ष महोदय, मुझे जानकारी है कि वह रकम उसके पास 11 महीने तक उस कर्मचारी के पास रही। अध्यक्ष महोदय, यह सारा गबन का मामला है लेकिन इन्क्वायरी कमेटी और उसकी मिली भगत से सिर्फ उसके इन्क्रीमेन्ट ही रोके-यह कोई सजा नहीं है। यह बिल्कुल अनुचित कार्य किया है और राज्य सरकार इस ओर कोई कार्यवाही नहीं कर रही इसमें है। राज्य सरकार का क्या औचित्य था

श्री परसराम मदेरणा: अध्यक्ष महोदय, औचित्य और अनौचित्य की बात नहीं है यह तो यूनिवर्सिटी का इन्टरनल मामला था। उसमें राज्य सरकार अननेसेसरी हस्तक्षेप नहीं कर सकती है क्योंकि यूनिवर्सिटी ओटोनोमस बोडी है। इसमें राज्य सरकार क्या राय दे सकती है ?

श्री भानुकुमार शास्त्री: क्या विश्वविद्यालय पर कानून लागू नहीं होते हैं ? आपको इसकी जानकारी कब मिली ?

श्री निरंजननाथ आचार्य (मावली): अध्यक्ष महोदय, मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूं वह यह है कि एक व्यक्ति 11 महीने तक पैसा अपने पास में रिटेन करता है तो वह गबन में आता है। उसने यूनिवर्सिटी के फण्ड का दुरुपयोग किया यह साफ गबन का मामला बनता है। क्या विश्वविद्यालय में अगर किसी प्रकार का एम्बेजलमेन्ट होता है तो क्या वह आफेन्स नहीं है ?

श्री परसराम मदेरणा : अध्यक्ष महोदय, मैं यह जानता हूं कि माननीय सदस्य क्रिमिनल साइड के अच्छे वकील रह चुके हैं लेकिन यहां पर हम मेनशिया लों का इन्टरप्रिटेशन नहीं कर रहे हैं। क्योंकि यह तो विश्वविद्यालय का इन्टरनल मामला था उन्होंने उसे सजा दे दी।

श्री निरंजननाथ आचार्य : यह तो रिटेन्शन में आता है। आप इसके बारे में जानकारी प्राप्त करलें। नहीं तो यह एक राजस्थान में उदाहरण हो जायेगा। आप तो जानकारी प्राप्त कर लें पूरी।

श्री परसराम मदेरणा : यह जानकारी यूनिर्वासिटी से तो प्राप्त करेंगे। इससे तो मैं सहमत हूं। पर यहां क्या पनिशमेन्ट दे सकेंगे हम ? इसमें मेरी मजबूरियां हैं।

श्री भानुकुमार शास्त्री : लाखों रुपयों का घोटाला है इसमें। ऑडिट ने सब लिखा है। यह पर्याप्त है इसके लिये और इसके लिये एक कमीशन बिठाकर जांच करवाई जावे कि कितने गबन और घोटाले हैं इसमें।

श्री परसराम मदेरणा : गबन और घोटाले नहीं हैं। लॉस है और वह इसलिए है कि जो डेयरी है उसमें प्रॉफिट नहीं है। इसका कारण है। एक यह भी कारण है कि बीस मील के रेडियस में दूध उनको उपलब्ध नहीं हो सकता। ऐसी स्थिति में दूर से इतना दूध लाना और उसे प्रॉफिट में चलाना सम्भव नहीं है। एक रुपया पर लिटर तो उनको ट्रान्सपोर्टेशन चार्जेज आ जाते हैं। फिर कैसे फायदे में चल सकती है।

श्री भानुकुमार शास्त्री : आप कहते हैं लॉस है। आपको धोखा दिया जा रहा है। वैसे यूनिर्वासिटी ने एक पेम्फलेट निकाला है जिसमें डेयरी के प्रॉफिट में चलने की बात को स्वीकार किया है।

श्री परसराम मदेरणा: वह पेम्फलेट आप मुझे दे दीजिये। फिर जांच कराऊंगा कि लाखों का गबन कैसे हुआ है। मने तो सी० ए० की आडिट रिपोर्ट जिसकी प्रतिलिपि मुझे दी गई है वह देखी है। अब यूनिर्वासिटी के पेम्फलेट में क्या बात है यह देखने की बात है।

श्री अध्यक्ष: श्री रामेश्वरलाल।

नमक उत्पादन के लिये लीज पर दी गई भूमि

969. श्री रामेश्वरलाल चौधरी (नांवा): क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि राम बल्लभ, गोपीकिशन तोतला, सांभर निवासी को कुचामन खालड़े में 500 एकड़ भूमि नमक उत्पादन के लिये 10 वर्ष की लीज पर अलॉट की गई थी ?

(2) क्या यह भी सही है कि लीज की शर्तों के माफिक अलॉटमेन्ट की तिथि से छः माह में समस्त भूमि विकसित की जानी चाहिए ?

(3) क्या यह भी सही है कि उक्त फर्म ने अलॉटेड भूमि के अधिकांश भाग को आज तक विकसित नहीं किया है और बेकार पड़ी है?

(4) क्या यह भी सही है कि उक्त लीज डीड की समयावधि काफी दिनों पहले समाप्त हो चुकी है और उनकी लीज अवधि पुनः अभी तक नहीं बढ़ाई गई है ?

(5) क्या राज्य सरकार इस अविकसित भूमि को लीज डीड की शर्तों को तोड़ने

Page No 12

(श्री रामेश्वरलाल चौधरी)
के अपराध में उन्हें अलॉट न कर अन्य व्यक्तियों को नमक उत्पादन हेतु अलॉट कराने का इरादा रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

राज्य मन्त्री, उद्योग (श्रीमती कमला बेनीवाल) : (1) जी हां ।

(2) जी नहीं ।

(3) 500 एकड़ में से 330 एकड़ भूमि विकसित की गई है ।

(4) जी हां । अवधि बढ़ाने का मामला राज्य सरकार के विचाराधीन है ।

(5) मामला राज्य सरकार के विचाराधीन है ।

श्री रामेश्वरलाल चौधरी : जब एक तरफ कृषि भूमि पर 54 एकड़ से ऊपर सीलिंग आ गया है और इस पार्टी को इतना एरिया दे दिया गया है क्या राज्य सरकार बाकी का एरिया इस पार्टी से लेने को तैयार है ?

श्रीमती कमला बेनीवाल : राज्य सरकार के पास यह प्रश्न विचाराधीन है कि जो एरिया विकसित नहीं किया गया है उसको उनको नहीं दिया जाय । नियमों में परिवर्तन हेतु विचाराधीन है ।

श्री रामेश्वरलाल चौधरी : यह कब तक हो जावेगा विचार ?

श्रीमती कमला बेनीवाल : जल्दी ही नियमों में परिवर्तन किया जाकर कार्यवाही की जावेगी।

एक माननीय सदस्य : क्या हरिजनों को देने का प्रस्ताव भी विचाराधीन है ?

श्रीमती कमला बेनीवाल : यह अलग से प्रश्न है ।

डूंगरगढ़ में वर्षा के पानी का भराव

970. श्री लूणाराम (श्री डूंगरगढ़) : क्या जन स्वास्थ्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि श्री डूंगरगढ़ कस्बे में वर्षा के पानी के निकास के अभाव में या एक दिन में दो इंच वर्षा होने से कस्बे के बीच का भाग बस स्टेन्ड व कालूवास के भाग के मकानों में पानी भर जाता है ?

(2) क्या यह सही है कि ऐसा पानी ऐसे स्थानों में भरा रहने से मकानों की बुनियाद को कमजोर करने के साथ साथ आवागमन में अवरुद्धता एवं अनेक छूत की बीमारियों को जन्म देता है ? यदि हां, तो राज्य सरकार इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही करने जा रही है और नहीं, तो क्यों ?

राज्य मन्त्री, जन स्वास्थ्य (श्री जुझारसिंह): (1) जी हां ।

(2) जी हां, राज्य सरकार धनाभाव के कारण इस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही नहीं कर सकी है ।

श्री लूणाराम : यह धनाभाव आपका कब मिटेगा ? एक तरफ समस्या महसूस करते हैं, धन जुटा नहीं पाते । फिर किस काम के लिए आप हैं ?

श्री जुझारसिंह : अध्यक्ष महोदय, इस साल 73-74 में इस कार्यक्रम के लिये धन उपलब्ध नहीं है । पर पांचवी योजना अगले साल से लागू होने वाली है उसमें अर्बन वाटर स्कीम के लिये छः करोड़ का प्रावधान है । ऐसा अनुमान है कि इसमें से प्रावधान किया जा सकेगा ।

Page No 13

श्री लूणाराम : क्या आश्वासन दे सकते हैं कि पहले साल में आप धन दे सकेंगे ?

श्री जुझार सिंह : आश्वासन तो देने की परिस्थिति में नहीं हूं। स्कीम तैयार है। कोष भी उपलब्ध है तो सम्भावना है कि इसे भी लिया जा सकता है।

श्री लूणाराम : आप यही बता दीजिये कि अब यह प्रश्न मैं आपसे कब पूछूं ?

श्री अध्यक्ष : अगले सत्र में।

अलवर नगर सुधार न्यास में नगर परिषद् का प्रतिनिधित्व

971. **श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता** (बांसूर): क्या नगर आयोजना मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या यह सही है कि अलवर नगर परिषद् ने तारीख 23-12-72 को नगर सुधार न्यास में प्रतिनिधित्व के लिए दो पार्षदों श्री मूदरमल व श्री श्योदयाल को नामजद करने का प्रस्ताव पास किया और उसको स्वीकृति के लिए सचिव, नगर आयोजना विभाग को तारीख 26-12-72 को प्रेषित किया ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

नगर आयोजना मन्त्री (श्री परसराम मदेरणा): जी हां। मामला सरकार के विचाराधीन है।

श्री श्रीराम गोटेवाला : ऐसी योजना प्रतिनिधित्व देने की है क्या ?

श्री परसराम मदेरणा: यह अलग से प्रश्न है।

श्री श्रीराम गोटेवाला : यह अवश्य अलवर से सम्बन्धित है पर जयपुर में भी हमारा इससे सम्बन्ध है।

श्री परसराम मदेरणा : आप यह प्रश्न अलग से उठाइये।

श्री अध्यक्ष: श्री झाबरमल। प्रश्न संख्या 293।

स्थगित प्रश्न
(दिनांक 6-3-73)

सीकर जिले की खरीफ की फसल

293. **श्री झाबरमल** (फतेहपुर): **क्या** सहायता मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) सीकर जिले में तहसीलवार खरीफ की फसल की उपज कितने प्रतिशत रही तथा इसका नापने का तरीका क्या है ?

(2) सीकर जिले में तहसील फतेहपुर में किन किन गांवों को अभावग्रस्त घोषित नहीं किया गया तथा इसके क्या कारण हैं ?

कृषि मन्त्री (श्री परसराम मदेरणा): **अध्यक्ष** महोदय, यह प्रश्न आधा रेवेन्यू विभाग से सम्बन्ध रखता है इसलिए मैं चाहता था कि पहले रेवेन्यू से उत्तर ले लिया जाय।

श्री अध्यक्ष : आइन्दा एक मन्त्री से एक ही प्रश्न पूछा करें।

श्री झाबर मल : यह प्रश्न ही ऐसा है जो जोइन्ट है। इसमें एक बात बताने की कृपा करें। सारे गांव अभावग्रस्त घोषित कर दिये आपने इनमें मांडला डाकाजा को भी ले लिया गया है या नहीं ?

श्री परसराम मदेरणा : जी हां, ले लिये गये हैं।

श्री झाबर मल : धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : श्री नाथूराम।

आरक्षित पदों पर नियुक्तियां

334. **श्री नाथूराम** (बागीडोरा) : क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राज्य में अनुसूचित जन-जाति के लिये किस किस वर्ग में आरक्षित रिक्त पद वर्ष 1972 में उपलब्ध थे, उनमें से कितने कितने भरे गये तथा कितने कितने रिक्त रहे? रिक्त रहने के कारण क्या थे?

(2) क्या यह सही है कि विभाग में इस निमित्त बने प्रकोष्ठ स्वयं में आदिवासी अधिकारी या कर्मचारी नहीं हैं? यदि हां, तो क्यों? यदि नहीं, तो प्रकोष्ठ के लिये कितने कर्मचारी किस किस वर्ग में हैं और उनमें कितने आदिवासी हैं? सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(3) क्या यह सही है कि राज्य सरकार के नियोक्ता इस प्रकोष्ठ का उपयोग न कर नियोजन कार्यालयों की सेवाएं लेते हैं? यदि हां, तो केन्द्र सरकार की तरह आरक्षित रिक्तियां नियोजन कार्यालयों के माध्यम से तथा नियोजकों को आरक्षित रिक्तियों पर अनुसूचित जाति अनुसूचित जन-जाति के आवेदकों को सीधे नियोजित करने की व्यवस्था व इस प्रकोष्ठ को नियोजित करने की व्यवस्था व इस प्रकोष्ठ की नियोजन सेवा विभाग और शिक्षा विभाग में विकेन्द्रित करने में क्या आपत्ति है? यदि नहीं, तो राज्य में कुल कितने अनुसूचित जन-जाति के आशार्थी बेरोजगार हैं और उनकी शैक्षणिक योग्यता क्या है? इनमें से कितने 1972 में इस प्रकोष्ठ में पंजीकृत हुए हैं? कितने नियोक्ताओं को विचारार्थ भेजा गया, कितने नियोजित हुए तथा कितने 31-12-1972 को काम की प्रतीक्षा में उपलब्ध थे? सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

समाज कल्याण मंत्री (श्री ओंकारलाल चौहान): (1) वांछित सूचना उपलब्ध नहीं है जिसके लिये विभागाध्यक्षों को लिखा जा रहा है।

(2) जी हां, यह सही है कि इस प्रकोष्ठ में कोई आदिवासी अधिकारी या कर्मचारी नहीं है। आरक्षित पदों पर नियुक्तियां सारे विभाग को दृष्टि में रखकर की जाती हैं न कि अलग अलग प्रकोष्ठ की दृष्टि से। वैसे इस प्रकोष्ठ में अनुसूचित जाति के एक वरिष्ठ लिपिक, दो कनिष्ठ लिपिक, एक संगणक एवं दो सहायक कर्मचारी हैं।

(3) जी नहीं, राज्य में अनुसूचित जन-जाति के बेरोजगार आशार्थी तथा उनकी शैक्षणिक योग्यता के बारे में सूचना विभाग में उपलब्ध नहीं है किन्तु सन् 1972 में इस प्रकोष्ठ में जितने अनुसूचित जन-जाति के व्यक्ति पंजीकृत हुए, जिनके नाम नियुक्ति हेतु विभागों में भेजे गये, जितने व्यक्तियों की नियुक्तियां हुई तथा 31-12-72 को जितने व्यक्ति काम की प्रतीक्षा में रहे, के बारे में सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(कृपया परिशिष्ट 3 देखिये)

श्री नाथूराम : इस सूची से यह स्पष्ट है कि स्नातकोत्तर और स्नातकों में से एक भी व्यक्ति को नियुक्ति नहीं दी गई तथा मैट्रिक स्तर के भी एक व्यक्ति को नियुक्ति दी गई बाकी 4 मैट्रिक स्तर से भी नीचे के हैं। पांच ही व्यक्तियों को सेवा में लगाया है, बाकी विभिन्न योग्यता के 222 लोगों को कहीं पर भी नहीं लगाया जा सका, इसका कारण क्या है?

श्री ओंकारलाल चौहान : माननीय अध्यक्ष महोदय, इन लोगों को भर्ती करने के लिये न केवल अनुसूचित जन जाति विभाग ही काम कर रहा है बल्कि डाइरेक्ट भी होते हैं। रोस्टर प्रणाली के अन्तर्गत भी जिस व्यक्ति को जितनों की जरूरत होती है उस मुताबिक ले लिये जाते हैं। एम्पलोयमेंट एक्सचेन्ज के मार्फत ही जाना आवश्यक नहीं रहता। इसलिये अलग अलग प्रकार की सूचनाएं मंगाई जा रही हैं। ये सूचनाएं प्राप्त होने पर ही आगे निवेदन किया जा सकेगा।

श्री शंकरसिंह रावत (नसीराबाद) : मंत्री महोदय ने यह तो मान लिया कि.....

श्री ओंकारलाल चौहान : राज्य सरकार हमेशा कार्य की क्षमता में रहती है।

श्री माथूराम : मंत्री महोदय यह बतायें, सर्वे कराया या नहीं कराया? आपके विभाग से सर्वे हुआ या नहीं हुआ?

श्री ओंकारलाल चौहान : माननीय अध्यक्ष जी, मैंने पूर्ण रूप से सूचना प्रस्तुत की है। कुछ कारणों से विभागाध्यक्षों से सूचना नहीं आई है। उन्हें कहा गया है, शीघ्र सूचना दें।

श्री माथूराम : अध्यक्ष महोदय, हजारों बेरोजगार हैं और केवल पांच व्यक्ति ही लगाये, इसके क्या कारण हैं?

श्री मूलचन्द सार्मारिया : क्या यह सही है कि पांच इसलिये लगाये कि कुछ सीमा तक सिफारिश नहीं थी?

श्री अध्यक्ष : कृषि मंत्री जी।

श्री माथूराम : मेरा जवाब नहीं आ रहा है। मैं आरोप लगाता हूं। बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। एक तरफ आदिवासियों को पढ़ाया लिखाया है और उनमें बराबर बेरोजगारी बढ़ती जा रही है।

श्री अध्यक्ष : श्री यशवन्त सिंह।

(कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर अश्रव्य)

श्री लक्ष्मण सिंह (डूंगरपुर) : (अश्रव्य)... कोई अर्थ ही नहीं होता, स्थगित प्रश्न का जवाब नहीं आता है।

श्री माथूराम : सन्तोषजनक जवाब नहीं दिया। अध्यक्ष महोदय, वे कबूल कर रहे हैं"

श्री अध्यक्ष : कृषि मंत्री जी।

भारत सरकार से कृषि विकास कार्यक्रम के लिये प्राप्त राशि

330. **श्री यशवन्त सिंह नाहर (बनेड़ा) :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) गत पांच वर्षों में भारत सरकार से राज्य सरकार को कृषि विकास कार्यक्रमों के लिये कितनी राशि मिली? कृपया प्रति वर्ष का ब्योरा दें।

(2) क्या उक्त सारी राशि कृषि विकास कार्यक्रम में खर्च की गई? यदि नहीं, तो उसके क्या कारण थे? क्या किसी अधिकारी की लापरवाही के कारण खर्च नहीं हुई? यदि हां, तो क्या ऐसे अधिकारी के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गई?

कृषि मंत्री (श्री परसराम मदेरणा) : (1) वर्ष 69-70 से 71-72 तक कृषि विकास कार्यों पर राजकीय योजना के

(श्री परसराम मदेरणा)
अन्तर्गत निम्नलिखित रुपया व्यय किया गया :—

वर्ष	राशि जो व्यय की गई (रुपया लाखों में)
1969-70	131.64
1970-71	177.34
1971-72	149.69

राजकीय योजनाओं के खर्च के प्रति भारत सरकार से ब्लाक ग्राण्ट प्राप्त होती है अत: अलहदा से कृषि के लिये प्राप्त राशि का ब्यौरा देना कठिन है। केन्द्रीय योजनाओं पर व्यय व भारत सरकार से प्राप्त राशि निम्न प्रकार है :—

वर्ष	व्यय	भारत सरकार से प्राप्त राशि
1969-70	2.18	12.21
1970-71	19.10	21.31
1971-72	36.50	52.40

(2) जी हां।

श्री यशवन्त सिंह नाहर : दो में जी हां है, यह समझ में नहीं आया। यानि कोई बाकी नहीं रहा। जितनी राशि मिली केन्द्र से वह सब खर्च कर दी।

श्री परसराम मदेरणा : वह तो ऊपर बता दी न।

श्री यशवन्त सिंह नाहर : आपने बताया जितनी आई है, उतनी खर्च··· बाकी कैसे बच गई? खर्च कैसे नहीं हो सकी?

श्री परसराम मदेरणा : वह इसलिये बच गई कि कुछ तो भारत सरकार से वित्तीय मंजूरी बाद में प्राप्त हुई और कुछ नियुक्ति में विलम्ब हुआ है और कुछ रकम सहकारी बैंक से प्राप्त होने को थी, उसमें देरी हुई। ये तीन कारण थे।

श्री यशवन्त सिंह नाहर : माननीय मंत्री महोदय कहां बैंक पर जिम्मेदारी डाली, कहां केन्द्र से आवंटन होने में देरी डाली? कोई न कोई अधिकारी तो होगा।

श्री केदारनाथ (गंगानगर) : सर, 1972 में इमरजेन्सी रबी प्रोडक्शन में कितना पैसा मिला?

श्री परसराम मदेरणा : 72-73 को इस समय मेरे पास सूचना नहीं है।

श्री केदारनाथ: इमरजेन्सी रबी प्रोडक्शन में जरूर पैसा मिला होगा। न आंकड़े हैं, कितना खर्च हुआ, किन योजनाओं में खर्च किया जाना चाहिये था। आपको पैसा तो मिला है?

श्री परसराम मदेरणा : बिलकुल चार करोड़ मिला है।

श्री अध्यक्ष : श्री मूलचन्द सामरिया।

उद्योगों को इम्पोर्ट लाइसेन्स

337. **श्री मूलचंद सामरिया** (दौसा) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राज्य के उद्योग हेतु 1971-72 व 72-73 में कितने व किस किस माल के इम्पोर्ट लाइसेन्स किन किन उद्योगों को जारी किये गये?

(श्री मूलचन्द सामरिया)

(2) उक्त लाइसेन्स के द्वारा किस किस उद्योग ने क्या क्या कच्चा माल कब कब व किस किस मात्रा में प्राप्त किया?

(3) क्या उक्त आयातित माल का संबन्धित उद्योगों ने वांछित उपयोग किया?

राज्य मंत्री, उद्योग (श्रीमती कमला बेनीवाल) : माननीय अध्यक्षजी, यह स्थगित प्रश्न था, इसका जवाब जरूर दिया जाना चाहिये था लेकिन तमाम कोशिशों के बावजूद इसकी जानकारी नहीं मिल सकी है इसलिये आज इसका जवाब नहीं दे सकूंगी।

श्री अध्यक्ष : सदन को भी स्थगित करना पड़ रहा है।

श्री निरंजननाथ आचार्य।

अकाल राहत के मद से निर्मित डाक बंगले

354. **श्री निरंजननाथ आचार्य** (मावली): क्या अकाल राहत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(1) सन 1967-68 से लेकर अब तक अकाल राहत के मद से राज्य के सार्वजनिक निर्माण विभाग, वन विभाग एवं सिंचाई विभाग द्वारा कहां कहां पर डाक बंगले बनवाये गये और किन-किन डाक बंगलों की मरम्मत और उनमें विस्तार करवाया गया?

(2) इन डाक बंगलों के लिये कब-कब किस-किस मूल्य का कितना-कितना फर्नीचर एवं अन्य सामान खरीदा गया? कृपया उसकी एक तालिका सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

अकाल राहत मंत्री (श्री परसराम मदेरणा) : इसका जवाब भी आज देने में मेरी असमर्थता है। पी० डब्ल्यू० डी० से जो सूचना मांगी है डिविजनल हैड-क्वार्टर से वह पूरी एकत्रित नहीं हो सकी है।

श्री निरंजननाथ आचार्य : मैं इसी में सन्तोष कर लूंगा। यह सत्र समाप्त हो उसके बाद आप मुझे दे दें। सभी सूचना देने के बाद क्या आप देने की स्थिति में होंगे?

श्री परसराम मदेरणा: मैं दे दूंगा।

श्री अध्यक्ष : श्री पल्लीवाल।

सवाई माधोपुर सीमेन्ट फैक्टरी द्वारा सीमेंट का उत्पादन

371. **श्री हरिश्चंद्र पल्लीवाल** (गंगापुर): क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सत्य है कि सवाई माधोपुर सीमेंट फैक्टरी करीबन 70,000 टन औसतन माहवारी सीमेंट का उत्पादन करती है लेकिन राजस्थान को सिर्फ 6000 और 7000 टन सीमेंट ही फैक्टरी से मिल सकता है?

(2) क्या उक्त फैक्टरी से आगामी जून 1973 तक 20,000 टन सीमेंट माहवारी राजस्थान की खपत के लिये प्राप्त करने की कार्यवाही की जायेगी।

(3) जिला सवाई माधोपुर को सीमेंट का मेजर शेयर इसी फैक्टरी से दिलाने की व्यवस्था करने में क्या बाधायें हैं?

राज्य मंत्री, उद्योग (श्रीमती कमला बेनीवाल) :-(1) जी नहीं, औसतन लगभग 57,300 टन महावारी का उत्पादन होता है, जिसमें से राजस्थान को सवाई माधोपुर सीमेंट फैक्टरी से लगभग 10,000 टन प्रति माह सीमेंट प्राप्त होता है।

Page No 18

(श्रीमती कमला बेनीवाल)

(2) राज्यों के लिये सीमेंट का आवंटन, सीमेंट कन्ट्रोलर, भारत सरकार द्वारा किया जाता है।

(3) भाग 2 के उत्तर में स्पष्ट किया जा चुका है।

श्री हरिश्चन्द्र पल्लीवाल : अध्यक्ष महोदय इसमें वही कहा है घर का पूत कंवारा डोले पाडोसी का फेरा। राजस्थान को खपत के अनुसार मिलता नहीं। यहां तक कि सवाई माधोपुर जिले में यह मिल है और उन्हीं को सीमेंट नहीं मिले। दो तीन महीने तक वेगन अवेलेबल नहीं होने का बहाना किया जा रहा है। जिले वाले सीमेंट के लिये परेशान होते हैं। मैं सरकार से निवेदन करूंगा सवाई माधोपुर जिले वालों को सीमेंट बराबर मिलती रहे, इस ओर ध्यान देना चाहिये।

श्री श्रीराम गोटेवाला : अध्यक्ष महोदय मैं एक प्रश्न और पूछ लूं। मेरा भी वैसे इसी से सम्बन्धित प्रश्न है.....

श्री अध्यक्ष : नहीं, आपका प्रश्न आये जब...

श्री श्रीराम गोटेवाला : बहुत ही जरूरी प्रश्न है। इस सीमेन्ट से सम्बन्धित है। 57 हजार 300 टन के बारे में मैं यह जानना चाहता हूं। सवाई माधोपुर की सीमेन्ट फैक्टरी जिसका कुल उत्पादन 7 लाख 36 हजार 916 टन का है। उसमें जो राजस्थान का कोटा है। अभी जो हरिश्चन्द्रजी ने कहा ज्वाइन्ट सीमेन्ट कन्ट्रोलर ने 65 हजार टन दिया है। राजस्थान को इतना कम कोटा दिया है जबकि पंजाब को एक लाख 29 हजार टन का कोटा दिया है, दिल्ली को 28 लाख टन। आज जो राजस्थान में हालत है कृषि के और जगह जगह के काम बन्द पड़े हैं उनको देखते हुये मैंने पहले भी निवेदन किया था कि ज्वाइन्ट सीमेंट कन्ट्रोलर से निवेदन कीजिये कि राजस्थान का कोटा बढ़ावें। जहां पर चार फैक्टरी हैं वहां 28 हजार टन और पंजाब में एक लाख 29 हजार टन, हरियाणा में जो छोटा सा राज्य है उसमें भी राजस्थान से ज्यादा। मैं निवेदन करूंगा राजस्थान सरकार भारत सरकार से सम्पर्क करके कम से कम एक लाख टन का कोटा करवाने की कृपा करें।

श्रीमती कमला बेनीवाल : माननीय सदस्य के आग्रह और सुझाव पर विचार किया जायगा।

श्री अध्यक्ष : श्री मूलचन्द सामरिया।

मुरली रोलिंग मिल व जयपुर रोलिंग मिल का उत्पादन

489. **श्री मूलचन्द सामरिया** (दौसा) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) लघु उद्योग निगम से 1972-73 में किन किन पार्टीज ने सामान का कोटा लेने के लिये प्रार्थना-पत्र दिये ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त निगम द्वारा 1972-73 में किन किन पार्टीज को सामान दिया गया ?

(3) इनमें से कितनी यूनिटस उक्त समय व वर्तमान में चालू हैं और कितनी बन्द हैं ?

(4) मुरली रोलिंग मिल जयपुर व जयपुर रोलिंग मिल जयपुर का उत्पादन क्या है और इनमें कब से उत्पादन चालू हुआ ? तथा इनको 1972-73 में गर्डर्स, एंगल्स, राउण्डस व अन्य कच्चा माल कितना दिया गया ?

(श्री मूलचन्द सामरिया)

(5) क्या जो मेटेरियल प्रोड्यूसर से तैयार होता है उसको दुबारा रोलिंग मिल में काम में लिया जा सकता है? यदि नहीं तो उक्त मिलों को क्यों दिया गया?

राज्य मंत्री, उद्योग (श्रीमती कमला बेनीवाल): (1) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) 1 जनवरी, 1972 से 31 जनवरी 1973 तक 2875 पार्टीज को सामान दिया गया।

(3) उद्योग विभाग द्वारा किये गये अगस्त, 1972 तक के सर्वेक्षण के अनुसार 23 जून, 1972 तक पंजीकृत लघु उद्योग इकाइयों की संख्या 10211 थी जिनमें से 5237 इकाइयां चालू थी।

(4) इन रोलिंग मिल की उत्पादित वस्तुओं में राउण्ड्स, एंगिल्स, चैनल्स आदि वस्तुएं हैं। मेसर्स मुरली रोलिंग मिल्स ने 7 जनवरी 73 में तथा जयपुर रोलिंग मिल्स ने 8 अक्टूबर, 1972 से उत्पादन प्रारम्भ किया। इन पार्टीज को निम्न माल दिया गया:—

1. मेसर्स जयपुर रोलिंग मिल्स:

10-5-72	जोइस्ट	3 टन
	प्लेट	3 टन
21-6-72	एंगिल्स	5 टन
	जोइस्ट	3 टन
	प्लेट	2 टन
25-8-72	जोइस्ट	1 टन
	एंगिल्स	3 टन
	जी सी शीट्स	4 टन
	राउन्ड्स	7 टन
31-12-72	राउन्ड्स	15 टन
	स्क्वायर्स	15 टन
	कुल	61 टन

2—मुरली रोलिंग मिल्स:

28-7-72	राउन्ड्स	5 टन
	चेनल	5 टन
	जोइस्ट	5 टन
	कोट	8 टन
	कुल	23 टन

इनमें इन इकाइयों को रोड्स आदि के निर्माण हेतु दिया गया माल भी शामिल है। इसके अतिरिक्त मेसर्स मुरली रोलिंग मिल्स को अप्रेल-सितम्बर, 72 को छमाही में 105 टन व जयपुर रोलिंग मिल्स को अक्टूबर, 72 के बाद 73 की छमाही में 30 टन माल सीवा जोइन्ट प्लान्ट कमेटी से रि-रोलिंग के लिये आवंटित किया गया।

(5) जी हां। प्रश्न नहीं उठता।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

श्री रामानन्द अग्रवाल: क्या माननीय मंत्री महोदय बतायेंगे यह जो रॉमेटेरियल इसको अलॉट करते हैं तो इन पार्टीज ने युटिलाइज किया या नहीं किया। क्या आप चैकिंग करते ह। इसकी क्या व्यवस्था है और चैकिंग करने के बाद क्या रिपोर्ट पाई गई। जितना आवंटन किया गया वे ब्लेक में बेच देते हैं।

श्रीमती कमला बेनीवाल: चैकिंग कराई गई लेकिन परिणाम नहीं आया।

श्री रामानन्द अग्रवाल : कितने पीरियड के बाद आप चैकिंग कराते हैं । पीछे जो अलॉटमेंट होते रहे हैं, उसके क्या परिणाम हैं।

श्रीमती कमला बेनीवाल : इसकी कोई निश्चित व्यवस्था और नियम अभी तक बने हुए नहीं हैं लेकिन इस प्रकार के नियम और तरीके बना दिये जायें इसके लिए विचार किया जा रहा है और शीघ्र बनाये जायेंगे । अभी तक जो चैकिंग किया गया उसके परिणाम मेरे पास उपलब्ध नहीं हैं ।

श्री रामानन्द अग्रवाल : क्या यह सही है कि कितना माल इन्होंने ब्लैक मार्केट में बेच दिया है गवर्नमेन्ट कुछ नहीं कह सकती। यदि मैं यह कहूं कि अमुक फर्म को जो माल दिया था पूरा ब्लैक मार्केट में दे दिया तो उसको आप रिफ्यूट नहीं कर सकते ।

श्रीमती कमला बेनीवाल : पिछले हफ्ते में चैकिंग करवाया गया था और उसके कारण से जिन यूनिटस ने माल का सदुपयोग नहीं किया और कुछ मात्रा में या पूरी मात्रा में उसका दुरुपयोग किया या ब्लैक मार्केट किया उसके उपरान्त बहुत सी इकाइयों को ब्लैक लिस्ट भी किया गया है। पूरी तफसील मेरे पास अभी उपलब्ध नहीं है इसलिए कुछ नहीं कह सकती।

श्री रामानन्द अग्रवाल: क्या आप इसके ऊपर बता सकते हैं कि कितना परसेन्टेज माल यूटीलाइज हुआ और कितना परसेन्टेज नहीं हुआ ?

श्रीमती कमला बेनीवाल: यह सब विवरण उसमें है जिसमें कि ब्लैक लिस्ट किया गया है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : लेकिन आपकी जानकारी में नहीं है।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट, श्री मोहनलाल छंगाणी!

श्री श्रीराम गोटेवाला : प्रश्न संख्या 502। मेरे पास अथॉरिटी है ।

श्री अध्यक्ष : पूछिये ।

स्थगित प्रश्न

(दिनांक 14-3-73)

उद्योग निदेशालय के राजपत्रित अधिकारियों के विरुद्ध शिकायतें

502. **श्री श्रीराम गोटेवाला** (किशनपोल, जयपुर) [श्री मोहनलाल छंगाणी (फलोदी) की अनुपस्थिति में]: क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि उद्योग निदेशालय में अनेक राजपत्रित अधिकारी वरिष्ठ पदों पर पदासीन हैं जब कि उनके विरुद्ध नियुक्ति की तिथि से अनेक शिकायतें आदि राज्य सरकार को प्राप्त होती रही हैं ?

(2) यदि हां, तो कृपया उन वरिष्ठ अधिकारीगण के नाम व वर्तमान पद बताने का कष्ट करें जिनको कि उक्त जांच के पश्चात् राज्य सरकार द्वारा दण्डित किया गया है ?

(3) यह भी स्पष्ट करें कि ऐसे अधिकारियों को जयपुर में उच्च पद पर रखने पर प्रशासन का क्या हित हो सकता है ?

राज्य मंत्री, उद्योग (श्रीमती कमला बेनीवाल): (1) जी हां ।

(2) निदेशालय के जिन अधिकारियों को जांच के पश्चात् दण्डित किया गया है वे निम्नलिखित हैं :–

1. श्री पूरन सिंह, संयुक्त निदेशक ।

(श्रीमती कमला बेनीवाल)

2. श्री जी. एस. शुक्ला, उप संचालक, उद्योग।

3. श्री डी. के. शर्मा, सहायक संचालक, उद्योग, जयपुर।

4. श्री बी. एल. गोस्वामी, जिला उद्योग अधिकारी, मुख्यालय ।

(3) निदेशालय की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए इन्हें निदेशालय में रखा गया है ।

श्री श्रीराम गोटेवाला : क्या दण्ड दिया गया ? अधिकारी तो वहीं के वहीं बैठे हुए हैं ।

श्रीमती कमला बेनीवाल : पूरनसिंह जी को 1 इन्क्रीमेन्ट रोका गया । श्री जी. एस शुक्ला को रेकार्डेड वार्निग दिया गया, डी. के. शर्मा को सेन्सर किया गया और वी. एल गोस्वामी को वार्निग दी गई ।

श्री श्रीराम गोटेवाला : और कोयले के घोटाले का जो प्रेमस्वरूपजी ने किया उसका क्या हुआ ? जिसका ट्रान्सफर करके तसल्ली करली गई है। जिसके लिए मैंने और प्रश्नकर्ता श्री मोहनलालजी छंगाणी ने लिखकर दिया उसके बारे में सिर्फ ट्रान्सफर करके मन की तसल्ली करली ?

श्रीमती कमला बेनीवाल : उसकी विस्तृत जांच कराई जा रही है ।

श्री श्रीराम गोटेवाला : वह कब तक होगी ? वह अधिकारी तो वहीं के वहीं बैठे हैं जिनके ऊपर लाखों रुपये के चार्जेज हैं और अभी माननीय रामानन्दजी ने सवाल पूछा था पटीलाईजेशन के बारे में और जिन्होंने कोई नियम नहीं बनाये जिसके कारण से हमारे राज्य का औद्योगीकरण बहुत पिछड़ा हुआ पड़ा है, उनके लिए एक एक ग्रेड इन्क्रीमन्ट रोका है और उनके खिलाफ आरोप प्रमाणित हो गए और आपने सजा दी है एक का ग्रेड इन्क्रीमेन्ट रोका, एक को वार्निंग कर दी और आप कह रहे हैं कि जांच कर रहे हैं तो यह जांच कब तक होगी पता ही नहीं ? इसके लिए आपको सख्त कार्यवाही करके कदम उठाना चाहिए ।

श्रीमती कमला बेनीवाल : आपने प्रेमस्वरूपजी के लिए कहा तो जो प्राइमाफेसी शिकायत के बारे में अहसास हुआ उस पर उनको स्थान से हटा दिया गया और विस्तृत जांच की जा रही है और परिणाम आने पर कार्यवाही की जायेगी ।

श्री श्रीराम गोटेवाला: सतर्कता आयोग ने भी किन्हीं अधिकारियों के लिए लिखा है ?

श्रीमती कमला बेनीवाल : मेरे पास जानकारी नहीं है ।

श्री श्रीराम गोटेवाला : अध्यक्ष महोदय, यह बहुत आवश्यक है । सतर्कता आयोग हम नियुक्त करते हैं और लाखों रुपया खर्च होता है इस पर, उनकी रिपोर्ट पर कोई कार्यवाही नहीं करते इसलिए क्या सेन्स है ? इसलिए सतर्कता आयोग ने किस-किस के बारे में क्या लिखा है ? हमारा प्रश्न उसी से सम्बन्धित है ।

श्रीमती कमला बेनीवाल : सतर्कता आयोग ने किस-किस अधिकारी के बारे में क्या कार्यवाही करने के लिए लिखा है अभी इसका विवरण मेरे पास नहीं है ।

श्री श्रीराम गोटेवाला : नमक के बारे में लिखा है और पुरोहित ने 7।। लाख रुपये का

Page No 22

(श्री श्रीराम गोटेवाला)
सरकार को नुकसान पहुंचाया। उस कार्यवाही का तो नाम ही नजर नहीं आता।

श्री अध्यक्ष : Next.

श्री श्रीराम गोटेवाला : मैं इनफार्मेशन देना चाहता था लेकिन इन्फार्मेशन मेरे पास भी है। तो मन्त्री महोदया के पास इन्फार्मेशन नहीं आई तो मैं और जानकारी दे देता हूं।

श्रीमती कमला बेनीवाल : आपने जानकारी दी उसकी पुष्टि करके और उसके मुताबिक कार्यवाही करेंगे।

श्री अध्यक्ष: नेक्स्ट।

श्री राम सिंह (लूनी)।

(अनुपस्थित)

श्री गुमानमल लोढ़ा : अध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न का उत्तर दिला दिया जाये। महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न संख्या 519।

श्री परसराम मदेरणा : माननीय अध्यक्ष जी, इस प्रश्न का उत्तर तो मैं विस्तार से माननीय सदस्य को एक सप्ताह पूर्व दे चुका हूं।

श्री गुमानमल लोढ़ा : अब संक्षेप में दे दें।

स्थगित प्रश्न

(दिनांक 14-3-73)

जोधपुर शहर में ट्रेक्टर का कारखाना

519. **श्री गुमानमल लोढ़ा** (जोधपुर) [श्री रामसिंह (लूनी) की अनुपस्थिति में]: क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान सरकार, केन्द्रीय सरकार के निर्देशन पर जोधपुर शहर में एक ट्रेक्टर का कारखाना खोल रही है? अगर हां, तो कब तक?

(2) क्या यह सच है कि इस कारखाने हेतु जोधपुर शहर में जमीन अलाट/एक्वायर करवा दी गई है। अगर हां, तो इस कारखाने के शुरू होने में विलम्ब क्यों हो रहा है?

कृषि मंत्री (श्री परसराम मदेरणा) : (1) जी हां, जोधपुर शहर में राजस्थान राज्य कृषि उद्योग निगम द्वारा एक ट्रेक्टर का कारखाना खोलने का मामला राज्य सरकार के विचाराधीन है।

(2) जी हां, जोधपुर शहर में ट्रेक्टर का कारखाना स्थापित करने हेतु 70 एकड़ भूमि अलाट की गई है। यह मामला राज्य सरकार के विचाराधीन है।

श्री गुमानमल लोढ़ा : माननीय अध्यक्ष महोदय, इसमें पहले प्रश्न का जो दूसरा भाग है उसका उत्तर बताया। प्रश्न यह है कि ट्रेक्टर का कारखाना विचाराधीन तो बहुत समय से है। प्रश्नकर्ता ने पूछा है कि अगर हां, तो कब तक तो मन्त्री महोदय से मैं यह प्रार्थना करूंगा कि जोधपुर में पहले भी स्कूटर फैक्ट्री का मामला था जिसे अलवर ले गये और अब ट्रेक्टर फैक्ट्री के बारे में एक एस्टेब्लिशमेंट किया गया। एक सेक्रेटरी आये और उन्होंने कुछ कार्य भी किया। उसके बाद यह मामला कोल्ड स्टोरेज में डाल दिया गया। अगर हां, तो कब तक—यह प्रश्न का भाग दो है तो एक माह या साल का कुछ तो इशारा कीजिये कि साल में तो लगा ही देंगे।

श्री परसराम मदेरणा : जैसा कि मैं अपने प्रश्न के भाग 1 और 2 में उत्तर दे चुका हूं मामला राज्य सरकार के विचाराधीन है और राज्य सरकार के विचाराधीन होने का अभि-

(श्री परसराम मदेरणा)
प्राय यह है कि राज्य सरकार इस पर क्या निर्णय लेगी और वह निर्णय नेगेटिव में होगा या पोजिटिव में होगा इसका पता नहीं इसलिए यह मैं निश्चित अवधि नहीं दे सकता।

प्रश्न संख्या 972

श्री अध्यक्ष: श्री सुरेशचन्द्र शर्मा।

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)।

प्रश्न संख्या 973

श्री चुन्नीलाल।

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

श्री गिरधारीलाल भार्गव।

रिक्त स्थानों की पूर्ति हेतु एक्सचेन्जों में सूचना

974. **श्री गिरधारीलाल भार्गव** (हवा-महल): क्या नियोजन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) एम्पलायमेन्ट (रिक्त स्थानों की अनिवार्य सूचनाएं) एक्सचेन्ज अधिनियम, 1959 की धारा 4 के अन्तर्गत किन किन राजकीय प्रतिष्ठानों (राज्य तथा केन्द्र) ने अपने यहां रिक्त स्थानों की पूर्ति हेतु एक्स-चेन्जों में सूचना भिजवाई है? कृपया 1968 से 1972 तक की सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(2) कब कब और किन किन संस्थानों को 'न' उपलब्धि प्रमाण-पत्र (नो आवजेक्शन) स्थानीय एक्स्चन्जों अथवा निदेशालयों द्वारा प्रदान किये गये?

(3) क्या उक्त संस्थानों ने स्वयं की भर्ती के बाद उन कर्मचारियों के नाम, योग्यता आदि की सूचना उपरोक्त अधिकारियों को भेजी गई थी? यदि नहीं, तो उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई?

(4) उक्त अधिनियम की धारा 9 अथवा अन्यतर सम्बन्धी धारा के अन्तर्गत कब तक कितने मुकदमे चलाने की स्वीकृति प्रदान की गई और कितने मुकदमें न्यायालयों के समक्ष पेश हैं और उनकी प्रगति क्या है?

(5) यदि मुकद्दमें नहीं चलाए गए तो किन कारणों से और क्या राज्य सरकार को इन तथ्यों से अवगत कराया गया? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं तो सम्बन्धित अधिकारी के विरुद्ध क्या कदम उठाया गया?

नियोजन मन्त्री (श्री ओंकारलाल चौहान): अध्यक्ष महोदय, मैं माफी चाहता हूं, इसका जवाब प्राप्त नहीं हुआ है इसलिए इसको स्थगित किया जाये।

श्री गिरधारीलाल भार्गव: बड़ी मुश्किल से दो, चार प्रश्न आये हैं इनका भी उत्तर स्थगित कर दिया जाता है।

श्री अध्यक्ष: पोस्टपोन्ड।

प्रश्न संख्या 975

श्री विट्ठल भाई।

(अनुपस्थित: कृपया आगे देखिये)।

प्रश्न संख्या 976

श्री हनुमान सहाय।

(अनुपस्थित: कृपया आगे देखिये)

श्री रामसिंह कुड़ी।

मौजा कुचेरा की ग्रामीण जल प्रदाय योजना

977. **श्री रामसिंह कुड़ी (जायल)**: क्या जन स्वास्थ्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि मौजा कुचेरा तहसील व जिला नागोर की ग्रामीण जल प्रदाय योजना से हरिजन बास, सांसीयान बास, बावरियान बास, रेवारियान बास, भांबियान बस्ती बास, सेवकों का बास व ढोलियों के बास में सार्वजनिक टटियां नहीं लगाई गई ?

(2) क्या यह सही है कि कुचेरा ग्रामीण जल प्रदाय योजना के अन्तर्गत पशुओं के पानी पीने हेतु खेलियों का निर्माण नहीं हुआ है ? यदि हुआ है, तो कितनी खेलियों का व कहां कहां निर्माण हुआ है ?

(3) इस कुचेरा ग्रामीण जल प्रदाय योजना में सार्वजनिक टूटियां कहां कहां व कुल कितनी लगाई गई हैं ?

राज्य मन्त्री, जन स्वास्थ्य (श्री जुझार सिंह): (1) ग्रामीण जल योजना कुचेरा में अनुसूचित जातियों के मोहल्लों में पाइप लाईन बिछाने व सार्वजनिक नल लगाने का कार्य प्रगति पर है ।

(2) जी नहीं, पशुओं के पानी पीने हेतु खेलियों का निर्माण नहीं हुआ है ।

(3) सदन की मेज पर सूची रख दी है ।

(कृपया परिशिष्ट 4 देखिये)

श्री रामसिंह कुड़ी: यह इन अनुसूचित जाति के मोहल्लों में तो टूटियां लगी ही नहीं और पहले दूसरे मोहल्लों में टूटियां कैसे लगा दीं ?

श्री जुझारसिंह: आपकी पंचायत से यह पूछा गया था कि किस किस जगह कौन कौन से सार्वजनिक स्थानों पर नल लगाए जाने चाहिए। जो दस नल लगाने थे उनकी सूची जो उन्होंने दी उसके अनुसार नल लगाए गए हैं ।

श्री रामसिंह कुड़ी: पंचायत से पूछा गया और पंचायत वालों ने अपने मोहल्लों में नल लगा लिए लेकिन राज्य सरकार की नीति क्या है ? राज्य सरकार की नीति तो यह है कि हरिजनों के मोहल्लों में पहले नल लगाए जायेंगे । क्या यह जल प्रदाय योजना विशेष व्यक्तियों को ही पानी देने के लिए मन्जूर की गई है या गरीबों के लिए भी है ?

श्री जुझारसिंह: अध्यक्ष महोदय, यह ऐसे मोहल्ले में हैं जहां पर अनुसूचित जाति और जन जाति के लोग भी रहते हैं और उनमें सात मोहल्लों में से चार में तो काफी प्रोग्रेस पर काम है और इन पर काम चल रहा है ।

श्री रामसिंह कुड़ी: यह कब तक पूर्ण हो जावेगा, इन परिवारों को पानी देने का ?

श्री जुझारसिंह: अभी 72-73 में सेवकों के मोहल्ले, हरिजन बस्ती, बावरियों की बस्ती और एक और मोहल्ले में नल बिछाने का काम करीब करीब कम्पलीट हो चुका है और तीन बस्तियों में नल बिछाने का काम चालू है, प्रोसेस में है ।

श्री रामसिंह कुड़ी: प्रोसेस का मतलब यह तो है कि वर्ष 73-74 में सम्पूर्ण हो जाएगा यह तो आप कह सकते हैं क्या ?

श्री जुझारसिंह: जो काम चालू है वह तो पूरा हो ही जाएगा यह हम आशा करके चलते हैं ।

श्री अध्यक्ष: प्रश्नोत्तर काल समाप्त हुआ ।

श्री राजेन्द्रकुमार भारतीया : स्पष्ट-उत्तर दें मन्त्री महोदय कि काम पूरा हो जाएगा या नहीं ।

श्री नत्थीसिंह (नदबई): अध्यक्ष महोदय, प्रश्न संख्या 981 बहुत महत्वपूर्ण है । वहां के अधिकारी ने लाखों का गबन किया है, सस्पेंड कर दिया है, भ्रष्टाचार विभाग ने इन्क्वायरी की है......

(अनवरत-व्यवस्था-सूचक घण्टी)

(व्यवधान-अश्रव्य)

श्री अध्यक्ष: कुछ मर्यादा भी सीखेंगे यहां आकर के देख रहे हैं कि आसन खड़ा हुआ है, घण्टी बज रही है, सुन नहीं रहे हैं, देख रहे हैं । मैं बहुत नम्रता पूर्वक निवेदन करना चाहता हूं कि इस प्रकार आसन का अपमान नहीं किया जाना चाहिए ।

(शेष तारांकित प्रश्नों के लिये परिशिष्ट 5 देखिये)

अनुपस्थित सदस्यों के तारांकित प्रश्नोत्तर

अकाल राहत कार्यों के अन्तर्गत कार्य पर लगे मजदूरों की मजदूरी

957. श्री बलवन्तसिंह (लारची) : क्या अकाल राहत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) अकाल राहत कार्य पर लगे हुए मजदूरों को मजदूरी कितने दिनों से दी जाती है ? राज्य सरकार के इस विषय में सम्बन्धित अधिकारियों को क्या आदेश है ?

(2) क्या यह सही है कि बहुत सी जगह मजदूरी महीने भर तक नहीं दी जाती है ? यदि हां, तो क्या मजदूरों की परिस्थिति को देखते हुए राज्य सरकार सात दिन में एक मजदूर को मजदूरी मिल जावे ऐसी व्यवस्था करेगी ।

उत्तर

(1) राज्य सरकार के आदेश हैं कि पखवाडा समाप्त होने के 10 दिन के भीतर मजदूरों को उनकी मजदूरी का चुकारा कर दिया जावे । इस आशय के आदेश समस्त सम्बन्धित अधिकारीगण को राज्य सरकार ने जारी किये हैं ।

(2) यह सही नहीं है कि बहुत सी जगह मजदूरी महीने भर तक नहीं दी जाती । परन्तु कहीं कहीं पर पिछले दिनों मजदूरी के चुकारे में विलम्ब हो गया था । राज्य सरकार ने दिनांक 14-3-73 को यह आदेश जारी कर दिया था कि फरवरी के अन्त तक का सब चुकारा 18 मार्च, 73 के पहिले कर दिया जावे । यह भी आदेश दिनांक 16-3-73 को जारी किये गये कि 25 मार्च तक की मजदूरी का चुकारा 31 मार्च तक कर दिया जावे । इस प्रकार यह आशा की जाती है कि अब मजदूरी के चुकारे में देरी होने की शिकायतें नहीं रहेंगी ।

मस्टररोल एक पखवाड़े का बनता है । इस प्रकार एक मास में दो बार ही चुकारे की व्यवस्था वर्तमान में चालू है । पाक्षिक अवकाश भी एक पखवाडे में एक ही दिन का दिया जाता है । इन सब व्यवस्था को बदलकर 7 दिन के आधार पर मस्टररोल बनाना एवं महीने में इस प्रकार 4 बार चुकारे की व्यवस्था करना व्यवहारिक नहीं है ।

Page No 26

शहरी एवं देहाती क्षेत्रों की गरीब जनता

959. **श्री भीमसेन** (लूणकरणसर) : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राज्य के शहरी एवं देहाती क्षेत्र की कितनी कितनी प्रतिशत जनता गरीबी में डूबी हुई है? 'गरीबी रेखा' से उन्हें निकालने हेतु क्या योजनायें तैयार की गई हैं तथा इस कार्य के लिये कितने धन की आवश्यकता होगी ?

(2) 'गरीबी रेखा' की क्या परिभाषा मानी गई ?

उत्तर

(1) गरीबी के मापने के लिये कोई वीकृत मापदण्ड नहीं है । इसके अनुमान लगाने के लिये उपभोक्ता वस्तुओं के थोक मूल्यों के अखिल भारतीय सूचकांक को वर्ष 1965-66, 1966-67 तथा 1967-68 के मूल्यों पर प्रवर्तित करने तथा इनका राष्ट्रीय न्यादर्श सर्वेक्षण के प्रति व्यक्ति उपभोक्ता वस्तुओं पर व्यय के प्रतिशत वितरण को आंकड़ों के समायोजन करने पर यह अनुमान है कि राजस्थान में 50·26 प्रतिशत नगरीय जन संख्या तथा 60.83 प्रतिशत ग्रामीण जनता गरीब है ।

गरीब जनता का स्तर प्रति व्यक्ति आय तथा उपभोग क्षमता में वृद्धि द्वारा ऊपर उठाया जाता है । इसके लिये चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के अंतिम दो वर्षों में विशेष रोजगार कार्यक्रमों को चलाया गया है जिससे निम्न वर्ग के लोगों का आर्थिक स्तर ऊपर उठाने में सहायता मिलेगी । प्रदेश की अधिकांश जनता कृषि और पशुपालन पर निर्भर है । अतः पांचवीं योजना में कृषि और पशुपालन पर विशेष महत्त्व दिया जावेगा ।

इस कार्य के लिये कितने धन की आवश्यकता होगी यह अनुमान लगाना कठिन है । पांचवी योजना में गरीब जनता के स्तर को ऊपर उठाने से संबंधित कार्यक्रमों को विशेष महत्व दिया जा रहा है ।

(2) गरीबी सापेक्ष पद है अतः कोई स्वीकृत मापदण्ड दिया जाना संभव नहीं है। मोटे तौर पर उपभोग के निम्नतम स्तर के रूप में भारत सरकार ने चौथी योजना दस्तावेज में 1960-61 के मूल्यों पर इसे 20 रुपये प्रति मास माना है । भारत सरकार के पांचवी योजना के प्रति दृष्टिकोण में अक्टूबर, 1972, के मूल्यों के अनुसार यह राशि 40 रुपये प्रति मास मानी गई है ।

बीकानेर में एल० एल० एम० की कक्षाएं

966. **श्री गोपाल जोशी** (बीकानेर): क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) बीकानेर में एल० एल० एम० की कक्षाएं कब से प्रारम्भ की गई ?

(2) क्या राजस्थान विश्वविद्यालय ने उक्त कक्षाओं को प्रारम्भ करते समय कोई इस प्रकार की शर्त लगाई थी कि एल० एल०एम० की कक्षाएं खुलने पर सरकार निश्चित टींचिग स्टाफ की नियुक्ति आदि करेगी? यदि हां, तो वह क्या शर्त थी ?

(3) सरकार को उपरोक्त शर्त के अनुसार कितने विभागाध्यक्ष व व्याख्याता आदि नियुक्त करने आवश्यक थे ?

(4) सरकार ने आज तक कितने विभागाध्यक्ष व व्याख्याता आदि एल० एल० एम० की कक्षाओं हेतु नियुक्त किए हैं ?

Page No 27

(श्री गोपाल जोशी)

क्या ये नियुक्तियां पर्याप्त हैं ? यदि नहीं, तो पर्याप्त नियुक्तियां न करने के क्या कारण है ?

उत्तर

(1) डूंगर कालेज, बीकानेर में एल० एल० एम० की कक्षायें सत्र 1970-71 से प्रारम्भ की गई है।

(2) इस संबंध में विश्वविद्यालय द्वारा लगाई गई शर्तें सदन की मेज पर रख दी गई हैं।

(3) प्रश्न दो के उत्तर में संलग्न शर्तों के अनुसार सरकार को केवल दो विधि व्याख्याता नियुक्त करने आवश्यक थे।

(4) प्रश्न दो के उत्तर में संलग्न शर्तों के अनुसार दोनों विधि व्याख्याता नियुक्त कर दिये गये जिनके नाम निम्न प्रकार से हैं:—

1. श्री आर०सी० वर्मा

2. श्री शिव करण (अनुसूचित जाति)

3. ये दोनों ही व्याख्याता कार्य कर रहे हैं।

(कृपया परिशिष्ट 6 देखिये)

राजपत्रित अधिकारियों के विरुद्ध मामले

972. श्री सुरेशचन्द्र (कोटपुतली) : क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राजपत्रित अधिकारियों के विरुद्ध ऐसे कितने मामले हैं जो भ्रष्टाचार निरोधक विभाग द्वारा प्रारम्भिक जांच करने के बाद सतर्कता आयोग में पड़े हुए हैं ? ये मामले कबसे विचाराधीन हैं ?

(2) राजपत्रित अधिकारियों के ऐसे कितने मामले सतर्कता आयोग द्वारा नियुक्ति (कार्मिक) विभाग को सिफारिश के साथ भेजे गये हैं कि दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही होनी चाहिये ? ये मामले उपरोक्त विभाग में कब से विचाराधीन पड़े हुए हैं ?

(3) क्या राज्य सरकार को यह पता है कि सतर्कता आयोग तथा नियुक्ति (कार्मिक) विभाग में भ्रष्टाचार के मामले देरी से निपटाये जाते हैं और इस देरी का फायदा दोषी अधिकारियों को मिलता है ?

(4) क्या राज्य सरकार ऐसी व्यवस्था करेगी कि सतर्कता आयोग तथा नियुक्ति (कार्मिक) विभाग में कोई भी मामला 15 दिन से अधिक विचाराधीन न रहे ?

(स्थगित किया गया)

आवास गृह का निर्माण

973. श्री चुन्नीलाल इंदलिया (नोखा): क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि राजकीय गांधी नेशनल प्राथमिक शाला भवन, अलवर में राज्य सरकार द्वारा किसी अधिकारी के निवास हेतु आवास गृह का निर्माण किया हुआ है ? यदि हां, तो क्या शिक्षा विभाग के कोई अधिकारी उक्त शाला भवन में निवास करते हैं ?

(2) क्या यह भी सही है इस शाला भवन में जो अधिकारी निवास करते हैं उनको विद्युत, पानी की व्यवस्था के लिये अलग से मीटर लगे हुवे हैं ? यदि नहीं, तो

(श्री चुन्नीलाल इंदलिया)

इनके द्वारा इस प्रकार किये जाने वाले बिजली, पानी के खर्च की राशि का भुगतान किस प्रकार होता है ?

(3) क्या यह सही है कि बिना आवासीय गृह निर्माण के कोई भी अधिकारी इस प्रकार शालाओं में निवास कर सकते हैं ? यदि नहीं, तो ऐसे अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करने का सरकार क्या इरादा रखती है ?

उत्तर

(1) जी नहीं। किन्तु यह सही है कि विद्यालय निरीक्षक हेतु निर्धारित राजकीय आवास गृह में ही वर्तमान विद्यालय निरीक्षक निवास कर रहे हैं।

(2) जी नहीं। जो शिक्षा विभाग के अधिकारी इसमें निवास करते रहे हैं वे शिक्षा विभाग द्वारा निर्धारित दर से विद्युत पानी का द्रव्य जमा कराते रहे हैं। तथा आवासी भवन का किराया भी भवन निर्माण विभाग द्वारा निर्धारित मूल्यांकित रेट के अनुसार प्रतिमाह वेतन से जमा कराया जाता रहा है।

(3) जी नहीं। प्रश्न नहीं उठता।

हनुमान पहाड़ी विकास संघ, जोधपुर

975. श्री विट्ठल भाई (पीपलखूंट) : क्या नगर आयोजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि हनुमान पहाड़ी विकास संघ, जोधपुर एक रजिस्टर्ड संस्था है? यदि हां, तो यह कब रजिस्टर्ड हुई। इस संस्था के अब तक कितने सदस्य हैं ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) क्या यह सही है कि उक्त संघ ने जयसिंह जी के गढ़ के पास सिगोड़ियों की बाड़ी देव कुण्ड के बीच वाले पहाड़ी क्षेत्र की जमीन की मांग रिहायशी कार्य के लिये राज्य सरकार से की है ?

(3) क्या यह सही है कि उक्त संघ ने उपरोक्त स्थान पर श्रमदान कर प्लोट मार्किंग कर नक्शा तैयार कर राज्य सरकार को भेजा है ? यदि हां, तो राज्य सरकार ने इस संबंध में अब तक क्या कार्यवाही की है ?

(4) क्या यह सही है कि उक्त संघ में अधिकतर सदस्य पिछड़े और कम आय वाले वर्ग के व्यक्ति हैं जिनके अपने स्वयं के मकान नहीं है ? यदि हां, तो राज्य सरकार ऐसे वर्ग के व्यक्तियों को मकान बनाने के लिये उक्त स्थल की जमीन देने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां। संस्था ने रजिस्ट्रेशन संख्या 44/72-73 अंकित की है। सदस्य संख्या 2500 है। सदस्यों की सूची प्राप्त की जा रही है।

(2) जी हां।

(3) एक नक्शा भिजवाया था जो न्यास को विचारार्थ भेज दिया गया है।

(4) न्यास ने संघ के अध्यक्ष को दिनांक 17-3-73 को बुलाया था, किन्तु कोई उपस्थित नहीं हुआ। प्रस्तावित भूमि जोधपुर नगर की चार दीवारी के भीतर है जो नगर पालिका क्षेत्र में आता है। प्राप्त

(आयोजना मंत्री)

सूचना के अनुसार नगर पालिका, जोधपुर द्वारा सर्वेक्षण करवाया जाकर मानचित्र व योजना बनाने हेतु टाउन प्लानर, जोधपुर को भेजा है।

उद्योगों एवं फर्मों का रजिस्ट्रेशन

976. **श्री हनुमान सहाय** (बैराठ) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) उद्योग एवं फर्मों के रजिस्ट्रेशन में उद्योग विभाग द्वारा कितना समय लगाया जाता है?

(2) क्या यह सच है कि उद्योग विभाग में नियुक्त रजिस्ट्रेशन अधिकारी द्वारा भेदभाव पूर्ण रीति-नीति से कार्य किया जाता है? यदि नहीं, तो कृपया स्पष्ट करें कि रजिस्ट्रेशन अधिकारी, जयपुर के पास किस-किसके आवेदन पत्र कब-कब से पेंडिग हैं? और वर्ष 72-73 में किस-किस ने कब-कब आवेदन किए और कब-कब रजिस्ट्रेशन किया गया?

(3) क्या सरकार निश्चित अवधि में रजिस्ट्रेशन किए जाने के संबंध में प्रभावशील नियम बनाने का विचार रखती है?

(स्थगित किया गया)

अतारांकित प्रश्नोत्तर

रायसिंहनगर तहसील की प्राइमरी व मिडिल स्कूलें

608. **श्री बेगाराम** (रायसिंहनगर) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

गंगानगर जिले में कितनी मिडिल स्कूलें तथा रायसिंहनगर तहसील में सन् 1972 में प्राईमरी व मिडिल स्कूल कितनी खोली गई?

उत्तर

सन 1972 में गंगानगर जिले में 49 मिडिल स्कूल व रायसिंहनगर तहसील में 2 मिडिल व 2 प्राईमरी स्कूल खोले गये हैं।

सनातन धर्म राजकीय कालेज, ब्यावर

609. **श्री रामानन्द अग्रवाल** (अलवर) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) सनातन धर्म राजकीय कालेज, ब्यावर में सत्र 1971-72 में विधि कक्षायें शुरू की गई उसके अध्यापन हेतु किन-किन अंशकालीन विधि व्याख्याताओं को क्रमवार नियुक्त किया गया? तथा सत्र 1972-73 में कितनों को पुनः नियुक्ति दी गई तथा कितनों को पुनः नियुक्त नहीं किया गया? उनको नियुक्ति नहीं देने के क्या विशिष्ट कारण थे?

(2) सत्र 1971-72 में कुल कितने अंशकालीन विधि व्याख्याता थे? उनमें अल्पसंख्यक संप्रदाय से संबन्धित कितने व्यक्ति थे?

(3) क्या यह सही है कि सत्र 1972-73 में पिछले सत्र के एक मात्र अल्पसंख्यक विधि व्याख्याता (अंशकालीन) श्री एस० चांद मोहम्मद, एडवोकेट को पुनः नियुक्त नहीं किया गया?

(4) क्या यह सही है कि श्री चांद मोहम्मद सनातन धर्म राजकीय कालेज, ब्यावर में सीनियर मोस्ट तथा विधि फैकल्टी के एकेडेमिक हैड थे और सत्र 1971-72 म एलएल० बी० प्रथम वर्ष की परीक्षा में भाग लेने वाले सभी 32 के 32 छात्र उत्तीर्ण हुये।

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

(5) क्या यह सही है कि तत्कालीन शिक्षा मन्त्री श्री नारायण सिंह मसूदा ने जून, 1972 में निदेशक कालेज शिक्षा को निर्देश दिया था कि ब्यावर राजकीय कॉलेज वर्तमान तीनों अंशकालीन व्याख्याताओं को प्रचलित नीति के अनुसार 1972-73 के सत्र में भी पुनः नियुक्त किया जावे। यदि हां, तो फिर शिक्षा सचिव ने उस निदेश के विरुद्ध केवल मात्र श्री चांद मोहम्मद को पुनः नियुक्त क्यों नहीं किया ?

(6) क्या यह सही है कि प्रिंसिपल राजकीय कालेज, ब्यावर ने श्री चांद मोहम्मद के अध्यापन के सम्बन्ध में पूर्ण सन्तोष का प्रमाण पत्र दिनांक 9-6-72 को दिया था ?

(7) क्या यह सही है कि इस सम्बन्ध में श्री चांद मोहम्मद ने तारीख 28-7-72 तथा 5-8-72 को अपने प्रतिवेदन शिक्षा मन्त्री व मुख्य मन्त्री को प्रस्तुत किये थे ? यदि हां, तो उन पर क्या कार्यवाही हुई ?

(8) क्या यह सही है कि श्री एस. चांद मोहम्मद को सत्र 1971-72 के सम्पूर्ण कार्यकाल 19-8-71 से 13-5-72 तक की पे स्लिप जारी नहीं की गई तथा इस सम्बन्ध में श्री चांद मोहम्मद अनेक बार शिक्षा सचिव से व्यक्तिगत रूप से मिले तथा निदेशक, कालेज शिक्षा ने भी अपने पत्र दिनांक 15-6-72 तथा 29-8-72 के द्वारा उनका ध्यान आकर्षित किया था। यदि हां, तो देरी के क्या कारण हैं ?

उत्तर

(1) सत्र 1971-72 में सनातन धर्म राज० कालेज, ब्यावर में निम्नलिखित तीन अंशकालीन विधि व्याख्याताओं की नियुक्ति की गई थी :-

क्र० सं०	नाम	दिनांक जबसे कार्य ग्रहण किया।
1	2	3
1.	श्री गोपाल नारायण माथुर	24-8-71 अपरान्ह
2.	श्री प्रेम प्रकाश गांधी	11-9-71 पूर्वान्ह
3.	श्री चांद मोहम्मद	19-8-71 पूर्वान्ह

सत्र 1972-73 में उपरोक्त तीन व्यक्तियों में से निम्नलिखित दो व्यक्तियों को नियुक्ति दी गई थी-

1. श्री गोपाल नारायण माथुर

2. श्री प्रेम प्रकाश गांधी

श्री चांद मोहम्मद को पुनः अंशकालीन विधि व्याख्याता पद पर नियुक्ति नहीं दी गई थी। किसी की पुनः नियुक्ति करना व न करना राज्य सरकार पर निर्भर है।

(2) सत्र 1971-72 में 33 अंशकालीन व्याख्याता नियुक्त किये गये थे। यदि अल्प संख्यक का तात्पर्य मुस्लिम से है तो 33 में केवल श्री चांद मोहम्मद ही थे।

(3) सत्र 1972-73 में पुनः नियुक्त तीन अंशकालीन व्याख्याताओं को नहीं दी गई उनमें श्री चांद मोहम्मद भी एक थे।

(4) अंशकालीन व्याख्याताओं की कोई भी वरिष्ठता नहीं मानी जाती है क्योंकि

(शिक्षा मंत्री)

इनकी नियुक्ति प्रत्येक सत्र के लिये ही होती है और प्रत्येक सत्र में यह नियुक्तियां नवीन रूप से हो रही है। शैक्षणिक विभागाध्यक्ष का कोई पद नहीं होता है। अत: श्री चांद मोहम्मद को यह पद देने का प्रश्न ही नहीं है। सत्र 1971-72 में एल०एल० बी० की प्रथम वर्ष की परीक्षा में सनातन धर्म राजकीय कालेज, ब्यावर से 34 छात्र परीक्षा में बैठे और उनमें से 32 छात्र उत्तीर्ण हुये।

(5) इसका उत्तर भाग (1) के उत्तर में निहित है।

(6) आचार्य सनातन धर्म राजकीय कालेज, ब्यावर ने प्रमाण-पत्र दिनांक 9-6-72 के द्वारा श्री चांद मोहम्मद के अध्यापन कार्य को संतोषजनक होना बताया है।

(7) जी हां, प्रश्न के भाग (1) के उत्तर में दिये कारणवश इन्हें पुन: नियुक्ति नहीं दी गई।

(8) श्री एस० चांद मोहम्मद खां को वेतन नहीं मिला था। जिस कारण महालेखाकार, राज., जयपुर ने सम्पूर्ण कालीन पदों को अंशकालीन पदों म कनवर्ट करने के लिये कहा था। अब राज्य सरकार ने सम्पूर्ण कालीन पदों को अंश कालीन पदों में परिवर्तित कर दिया और आवश्यक स्वीकृति जारी कर दी है।

भूगोल के विद्यार्थियों के लिये प्रायोगिक पेपर

610. **श्री रामानन्द अग्रवाल** (अलवर) : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, अजमेर सैकेन्डरी तथा हायर सैकेण्डरी स्तर पर भूगोल के विद्यार्थियों के लिए प्रायोगिक पेपर के लिए क्रमश: भूगोल वर्क बुक भाग प्रथम और भूगोल वर्क बुक भाग 2 स्वीकृत है? यदि हां, तो कब से?

(2) क्या यह सही है कि इससे पूर्व इन स्तर के विद्यार्थियों के लिए सैद्धान्तिक पुस्तकें निर्धारित की और अब उनके बजाय इन वर्क बुकों को लगाया है? यदि हां, तो क्यों?

(3) क्या राज्य सरकार को मालूम है कि इन भूगोल वर्क बुक भाग 1 व 2 से विद्यार्थियों को भूगोल की पूरी जानकारी नहीं मिलती और इसलिए उन्हें अब इन वर्क बुकों के अतिरिक्त अन्य सैद्धान्तिक पुस्तकें भी खरीदनी पड़ती हैं जिससे विद्यार्थियों पर आर्थिक भार लगभग दुगने से भी अधिक हो गया है?

(4) क्या यह सही है कि इन वर्क बुकों की कीमतें क्रमश: चार रुपये एवं चार रुपये साठ पैसे रखी गई हैं। जब कि पहले विद्यार्थी इसी कार्य के लिए चालीस पचास पैसे की साधारण एक्साइज बुक खरीद कर काम चलाते थे।

(5) क्या यह सही है कि इन वर्क बुकों में भाग 1 के लेखक श्री महेश नारायण निगम एवं श्री पुरोहत हैं तथा भाग 2 के लेखक श्री महेश नारायण निगम अकेले हैं? क्या यह भी सही है कि ये दोनों ही सज्जन स्वयं ही बोर्ड में भूगोल की विषय समिति के सदस्य भी हैं?

(6) क्या यह सही है कि विषय समिति ही अपने विषय पर निर्धारित की जाने वाली पुस्तकों का चयन करती है या लेखकों का चयन करती है?

(7) क्या यह सही है कि माध्यमिक

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

शिक्षा बोर्ड का यह नियम है कि विषय समिति के सदस्य स्वयं ही अपने विषय की पुस्तकों के लेखक नहीं हो सकते ? यदि हां, तो इस मामले में नियम की उपेक्षा क्यों की गई ?

(8) क्या बोर्ड ने उक्त लेखकों को पुस्तकें लिखने के लिए स्वीकृति देने से पहले क्या विभिन्न प्रकाशकों से इस विषय पर निर्धारित पाठ्यक्रम के अनुसार लिखी हुई पुस्तकें आमंत्रित की थीं ? यदि हां, तो किस किस प्रकाशक ने कौन कौन सी पुस्तकें भेजी थीं ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

(9) क्या बोर्ड ने उक्त लेखकों को यह वर्क बुकें लिखने की स्वीकृति देने से पूर्व राजस्थान राज्य या देश में अन्य स्थानों से विभिन्न भूगोल वेताओं को आमंत्रित कर उनमें से उपयुक्त लेखकों का चुनाव करने की प्रणाली अपनाई थी ? यदि हां, तो किन किन को आमंत्रित किया गया था ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

(10) क्या यह सही है कि बोर्ड ने अन्य विषय जैसे अंग्रेजी के लिए वर्क बुक लिखाने के लिए प्रकाशकों से पुस्तकें आमंत्रित की हैं ?

(11) क्या यह सही है कि इन वर्क बुकों का रिव्यु उदयपुर विश्वविद्यालय के भूगोल विभाग के प्रोफेसर एवं अध्यक्ष डाक्टर ए. एन. भट्टाचार्य द्वारा किया गया था और उन्होंने इन वर्क बुकों के बारे में एडवर्स रिमार्क दिया था ? एक्सपर्ट की एडवर्स राय के बावजूद इन वर्क बुकों को निर्धारित करने का क्या कारण है ?

उत्तर

(1) जी हां। माह जुलाई, 1972 से।

(2) यह सही नहीं है कि इन स्तर के विद्यार्थियों के लिये सैद्धान्तिक पुस्तकों के बजाय इन वर्क बुक्स को लगाया गया है। सैकन्डरी स्तर पर भूगोल विषय में सैद्धान्तिक अध्यापन के साथ प्रायोगिक कार्य कराना इसी सत्र से ही प्रारम्भ किया गया है। इससे पूर्व सैकन्डरी स्तर के विद्यार्थियों को केवल सैद्धान्तिक अध्यापन कराना रहता था। हायर सैकन्डरी स्तर के विद्यार्थियों के लिए जुलाई, 1972 से पूर्व भी प्रायोगिक का प्रावधान था और उसके लिये सैद्धान्तिक की पुस्तक के अलावा प्रायोगिक की 2 पुस्तकें अभिस्थापित थी।

(3) वास्तव में वर्क बुक का उद्देश्य भूगोल की सैद्धान्तिक जानकारी देना नहीं है वरन व्यवहारिक अध्ययन का अभ्यास कराना है। सैद्धान्तिक और प्रायोगिक अध्ययन के लिए अलग अलग पाठ्यक्रम निर्धारित हैं। सैद्धान्तिक ज्ञान के लिये छात्रों को सैद्धान्तिक पुस्तकें और प्रायोगिक के लिए छात्रों को वर्क बुक्स खरीदनी पड़ती है। वर्क बुक्स नई चालू करने से विद्यार्थियों पर आर्थिक भार नहीं बढ़ा है क्योंकि वे सैद्धान्तिक अध्ययन के लिये पुस्तकें पहिले से ही खरीदते रहे हैं तथा प्रायोगिक कार्य के लिये अभिप्रस्तावित पुस्तकों के अलावा फाईल, चार्ट्स, मानचित्र आदि खरीदते रहे हैं जिनमें उन्हें सम्भवत भूगोल वर्क बुक्स खरीदने से होने वाले व्यय से अधिक व्यय करना पड़ता था।

(4) यह सही है कि भूगोल वर्क बुक पार्ट 1 की कीमत रुपया 4.60 पैसे है और पार्ट 2 की कीमत 3.85 पैसे है। यह सही नहीं है कि विद्यार्थी इस कार्य के लिए 40 से 50

(शिक्षा मंत्री)

(5) जी हां, यह सही है।

(6) यह सही है कि विषय समिति ही अपने विषय पर निर्धारित की जाने वाली पुस्तकों का चयन करती है। किन्तु संयोजक की राय से अध्यक्ष, बोर्ड द्वारा लिखवाई जाने वाली पुस्तकों के लेखकों की नियुक्ति कर सकते हैं।

(7) यह नियम उन व्यक्तियों पर लागू नहीं होता जो अध्यक्ष के द्वारा बोर्ड की पुस्तक लिखने के लिए आमंत्रित किये जावें अत: नियमों की उपेक्षा नहीं की गई है।

(8) सैकेण्डरी एवं हायर सैकेण्डरी कक्षाओं के लिए वर्क बुक्स अन्य प्रकाशकों से आमंत्रित नहीं की गई थीं क्योंकि पाठ्यक्रम समिति की अनुशंशा पर बोर्ड ने यह निर्णय किया था कि सैकेण्डरी तथा हायर सैकेण्डरी कक्षाओं के लिए अलग 2 वर्क बुक बनवाई जावें और यह कार्य बोर्ड स्वयं करावे।

(9) जी नहीं। बोर्ड के नियमों के अनुसार ऐसी कार्यवाही करना अपेक्षित नहीं है।

(10) जी हां।

(11) यह सही है कि इन वर्क बुक्स की समीक्षा उदयपुर विश्वविद्यालय के भूगोल विभाग के प्रोफसर ए. एन. भट्टाचार्य द्वारा कराई गई थी। यह सही नहीं है।

पी० एच० डी० डिग्रीधारी बेरोजगारी

611. **श्री बेगाराम** (रायसिंहनगर): क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :--

(1) अब तक कितने पी. एच. डी. डिग्रीधारी बेरोजगार हैं?

(2) क्या यह सही है कि बेरोजगार पी. एच. डी. का एक प्रतिनिधि मण्डल राजस्थान विश्वविद्यालय छात्र संघ के अध्यक्ष के साथ अपनी समस्याओं के सम्बन्ध में आप से मिल चुका है?

(3) क्या आपने उन के पत्र का जवाब एक महीने के भीतर देने का वायदा पूरा कर दिया है?

(4) क्या आपने उनकी समस्या का कोई न कोई रास्ता निकालने का पक्का आश्वासन दिया था? यदि हां, तो वह रास्ता कौनसा है?

(5) क्या पी० एच० डी० के लिये अध्यापन हेतु अधिकतम आयु सीमा 35 वर्ष रखने का आश्वासन क्रियान्वित हो रहा है?

उत्तर

(1) इस विभाग में ऐसी कोई सूचना नहीं है।

(2) पी० एच० डी० बेरोजगारों का प्रतिनिधि मण्डल दिनांक 5-8-1971 एवं 7-4-1972 को तत्कालीन शिक्षा मन्त्रीजी से अपनी समस्याओं के सम्बन्ध में मिला था।

(3) तत्कालीन शिक्षा मन्त्री जी द्वारा दिये गये आश्वासन सम्बन्धी अभिलेख विभाग में उपलब्ध नहीं हैं।

(4) इस समस्या को हल करने का एक रास्ता नियमों में आवश्यक संशोधन करना था।

(5) पी. एच. डी. बेरोजगारों के लिये राज्य सेवा में नियुक्ति हेतु बिना अनुभव के 35 वर्ष की अधिकतम आयु का प्रावधान 13-3-73 से कर दिया गया है।

तहसील रायसिंह नगर की शराब की दुकानें

612. **श्री बेगाराम** (रायसिंहनगर): क्या आबकारी मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) तहसील रायसिंहनगर में शराब

(श्री बेगाराम)
की कुल कितनी दुकानें हैं ? और वे कहां कहां स्थित हैं- नाम बताने की कृपा करें।

(2) शराब की बिक्री की क्या कोई सरकारी व्यवस्था है प्रति बोतल शराब की क्या दर है ?

उत्तर

(1) तहसील रायसिहनगर में देशी मदिरा की एक मुख्य दुकान रायसिहनगर में है जिसकी 8 उप-दुकानें हैं। वे क्रमश:

1. जगतसिहवाला
2. गंगूवाला
3. मुकलाता
4. श्यामगढ़
5. समेजा
6. चक 14 एम. एल.
7. लखा हाकम
8. थारेवाला में स्थित है तथा उनके नाम भी यही हैं विदेशी मदिरा की भी केवल एक दुकान रायसिह नगर में है।

(2) देशी शराब की बिक्री की साधारणतया कोई सरकारी व्यवस्था नहीं है। राज्य सरकार द्वारा दुकान स्वीकृति किये जाने पर अनुज्ञाधारी शराब की इश्यू गोदाम से निर्धारित निर्गम मूल्य पर लेते हैं और जनता को बेचते हैं। बिक्री दर पर सरकार का कोई प्रतिबन्ध नहीं है।

शिक्षा विभाग के अधिकारियों की सूची

613. **श्री रामसिंह कुड़ी** (जायल) : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) शिक्षा विभाग की किन किन श्रेणियों की वरिष्ठता सूची सरकार द्वारा निकाल दी गई है ?

(2) क्या शिक्षा विभाग के अधिकारियों की भी वरिष्ठता सूची श्रेणी वाईज निकाली गई है ? यदि हां, तो प्रत्येक श्रेणी की सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(3) क्या शिक्षा विभाग की कोई डी. पी० सी० भी बनी हुई है ? यदि हां, तो उसके कौन कौन सदस्य हैं ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या कभी डी० पी० सी० की बैठकें हुई हैं ? यदि हां, तो कब कब और अन्तिम बैठक कब हुई ? और अब भविष्य में कब बैठक बुलाई जावेगी ?

(स्थगित किया गया)

राजकीय नल कूप योजना

614. **श्री पी० के० चौधरी** (फुलेरा):क्या भू-जल मण्डल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

राजकीय नलकूप योजना राज्य में कहां कहां पर चालू है ? तथा प्रत्येक नल-कूप द्वारा कितनी कितनी भूमि की वास्तविक सिंचाई होती है ? जिलेवार सूची सदन की मेज पर रखें ?

उत्तर

राजकीय नल कूप योजना के अन्तर्गत बनाये गये नल कूप के कमान्ड क्षेत्र व वास्तविक सिंचित क्षेत्र की जिलेवार सूची सदन की मेज पर प्रस्तुत है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान-सभा पुस्तकालय में रखी गई)

नहर के पानी का उपयोग

615. **श्री भीमसेन** (लूणकरनसर): क्या योजना मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि पोंग बांध के सम्पूर्ण होने एवं राजस्थान नहर पूरी होने के बीच के समय में नहर के पानी के उपयोग हेतु कोई कार्यक्रम तैयार नहीं किया गया है ?

(श्री भीमसेन)

(2) अगर कोई कार्यक्रम तैयार किया गया है तो क्या सरकार बीकानेर जिले के अकाल के स्थायी हल हेतु कुछ ऐसी योजनायें जैसे पशुओं के चरागाह स्थापित करके पशु-पालकों की कॉलोनीज आबाद करना, टीबों का स्थिरीकरण, मुख्य नहर एवं सड़कों, शाखाओं के पास दोनों किनारे पर शेल्टर बैल्ट्स कायम करने आदि को प्राथमिकता दे सकती है ? अगर हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

उत्तर

(1) जी नहीं ।

(2) पांचवीं पंचवर्षीय योजना का प्रारूप तैयार किया जा रहा है और इस प्रकार की योजना भी विचाराधीन है ।

616. श्री गिरधारीलाल भार्गव (हवामहल, जयपुर) क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान महिला परिषद् उदयपुर में हुए गबन घोटालों की जांच राज्य सतर्कता आयोग द्वारा सन् 70 में की गई ? यदि हां, तो कौन से आरोप और किसके विरुद्ध प्रमाणित हुए ?

(2) क्या यह सच है कि उक्त संस्था की भूतपूर्व कोषाध्यक्षा शान्ता त्रिवेदी एवं संयुक्त मन्त्राणी सुन्दरी गोकलाना पर दफा 420, 408 के अन्तर्गत केस नं. 14 दिनांक 25-2-70 को उदयपुर पुलिस में दर्ज हुआ ? यदि हां, तो उसकी क्या प्रगति है ?

उत्तर

(1) जी हां । राज्य सतर्कता आयोग के आदेशानुसार इस सम्बन्ध में राज्य अपराध शाखा द्वारा माह दिसम्बर, 1969 में जांच की गई थी, जिससे श्रीमती शान्ता त्रिवेदी और सुन्दरी गोकलाना के विरूद्ध जुर्म जेर दफा 408।420।467।468। ता. हि. बकुए में आना पाया गया ।

(2) जी हां मुकदमें की तफतीश से सर्व श्री डालचन्द जैन, हमीना बानू, अली मोहम्मद, सायरा बानो, श्रीमती शान्ता त्रिवेदी और सुन्दरी गोकलानी मुलजिमान पाये गये ह जिनमें से एक मुलजिम डालचन्द जैन को दिनांक 26-3-73 को गिरफ्तार किया जा चुका है । बकाया मुलजिमानों के विरुद्ध शीघ्र ही कार्यवाही की जाकर मुकद्दमें का नतीजा दिया जायेगा ।

पुलिस कर्मचारियों के लिये प्रशिक्षण केन्द्र

617. श्री गिरधारीलाल भार्गव (हवामहल, जयपुर) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) मौजूदा समय में राजस्थान में पुलिस विभाग के कर्मचारियों के कितनी जगह प्रशिक्षण केन्द्र चल रहे हैं ?

(2) क्या प्रशिक्षण की अवधि में पुलिस मुलाजमान को विशेष भत्ता दिया जाता है ?

(3) अगर विशेष भत्ता न दिया जा रहा है तो इस मंहगाई के समय में एक बहुत ही कम वेतन पाने वाले सिपाही आदि से मैस व अन्य प्रशिक्षण सम्बन्धी कितना खर्चा वसूल किया जाता है ?

(श्री गिरधारीलाल भार्गव)

(4) प्रशिक्षण की अवधि कितनी कितनी है ?

(5) प्रशिक्षण काल में विशेष भत्ता न मिलने से सिपाही अपने बाल बच्चों का खर्चा किस प्रकार बरदाश्त कर सकता है ?

(6) क्या प्रशिक्षण इस भयंकर मंहगाई के समय में देना अनिवार्य है ? अगर हां, तो प्रशिक्षणार्थी को विशेष भत्ता दिया जाना उचित है या नहीं ?

उत्तर

(1) वर्तमान में राजस्थान के पुलिस विभाग के कर्मचारियों के प्रशिक्षण हेतु किशनगढ़, जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, और बीकानेर, कुल 5 स्थानों पर प्रशिक्षण केन्द्र चल रहे हैं ।

(2) जी नहीं ।

(3) प्रशिक्षण काल में प्रशिक्षण सम्बन्धी कोई वसूली नहीं की जाती है, केवल उनके आने पर जो खर्चा आता है वही वसूल किया जाता है ।

(4) विभिन्न प्रशिक्षणों की अवधि अलग अलग है जो कि तीन माह से एक साल तक की है ।

(5) सामान्यतया जो वेतन उसे मिलता है वही वेतन प्रशिक्षण काल में मिलता है अतः उसके परिवार की स्थिति पर प्रशिक्षण का कोई अतिरिक्त भार नहीं पड़ता है।

(6) जी हां, नियमानुसार पुलिस विभाग के कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया जाना अनिवार्य है । वर्तमान नियमों में प्रशिक्षणार्थियों को विशेष भत्ता दिये जाने का कोई प्रावधान नहीं है ।

राजस्थान लघु उद्योग निगम

618. श्री मोहरसिंह (चूरू): क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राजस्थान लघु उद्योग निगम ने पिछले तीन वर्षों में कितना मुनाफा कमाया है और किस किस मद में कितना कितना ?

(2) उक्त मुनाफे में कच्चे माल के वितरण से प्राप्त आय का अनुपात कुल मुनाफे में से कितना है ?

(3) कच्चे माल पर कितना मुनाफा सर्विस चार्ज और अन्य खर्च लगाये जाते हैं? पूर्ण विवरण बताने की कृपा करें ।

(4) रॉ मेटिरियल डिपो, चूरू से जयपुर व अन्य स्थानों की पार्टियों को कितना कितना माल किस कारण से दिया गया ?

(5) क्या एक जिले के व्यापारियों को दूसरी जगह से कच्चा माल प्राप्त करने में अनावश्यक खर्च विलम्ब व परेशानी होती है? यदि हां, तो सरकार इस दिक्कत को मिटाने के लिये क्या कार्यवाही कर रही है?

उत्तर

(1) निगम को गत तीन वर्षों में कुल 47,26,298 रु० का मुनाफा रहा । मदों में आंकड़े तालिका 'अ' में अंकित कर सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(2) उक्त मुनाफे में कच्चा माल के वितरण से प्राप्त आय का अनुपात:—

1969-70 में 88%

(उद्योग मंत्री)

1970-71 में 95%

1971-72 में 91% था

(3) कच्चे माल पर मुनाफा व अन्य खर्च आदि का विवरण तालिका 'ब' में अंकित कर सदन की मेज पर रख दी गई है।

(4) रामेटीरियल डिपो चूरू से अन्य स्थानों की पार्टियों को जो माल दिया गया वह सूची 'स' में अंकित है जिसे सदन की मेज पर रख दिया गया है। माल पार्टियों की जरूरत को ध्यान में रखकर दिया गया था।

(5) जी हां। इकाइयों को माल उसी डिपो से प्राप्त हो सके इसके लिये वर्तमान में माल ट्रक से उपलब्ध कराने के प्रयास चालू हैं।

(सूची विस्तृत होने कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

बीकानेर जिप्सम लिमिटेड के मेनेजिंग डायरेक्टर के अधिकार

619. श्री भानुकुमार शास्त्री (उदयपुर) : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) बीकानेर जिप्सम लिमिटेड में मैनेजिंग डाइरेक्टर के अधिकार और कर्तव्य क्या क्या हैं? कृपया इसकी एक तालिका सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(2) क्या यह सही है कि झामरकोटड़ा की रॉक फॉस्फेट की खानों का कम्पनी द्वारा ठेके लेने के पश्चात् प्रबन्ध संचालक के कर्त्तव्य एवं अधिकारों में परिवर्तन, परिवर्धन हुआ है? यदि हां, तो क्या? बोर्ड ऑफ डाइरेक्टर्स की किस बैठक में इस प्रकार के निर्णय लिये गये?

(स्थगित किया गया)

रॉक फॉस्फेट से आय

620. श्री गुमानमल लोढ़ा (जोधपुर) : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) बीकानेर जिप्सम लिमिटेड कम्पनी के खातों के (झामरकोटड़ा) रॉक फॉस्फेट खाते में किस किस वर्ष में कितनी कितनी आय हुई है?

(2) कम्पनी द्वारा अब तक किस किस वर्ष में कितने कितने रॉक फॉसफेट का उत्खनन् ग्राइण्डिग व ट्रान्सपोर्टेशन किया गया और इस कार्य में उत्खनन्, ग्राइंडिंग व ट्रान्स्पोर्टेशन पर प्रति टन की दर से कितना कितना खर्च हुआ है?

(स्थगित किया गया)

झामरकोटड़ा रॉक फॉस्फेट की खानों से खनिज का ट्रान्सपोर्टशन

621. श्री प्रजीतसिंह (टोंक) : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

झामरकोटड़ा रॉक फॉस्फेट की खानों से खनिज के ट्रान्सपोर्टेशन के लिये बीकानेर जिप्सम लिमिटेड द्वारा उपरोक्त कार्य के लिये नियुक्त सब-कॉन्ट्रेक्टर्स के अतिरिक्त किस किस नम्बर के ट्रक के मालिकों से किस किस माह में कितने कितने रॉक फास्फेट का सीधे कम्पनी द्वारा ट्रान्सपोर्टेशन करवाया गया और उसके लिये किस किस ट्रक के मालिक को किस किस दर से कितने कितने रुपयों का भुगतान कराया गया? कृपया तालिका सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(स्थगित किया गया)

झालरापाटन तहसील के ग्रामों में अकाल राहत कार्य

622. **श्री रामप्रसाद बोहरा** (झालरापाटन): क्या अकाल सहायता मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) झालरापाटन तहसील (जिला झालावाड़) में अकाल की चपेट में कितने और कौन कौन से ग्राम आये हैं ? कृपया सूचीं सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(2) क्या यह सही है कि अकाल के चपेट में आने वाले ग्रामों में अभी तक कोई भी राहत कार्य चालू नहीं किये गये ? यदि हां, तो क्यों ?

(3) उक्त क्षेत्र के जिन जिन ग्रामों में राहत कार्य चालू हुए हैं उनकी सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

उत्तर

(1) तहसील झालरापाटन, जिला झालावाड़ में 75 ग्राम अभाव ग्रस्त घोषित किये गये हैं। सूची सदन की मेज पर पेश कर दी गई है।

(2) जी नहीं।

(3) कुछ राहत कार्य चालू किये गये हैं जो निम्न हैं:—

1. बकानी-मालता रोड।
2. चरागाह मेड़ बन्दी, आगरिया।
3. चरागाह मेड़ बन्दी, बावड़ी खेड़ा।
4. चरागाह मेड़ बन्दी, कुशलपुरा।
5. चरागाह मेड़ बन्दी, मोडी।

मोडी के निवासियों के बाकानी-मालता रोड पर कार्य करने पर चरागाह का काम अभी शुरू नहीं हुआ है।

(कृपया परिशिष्ट 7 देखिये)

नगरपालिका गंगापुर सिटी द्वारा दिये गये भूमि के पट्टे

623. **श्री हरिश्चन्द्र पल्लीवाल** (गंगापुर): क्या स्वायत्त शासन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) नगरपालिका गंगापुर द्वारा 1 अप्रैल सन् 1970 से 31 जनवरी सन् 1973 तक क्राउन एक्ट के अन्तर्गत किस किस व्यक्ति को कितनी कितनी भूमि किस किस वार्ड में एक रुपये के पट्टे पर दी गई है ? सूची मय फाइल नम्बर के सदन की मेज पर रखी जावे।

(2) जिनकी भूमि दी गई है उनके नाम व मय वल्दियत, पते व जाति बताई जावे।

उत्तर

1. सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

2. प्रश्न के भाग 1 में सदन की मेज पर रखी गई सूची में सूचनाएं दे दी गई हैं।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

कोटा डिवीजन में भूमि समतल करने हेतु सर्वे

624. **श्री नन्दलाल बैरवा** (पाटन) : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि कोटा डिवीजन में भूमि समतल करने का सर्वे किया गया था ? यदि हां, तो कौन कौन सी तहसीलों का और कितनी एकड़ भूमि समतल किये जाने का सर्वे पूरा किया जा चुका है ? गांव वार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि गत वर्षों में कोटा डिवीजन में भूमि समतल करने का कार्य किया गया है ? यदि हां, तो अब तक कहां कहां चम्बल एवं मेज नदी के किनारे कितनी कितनी भूमि गांववार समतल की जा चुकी है ? उसमें कितनी धनराशि व्यय की जा चुकी है और इस योजना के लिये कितनी राशि का प्रावधान है ? आंकड़े सहित सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि इसमें कृषकों को अनुदान एवं ऋण दिये जाने का प्रावधान भी है ? यदि हां, तो किस प्रकार ऋण एवं अनुदान दिये जाने के नियम हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह सही है कि जो भूमि समतल की जा चुकी है अथवा समतल की जा रही है उस भूमि को भूमिहीनों को दिये जाने की योजना है ? यदि हां, तो उन्हें किस प्रकार आवंटित की जावेगी ?

उत्तर

(1) जी हां। कोटा डिवीजन में भूमि समतल के लिये अब तक लगभग 14,872 एकड़ भूमि में सर्वे हो चुका है। गांववार सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) जी हां। सन् 1967 में चम्बल क्षेत्र में 3,779 एकड़ भूमि को समतल किया गया। जिसमें विभाग एवं भूमि विकास बैंकों द्वारा अनुदान या ऋण के रूप में 16 लाख रुपये खर्च किये गये। इस विभाग द्वारा नदियों के किनारे की भूमि को समतल नहीं किया जाता है। सन् 1972-73 में राज्य सरकार की ओर से अनुदान राजकीय भूमि विकास तथा प्रदर्शन हेतु 4.88 लाख रुपये तथा कृषकों को तकावी दिये जाने हेतु 12 लाख रुपये का प्रावधान है।

(3) जी हां। भूमि समतल के लिये कृषकों को अनुमानित व्यय पर ऋण व वास्तविक व्यय पर अनुदान दिया जाता है। ऋण 75 प्रतिशत व अनुदान 25 प्रतिशत दिया जाता है। राज्य सरकार की सम्बन्धित स्वीकृति की प्रति सदन की मेज पर रख दी गई है।

(4) विभाग द्वारा केवल कृषकों की निजी भूमि को ही समतल करने का कार्य किया जाता है तथा यदि किसी भूखंड में सरकारी भूमि आ भी जाती है तो उसे ड्रेनेज के रूप में प्रयोग किया जाता है अतः किसी भी भूखंड के आवंटन का प्रश्न नहीं उठता।

(कृपया परिशिष्ट 8 देखिये)

Page No 40

ड्रॉट प्रोन एरिया प्रोग्राम स्कीम

625. **श्री रामनारायण चौधरी** (मण्डावा) : क्या अकाल सहायता मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान में 10 जिलों को ड्रॉट प्रोन एरिया प्रोग्राम स्कीम में भारत सरकार ने प्रति जिले के हिसाब से 20 करोड़ की सहायता देने की स्वीकृति दी है ? यदि हां, तो 20 करोड़ रुपये में से कितने रुपये इस वर्ष खर्च हो चुके हैं ?

(2) क्या यह भी सही है कि उपरोक्त जिलों के अलावा कुछ तहसीलों को इस डी. पी. ए. पी. स्कीम में और शामिल करने की स्वीकृति दी है ? यदि हां, तो वे कौनसी तहसीलें हैं ? उन तहसीलों में इस योजना के तहत क्या क्या कार्य हाथ में लिए गये हैं तथा उन पर कितना खर्चा हो गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(3) उपरोक्त योजना के तहत किस किस मद में कितना कितना खर्चा राज्य सरकार कर चुकी है ?

उत्तर

(1) जी हां। माह जनवरी, 1973 तक इस कार्यक्रम के अन्तर्गत 8.79 करोड़ रुपये व्यय किये जा चुके हैं।

(2) जी हां। निम्न तहसीलों को इस कार्यक्रम के अन्तर्गत शामिल किया गया है।

नाम जिला 1	नाम तहसील 2
1. उदयपुर	1. भीम
	2. देवगढ़
	3. खेरवाड़ा
2. अजमेर	1. ब्यावर
3. झुन्झुनू	1. चिड़ावा
	2. झुन्झुनू

(3) माह जनवरी, 1973 तक मदवार व्यय निम्न प्रकार है:—

नाम मद	व्यय (लाख रु०)
1. सड़क	412.63
2. सिंचाई	279.92
3. वन	133.26
4. ग्राम्य जल वितरण योजनायें	42.23
5. भू-संरक्षण	11.45
योग..	879.49

स्टेच्यू सर्किल जयपुर, के पास की भूमि का एलॉटमेन्ट

626. **श्री मोहनलाल छंगाणी** (फलोदी) : क्या नगर आयोजना मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) स्टच्यू सर्किल, जयपुर के पास पोद्दार, बिड़ला, सिंघानिया एवं साहू जैन को कब कब कितनी कितनी भूमि किस किस दर से एलॉट की गई ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) उपरोक्त व्यक्तियों को जब भूमि का आवंटन हुआ उस समय इनकी रजिस्ट्रयां किस किस के नाम से करवाई गई थीं और आज किन किन के नाम हैं ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(3) क्या उपरोक्त व्यक्तियों को और भी भूमि जयपुर में एलॉट की गई है ? यदि

(श्री मोहनलाल सुंगाणी)

हां, तो कहां कहां, कितनी कितनी व किस किस दर से ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

उत्तर

(1) तालिका 'अ' संलग्न है ।

(2) तालिका 'ब' संलग्न है ।

(3) नगर आयोजना विभाग की जानकारी में नहीं है ।

(कृपया परिशिष्ठ 9 देखिये)

बरसाती पानी को इकट्ठा कर सिंचाई कार्य

627. **श्री भगराज चौधरी** (रानीवाड़ा): क्या अकाल राहत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि सिवाना पंचायत समिति के राखी ग्राम में स्थानीय पहाड़ियों से बहने वाले बरसाती पानी को इकट्ठा कर राखी तालाब में डालकर सिंचाई के काम में लाया जा सकता है ?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त वर्णित सिंचाई कार्य को राहत कार्य के रूपमें चालू करने हेतु जिला अकाल राहत परामर्श-दात्री कमेटी ने भी सुझाव दिया है ? यदि हां, तो इस कार्य को कब तक शुरू कर दिया जावेगा ?

उत्तर

(1) जी हां ।

(2) जी हां। इस कार्य का एस्टीमेट बन रहा है। इस एस्टीमेट में मौजूदा कलवर्ट रेल्वे पुलिया को संशोधित करने सम्बन्धित खर्चे को भी शामिल किया जावेगा ताकि पुलिया से ज्यादा से ज्यादा पानी निकल सके। संशोधन के खर्चे का ब्यौरा रेल्वे अधिकारियों को देना है। इस सम्बन्ध में खंडीय अभियन्ता (उत्तर रेल्वे) जोधपुर को पत्र लिखा जा रहा है। मौजूदा पुलिया को संशोधन करने का कार्य रेल्वे अधिकारियों को करना है व इसका सारा खर्च इस विभाग को वहन करना होगा। ये सारा खर्चा कार्य के साज-सामान के नाम अंकित होगा । अभी यह कहना बड़ा ही कठिन है कि साज-सामान का खर्चा स्वीकृत सीमा के अन्दर ही आयेगा । यदि वर्तमान अकाल प्रतिमानों के अन्तर्गत यह उचित पाया गया तो एस्टीमेट की स्वीकृति हेतु कार्यवाही करदी जावेगी और कार्य शुरू करवा दिया जावेगा ।

तहसील शाहबाद में अकालराहत कार्य

628. **श्री रामगोपाल जारवाल** (किशनगंज): क्या अकाल राहत मंत्री यह बताने कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि तहसील शाहबाद में अकालराहत कार्य प्रारम्भ किए जा चुके हैं ? यदि हां, तो कब से निश्चित अवधि बताने का कष्ट करें ।

(2) इस तहसील में कितने अकाल-राहत कार्य किन किन स्थानों पर शुरू किए जा चुके हैं और उन पर कितने मजदूर किन किन स्थानों पर कार्य कर रहे हैं । सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें ।

उत्तर

(1) जी हां । तहसील शाहबाद में

(अकाल राहत मंत्री)
राहत कार्य दिनांक 3-3-73 से आरम्भ किए जा चुके हैं।

(2) इस तहसील में दो राहत कार्य शुरू किये जा चुके हैं जो निम्न हैं :—

नाम कार्य	मजदूर संख्या
1. केलवाड़ा-कस्बा थाना सड़क	321
2. सिरसीपुरा टैंक सिंचाई कार्य	145

भरतपुर जिले में बाढ़

629. **श्री नत्थासिंह** (नदबई) : क्या अकाल राहत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि भरतपुर जिले में अगस्त, 72 में बाढ़ आई थी ? यदि हां, तो इस जिले की कौन कौन सी तहसील के किस किस ग्राम में गम्भीरी व बाणगंगा नदी का पानी कितना फिरा व कहां कहां पर आया ? पृथक् पृथक् ब्योरेवार बतलावें।

(2) उक्त बाढ़ के प्रकोप से बयाना, रूपवास, नदबई, वैर एवं भरतपुर तहसीलों में कितनी जन, धन की हानि हुई और पानी पीने के व सिंचाई के कितने कुएं किस किस ग्राम में बर्बाद हुये व किस किस ग्राम में कितनी कितनी कृषि भूमि रेता आजाने से बर्बाद हुई और कहां कहां, कौन कौन से राजकीय मार्ग नष्ट हुये हैं ? पृथक् पृथक् ब्योरेवार बतलाने की कृपा करें।

(3) क्या यह सही है कि उक्त प्राकृतिक प्रकोप से राहत के लिये राज्य सरकार एवं केन्द्रीय सरकार ने धनराशि स्वीकार की है यदि हां, तो कितनी ?

(4) क्या यह सही है कि उक्त धन राशि में से बीज, दवाई, कुओं की मरम्मत एवं सिंचाई विभाग व सार्वजनिक निर्माण विभाग को पृथक् पृथक्, कितनी कितनी रकम दी गई ? उक्त रकम उक्त मदों में कहां कहां, कितनी कितनी, किस किस प्रकार खर्च की गई ? पृथक् पृथक् ब्योरेवार बतलावें। इस रकम में अब कितनी रकम बकाया है और अब तक सहायता की पूर्ण रकम खर्च न करने का क्या कारण है ?

उत्तर

(1) यह सही है कि भरतपुर जिले में माह अगस्त, 1972 में बाढ़ आई थी। इस जिले की तहसील बयाना, रूपवास, वैर, भरतपुर तथा नदबई के क्रमशः 90, 94, 84, 84 तथा कुल 360 गांवों में गम्भीरी व बाण गंगा नदी का पानी आया था जो निम्नांकित ऊंचाई तक पहुंच गया था:—

बयाना रेलवे क्रॉसिंग पर ऊंचाई 12 फुट रही जबकि सामान्य जल स्तर 10 फीट था। बन्ध बारेठा ओवर फ्लो हुआ जबकि सामान्य जल स्तर 242 फीट था। अजान बन्धा ओवर फ्लो हुआ जबकि सामान्य जल-स्तर 11 फीट था। बंधों के ओवर फ्लो होकर टूटने के फलस्वरूप उक्त तहसील क्षेत्रों में 58 बांध ओवर फ्लो होकर टूट गये अथवा क्षतिग्रस्त हो गये, जिनका पानी संलग्न परिशिष्ट "अ" में अंकित 360 गांवों में आया।

(2) इस बाढ़ के प्रकोप में बयाना, रूपवास, नदबई, वैर एवं भरतपुर तहसीलों

Page No 43

(अकाल राहत मंत्री)
में जो हानि हुई उसकी सूचना पृथक् पृथक् परिशिष्ठों पर निम्नांकित क्रम में संलग्न की गई है:—

परिशिष्ट (अ) जन-धन की हानि के संबंध में

परिशिष्ट (ब) पानी पीने के व सिंचाई के कुओं की क्षति के संबंध में ।

परिशिष्ट (स) कृषि भूमि रेता आ जाने के कारण बरबाद हो जाने के संबंध में ।

परिशिष्ट (द) राजकीय मार्गों के नष्ट होने के संबध में

(3) जी हां । यह सही है कि उक्त प्राकृतिक प्रकोप से राहत के लिये राज्य सरकार एवं केन्द्र सरकार ने धनराशि स्वीकार की है । जहां तक जिला सवाई माधोपुर का प्रश्न है इस जिले को सहायता विभाग, राजस्थान द्वारा निम्नांकित राशि स्वीकार की है ।

(क) फ्री राशन, रेसक्यू, शेल्टर, चारा आदि आदि के लिये 3.55 लाख

(ख) अनुदान मकानात सहायता 25.55 लाख

(ग) पेयजल कुओं की तल सफाई, गहराई मरम्मत आदि । 00.45 लाख

(घ) तकावी बीज क्रय करने हेतु नकद तकावी बीज जिन्स के रूप में 32.50 लाख 3.50 ला

(ज) तकावी सिंचाई कूप 10.00 लाख

(च) प्रधानमंत्री सहायता कोष 00.85 लाख

(छ) बाढ़ से क्षतिग्रस्त सार्वजनिक निर्माण विभाग मार्गों के लिये

सन् 72–73 22.50 लाख

सन् 73–74 19.50 लाख

(झ) पेयजल व्यवस्था हेतु

72–73 6.00 लाख

(ट) चिकित्सा विभाग को 1.11 लाख

(ठ) घाना बर्ड सेन्चुअरी 2.50 लाख

(ड) क्षतिग्रस्त बान्धों तथा नहरों के रेस्टोरेशन व मजदूरी के लिये

72–73 68.50 लाख

73–74 97.60 लाख

(4) उक्त धनराशि में से बीज, दवाई, कुओं की मरम्मत सिंचाई विभाग व सार्वजनिक निर्माण विभाग को जितनी जितनी रकम दी गई उसका व्यय विवरण संलग्न परिशिष्ट न० 'क' पर संलग्न है । अब जो रकम बकाया है उसका खर्च न कर सकने का कारण भी संलग्न परिशिष्ट के विवरण कालम में अंकित किया गया है ।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई ।)

सवाई माधोपुर जिले को अनुदान व तकावी की राशि

630. **श्री चेतराम** (टोडा भीम): क्या अकाल व बाढ़ राहत मंत्री यह बतान

(श्री चेतराम)
की कृपा करेंगे:-

(1) केन्द्रीय सरकार से कितनी-कितनी धनराशि-(1) अनुदान, (2) तकावी (3) स्कूल भवन, (4) सिंचाई, (5) सड़क, (6) विविध, अगस्त, 1972 में आई बाढ़ के सहायतार्थ प्रत्येक जिले को मिली है ?

(2) क्या यह सही है कि सवाई माधोपुर जिले में अनुदान एवं तकावी राशि का बंटवारा उन (नार्म्स) के अनुसार नहीं किया है (जिस आधार पर केन्द्रीय सरकार ने सहायता दी है) और जिला प्रशासन एवं अधीनस्थ ऑफिसरों ने मनमानी करके रुपये का बंटवारा किया है और इससे वास्तविक बाढ़ग्रस्त व्यक्ति सहायता से वंचित रह गये और दूसरे लोगों को सहायता बांट दी गई है ?

(3) क्या सरकार इस बारे में कोई जांच कर उक्त कर्मचारियों के खिलाफ उचित कदम उठायेगी जिन्होंने इसमें गोल-माल किया है ?

उत्तर

(1) केन्द्रीय सरकार से जिलेवार सहायता उपलब्ध नहीं की जाती । राजस्थान के लिये वर्ष 1972 में आई बाढ़ के सहायतार्थ खर्चे की अधिकतम सीमा निम्न प्रकार तय की गई है:-

अनुदान

क्र० संख्या	नाम मद	राशि लाखों में
1.	क्षतिग्रस्त मकानों एवं बाढ़-ग्रस्त मकानों हेतु	60.00
2.	बाढ़-ग्रस्त क्षेत्रों को मुफ्त राशन वितरण हेतु	18.00
3.	बाढ़-ग्रस्त क्षेत्रों में मुफ्त चारा वितरण हेतु	2.00
4.	बाढ़ से बचाने एवं शिविरों हेतु	6.00
5.	पेयजल कुओं की मरम्मत एवं पुनर्निर्माण हेतु	7.00
6.	चिकित्सा सहायता	7.00
	कुल योग ..	90.00

ऋण मद

7.	सड़कों की मरम्मत एवं पुनर्निर्माण हेतु	85.00
8.	सिंचाई टैंकों, नहरों एवं पंचायत समितियों के टैंकों की मरम्मत हेतु	235.00
9.	जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी के साधनों के पुनर्निर्माण एवं मरम्मत हेतु	6.00
10.	वन विभाग के पुनर्निर्माण एवं मरम्मत हेतु	2.50
11.	पेय टैंकों की मरम्मत हेतु ऋण	..
12.	सिंचाई तालाबों की मरम्मत हेतु	20.00
13.	खाद्य एवं बीजों की खरीद हेतु ऋण	100.00
14.	राजकीय भवनों की मरम्मत हेतु	..
	योग ..	448.50
	कुल योग ..	538.50

(अकाल व बाढ़ राहत मंत्री)

(2) क्या यह सही नहीं है। केन्द्रीय सरकार ने अनुदान एवं तकावी की राशि के बंटवारे के लिए कोई नोर्म्स निर्धारित नहीं किये हैं। जहां तक जिला प्रशासन एवं अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा बंटवारे का प्रश्न है इस संबंध में मौके के कर्मचारियों के द्वारा तैयार की गई सूची के आधार पर एवं बाढ़ जांच व बाढ़ सहायता वितरण कमेटी द्वारा (संबंधित विधायक, प्रधान, उप-प्रधान, सरपंच, तहसीलदार, विकास अधिकारी) सहायता एवं तकावी वितरण की गई है। वास्तविक बाढ़-ग्रस्त व्यक्ति सहायता से वंचित रह जाने एवं दूसरे व्यक्तियों को सहायता बांट जाने की मनमानी करने का कोई मामला जिलाधीश कार्यालय से प्राप्त नहीं हुआ है।

(3) उपरोक्त को देखते हुए इस बात का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता है।

अकाल की समस्या का स्थाई हल हेतु योजना

631. **श्री शंकरलाल** (पाली): क्या अकाल राहत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या राज्य सरकार अकाल की समस्या का स्थायी हल निकालने हेतु मई, 1973 तक कोई योजना बना पायेगी? यदि हां, तो वह योजना क्या होगी और इस प्रकार की योजना बनाने की तरफ क्या प्रगति की जा रही है?

(2) क्या राज्य सरकार इस प्रकार की योजना को अन्तिम रूप देने के पूर्व अकाल पीड़ित क्षेत्रों के जन-प्रतिनिधियों से भी परामर्श करने का विचार रखती है?

उत्तर

(1) जी नहीं, अकाल की समस्या का स्थायी हल के लिये कोई राज्यव्यापी योजना नहीं बनाई जा रही है। अतः प्रश्न ही नहीं उठता।

(2) प्रश्न ही नहीं उठता।

चूरू जिले का कृषि प्रसार अधिकारी

632. **श्री हनुमान सहाय** (बैराठ): क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) राजस्थान में कुल कितने कृषि प्रसार अधिकारी हैं और उनकी क्या क्या योग्यतायें हैं?

(2) क्या यह सही है कि पंचायत विभाग द्वारा स्थानान्तरित बी० एससी० योग्यता प्राप्त ग्राम सेवकों को कृषि प्रसार अधिकारी के पद पर पदोन्नत कर कृषि विभाग में स्थानान्तरित किया गया है? यदि हां, तो किस किस व्यक्ति को और कब कब?

(3) क्या यह सही है कि राज्य सरकार द्वारा बी० एससी० की शिक्षा दिलवाने में ग्राम सेवकों पर लाखों रुपया व्यय किया गया है? यदि हां, तो किस किस ग्राम सेवक को प्रशिक्षण दिलवाया गया है और अब यह बी० एससी० शिक्षा प्राप्त ग्राम सेवक किस किस जगह कृषि प्रसार अधिकारी के पद पर हैं? यदि नहीं हैं, तो क्यों?

उत्तर

(1) राजस्थान में कुल 444 कृषि प्रसार अधिकारी हैं जिनमें 424 बी० एससी० (एजी०) व 20 नॉन बी० एससी० (एजी०) हैं।

(कृषि मंत्री)

(2) जी हां, कुल 44 ग्राम सेवकों को कृषि प्रसार अधिकारी या कृषि सहायक के पद पर पदोन्नत किया गया है। जिसमें से 23 बी० एससी० (एजी०) तथा 21 नॉन बी० एससी० है। सूची परिशिष्ट (अ) संलग्न है।

(3) जी हां, राज्य सरकार द्वारा जिन ग्राम सेवकों की बी० एससी० की शिक्षा दिलाई गई है उनकी सूची संलग्न है (परिशिष्ट 'ब')। इन प्रशिक्षित ग्राम सेवकों में से जिनको कृषि प्रसार अधिकारी के पद पर पदोन्नत किया गया है उनकी सूची भी (परिशिष्ट 'स') संलग्न कर दी गई है। प्रशिक्षित ग्राम सेवकों को पदोन्नत नहीं करने का कारण वरिष्ठता सूची में नीचा स्थान होना है। फिर भी, प्रशिक्षित व्यक्तियों को कृषि सहायक के समकक्ष पदों पर बैंक आदि अन्य संस्थानों में नियुक्ति कराने हेतु प्रयत्न किये जा रहे हैं।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

रिहायशी मकान हेतु निःशुल्क भूमि

633. **श्री प्रताप सिंह** (किशनगढ़): क्या स्थानीय निकाय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या यह सही है कि जिन अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन-जाति के व्यक्तियों के पास रहने को मकान नहीं हैं उनके लिये रिहायशी मकान हेतु निःशुल्क भूमि उपलब्ध कराने की सरकार की कोई योजना है? यदि हां, तो यह कब से लागू की जावेगी? यदि लागू कर दी गई है तो इससे कितने व्यक्तियों को मकानों के लिए भूमि आवंटित की गई? सूची जिलेवार सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

उत्तर

जी नहीं। प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है।

अनुसूचित जाति और जन-जाति के कल्याण हेतु राशि का उपयोग

634. **श्री नानालाल** (राजसमन्द): क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

क्या यह सही है कि अनुसूचित जाति व जन-जाति के कल्याण हेतु पंचायत समितियों को जो धन राशि प्रदान की गई वह बिना समाज कल्याण विभाग के अनुमोदन दूसरी जगह खर्च कर दी गई है? यदि हां, तो ऐसी कौन कौनसी पंचायत समितियां हैं जिनके द्वारा इस प्रकार के कार्य किये गये? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें? तथा दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध क्या क्या कार्यवाही की गई।

उत्तर

जी नहीं। ऐसी कोई सूचना शिकायत समाज कल्याण विभाग में प्राप्त नहीं हुई हैं।

सीमेन्ट फेक्ट्री लाखेरी में ठेके का कार्य

635. **श्री नन्दलाल बैरवा** (पाटन): क्या श्रम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि लाखेरी सीमेन्ट फेक्ट्री में ठेकेदारी से कार्य लिया जाता है? यदि हां, तो कौन कौन से विभाग

Page No 47

(श्री मन्नालाल बैरवा)
में कौन कौन ठेकेदार को कब ठेका दिया गया ? जो ठेके पर मजदूर कार्य करते हैं उन्हें क्या मजदूरी मिलती है ? और कारखाने में कार्य करने वालों को कितना वेतन दिया जाता है ? सूची सदन की मेज पर रखें

(2) क्या यह सही है कि उक्त फैक्ट्री के पैकिंग प्लान्ट एवं कोलगेंग में भी ठेके से काम लिया जाता है ? यदि हां, तो राज्य के श्रम विभाग द्वारा ठेकेदार प्रथा को समाप्त किये जाने का आदेश दिया गया या नहीं ? क्या इस आदेश की पालना की गई ? यदि नहीं, तो अब तक क्या कार्यवाही की गई ? आदेश की प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां, लाखेरी सीमेन्ट वर्क्स लाखेरी में कोयला के लोडिंग अन्लोडिंग, जिप्सम के अन्लोडिंग का कार्य नवम्बर, 71 तक ठेकेदार द्वारा कराया जाता था। इसके अतिरिक्त बोरियों को इधर से उधर हटाने, चूने के पत्थरों को हटाने तथा क्लिन्कर को तोड़ने आदि का कार्य अब भी कभी कभी ठेकेदार द्वारा कराया जाता है। दिसम्बर, 1970 से नवम्बर, 71 तक श्री साधुराम गुप्ता ठेकेदार था इससे पूर्व श्री गुरदीत सिंह ब्रान्स ठेकेदार था। जो मजदूर ठेके पर कार्य करते थे उन्हें वही मजदूरी दी जाती थी जिसकी सिफारिश सीमेन्ट वेतन मण्डल द्वारा की गई थी। इसकी सूचना संलग्न है। कारखाने में कार्य करने वाले मजदूरों तथा ठेके पर कार्य करने वाले मजदूरों के वेतन में कोई अन्तर नहीं है।

(2) कोले के लोडिंग व अन्लोडिंग का कार्य ठेकेदार से लिया जाता था, लेकिन अब यह कार्य कम्पनी द्वारा किया जा रहा है। पैकिंग प्लान्ट में कोई श्रमिक ठेके पर कार्य नही करता। चूंकि अब ठेके पर कार्य फिलहाल नहीं किया जा रहा है, अतः श्रम विभाग द्वारा ठेकेदारी प्रथा को समाप्त किये जाने के आदेश देने का प्रश्न नहीं उठता। इसके अतिरिक्त कॉन्ट्रैक्ट लेबर (रेगूलेशन एन्ड एबॉलीशन) एक्ट, 1970 के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय में रिट याचिकाएं प्रस्तुत की गई हैं, जिसके कारण से भी राज्य सरकार ठेकेदारी प्रथा को रेगूलेराईज करने या समाप्त करने के आदेश नहीं दे सकती।

(कृपया परिशिष्ट 10 देखिये)

आदित्य मिल, ब्यावर

636. **श्री केसरीमल** (ब्यावर): क्या श्रम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:--

(1) क्या यह सही है कि श्री रामदयाल नाम के श्रमिक को आदित्य मिल, ब्यावर ने गलत अभियोग लगा कर कुछ अर्से पूर्व मिल से निकाला था, जिसका केस मिल ने लेबर कोर्ट में किया ? क्या यह भी सही है कि लेबर कोर्ट में हार जाने के बाद मिल ने उच्च न्यायालय, जोधपुर सिंगल बैंच के समक्ष और वहां से हार जाने के बाद डबल बैंच के समक्ष केस किया और वहां भी अगस्त, 1972 में हार गई ?

(2) क्या यह भी सही है कि मिल द्वारा केस हार जाने के बावजूद आज तक उस श्रमिक को काम पर नहीं लिया गया ? यदि हां, तो क्या सरकार ऐसे मालिकों के विरुद्ध कोई कार्यवाही करने को तैयार है जो न्यायालय के फैसले को न माने ? यदि हां, तो राज्य सरकार कब तक क्या कार्यवाही करने जा रही है ?

उत्तर

(1) जी हां।

Page No 48

(श्रम मंत्री)

(2) जी हां, श्रमिक को अभी तक काम पर नहीं रखा गया है क्योंकि प्रबन्धकों ने सर्वोच्च न्यायालय में अपील दायर कर दी है। अतः सर्वोच्च न्यायालय में प्रस्तुत याचिका के निर्णय होने तक, इस सम्बन्ध में अन्य कार्यवाही करना सम्भव नहीं है।

स्थगित प्रश्न
(दिनांक 14-3-73)

नलकूपों को चलाने एवं उनकी प्रशासनिक व्यवस्था पर होने वाला व्यय

222. **श्री निरंजन नाथ आचार्य** (मावली): क्या जन स्वास्थ्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:--

(1) राज्य में जन-स्वास्थ्य विभाग के अन्तर्गत किस किस स्थान पर कब कब से कितने कितने नलकूप हैं और उनकी पानी की क्षमता कितनी कितनी है ?

(2) इन नलकूपों का क्या उपयोग हो रहा है ?

(3) नलकूपों को चलाने एवं उनकी प्रशासनिक व्यवस्था पर सन् 1967 से लेकर प्रति वर्ष अब तक कितना कितना और किस किस प्रकार से व्यय हुआ है ?

उत्तर

(1) सूची संलग्न है।

(2) सूची में दर्शाया गया है।

(3) सूची में दर्शाया गया है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

स्थगित प्रश्न
(दिनांक 21-3-73)

डकैतियां, अपहरण, हत्यायें आदि के केसेज

303. **श्री मोहनलाल छंगाणी** (फलौदी): क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) सन् 1961 से लेकर 28 फरवरी, 1973 तक के वर्षों में राज्य में अब तक कितनी डकैतियां, अपहरण, हत्याएं एवं आत्म-हत्याएं हुई हैं ? जिलेवार, वर्षवार सूचित करते हुए सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(2) कुल पड़े डाकों में अनुमानतः कितनी-कितनी कीमत का सामान गया व उस सामान में से कितना पकड़ा गया ?

(3) पकड़े गये सामान में से कितना सामान दारिसों को किस वर्ष की डकैती का किस-किस वर्ष में वापस दिया गया ?

(4) इस दौरान कितने डाकू दलों का सफाया किया गया ? विवरण सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

उत्तर

(1) तालिका सदन की मेज पर रख दी गई है तथा चाही गई सूचना तालिका के कॉलम नं० 1 से 6 में दर्ज है।

(2) चाही गई सूचना तालिका के कॉलम नं० 7 व 8 में अंकित है।

(3) ऐसी सूचना एकत्र किया जाना सम्भव नहीं है।

(गृह मंत्री)

(4) चाही गई सूचना तालिका के कॉलम नं० 9 व 10 में दर्ज है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

स्थगित प्रश्न

(दिनांक 21-3-73)

अनुसूचित जाति और जनजाति के अध्यापकों की भर्ती व पदोन्नति

316. **श्री उम्मेदीलाल** (हिण्डौन) : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:--

(1) अनुसूचित जाति व जन-जाति के कितने अध्यापकों को सन् 1971 से अब तक सीधे द्वितीय वेतन श्रृंखला में भर्ती किया गया ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) अनुसूचित जाति व जन-जाति के कितने अध्यापकों को सन् 1971 से अब तक सीधे तृतीय वेतन श्रृंखला में भर्ती किया गया और कितने अध्यापकों को पदोन्नत किया गया ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या शिक्षा विभाग में अध्यापकों की भर्ती के समय सुरक्षित स्थानों का कोटा पूरा कर दिया है ? यदि हां, तो सूची प्रस्तुत करें और यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

उत्तर

(1) सन् 1971 से अब तक जिन अनुसूचित जाति व जन-जाति के व्यक्तियों को सीधी भर्ती द्वारा द्वितीय वेतन श्रृंखला में नियुक्ति दी गई है, की सूची संलग्न है।

(2) वर्ष 1971 से अब तक सीधे तृतीय वेतन श्रृंखला में नियुक्त अध्यापकों की सूची संलग्न है। तृतीय वेतन श्रृंखला के सभी पद नियुक्ति के द्वारा ही भरे जाते हैं। क्योंकि इससे निम्न कोई श्रेणी नहीं है जिसमें पदोन्नती दी जा सके।

(3) विभाग द्वारा निर्देश दिये हुए हैं कि अनुसूचित जाति व जन-जाति के लिये सुरक्षित स्थानों पर पहले उपलब्ध व्यक्तियों से भरे जावें। स्थान भरे जाने से सम्बन्धित सूचना अलग अलग कार्यालय द्वारा प्राप्त संलग्न सूचना में अंकित है। कई स्थानों पर अनुसूचित जाति व जन-जाति के प्रत्याशी निर्धारित संख्या में उपलब्ध न होने के कारण कोटा पूरा नहीं किया जा सका।

(कृपया परिशिष्ट 11 देखिये)

स्थगित प्रश्न

(दिनांक 22-3-73)

आबकारी कर से प्राप्त धनराशि

336. **श्री अमृतलाल गहलोत** (सरदारपुरा, जोधपुर) : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:--

पिछले पांच वित्तीय वर्षों में जयपुर जोधपुर, अजमेर, उदयपुर, बीकानेर एवं कोटा नगरों से देशी व विदेशी शराब की दुकानों के नीलाम किए या बिना नीलाम किए गए लाइसेन्स से और उन दुकानों पर विक्रय की गई शराब के आबकारी कर से राज्य सरकार को कितनी धनराशि प्राप्त हुई ? उसकी अलग अलग सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

उत्तर

सूची संलग्न है।

(कृपया परिशिष्ट 12 देखिये)

Page No 50

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

श्री अध्यक्ष : मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि:---

1. श्री केदारनाथ, सदस्य विधान सभा ने राजस्थान टेक्सटाइल्स मिल्स, भवानी मंडी के 1,800 श्रमिकों की हड़ताल के सम्बन्ध में एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है ।

2. श्री जिथिंग भाई, सदस्य विधान सभा ने जिला बांसवाड़ा के कुशलगढ़ क्षेत्र में हैजे की बीमारी फैलने के सम्बन्ध में एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है ।

3. श्री जिथिंग भाई, सदस्य विधान सभा ने कुशलगढ जिला बांसवाड़ा में गत 15 मार्च को लगे एक मेले में पुलिस द्वारा किये गये लाठीचार्ज के सम्बन्ध में एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है ।

4. सर्व श्री भानुकुमार शास्त्री और गिरधारीलाल भार्गव, सदस्य विधान सभा ने उदयपुर में वोहरा जाति के दो दलों में आपसी संघर्ष के कारण नगर में धारा 144 लगाने के सम्बन्ध में एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है ।

5. सर्व श्री गुमानमल लोढ़ा, गिरधारीलाल भार्गव और भानुकुमार शास्त्री, सदस्य विधान सभा ने मकराना में चारभुजा सेवा समिति के कार्यकर्ताओं को ब्लैक दिसम्बर द्वारा गत 30 मार्च को जान से मारने की धमकी दिए जाने के सम्बन्ध में एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है ।

6. सर्व श्री गुमानमल लोढ़ा भानुकुमार शास्त्री और गिरधारीलाल भार्गव, सदस्य, विधान सभा ने जिला जालोर के ग्राम गोल (उम्मेदाबाद) के सरपंच गणेशदान की हत्या के सम्बन्ध में एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है ।

7. श्री गिरधारीलाल भार्गव, सदस्य विधान सभा ने राजस्थान रोड़वेज के कर्मचारियों की भूख हड़ताल के सम्बन्ध में एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है ।

इन सब स्थगन प्रस्तावों पर राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त की जा रही है और जानकारी प्राप्त होने पर निर्णय लिया जावेगा ।

8. श्री गिरधारीलाल भार्गव, सदस्य विधान सभा ने अनाज के व्यापारियों की हड़ताल तथा अनाज के वितरण की समुचित व्यवस्था न होने के सम्बन्ध में एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है । इस सम्बन्ध में माननीय खाद्य मंत्रीजी से सदन में दिनांक 6 अप्रेल, 1973 को एक वक्तव्य देने को कहा है । अतः मैं इस स्थगन प्रस्ताव को स्वीकृति देने में असमर्थ हूं ।

इस सम्बन्ध में और भी स्थगन प्रस्ताव मेरे पास आए थे उन सब पर छः तारीख मुकर्रर कर दी है ।

9. सर्व श्री गुमानमल लोढ़ा, भानुकुमार शास्त्री और गिरधारीलाल भार्गव, सदस्य विधान सभा ने गाड़िया लुहारों को मुफ्त में जमीन देने के सम्बन्ध में सन् 1955 में जारी की गई एक सरकारी आज्ञा का पालन न होने के सम्बन्ध में एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है । यह प्रश्न अवि-

(श्री अध्यक्ष)
लम्बनीय लोक महत्व का नहीं है और मैं इसे स्वीकृति देने में असमर्थ हूं ।

श्री रामानन्द अग्रवाल : माननीय अध्यक्ष·····

श्री गिरधारीलाल भार्गव (हवा-महल, जयपुर) : माननीय अध्यक्षजी, मैंने दो स्थगन प्रस्तावों की सूचना दी है । एक के बारे में तो आपने व्यवस्था दी है कि छः तारीख को माननीय खाद्य मंत्रीजी वक्तव्य देंगे । मैं निवेदन करना चाहता हूं कि छः तारीख अभी दूर है, व्यापारियों ने 1 अप्रेल से·······

श्री अध्यक्ष : छः तारीख परसों ही है ।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : परसों तक हालत और ज्यादा खराब हो जावेगी । यहां व्यापारियों की दुकानें हड़ताल के कारण बन्द हैं और सस्ते गल्ले की दुकानें·········

श्री अध्यक्ष : कल भी कुछ कहा था ।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : कल भी कहा था और आज फिर कह रहा हूं और निवेदन करना चाहता हूं कि परसों तक तो पेट भूखा नहीं रह सकेगा, लोगों को अनाज की आवश्यकता है और व्यापारियों ने हड़ताल कर दी है और सस्ते गल्ले की जो सरकारी दुकानें खोल रखी हैं उन पर अनाज दिया नहीं है । कई दुकानें बन्द पड़ी हुई हैं और कई दुकानें जिनके अन्दर कुछ अनियमिततायें पाई गई हैं उनको सरकार ने सस्पेंड कर दिया है, वार्डवाइज दुकानें हैं नहीं, जयपुर शहर में दुकानें बन्द पड़ी हैं, सरकारी दुकानों पर अनाज नहीं है, कई दुकानों को सरकार ने अनियमितता के कारण बन्द कर दिया है

(व्यवधान-अश्रव्य)

श्री प्रद्युम्नसिंह : हड़ताल तो जनसंघ वालों ने करवाई है ।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : जनसंघ वालों ने नहीं कराई है आपकी गलत नीतियों ने कराई है········

श्री अध्यक्ष : You Strict to the point.

श्री गिरधारीलाल भार्गव : व्यापारियों ने काम बन्द कर रखा है, बाजार में अनाज मिलता नहीं है, लोग चक्कियों पर आटे के लिए घूमते रहे लेकिन आटा नहीं मिल रहा और राशनकार्ड कई लोगों के पास नहीं हैं । आठ आठ रुपये खर्च करने के बाद भी चार चार महीने हो गए अभी तक लोगों को राशन कार्ड नहीं मिले हैं । राशनकार्ड पर मिट्टी का तेल मिलेगा, राशनकार्ड (समय समाप्ति सूचक घण्टी) पर गहूं मिलेगा, राशनकार्ड पर चीनी मिलेगी और लोगों के पास राशन कार्ड हैं नहीं । आज राशनकार्ड पर मिट्टी का तेल, राशनकार्ड पर अनाज मिलेगा क्योंकि बाजार में अनाज मिलेगा नहीं और इस कारण अनाज लोगों को मिलता नहीं और इस प्रकार जयपुर की जनता को भारी असुविधा हो रही है । मैं निवेदन करता हूं कि आज ही आप खाद्य मंत्रीजी को जो इस प्रकार की अव्यवस्था चल रही है उस पर वक्तव्य देने को कहें ।

दूसरा मेरा स्थगन प्रस्ताव रोडवेज के कर्मचारियों के बारे में है और उसके लिए मैं निवेदन करूंगा कि·····

श्री अध्यक्ष : जानकारी प्राप्त की है।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : उन्होंने तीन अप्रेल से हड़ताल करने का पहले से ही नोटिस दे दिया था और पहले भी इस संबंध में स्थगन प्रस्ताव रखा था······

श्री अध्यक्ष : उसका उत्तर आ चुका था।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : मैं राज्य सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूंगा कि जो कर्मचारियों की वाजिब मांगे हैं उस संबंध में ध्यान देना चाहिए, हट नहीं करना चाहिए नहीं तो सारा परिवहन ठप्प हो जायेगा। रोडवेज के कर्मचारियों ने भूख हड़ताल शुरू कर दी है और आगे चल कर यातायात ठप्प हो जाने की आशंका है। इसलिए मैं फिर निवेदन करना चाहता हूं कि आज ही माननीय मंत्रीजी इसको प्रतिष्ठा का प्रश्न न बना कर, आज जो भूख हड़ताल जारी हुई है जिसका नोटिस पहले से दे दिया था उसके संबंध में भी उनके कर्मचारियों की वाजिब मांगों को मान कर आज ही माननीय मंत्रीजी वक्तव्य दें। और खाद्य मंत्रीजी भी आज ही वक्तव्य दें।

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : अब तो इन्हें भी मजदूरों से हमदर्दी होने लगी।

श्री भानुकुमार शास्त्री : यह तो हम भी जानते हैं कि आप कितने मजदूरों के हमदर्द हैं। क्या बात करते हैं।

(व्यवधान – शोरगुल – अश्रव्य)

श्री गिरधारीलाल भार्गव : आपको इस बारे में बोलने का अधिकार नहीं है····

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : आपको अधिकार नहीं है।

(निरन्तर व्यवधान – कई माननीय सदस्य एक साथ बोलते रहे)

(अश्रव्य)

श्री गिरधारीलाल भार्गव: कर्मचारियों की जो उचित मांगें हैं उनको हम बराबर रखेंगे। आप ही कर्मचारियों के रहनुमा नहीं हो बल्कि उनको भड़का कर उनका खून खच्चर करवाने वाले हो। राष्ट्र की धरोहर····

श्री अध्यक्ष : प्लीज सिट डाऊन।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : देश की सम्पत्ति को समाप्त करने वाले हो।

श्री भानुकुमार शास्त्री : उदयपुर में बोहरा समाज में कुछ कारणों को लेकर कुछ दिनों से आपस में लड़ाई चल रही है।

श्री अध्यक्ष : इस विषय में जानकारी चाही है।

श्री भानुकुमार शास्त्री : आपके जानकारी चाहते चाहते तो स्थिति बिगड़ गई है। उदयपुर के अन्दर 144 धारा लगी हुई है है। लोग एक दूसरे पर पत्थर फैंकने लगे हैं और तेजाब फैंके जाते हैं। थोड़े दिनों में तो गोलियां चलेंगी। इससे दूसरे लोग भी जो आसपास में रहते हैं उससे प्रभावित होते हैं, और कहीं झगड़ा भड़क न जाय राज्य सरकार इसको नियंत्रण में करने में असफल रही है। क्या व्यवस्था कर रहे हैं और क्या नहीं कर रहे हैं, मैं निवेदन करता हूं कि राज्य सरकार इस बारे में अपना वक्तव्य दे।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : अध्यक्ष महोदय, मैंने एक एडजोर्नमेंट मोशन का नोटिस दिया था····

श्री अध्यक्ष : पहले मेरी बात सुन लें। आपका जो स्थगन प्रस्ताव आया था वह मेरे विचाराधीन है। इसका सम्बन्ध हमारे सचिवालय से है और इसलिये मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आप इस सदन के बहुत वरिष्ठ सदस्य रहे हैं, बहुत पुराने सदस्य रहे हैं और संसदीय परम्पराओं से, नियमों से परिचित हैं। यह प्रश्न जो है स्टाफ के बीच में है जिसका कि यहां पर विचार नहीं होता है। यह परम्परा रही है। सभी धारा सभाओं में यह परम्परा रही है। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि इस मामले में आपको कोई जानकारी लेनी हो, देनी हो तो आप मुझसे मिल सकते हैं। मैं इस पर विचार कर रहा हूं। अध्यक्ष को अपने स्टाफ के बारे में फैसला करने का अधिकार है। मैं बातचीत करूंगा। इसलिए मैं आपसे नम्रतापूर्वक निवेदन करता हूं कि यह हाउस की परम्परा रही है कि ऐसे मसले पर यहां पर बातचीत नहीं करते हैं। इस घटना के संबंध में जो माननीय सदस्य सुझाव देंगे जानकारी चाहेंगे वह मैं दूंगा। मैं माननीय सदस्यों से भी बात करूंगा और उनके सुझावों पर भी विचार करूंगा।

श्री रामानन्द अग्रवाल : मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि आप इस पर विचार कर रहे हैं, परन्तु इस सदन का....

श्री अध्यक्ष : इस सब्जेक्ट को नहीं उठावें।

श्री खेतसिंह (मुख्य सचेतक) : जब अध्यक्ष महोदय ने यह निवेदन कर दिया है कि यह स्टाफ का मामला है ....

श्री रामानन्द अग्रवाल : आप यह बात तो सुनें। मैं इस इश्यू को टच नहीं कर रहा हूं। जो परम्परा का जिक्र किया है उस सम्बन्ध में निवेदन करना चाहता हूं। इस सदन के माननीय सदस्य इस पर विचार करें कि यदि इस विधान सभा के स्टाफ के साथ कोई भी वरिष्ठ सदस्य किसी प्रकार का जबरदस्ती से अत्याचार करे ....

श्री खेतसिंह : यह कैसे साबित होगा।

श्री रामानन्द अग्रवाल : मैं बता रहा हूं।

श्री खेतसिंह : अध्यक्ष महोदय ने इतना निवेदन किया है कि वे इसकी जांच कर रहे हैं। आपके पास कोई सबूत हो तो वे दे दें।

श्री रामानन्द अग्रवाल : सचेतक महोदय या मेरे से संबंधित कोई अत्याचार हो तो वह इस सदन में आ सकता है, आता है। आप या मिनिस्टर महोदय कोई अत्याचार करते हैं तो वह इस सदन के अन्दर आता है।

श्री विजयसिंह : परन्तु इसकी तो परम्परा रही है।

श्री दीपंकर (लाडनूं) : आप पत्रकार के कहने से कह रहे हैं।

श्री रामानन्द अग्रवाल : अभी मैं उस इश्यू को नहीं रख रहा हूं।

श्री दीपंकर : इस इश्यू का कोई आधार नहीं है।

श्री अध्यक्ष : मैं पुनः निवेदन कर दूं कि..

श्री खेतसिंह : इस मामले को नहीं छेड़ें उतना ही अच्छा है।...

श्री लक्ष्मणसिंह (डूंगरपुर) : अध्यक्ष महोदय, मैं रामानंद जी से नम्रतापूर्वक

(श्री लक्ष्मणसिंह)
निवेदन करूंगा कि अगर इस सम्बन्ध में आपको कोई जानकारी प्राप्त करनी हो तो अध्यक्ष महोदय के कक्ष में जाकर प्राप्त कर लें। अगर वहां पर आपको सन्तोष नहीं हो तो इसको निश्चित रूप से इस सदन के अन्दर आप चर्चा करना चाहें तो कर सकते हैं लेकिन अध्यक्ष महोदय ने यह नम्रतापूर्वक सलाह दी है कि आप उनके चेम्बर में आवें और वे आपको जानकारी देंगे। इसको अगर आप स्वीकार नहीं करेंगे तो मेरे ख्याल से यह सदन की गरिमा के लिए एक दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थिति उत्पन्न हो सकती है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : मैं यह निवेदन करूंगा कि फिर आप इस सम्बन्ध में सदन के जो विभिन्न दल के नेता हैं आप इस सम्बन्ध में उनको बुला लीजिए और इस मसले को रखिए। यह परम्परा रही है और माननीय सदस्य भी यह महसूस करते हैं कि इस सदन को अधिकार है कि किसी के साथ अत्याचार हुआ हो, तो वह विषय इस सदन के अन्दर उठाया जा सकता है। यह सदन इसके लिए अपने आप में सक्षम है। यह सदन अपनी शक्ति से काम करेगा। इसलिए मैं अभी इस पर इन्सिस्ट तो नहीं करूंगा कि इस पर विचार करें।

श्री खेतसिंह : अध्यक्ष महोदय ने साफ कहा है कि वे इस पर कार्यवाही कर रहे हैं।

श्री रामानन्द अग्रवाल : किन्हीं तथ्यों पर पहुंच गये हैं और किन्ही तथ्यों पर नहीं पहुंचे हैं। आप इस पर मीटिंग बुलाइये। हम इस पर विचार रख सकते हैं।

श्री अध्यक्ष: आपकी इस बात से सहमत नहीं हूं कि इस मामले पर यहां पर कोई विवाद उठाया जाए। यह असंगत है। आप चेम्बर में आ जावें।

श्री रामानन्द अग्रवाल : एडजोर्नमेंट लाने का अधिकार है।

श्री अध्यक्ष : मगर सचिवालय के बारे में नहीं हो सकता है। स्टॉफ के बारे में नहीं हो सकता है। यह मैं पहले भी कह चुका हूं। यह हमारे यहां की परम्परा रही है। पार्लियामेंट की परम्परा रही है कि सचिवालय के स्टॉफ के बारे में कभी हाउस में चर्चा नहीं हो सकती है। पहले भी एक प्रश्न आ चुका था। यह प्रश्न आया है। इस पर और भी जानकारी आप चाहेंगे तो आपको दूंगा। मैं इस पर सतर्क हूं। जो सुझाव दिए गए हैं उन पर अमल किया है। मैंने कई सदस्यों को भी बुलाया था विरोधी दल के सदस्यों से भी जानकारी देने के लिए निवेदन किया था। आप पधारें बातचीत करूंगा और खुद ही जानकारी दूंगा। आपको भी बुलाया था लेकिन आप देर से पधारे इसलिए बातचीत नहीं हो सकी। अब से बातचीत हो जाएगी। सभी को बुलाया था, सूचित किया था। यह स्थिति है। आप भी पधारें।

श्री रामानन्द अग्रवाल : मैं आने को तैयार हूं। मैं इस बात को स्वीकार नहीं करता कि इस सदन में किसी भी हालत में किसी के साथ कुछ हो जाए तो विचार नहीं ले सकता, चर्चा नहीं हो सकती है।

श्री अध्यक्ष : इस पर तो मेरी रूलिंग है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : इस रूलिंग के बारे में ही आपने कहा कि बात कर लें। उसके बाद में भी कोई स्थिति रहती है तो मैं इसको उठा सकता हूं। मैं बातचीत करने

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

को तैयार हूं परन्तु इसका सन्तोषप्रद समाधान नहीं हुआ तो मैं अपना राइट रिजर्व रखता हूं।

श्री केशरीमल : अध्यक्ष महोदय, सूत के वितरण के सम्बन्ध में मेरा एक स्थगन प्रस्ताव था। मेरा यह निवेदन करना है अध्यक्ष महोदय कि केन्द्रीय सरकार ने ....

श्री अध्यक्ष : आप. सुनिये ....

श्री केशरीमल : अपने हाथ में लिया है, जब से यह व्यवस्था केन्द्रीय सरकार ने अपने हाथ में ली है .....

श्री अध्यक्ष : आपका यह प्रस्ताव दस बजकर दस मिनिट पर आया था।

श्री केशरीमल : समय पर ही भेजा था।

श्री अध्यक्ष : कल निर्णय दे दूंगा।

श्री गुमानमल लोढ़ा : अध्यक्ष महोदय, मेरा एक स्थगन प्रस्ताव है।

श्री अध्यक्ष : एक एक कर के बोलिए।

श्री गुमानमल लोढ़ा (जोधपुर): अध्यक्ष महोदय, मैंने अपने तीन स्थगन प्रस्ताव रखे थे। अध्यक्ष महोदय, मकराना के अन्दर चारभुजा सेवा समिति के कार्यकर्ताओं को ब्लेक दिसम्बर के द्वारा जान से मारने की धमकी दी गई और जो पत्र भेजा गया था वह मैं सदन के अन्दर, उसको मेज पर रखूंगा। उस पत्र के अंदर चारों तरफ हंसिया और हथोड़ा के निशान लगे हुए हैं और हंसिया और हथोड़ा का निशान हमारे यहां पर कम्युनिष्ट पार्टी का निशान है। तो यह मिलाजुला ब्लेक दिसम्बर का और हंसिया हथोड़े का षड़यन्त्र लगता है। और जिसके द्वारा जान से मारने की धमकी दी गई है। माननीय अध्यक्ष महोदय गंगानगर में इसी प्रकार से घटनाएं घटी थी। हथोड़े से कई व्यक्तियों को मारा गया है। ऐसा लगता है कि अराजकतावादी तत्व और देशद्रोही तत्व मिल कर के देश के अन्दर अराजकता पैदा करना चाहते हैं। यह ब्लेक दिसम्बर का पत्र इस असली स्वरूप के अन्दर है, वह कॉपी सदन की मेज पर रखता हूं और मैं चाहूंगा अध्यक्ष महोदय, कि इसके बारे में जांच की जाए। क्या वास्तव में ब्लेक दिसम्बर, कम्युनिस्ट पार्टी का हंसिया हथोड़े का चिन्ह लगाकर के, आपस में मिलजुल कर के अराजकता पैदा करने का षडयन्त्र कर रहे हैं अथवा किसी व्यक्ति ने ब्लेक दिसम्बर के नाम से यह गलत तरीके से किया है। लेकिन लगता है कि यह षडयन्त्र ऐसा है और गंगानगर में जो घटनाएं घटी हैं, उससे ऐसा लगता है कि कुछ अराजकतावादी तत्व मिल करके इस देश के अन्दर अराजकता पैदा करना चाहते हैं, देश की शांति भंग करना चाहते हैं, देश के अन्दर खून खराबा करना चाहते हैं। देश के वातावरण को गंदा करना चाहते हैं। इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि इस के बारे में राज्य सरकार को जांच करने के लिए कहें इस पर हंसिया और हथोड़ा का लगा हुआ निशान है। यह ब्लेक दिसम्बर का, कम्युनिस्ट पार्टी का और मुस्लिम लीग का मिला जुला षड्यन्त्र है, और यह जो पत्र है वह म सदन के पटल पर रखता हूं।

(पत्र सदन पटल पर रखा)

एक स्थगन प्रस्ताव, माननीय अध्यक्षय, मैंने एक और दिया है। इसके बारे में आपने जानकारी चाही है तो ब्लेक दिसम्बर के पर्चे में,

(**श्री गुमानमल लोढ़ा**)

जो हंसिया-हथौड़े का निशान है उस मामले में कम्युनिस्ट पार्टी का हाथ है या नहीं इसका जरूर पता लगाया जाय कहीं यह दोनों मिलकर इस प्रकार की कार्यवाही तो नहीं कर रहे हैं। वह आपस में मिलकर· ·

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : कम्युनिस्ट पार्टी तो आपके लिए अकेली ही काफी है।

श्री गुमानमल लोढ़ा : मैं आपको (कम्युनिस्ट पार्टी की ओर मुख करके) दिखा दूंगा कि हंसिया-हथौड़े का निशान लगा है। वह आपने लगाया है· ·

श्री अध्यक्ष: मुझे देखकर कहें।

श्री मोहम्मद गफ्फार अली: यह खुद ही कर लेते हैं।

श्री गुमानमल लोढ़ा : इसको स्वीकार करें।

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : आप अपने आप कर लेते हैं। कोई मारने वाला नहीं है।

श्री गुमानमल लोढ़ा : यह सर्वविदित है कि कम्युनिस्ट पार्टी अराजकता में विश्वास करती है। इसने पहले भी देश के टुकड़े करवाये हैं और अराजकता पैदा करके और खून-खराबा करके· ·

श्री अध्यक्ष: किसी और मौके पर कहें।

श्री रामानन्द अग्रवाल: मुझे अफसोस है माननीय सदस्य की जानकारी पर। वह इतना भी नहीं समझते हैं कि कम्युनिस्ट पार्टी और ब्लैक दिसम्बर का क्या ताल्लुक हो सकता है।

श्री गुमानमल लोढ़ा: रामानन्दजी ने लगाया या नहीं यह स्वयं स्पष्ट हो जायगा।

श्री रामानन्द अग्रवाल: मुझे रहम आता है माननीय सदस्य की जानकारी पर। पोलिटिकल पार्टी इतनी बड़ी उसकी भी इनको जानकारी नहीं है।

श्री गुमानमल लोढ़ा: कम्युनिस्ट पार्टी देश में क्या करना चाहती है वह आपके सामने रखता हूं· ·

श्री रामानन्द अग्रवाल : वह सारे देश की जनता देख रही है और जो इन बातों का उल्लेख कर रहे हैं उनको भी देख रही है।

(कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर व्यवधान)

श्री गिरधारीलाल भार्गव : यह भी जनता जानती है कि कांग्रेस की गाय की पूंछ पकड़ कर चुनाव जीते हैं।

श्री रामानन्द अग्रवाल : आप इस गलतफहमी में न रहें। यह पत्र जो माननीय सदस्य ने दिया है पर कहीं भी हंसिया हथौड़े का निशान नहीं है। मुझे आश्चर्य है माननीय सदस्य की जानकारी पर। कम्युनिस्ट पार्टी का निशान क्या है यह माननीय सदस्य को पता नहीं है।

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : अध्यक्ष महोदय, एक जानकारी देना चाहूंगा।

श्री गुमानमल लोढ़ा : इसके साथ में ब्लैक दिसम्बर के हंसिया-हथौड़े का निशान है उसको मैं सदन की पटल पर रख देता हूं· · · ·

श्री मोहम्मद गफ्फार अली: मैं 16 वर्ष की उम्र से जब आप (श्री गिरधारी-

(श्री मोहम्मद गफ्फार अली)
लाल भार्गव) पैदा नहीं हुए थे तब से जनसंघ को जानता हूं । जनसंघ की तस्वीर खत्म हो गई है ।

श्री गिरधारी लाल भार्गव : सौ सौ चूहे खाकर बिल्ली हज को चली । जयपुर शहर में कांग्रेस के लोग आप पर कृपा नहीं करते तो 5 जन्म में भी नहीं आ सकते थे ।

श्री गुमानमल लोढ़ा: यह दिल्ली ने स्पष्ट कर दिया है । माननीय सदस्य इस गलत फहमी में न रहें और माननीय गफ्फार अली इस बात को जानते हैं कि उनकी जमानत जप्त होती और वे न मालूम कहां होते । उनको गलतफहमी नहीं होना चाहिए ।

श्री रामानन्द अग्रवाल: आप लोगों का तो महारानी का पल्ला खींचते खींचते क्या हाल हो गया ।

श्री गिरधारी लाल भार्गव: महारानी का पल्ला खींच कर नहीं आये हैं । पल्ला तो अब भी पकड़ा हुआ है । आपके जैसे गद्दार नहीं है । पल्ला भी पकड़ें और धक्का दे दें ।

श्री अध्यक्ष: नो इर्रेलेवेन्ट टॉक्स, प्लीज स्टॉप इट ।

श्री गुमानमल लोढ़ा: माननीय अध्यक्ष, यहां पर सन् 67 के चुनावों के बाद संयुक्त दल का निर्माण हुआ तो माननीय रामानन्दजी ने राज्यपाल महोदय से कहा कि उन्होंने शेरवानी सिलवा ली है, उप-मंत्री तो बना ही दें ।

श्री अध्यक्ष: इट इज नाट दी सब्जेक्ट आफ दी एडजोर्नमेंट मोशन ।

श्री गुमानमल लोढ़ा : अध्यक्ष महोदय एक और मेरा स्थगन प्रस्ताव था । रामानन्दजी जानते हैं ।

श्री निरञ्जननाथ आचार्य : (पर्चा श्री गुमानमल को देते हुए) आपका ब्लैंक दिसम्बर ले लीजिये ।

श्री अध्यक्ष : Are you shifting it ?

श्री गुमानमल लोढ़ा : मेरा एक दूसरा स्थगन प्रस्ताव था । स्वर्गीय माणिकलालजी वर्मा ने, अध्यक्ष महोदय, चित्तौड़ के अन्दर गाड़िया लुहारों को बसाने के बारे में बहुत बड़ी घोषणा की थी, और उसके बाद में वहां पर देश का बहुत बड़ा सम्मेलन हुआ था । वहां पर देश के बड़े बड़े नेता आये थे और उनको बसाने की योजना बनाई थी । मैं इस बात के लिए क्षमा चाहूंगा कि अनुसूचित जाति के लिए उत्पीड़ित लोगों के लिए, दलित लोगों के लिए, उनको आगे बढ़ाने के लिए, उनके जीवन का उद्धार करने के लिए, उनके विकास के लिए हम हमेशा बातें किया करते हैं, लेकिन मरे पास में आज सुबह गाड़िया लुहारों के प्रतिनिधि आये थे मिलने और उन्होंने कहा कि उनकी जो योजनाएं थीं बसाने के लिए और स्वायत्त शासन विभाग द्वारा जो आज्ञाएं दी गई थीं उनके अनुसार राजस्व विभाग जमीन का एलॉटमेन्ट नहीं कर रहा है । उनको किसी प्रकार की सुविधाएं नहीं दे रहा है । मैं राज्य सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि रेवेन्यू बी 5- 7, 13-7-65 की आज्ञा स्पष्ट थी कि गाड़िया लुहारों को जहां पर भी हो वहां जमी दी जाय और 35 हजार रुपये माणिकलालजी वर्मा को बीकानेर हिज हाईनेस द्वारा भेजे गये तो बिना बताये वापिस भेज दिये ।

(श्री गुमानमल लोढ़ा)

इसी प्रकार से डूंगरपुर से गाड़िया लुहारों की झोपड़ियां तोड़ी जा रही हैं। माननीय अध्यक्षजी, यह बड़े शर्म की बात है। कल इस जाति को बसाने के बारे में विचार कर रहे और वहां पर उनकी जो झोंपड़ियां, कच्चे मकान उनको तोड़ फोड़ कर उठाया जा रहा है।

श्री अध्यक्ष: समाप्त करें।

श्री गुमानमल लोढ़ा: एक मिनिट में समाप्त कर रहा हूं।

इन सब बातों से श्री माणिक्यलालजी वर्मा के देहावसान के साथ ही गाड़िया लुहारों के विकास का जो बीज था उसको समाप्त कर रहे हैं। आज उनके सामने चारों तरफ अंधकार है। वे अधिकारियों के पास जाते हैं राजस्व विभाग के तो वे कहते हैं कि स्वायत्त शासन विभाग की विज्ञप्ति मान्य नहीं है। एक जगह से दूसरी जगह उनको फेंका जा रहा है। तो मैं निवेदन करूंगा, माननीय अध्यक्ष, कि इनके बारे में विचार किया जाय। राज्य सरकार उनको राहत दें।

अध्यक्ष महोदय, एक और मेरा प्रस्ताव रह गया है। उसके बारे में मैं संक्षेप में कहूंगा। उसके ऊपर मैं ज्यादा नहीं कहूंगा। जालौर के गोल नाम के स्थान पर एक व्यक्ति की हत्या की गई। आपने उसके बारे में सरकार से जानकारी चाही है। पुलिस वहां पर जांच कर रही है और इमानदार व्यक्ति को वहां पर लगाया गया है इन्वेस्टीगेशन के लिए। मैं इसके लिए सरकार को बधाई देता हूं, लेकिन साथ में यह चेतावनी भी देना चाहता हूं कि वहां के कुछ राजनैतिक नेता इस हत्या के अन्दर हत्यारे को बचाने के लिए और हत्यारे के पीछे जो गिरोह था उसको बचाने के लिए जांच में गड़बड़ी करना चाहते हैं, उसको रुकवाना चाहते हैं। मैं श्रीमान, इसलिए कह रहा हूं कि दिनादहाड़े हत्या की गई, निर्मम हत्या की गई है इसके बारे में राज्य सरकार किसी दबाव में न आयें और निष्पक्षता के अन्दर जांच करे।

श्री जीयिंग (कुशलगढ़): अध्यक्ष महोदय, मैंने दो स्थगन प्रस्ताव रखे थे उन पर आपने जानकारी चाही है, लेकिन एक स्थगन प्रस्ताव बड़ा इम्पार्टेन्ट है। वह इसलिए है कि मेरे क्षेत्र के एक ग्राम दुवासरा का स्थान है वहां पर हर साल आमली ग्यारस का मेला लगता है। वह मेला हर वर्ष लगता है। उस मेले में हजारों लोग इकट्ठा होते है। वहां पर एक आदमी शराब पीकर आया जिसको थानेदार ने पकड़ कर मारा पीटा। लोग-बाग उसको देख रहे थे तो उस थानेदार ने उन पर लाठीचार्ज कर दिया। सारे मेले के लोगों को मारा। उसमें थानेदार को एकाध चोट जरूर आई किसी ने उसको मार दिया। उस पर जो है थानेदार को चोट आई और अब उस मेले के स्थान पर ग्रामवासियों को अर्थात् आदिवासी किसानों को पुलिस जा-जाकर रोज हैरान और परेशान कर रही है, और अभी तक चार आदमियों को गिरफ्तार किया गया। वहां पर जो राहत कार्य चल रहे हैं उन राहत कार्यों पर उनको नहीं लगाया जा रहा है। पुलिस रोज मारपीट कर रही है। थाने में लोगों को लाकर मार-पीट कर रही है और डराने धमकाने का षड्यन्त्र कर रही है। इसकी ओर मैंने ध्यान खींचा है तो, माननीय अध्यक्ष, उस पर आपने जानकारी चाही है, लेकिन मैं माननीय मन्त्री महोदय से यह निवेदन करूंगा कि इसकी जानकारी 24 घन्टों के अन्तर्गत आप करें और जानकारी प्राप्त करके सत्र के समाप्त होने से पूर्व स्टेटमेन्ट दिला दिया जाय और इस बात

(श्री जोशिंग)

का आश्वासन दें कि पुलिस का जो आतंक फैला हुआ है उसको तुरन्त बन्द कर दिया जाय। मैं यह नहीं कहता कि जो दोषी व्यक्ति हैं उनको नहीं पकड़ा जाय, दोषी व्यक्ति को दण्ड नहीं दिया जाय। दोषी व्यक्ति को जरूर पकड़ा जायऔर दण्ड दिया जाय लेकिन निर्दोष लोगों को इस तरह परेशान करते हैं, निर्दोष लोगों को पकडते हैं। उनके बाल बच्चे अकाल के टाइम में भूखे मर रहे हैं। पुलिस इस तरह राहत कार्य तकपर नहीं लगने दे रही है। इसके सम्बन्ध में तत्काल जानकारी प्राप्त करके सत्र की समाप्ति के पूर्व माननीय गृह मन्त्री इस पर स्टटमेंट दें।

एक स्थगन प्रस्ताव और था, वह यह है कालेरे की बीमारी कुशलगढ क्षत्र में भयंकर फैल रही है इस पर स्थगन प्रस्ताव दिया है, इस बीमारी का एक शिकार भी हो चुका है, मर चुका है। जिला स्वास्थ्य अधिकारी को और जिलाधीश को हमने इत्तिला दे दी है, लेकिन कोई कार्यवाही नहीं की है। आप जानते हैं कि इस बीमारी की रोकथाम नहीं की गई तो निश्चित तौर से क्षेत्र में भयंकर बीमारी फैलेगी और हजारों लोग इसके शिकार हो सकते हैं इसकी जानकारी करके माननीय मन्त्री को इसके सम्बन्ध में एक स्टेटमेंट सत्र समाप्त होने के पूर्व देना चाहिए। मैं यह निवेदन करता हूं।

वित्तीय समितियों के निर्वाचन की घोषणा

श्री अध्यक्ष : वित्तीय समितियों के निर्वाचन की घोषणा।

मैं माननीय सदस्यों को सूचित करता हूं कि जनलेखा समिति, 1973-74, प्राक्कलन समिति, 1973-74 एवं राजकीय उपक्रम समिति, 1973-74 के लिये निम्नांकित सदस्य निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं।

जनलेखा समिति

1. श्री हीरालाल देवपुरा (182)
2. श्री मोहनलाल छंगाणी (110)
3. श्री राजेन्द्र कुमार भारतीया (119)
4. श्री सहदेव शर्मा (169)
5. श्रीमती प्रभा मिश्रा (70)
6. श्री रामचन्द्र रौत (125)
7. श्रीमती कान्ता कथूरिया (10)
8. श्रीमती मदन कौर (97)
9. श्री जनार्दनसिंह गहलोत (39)
10. श्री प्रद्युम्नसिंह (69)
11. श्री भीमसेन (90)
12. श्री रामनारायण चौधरी (130)
13. श्री भानुकुमार शास्त्री (87)
14. श्री फूलचन्द सामरिया (108)
15. श्री योगेन्द्र नाथ हाण्डा (115)

प्राक्कलन समिति

1. श्री पूनमचन्द विश्नोई (67)
2. श्री गौरीशंकर (31)
3. श्री सज्जनसिंह (166)
4. श्री नाथूराम (58)
5. श्री लूणाराम (148)
6. श्री बीरबल (78)
7. श्री रामसिंह विश्नोई (137)
8. श्री रोशनलाल शर्मा (143)
9. श्रीमती निर्मला कुमारी (62)
10. श्रीमती नगेन्द्र बाला (55)
11. श्रीमती गौरी पूनिया (30)
12. श्री मोहनराज जैन (109)
13. श्रीमती उषा प्रकाश (60)

(श्री अध्यक्ष)

14. श्री विजय सिंह (149)
15. श्री भंवरलाल भशादा (82)
16. श्री फारूक हसन (71)
17. श्री ज्ञानसिंह (184)
18. श्री अजीतसिंह (1)
19. श्री गोरधनसिंह (29)
20. श्री केशरीमल (16)
21. श्री मीठालाल मीणा (105)

राजकीय उपक्रम समिति

1. श्री शिवचरण माथुर (160)
2. श्री शंकरलाल पाली (156)
3. श्री श्रीनिवास शारदा (164)
4. श्री गुलाबसिंह शक्तावत (24)
5. श्रीमती सुमित्रा (173)
6. श्री गोपाल जोशी (26)
7. श्री विद्यासागर (152)
8. श्री गोकुलचन्द (25)
9. श्री घासीराम यादव (32)
10. श्री रघुनाथ विश्नोई (116)
11. श्री भुवनेश चतुर्वेदी (91)
12. श्री अमृतलाल गहलोत (3)
13. श्री गिरधारीलाल भार्गव (20)
14. श्री सुरेशचन्द्र (175)
15. श्री गुरदयालसिंह सन्धु (23)

में प्रक्रिया के नियम 183 (1) अन्तर्गत जनलेखा समिति का सभापति श्री हीरालाल देवपुरा को, प्राक्कलन समिति का सभापति श्री पूनमचन्द विश्नोई को एवं राजकीय उपक्रम समिति का सभापति श्री शिवचरण माथुर को नियुक्त करता हूं।

प्रतिवेदन का उपस्थापन

विशेषाधिकार समिति के पहले प्रतिवेदन का उपस्थापन

श्री यशवन्तसिंह नाहर !

श्री यशवन्तसिंह नाहर (सभापति, विशेषाधिकार समिति) : अध्यक्ष महोदय, मैं डिप्टी सुपरिन्टेन्डेन्ट पुलिस के विरुद्ध सर्व श्री मनोहर लाल, मूलचन्द सामरिया गुमानमल लोढा, मानुकुमार शास्त्री एवं प्रोफेसर केदार द्वारा प्रस्तुत विशेषाधिकार प्रश्न सम्बन्धित समिति का पहला प्रतिवेदन का उपस्थापन करता हूं।

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव

रायसिंह नगर सहकारी भूमि विकास बैंक लिमिटेड जिला गंगानगर के सचिव द्वारा की गई अवैधानिक कार्यवाही सम्बन्धी

श्री अध्यक्ष : ध्यानाकर्षण प्रस्ताव। श्री पूनमचन्द विश्नोई।

श्री पूनमचन्द विश्नोई (भीनमाल): मैं सहकारिता मंत्री जी का ध्यान रायसिंह नगर सहकारी भूमि विकास बैंक लिमिटेड जिला गंगानगर के सचिव द्वारा की गई अवैधानिक कार्यवाही की ओर आकर्षित करता हूं।

श्री नारायण सिंह (सहकारिता मंत्री): अध्यक्ष महोदय श्री गंगाविशन मंजू, अध्यक्ष, सहकारी भूमि विकास बैंक लि० रायसिंह नगर ने दिनांक 12-3-73 को रजिस्ट्रार महोदय के समक्ष वाद प्रस्तुत किया कि सचिव ने उनको संचालन की मीटिंग दिनांक 8-3-73 को इस कारण से नोटिस नहीं दिया कि उसके द्वारा 28-2-73 को ड्यू होने वाली राशि का भुगतान नहीं किया गया था जब कि प्रार्थी का कहना था कि उक्त राशि 31-12-72 को देय थी। इस राशि में 1426.44 पैसे व 1599.53 पैसे ब्याज, कुल 2966.97 पैसे थी। इस राशि का 29-12-72 को ही भुगतान कर

Page No 61

(श्री नारायण सिंह)

दिया गया था । सचिव ने पुनः 12-1-73 को डिमाण्ड की सूची बनाई जिसमें प्रार्थी का नाम नहीं था । जिससे स्पष्ट था कि प्रार्थी पर कोई बकाया नहीं थी फिर भी सचिव ने ऋण खाते में ब्याज बकाया बता कर 28-2-73 को इन्द्राज कर दिया । सचिव ने बिना प्रार्थी की सलाह के 8-3-73 को मीटिंग करने हेतु नोटिस जारी कर दिया और इस मीटिंग में तथाकथित कार्यवाहक अध्यक्ष श्री मूलचन्द ने मीटिंग की अध्यक्षता की । इस प्रकार विवाद प्रस्तुत करने पर संयुक्त रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां, राजस्थान, जयपुर ने दिनांक 17-3-73 को स्थगन आदेश जारी कर आदेश दिया कि श्री गंगाविशन मंजू को अध्यक्ष पद पर कार्य करने से नहीं रोका जाय और सुनवाई की तिथि 13-4-73 रखी गई ।

उक्त स्थगन आदेशों के विरुद्ध सहकारी भूमि विकास बैंक व श्री मूलचन्द ने राजस्थान सहकारी न्यायाधिकरण के समक्ष अपील व स्थगन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जिस पर न्यायाधिकरण ने दिनांक 26-3-73 को स्थगन आदेश जारी कर आगामी सुनवाई 30-4-73 को रखी है । इस प्रकार यह मामला सब ज्युडिस है । अतः आगामी कार्यवाही किया जाना सम्भव नहीं है ।

इसी प्रकार एक अन्य वाद श्री लेखसिंह पुत्र श्री गुजरसिंह, संचालक ने दिनांक 17-3-73 को प्रस्तुत किया और जिस पर संयुक्त रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां, राजस्थान, जयपुर द्वारा स्थगन आदेश जारी किया जाकर निर्देश दिये कि प्रार्थी श्री लेखसिंह को संचालक मंडल की मीटिंग में भाग लेने से नहीं रोका जाय और आगामी आदेशों तक होने वाली मीटिंग में बुलाया जाय । अतः आदेशों के विरुद्ध राजस्थान सहकारी न्यायाधिकरण के समक्ष अपील व स्थगन प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया जिस पर भी न्यायाधिकरण ने स्थगन आदेश जारी कर सुनवाई की तिथि 30-4-73 रखी है । इस प्रकार यह मामला भी सब ज्युडिस है और जब तक न्यायाधिकरण का निर्णय नहीं हो जाय, आगामी कार्यवाही किया जाना सम्भव नहीं है । फिर भी संयुक्त रजिस्ट्रार, बीकानेर ने दिनांक 29-3-73 को सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां, गंगानगर को निर्देश दिये हैं कि बैंक का निरिक्षण कर वास्तविक स्थिति की रिपोर्ट भेजे—रिपोर्ट प्राप्त होने पर यदि श्री विक्रम सिंह सचिव दोषी पाया गया तो नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी ।

श्री पूनमचन्द विश्नोई : अभी आप उसका वहां रहना वाजिब समझते हैं, 150 रुपये प्रति दरख्वास्त लेता है । नया अध्यक्ष बने, संचालक बने, इन्होंने मना कर दिया, इसलिए उनको पद से हटा दिया ।

श्री नारायण सिंह : जो कुछ भी तथ्य रख पाया हूं और जो मेरी जानकारी में आये हैं, उनको देखते हुए मैं उचित नहीं समझता कि उनको वहां रखा जाय । मैं यह कार्यवाही करूंगा कि उनको वहां से विथड्रा किया जाय ।

शासकीय वक्तव्य

लालसोट में दिनांक 18-3-73 को हुई एक व्यक्ति की हत्या सम्बन्धी

श्री अध्यक्ष : मंत्री महोदय द्वारा वक्तव्य । (श्रीमती कमला बेनीवाल से) बात समाप्त करिये ।

श्रीमती कमला बेनीवाल (राज्य मंत्री, गृह) : अध्यक्ष महोदय, श्री प्रभुलाल की हत्या दिनांक 18/19-3-73 की दरमियानी रात को की गई थी जिसकी सूचना मिलते ही दिनांक 19-3-73 को पुलिस थाना लालसोट में मुकदमा नं० 24 जेर दफा 302 भा० द० सं० में दर्ज किया जाकर तफतीश शुरू की गई।

इस हत्या की प्रथम सूचना में बालू व उसके लड़के हरिनारायण, मोहन, किशन, रामसुख, नारायणप्रभू तथा रिश्तेदारान नारायण,शंकर, ग्यारसा और हरीशंकर आदि कुल 11 मुलजिमान नामजद किये गये थे। इनमें से बालू, शंकर, हरनारायण, मोहन, किशन और नारायण आदि कुल 6 मुलजिमानों को उसी दिन गिरफ्तार भी कर लिया गया। अब मुकदमे की तफतीश उप अधीक्षक पुलिस दौसा कर रहे हैं और शीघ्र ही बकाया मुलजिमानों को गिरफ्तार कर कार्यवाही की जावेगी।

इलाके में आतंक एवं उत्तेजना फैलाने वाली कोई बात नहीं है और स्थिति पूर्ण नियंत्रण में है।

श्री मूलचंद सामरिया (दौसा) : 11 में से अन्य 5 मुल्जमान को क्यों नहीं गिरफ्तार किया गया? दूसरी बात, जिस समय झगड़ा हुआ, यह कत्ल हुआ उसके दूसरे दिन गांव के सब लोगों ने शिकायत की और इकट्ठा होकर जुलूस के रूप में मांग की कि हम यहां से न्याय की उम्मीद नहीं करते इसलिए सी० आई० डी० में केस दिया जाए। यह सही है कि वहां के लोगों को शंका है और लोगों की शंका को दूर करन के लिए और निष्पक्ष जांच हो सके और वास्तविक लोगों को ही अपराधी घोषित किया जाकर दंडित करवाने की कार्यवाही की जाए, इसके लिए इसकी सी० आई० डी० द्वारा जांच कराई जाए चूंकि आज वहां लालसोट की पोलिटिक्स के कारण एक दूसरे को फंसाने में लगे हुए हैं और जो वास्तविक लोग हैं उनको बचाने में प्रयत्नशील है। इस तरीके से अगर वहां पर किया गया और स्थानीय अधिकारी उनकी राजनीति के शिकार हुए तो संभव है कि निर्दोष व्यक्तियों को दंडित होना पड़ेगा 302 के केस में और जो दोषी होंगे अपने प्रभाव से अथवा अवांछनीय तरीके से बच सकते हैं। इसलिए इस मामले में अगर सरकार न्याय करना चाहती है और दोषी व्यक्तियों को दंडित और निर्दोष लोगों को छोड़ देना चाहती है तो इस मामले की सी० आई० डी० या सी० बी० आई० द्वारा जांच कराने की घोषणा की जाए तो उस क्षेत्र के लोगों को संतोष होगा कि वास्तव में सरकार न्याय करती है।

श्रीमती कमला बेनीवाल : जो 5 मुल्जमान को नहीं पकड़ा जा सका है उसका कारण यह है कि वे उस इलाके से फरार हो गये हैं, उन के खिलाफ वारंट जारी करा दिये गये हैं, जहां भी पता लगा है वहां पुलिस भेजी गई है और आशा है कि शायद जल्दी ही उनकी मालूमात हो जाएगी, पुलिस सतर्क है।

जहां तक माननीय सदस्य का कहना है कि लोगों ने एकत्रित होकर निवेदन किया, उनका स्थानीय पुलिस से न्याय मिलने की आशा नहीं है मुझे कोई जानकारी नहीं है क्योंकि कोई प्रतिवेदन अथवा डेप्यूटेशन इस प्रकार का आया नहीं। हो सकता है

(श्रीमती कमला बेनीवाल)

कि उन्होंने स्थानीय पुलिस स्टेशन पर या डिप्टी एस० पी० से निवेदन किया हो मुझे मालूम नहीं। अगर ऐसी स्थिति आ सकती है तो इसको और ध्यान से देखा जाएगा और माननीय सदस्य को विश्वास दिलाती हूं कि निर्दोष व्यक्तियों को फंसाना और दोषी व्यक्तियों को छोड़ना, ऐसी कार्यवाही नहीं की जाएगी।

श्री अध्यक्ष : विधायी कार्य।

स्पष्टीकरण ब्लैक दिसम्बर के पत्र पर मुद्रित चिन्ह सम्बन्धी

श्री रामानन्द अग्रवाल : अभी जनसंघ के नेता ने फोटोस्टैट कापी ब्लैक दिसम्बर के संबंध में सदन की मेज पर रखी है और उन्होंने कहा है कि इस फोटो पर जो निशान है वह कम्युनिस्ट पार्टी का है। हमने फोटो कोपी को देखा है और मैं समझता हूं जनसंघ के नेता ने गैर जानकारी के आधार पर कह दिया होगा। देखने से स्पष्ट जाहिर है कि जो कम्युनिस्ट पार्टी का निशान है वह हंसिया और हथोड़ा है और यहां कुल्हाड़ी व फरसी बनी हुई है। तो माननीय सदस्य ने गलतफहमी में स्टेटमेंट दिया है। इस पर छपा हुआ निशान कम्युनिस्ट पार्टी का नहीं है, निशान बिल्कुल अलग है। हो सकता है कि ब्लैक दिसम्बर ने इसमें कुल्हाड़ा और फरसी जो कम्युनिस्ट पार्टी से मुशाहबत रखता है।

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : आप आंखों का टेस्ट करायें या दिमाग का।

श्री गुमानमल लोढ़ा : हंसिया और हथोड़ा साफ दिखाई देता है।

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : मैंने कहा आंखों का टेस्ट करायें।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : आपको अमरीका का चश्मा चढ़ा हुआ है।

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : आपको अपनी आंखों का टेस्ट करवाना चाहिए।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : लोढ़ा साहब आपका चश्मा काम नहीं दे रहा है।

श्री गिरधारी लाल भार्गव : बिल्कुल साफ है।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : सी० आई० ए० के निशान से मिलता जुलता है।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : आपके पास दूसरा चश्मा है, भारतीय चश्मा नहीं है। आपके पास रूसी चश्मा है, कम्युनिस्ट पार्टी वालों के आंख का इलाज वहां होगा।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : आपने रूसी चश्मा नहीं देखा होगा।

(शोरगुल)

श्री अध्यक्ष : जो दस्तावेज पेश किया गया उससे जो कुछ नतीजा निकल सकता है, वह निकल जायगा। दो इन्टरप्रेटेशन्स हैं। आपका फरमाना एक है, माननीय सदस्य का दूसरा है। दस्तावेज मौजूद है।

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : आप आंखों का इलाज कराइए।

श्री गुमानमल लोढ़ा : आप क्यों कहते हैं यह हंसिया व हथोड़ा नहीं है ?

विधायी कार्य

राजस्थान कृषि जोतों पर अधिकतम सीमा अधिरोपण (संशोधन) विधेयक 1973 विचारार्थ प्रस्तुत

श्री अध्यक्ष : विधायी कार्य । राजस्थान कृषि जोतों पर अधिकतम सीमा अधिरोपण (संशोधन) विधेयक, 1973 ।

श्री रामचन्द्र चौधरी : मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान कृषि जोतों पर अधिकतम सीमा अधिरोपण (संशोधन) विधेयक, 1973 को विचारार्थ लिया जाए ।

श्री अध्यक्ष : श्री राम नाराण चौधरी ।

राजस्थान कृषि जोतों पर अधिकतम सीमा अधिरोपण (संशोधन) विधेयक, 1973 को जनमत जानने हेतु परिचालित करने का संशोधन प्रस्ताव

श्री राम नारायण चौधरी (मण्डावा) : अध्यक्ष महोदय, राजस्थान इस समय सीमा निर्धारण के अन्दर प्रथम राज्य है जिसने कानून बनाकर एग्रीकल्चरल लैंड होल्डिंग्स पर सीलिंग लागू की थी । अफसोस की बात है कि 1958 में सबसे पहले कानून बना उसके बाद आज तक उस कानून को कार्य रूप में परिणत नहीं किया गया और बार बार संशोधन पर संशोधन विधेयक लाये जा रहे हैं । मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि इसी वर्ष में आर्डीनेन्स के द्वारा राजस्थान कृषि जोतों पर अधिकतम सीमा कायम करने के लिए कार्यवाही की गई थी और वह आर्डीनेन्स, जहां तक मेरा विचार है, भारतवर्ष में सबसे क्रांतीकारी आर्डीनेन्स था । उस आर्डीनेन्स के बाद इस विधान सभा द्वारा उसको कानून की शक्ल दी गई । तो इसके अन्दर जो इफेक्टिव क्लॉजिज थे उनकी मन्शा ही हमने समाप्त कर दी । उदाहरण के लिए उस आर्डीनेन्स में व्यवस्था थी कि जो इस कानून की मन्शा को डिफीट करेगा, असफल करने की कोशिश करेगा, गलत सूचना देगा, ऐसे बड़े लैंडलार्ड्स को सजा देने का प्रावधान रखा गया था । मेरा ऐसा खयाल है और जानकारी है कि भारतवर्ष में राजस्थान ही एक राज्य था जिसने सजा का प्रावधान किया था । यह सही है कि इन प्रावधानों पर इस सदन में बड़ा तीव्र विरोध हुआ था लेकिन जो चीज सोच समझकर रखी गई थी उसको एकदम आसानी से उड़ाने का कोई तात्पर्य नहीं था । फिर उसके बाद कानून में हमने वे तब्दीलियां की जिनके द्वारा हमने कई तहसीलों को सेमी डेजर्ट जोन्स के अन्दर माना जो वास्तव में सेमी डेजर्ट जोन्स नहीं थे और उनको तब्दील करने का कोई अर्थ ही नहीं निकलता था । मुझे जहां तक जानकारी है जिस जिले से मैं आ रहा हूं दो तहसीलों को एक खेतड़ी दूसरी उदयपुरवाटी-सेमी डेजर्ट में शामिल किया गया और सीलिंग में 125 एकड़ तक रखने की जो अनुमति वहां दे दी इससे मालूम होता है कि जो संशोधन अनुसूची में किया गया कि इन 5-6 तहसीलों को सेमी डेजर्ट में शामिल किया जाए तो और तहसीलों की तो मुझे जानकारी नहीं लेकिन इन दो तहसीलों को शामिल करने का क्या आधार था ? मंत्री महोदय से मैं जानना चाहता हूं कि आपने यह संशोधन किया और स्वीकार कराया यहां से, क्या आप बता सकते हैं कि उन तहसीलों में कोई सिलिंग

(श्री रामनारायण चौधरी)
में आ रहा है ? जैसे सेंट्रल डाइरेक्टिव है, मुख्य मंत्रियों के कान्फरेंस में निर्णय हुआ है उसके अनुसार यदि आप 25 एकड़ जमीन भी एक काश्तकार के लिए रखते हैं तो झुंझुनूं जिले में एक व्यक्ति भी इस कानून से प्रभावित नहीं होता है । एक भी काश्तकार ऐसा नहीं है कि जहां पर 54 एकड़ प्रति परिवार के हिसाब से आप रखना चाहते हैं तो उस पर प्रभाव पड़ता हो ।

इसके बाद 125 एकड़ को रख कर उनको सुविधा देने की चेष्टा की गई, इसके बाद में और बदला गया–तो अध्यक्ष महोदय, मेरे निवेदन का मतलब यह है कि आप आखिर इतने कानून में संशोधन करते जा रहे ह फिर भी उसका काश्तकारों को जो लाभ मिलना चाहिए वह नहीं मिल पा रहा है । आप जितने कानून बना रहे हैं उसका काश्तकारों को विशेष फायदा हो, वह नहीं हो रहा है । इसलिये मैं मन्त्री महोदय को निवेदन करना चाहता हूं कि हमें कानून बनाते समय इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि जो कानून बनाने हम जा रहे हैं उसका कोई असर हो रहा है या नहीं । या यह कानून ऐसा बनाया जा रहा है कि जो काश्तकारों के विरुद्ध पड़ने वाला है । इसलिये ऐसा मालूम होता है कि वह आज की परिस्थितियों के अनुकूल कानून नहीं है । जो हम बनाने जा रहें है । अभी चीफ मिनिस्टर्स की कान्फ्रेन्स दिल्ली में हुई थी उसमें अधिकांश चीफ मिनिस्टर्स तो ऐसे प्रदेश के हैं जिनके यहां की भौगोलिक कन्डीशन ही अलग है । इसके चार प्रदेश हमारे देश में ऐसे हैं जैसे राजस्थान, गुजरात, आन्ध्र प्रदेश और हरियाणा ऐसे हैं जहां पर कि दो तरह की जमीन पाई जाती है–डेजर्ट एरिया की और सेमी–डेजर्ट एरिया । ये चार प्रदेश हैं और इसके अलावा कुछ प्रोविन्सेज ऐसे हैं जिनकी सब सोइल में वाटर है । बाकी प्रोविन्स हमारे देश के ऐसे हैं जैसे पंजाब, यू० पी०, बिहार, मद्रास और केरल यह ऐसी स्टेट्स हैं जहां पर कि सेमी–डेजर्ट और डेजर्ट एरिया नाम की कोई स्थिति नहीं पाई जाती है । वहां पर फर्टाइल और सेमी-फर्टाइल नाम की जमीन की कोई परिभाषा ही नहीं है वहां की एग्रीकल्चर लैण्ड सारी की सारी उपजाऊ ही है वहां पर सब फर्टाइल लैण्ड है क्योंकि वहां पर या तो बान्धों से सिंचाई होती है या नदियों से नहरें निकाल कर जमीन को इरिगेटेड किया जाता है । वहां पर कोई फर्टाइल और सेमी-फर्टाइल की बात ही नहीं है । वहां पर हर काश्तकार जिसके पास अगर कोई साधन है और जमीन है तो वह सिंचाई उस जमीन पर कर सकता है । लेकिन राजस्थान, गुजरात, आन्ध्र प्रदेश और हरियाणा में बहुत सी ऐसी जगह हैं, जहां पर जमीन में सब सोइल वाटर है । जिसके कारण काश्तकार काश्त करना चाहे तो उस पानी को बाहर निकाल कर जमीन उपजाऊ बना सकता है । उसको आपने यहां ऐसी परिभाषा में रखा है जिसको आप उपजाऊ कह सकते हैं उसके लिये सीलिंग की सीमा 54 एकड़ वहां पर काश्तकार ट्यूब वैल के द्वारा और सरकारी मदद से ऐसे पानी को बाहर निकाल कर अपनी जमीन को उपजाऊ कर सकते हैं । आप ऐसी जमीन के लिये 54 एकड़ सीलिंग रखना चाहते हैं लेकिन जहां अण्डर ग्राउण्ड वाटर नहीं है उनके

(श्री रामनारायण चौधरी)

लिये आप क्या व्यवस्था करेंगे। अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहूंगा ऐसी जगहों पर जो डेजर्ट एरिया और सेमीडेजर्ट एरिया है वहां पर राज्य सरकार को चाहिये कि डी० पी० ए० पी० के प्रोग्राम्स खोले गये हैं और इसके अलावा भी काश्तकारों को राहत दी गई है। अध्यक्ष महोदय, आज राजस्थान में ऐसी कई तहसीलें हैं जहां पर अण्डर ग्राउन्ड वाटर नहीं है वहां की भूमि को आप कैसे उपजाऊ कर सकते है क्योंकि वहां पर पानी ही नहीं है तो अध्यक्ष महोदय मैं निवेदन करना चाहूंगा कि यह बात अभी चीफ मिनिस्टर्स कान्फ्रेन्स में हुई थी इसलिये मेरा निवेदन है कि उस एरिया का खयाल रखना चाहिये। आज जहां पर अण्डर ग्राउण्ड वाटर नहीं है, वहां पर काश्तकार किसी प्रकार का फायदा नहीं उठा सकते हैं। अभी थोड़े समय पहले इस सदन के अन्दर जो कानून पास किया वह इतनी जल्दी से एमेन्डमेन्ट लाकर पास किया कि उसमें खामियां रह गई थीं। अगर उस पर सदन में काफी विचार-विमर्श हो जाता तो इसमें काफी सुविधा आपको, जनता को और काश्तकारों को रहती। लेकिन आपने उस कानून को पास करने में कोताही की।

(12.52 म० प०)

(श्री रामसिंह यादव, उपाध्यक्ष, पदासीन)

आपने डेजर्ट एरिया व और सेमी-डेजर्ट एरिया का खयाल रखते हुए कार्यवाही की है वह ठीक है। लेकिन इसमें आप फर्टाइल और सेमी-फर्टाइल जमीन के बारे में भी जरूर सोचें। और बाद में कानून में संशोधन करें तो ठीक रहेगा।

श्री उपाध्यक्ष : श्री दीपंकर !

श्री दीपंकर (लाडनूं) : उपाध्यक्ष महोदय, जो बिल सदन में लाया गया है उस पर आज माननीय सदस्य अपने विचार व्यक्त कर रहे हैं। इस पर मैं भी मेरे विचार आपके समक्ष रखना चाहता हूं। अभी थोड़े अर्से पहले हमने जमीन की सीमा के बारे में एक बिल पास किया था और चूंकि उसमें खामियां रह गई थीं इसलिये आज हमें इतना जल्दी ही उसी बिल में संशोधन लाना पड़ रहा है। मेरी राय यह है और अच्छा होता इस बिल को अगर आप जनमत जानने हेतु पहले प्रसारित करते उसके बाद में जो जनता द्वारा आपको सुझाव मिलते उनको आप इसमें इनकोर्पोरेट करते तो यह काश्तकारों के हित में ज्यादा अच्छा बिल होता। लेकिन आज यह हो रहा है कि हम इस बिल को जल्दी से पास कर रहे हैं। उपाध्यक्ष महोदय, बड़ी-बड़ी जमीन के मालिकों को पहले से ही भान हो गया था कि अब उनका स्वामित्व खतरे में है तो उन्होंने पहले से ही अपनी जमीन का ट्रान्सफर इस तरह कर दिया कि आपको इस सीलिंग बिल से कुछ भी नहीं मिलने वाला है। आज ऐसा व्यवधान उसमें उन्होंने पैदा कर दिया है कि आप सही मूल्यांकन नहीं कर सकते कि हमारे पास कितनी जमीन सीलिंग के अन्तर्गत आयेगी। उपाध्यक्ष महोदय, आज राज्य सरकार ने जमीन के बारे में जोन्स बनाये हैं। जैसे डेजर्ट्स और सेमी-डेजर्ट्स जोन्स। यह सही है कि हमारे यहां पर कई तरह की भूमियां हैं और उसके लिये हमें सीलिंग की सीमा निर्धारित करनी होगी। लेकिन उपाध्यक्ष महोदय, मैं तो यह निवेदन करना चाहूंगा

(श्री दीपंकर)

कि जो कानून हमने सन्, 1955 में बनाया था वह कानून इसके बारे में काफी डिटेल में था लेकिन खेद है राज्य सरकार ने उस पर कोई तवज्जुह नहीं दिया जो कि काश्तकारों के हित में था। आज हमारे यहां अलग-अलग जमीन के लिये, अलग-अलग तहसीलों में अलग अलग लगान लिये जा रहे हैं। आज हमारे यहां पर इस प्रकार की प्रक्रिया अपनाई जाती है जिससे काश्तकारों के साथ न्याय हो पा रहा है आज आप जैसा-तैसा कानून बनाते हैं काश्तकारों के फायदे के लिये उसे यह आपकी सरकारी मशीनरी ठीक से नहीं चलने देती है। आज आप यह नारा देते रहे हैं कि हमने सीलिंग का कानून इसलिये बनाया है कि भूमिहीनों को भूमि दे सकें, इसलिये हम जब यह संशोधन ला रहे हैं कि हम 75 एकड़ भूमि की जगह 54 एकड़ भूमि सीलिंग के अन्तर्गत कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं कि कितनी जमीन आपको आज तक प्राप्त हुई और अब आप और कितनी जमीन प्राप्त कर लेंगे। मैं उपाध्यक्ष महोदय आपके माध्यम से मन्त्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि आप काश्तकार किसे मानते हैं। आप किसे जमीन देंगे आज आप जनता के अन्दर देश में प्रोग्रेसिव नारे लगा रहे ह लेकिन मैं तो यही निवेदन करना चाहूंगा कि काश्तकार वह है जो खुद काश्त करे। जमीन किसकी, जमीन जो जोते उसकी होनी चाहिये। आज आप देख रहे हैं लोगों ने बड़े-बड़े कृषि फार्म बना रखे हैं जो खुद काश्त नहीं कर रहे हैं आखिर आप उनके ऊपर कोई रोक नहीं लगा रहे हैं उनके लिये आपको कानून में प्रावधान रखना चाहिये, लेकिन आपने जो कानून बनाये हैं उनमें वे सभी बड़े-बड़े फार्म के मालिक, जो उद्योगपति हैं या बड़े नेता हैं उनके फार्म इस सीलिंग में नहीं आ रहे हैं। उनके लिये मन्त्री महोदय यह स्पष्ट करने की कृपा करें कि आपने इनको छूट क्यों दे रखी है। इनकी जमीनों पर कब्जा कब होगा, यह मन्त्री महोदय कृपा करके स्पष्ट करें। दूसरी ओर, उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्रीजी को यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि काश्तकार की परिभाषा जब तक सरकार के दिमाग में स्पष्ट नहीं होगी तब तक इस समस्या का उचित समाधान यह नहीं माना जा सकता। एक व्यक्ति कई प्रकार के धन्धे करता है। समाज में पढे लिखे लोग हैं। काश्तकार दूसरों पर ऋणी है। उसको अपने जीवन यापन के लिये, रोटी और कपड़े के लिये गुलाम बनकर रहना पड़ता है। यदि आप समाज में श्रम की प्रतिष्ठा को प्रतिष्ठित करना चाहते हैं तो यह जरूरी है कि जो आदमी ज्यादा तरह के धन्धे करता हो उसकी कृषि भूमि उससे क्यों नहीं ली जाय चाहे उसके लिये आपने 54 एकड़ या कुछ भी सीलिंग कर दी हो और वह उसमें आता हो अथवा नहीं आता हो। राजस्थान कैनाल हो, गंग कैनाल हो, कोई भी प्रोजेक्ट हो, बड़ बड़े ऑफिसरों ने अपने रिश्तेदारों के नाम से, अपने नाम से भूमि आवंटित करा रखी है जो काश्तकारों से ही काश्त करवाते हैं, मजदूरों से काश्त करवाते हैं, इस तरह के लोगों के पास कृषि भूमि किन्हीं कानून के तहत उनके पास रहे यह उचित नहीं है। उनको हजारों रुपयों का वेतन मिलता है।

(श्री दीपंकर)

उनका परिवार पढा लिखा है, समाज में रह कर उनको सब प्रकार की सुविधायें मिलती रहें, सरकारी सेवा में रहते हुए सब प्रकार की सुविधायें प्राप्त करते रहें उनका भार फिर समाज पर इस प्रकार से न डाला जाय कि वे भूमि रख कर काश्तकारों से मजदूरी करवायें, काश्त करवायें। उनके लिये यह मौका नहीं मिलना चाहिए कि अपने पदों का वे दुरुपयोग करें। सरकार को कानून का प्रयोग करके महज काश्तकार के नाम पर बड़े बड़े भू-खण्ड आवंटित करा लिये हैं, किसी के पास चार मुरब्बा है, किसी के पास छः मुरब्बा है। यह उनके पास क्यों रहे? उनसे यह भूमि नहीं लेंगे तब तक आपका यह संशोधन विधेयक कोई माने नहीं रखेगा। यह दुबारा भी इसीलिये आपके पास आया है कि जिनके पास भूमि नहीं है, जो भूमिहीन हैं, जिनके पास अधिक भूमि है उनसे वह भूमि लेकर इन भूमिहीनों में बांटा जाय और इसको दुरुस्त करें। इसका उद्देश्य भी तब ही पूरा होगा जब व्यापक दृष्टिकोण होगा। उसके लिये यह आवश्यक है कि ऐसे लोगों से भूमि ली जाय।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

उपाध्यक्ष महोदय, हम 58 से लेकर 73 तक सीलिंग की बात करते आये हैं। उसके पीछे जो अनुभव रहा है, समाजवाद की रचना करने जा रहे हैं तो सरकार यह निर्णय ले। भूमिहीनों को भूमि देने के लिये बात करें और तब ही इसका उद्देश्य सरकार पूरा कर पायेगी। जितने भी व्यक्ति हैं, किसी न किसी संस्था में हैं, वे प्रोग्रेसिव होने की बात जरूर करते हैं लेकिन जब त्याग का सवाल आता है तो छोटे रास्तों से खिसकने का प्रयत्न करते हैं। जिनके पास भूमि है उनसे पास से नहीं ली जावेगी तो जिनके पास भूमि नहीं है उनके पास कैसे आवेगी। जो समाज में साधन सम्पन्न लोग हैं, जिनके पास सब तरह के साधन हैं उनके पास भूमि है, वह भूमि उनके पास न रहकर भूमिहीनों के पास जानी चाहिए जिन्होंने जिन्दगी भर जदोजद की है और जो तरक्की करना चाहते हैं उनको भी इसके लिए मौका मिलना चाहिए। भूमिहीन को भूमि देना जरूरी है। जहां ऐसे भू-खण्ड हैं उनको पानी देने की कोशिश करें। एक कांफ्रेंस हुई थी। बहुत कम लोगों ने इस योजना की ओर ध्यान दिया है। सब की इस ओर तवज्जह दिला कर इसको करना चाहिये ताकि छोटे किसानों को तरक्की पर लाया जा सके। वर्ल्ड बैंक इसके लिये सामने आता है। और यह नहीं कर सके तो भूमिहीनों का विकास नहीं हो सकेगा।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

एक दो मिनिट में ही समाप्त कर रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष: संशोधन पर बोलिये। भूमि आवंटन की बात विस्तृत सबजेक्ट है।

श्री दीपंकर: मैं संशोधन नहीं प्रस्तुत कर रहा हूं। मैं जनमत जानने के लिये प्रचारित करने के लिये निवेदन कर रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष: यह भी संशोधन ही माना जाता है।

श्री दीपंकर: मुआवजे के लिये जो राशि रखी गयी है वह काफी बड़ी है। अनुसूचित जाति और जन जाति के लोगों को आवंटित करने के लिए योजना बनायी गयी है। काफी बड़ी रकम वे नहीं दे पायेंगे। जिनसे भूमि ली जावेगी और जिनको भूमि दी जावेगी उनसे नकद न लेकर किश्तों में लेकर दगे तब ही काम चलेगा। जिन लोगों से भूमि ली जाय उनको किश्तों से मुआवजा दिलाया जाय तो अच्छा है। यह सुविधा रखी जायगी तब ही अच्छा रहेगा वरना एक साथ पैसा लोग नहीं जुटा पायेंगे और जमीन आवंटित भी कर दी तो भी वे नहीं ले सकेंगे।

अर्द्ध विकसित भूमि का अलॉटमेन्ट हो उसके विकास के लिये बैंकों की सुविधा सुनियोजित तरीके से मिल सके ऐसे मौके पर आशा है सरकार सोचेगी।

जहां तक इस सीलिंग विधेयक का प्रश्न है, राजस्थान में जो सीलिंग की सीमा तय की उसे और घटाने जा रहे हैं यह प्रोग्रेसिव स्टेप माना जावेगा। उसके साथ साथ यह भी सोचें और मंत्री महोदय यह भी निश्चय करें कि सीलिंग भमि पर मान लेने से संतोष नहीं होग। आय की दृष्टि से भी सीलिंग लगायें। समान आर्थिक ढांचा बनाने के लिये किसी के पास कुछ नहीं है और किसी के पास सब कुछ है इस भेदभाव को मिटाना होगा।

श्री उपाध्यक्ष : श्री गिरधारीलालजी भार्गव !

श्री गिरधारीलाल भार्गव (हवा महल जयपुर): माननीय उपाध्यक्षजी, कृषि जोत भूमि विधेयक में संशोधन है इसलिये यह फिर से यहां आया है। नौबत इसलिये आयी कि राजस्थान सरकार ऐसे महत्वपूर्ण विधेयकों को जल्दी में पास करवाती है, दूसरे रूप में कहूं कि पिण्ड छुड़ाना चाहती है यह बात है। मैं फिर निवेदन करना चाहूंगा कि भूमिहीनों को भूमि मिले इस उद्देश्य को लेकर फिर से इस विधेयक में संशोधन किया जा रहा है। भूमिहीन कौन होगा इसकी कोई परिभाषा नहीं है। जैसा पहले निवेदन किया था कि कृषक वही है जिसकी आय का साधन केवल खेती हो और भूमिहीन आखिरकार कितने हैं ? राज्य सरकार के पास पहले से भी काफी जमीन पड़ी है जिसे वह बांट नहीं सकी है। आज लोगों से जमीन वापिस लेने जा रही है। इसकी आड में कहीं ऐसा न हो कि जो भूमिहीन हैं उनको नहीं बल्कि जिनके पास पहले से भी काफी भूमि है उनको और अधिक जमीन मिल जावे। इसके लिये पहिले भी निवेदन किया था कि इन भूमिहीन लोगों का एक रजिस्टर रखा जावे, गांववार रखा जावे। उनसे आवेदन-पत्र आमन्त्रित किये जावें।

श्री उपाध्यक्ष : आप मेरा निवेदन सुन लीजिये। म आप से अपेक्षा करूंगा कि इसके दूसरे मुद्दे काफी इम्पोर्टेन्ट हैं आप उन पर अपने विचार रखें। बिजली का बजट पेश होने वाला है उस पर भी काफी लोग बोलना चाहेंगे, इसलिये आप अपने वक्तव्य बिल के प्रावधानों तक ही सीमित रक्खें तो अच्छा है। आप ठीक बोल भी सकेंगे, और भी लोगों को समय मिलेगा और जो महत्वपूर्ण विषय आगे

(श्री उपाध्यक्ष)
आने वाला है उस पर भी बोलने के लिये समय मिल सकेगा ।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : मैं आपकी आज्ञा शिरोधार्य करके निवेदन करना चाहूंगा प्रिन्सिपल लेजिस्लेचर बनाने का तरीका यह अच्छा नहीं है । यह संशोधन पहले लाना था । अब भी इसके लिये जल्दी नहीं करें तो अच्छा है, नहीं तो फिर आपको और संशोधन लाने होंगे । मुख्य मन्त्रियों के सम्मेलन में क्या बातें तै हुई, भूमि की अधिकतम सीमा क्या होगी, इन सब मामलों में आपकी अस्थिर नीति के कारण किसान निश्चिन्त होकर खेती में वृद्धि नहीं कर सका जिसका बुरा परिणाम आज हम भोग रहे हैं । यह सरकार भूमि के बारे में परिभाषा बदलती रही है जिसके कारण भी किसानों में अनिश्चितता रही । इसके कारण ही अकाल पड़ रहे हैं वर्ना हर साल राजस्थान की यह दशा नहीं होती ।

आज आपने इतना अन्तर जो रक्खा है 75 और 54 का आखिर वह क्यों ? तहसील नावां, खेतड़ी, नागौर इनको सेमी डेजर्ट में बदलकर सेमी फर्टाइल में आप ले जा रहे हैं इसका आपका क्या आधार है ? पहले आपने क्यों नहीं ठीक तरह से सोचा । इसलिये कहता हूं कि आप इसे सलेक्ट कमेटी में भेज दें ताकि फिर वैसी ही गलती न हो ।

इसी प्रकार नावा जिला नागौर, जिला मेड़ता, बीलाडा, जोधपुर वगैरह में 70/71 में राज्य के इन दस जिलों में जिनको ड्राट एरिया माना गया है इसमें शामिल हैं । जब यह अकाल-ग्रस्त क्षेत्र हैं तो सेमी-फर्टाइल हो नहीं सकते । इसी तरह उदयपुरवाटी, खेतड़ी तहसील में जाकर देखें तो वहां पर रेगिस्तान है । जब रेगिस्तान है तो रेगिस्तान हटाने की स्कीम के नाते तो भारत सरकार से आप पैसा मांगते हैं और वही रेगिस्तान एरिया आपकी फर्टाइल की कैटेगरी में आ गया तो इसका उल्लेख आप भाषण में दें तो अपने मुखारविन्द से अवश्य करेंगे । राज्य सरकार की नीति का पता नहीं चलता । बिल पहले यहां से पास करके भेज दिया । आपकी जिद्द है फिर वही गलती आप और करना चाहते हैं । यह फिर यहां आवेगा यह सरकार गलतियां करने की आदी है । आपके लिए तो दिल्ली सर्वोपरि है । आप दिल्ली के गुलाम हैं । जो दिल्ली सरकार ने बात कह दी उसको संशोधन के रूप में आप यहां ला रहे हैं । अपनी बुद्धि नहीं लगाना चाहते, आप इसमें । अपना स्वतन्त्र अस्तित्व आपका नहीं है इस प्रकार की मेरी मान्यता है ।

आप काश्तकारों की जमीनें लेने जा रहे हैं । काश्तकार विरोधी कानून है यह जिसे आप पास कर रहे हैं । काश्तकार को सजा दे रहे हैं । जय किसान और जय जवान का जिसने नारा लगाया आज आप उसी किसान को सजा देने का प्रावधान इसमें रख रहे हैं । पुनः संशोधन ला रहे हैं ।

खेतसिंहजी, मुख्य सचेतक हैं मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि आप पहले संशोधन क्यों नहीं लाये । आप लाना नहीं चाहते । आपके ऊपर तो जोर आ रहा है । यह तो एक तरह से सूबेदार की सरकार है । पुराने जमाने में जैसे मनसबदार हुआ

(श्री गिरधारीलाल भार्गव)

करते थे दिल्ली वालों की हुकूमत में वे चला करते थे वैसे आज सूबेदारी के आधार पर दिल्ली के इशारे पर आप इस प्रकार का यह संशोधन यहां लाना चाहते हैं। गुस्ताखी मेरी माफ हो।

केरल में कम्युनिस्टों की सरकार है। उसने इस माने में अच्छा काम किया। जो अच्छा काम हो, चाहे उसे कोई भी करे, तारीफ भी उसकी करनी चाहिए उन्होंने भी इसी प्रकार का कानून पास किया। इसके बारे में उन्होंने विचार किया कि किसानों को मुआवजा दिया जा रहा है और किसानों की कृषि आमदनी का आधार भूमि माना जा रहा है, तो इसके लिए किसान के पास इतनी भूमि तो होनी चाहिए ताकि उससे इतनी आमदनी हो सके। तब बहबूदी हो सकती है। इस प्रकार का काम आपने किया नहीं।

इसलिए निवेदन करूंगा कि बार-बार इस तरह के संशोधन करने से किसानों में अनिश्चितता बढ़ी है। फिर दिल्ली कानून जावेगा। फिर माताजी की ओर से अगर हुक्म हो गया तो आप फिर संशोधन लावेंगे। आप तो दिल्ली सरकार के गुलाम हैं, मनसबदार हैं उनके, तो फिर आप संशोधन लावेंगे। यह आपके लिए सम्मानीय तरीका नहीं है। हमारे साथ भी सम्मानीय तरीका नहीं होगा—आपके साथ हम भी बैठे हैं। लोग हमें भी कहेंगे कि मनसबदारी हुकूमत ने किया सो किया पर आप भी तो वहां बैठे थे। आपने ऐसा कैसे होने दिया? हमारा विरोध कहां चलता है? आज तो आप का निरंकुश बहुमत है। आपने 144 धारा लगा दी। तो हम तो अपनी बात फिर भी निशंक कह देते हैं। पर जो यह घमंडी सरकार अपने बहुमत में सुनना नहीं चाहती तो इसका हमारे पास आज के जनतन्त्र में कोई इलाज नहीं। अब तो इस प्रकार की हालत हो गई कि अगर दिल्ली की हुकूमत इनको यह कहे कि पश्चिम में सूरज भगवान उगते हैं तो इन मनसबदारों की हिम्मत नहीं कि वे यह कह सकें कि नहीं यह गलत है, सूरज भगवान तो पूर्व में ही उगते हैं। ऐसे जो काम यह सरकार करती है, यह गलत है, अशोभनीय है।

आप इस पर ठंडे दिल से विचार करें। जल्दी में इसे पास न करें। इसलिये यह निवेदन किया है कि आप इस बिल को जनमत जानने के लिये प्रसारित कर दें।

राजस्थान कृषि जोतों पर अधिकतम सीमा अधिरोपण (संशोधन) विधेयक, 1973 को प्रवर समिति के सुपुर्द करने का प्रस्ताव

श्री उपाध्यक्ष : श्री वृद्धिचन्द्र जैन।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन (बाड़मेर): उपाध्यक्ष महोदय, इस विधेयक को प्रवर समिति के समक्ष सुपुर्द करने के लिये मैंने प्रस्ताव रखा है मैं प्रवर समिति के सुपुर्द करने के लिये प्रार्थना क्यों कर रहा हूं इसका कारण यह है कि अभी जो संशोधन आया है कि 75 एकड़ से लेकर 54 एकड़ पहाड़ी क्षत्र के लिये रखा जाय, यह सुझाव तो मैं पसन्द करता हूं परन्तु मेरे और भी सुझाव हैं और उनको अगर

(श्री वृद्धिचन्द्र जैन)

सेलेक्ट कमेटी कन्सीडर करे और सलेक्ट कमेटी में रखने पर जो एम० एल० ए० कमेटी के सदस्य होंगे और जो सुझाव उसमें वे इस पर दे सकेंगे उनके आधार पर जो हम इस कानून को बनावेंगे तो फिर रिकन्सीडर करने की आवश्यकता नहीं रहेगी।

मैं यह समझता हूं कि यह जो विधेयक लाया गया है यह कोई प्रगतिशील मेजर नहीं है। प्रगतिशील कदम नहीं है। कांग्रेस को प्रगतिशील कदम ही उठाना चाहिये। कांग्रेस समाजवाद का नारा लगा रही है और रियल्टी वास्तव में समाजवाद की ओर कदम नहीं उठायेंगे तो जनता हमें माफ नहीं करेगी क्योंकि हमने अपने इलेक्शन मैनीफेस्टो में जनता को इस प्रकार का आश्वासन दिया है कि हम भूमिहीन किसानों को भूमि आवंटित करावेंगे। उससे लेंगे नहीं। परन्तु मुझे यह दिखता है कि यह जो कानून हम पास करने जा रहे हैं इस कानून के इम्प्लीमेन्टेशन से कितनी भूमि हम पा सकेंगे और इससे पहले भी यह जानकारी चाही गई थी कि अगर इसको इम्पलीमेन्ट कर दिया जावेगा तो कितनी जमीन हमें प्राप्त होगी भूमिहीनों में बांटने के लिये। तो सरकार इस बारे में अभी तक कोई जवाब नहीं दे सकी है। मैं अब भी यह जानना चाहता हूं। कि यह कानून अगर अभी पास हो जावेगा तो इससे कितनी जमीन हमें प्राप्त होगी इन भूमिहीन किसानों में वितरण के लिये। यह जानना आवश्यक हो जाता है जब सरकार कानून बनाने जा रही है तो इसकी जानकारी करनी चाहिये।

प्रवर समिति में इसलिये भी रखना चाह रहा हूं कि आर्चर्ड के बारे में आप कदम उठाने जा रहे हैं यह कतई प्रोग्रेसिव मेजर नहीं है।

मन्त्री महोदय यहां इस पर अपने विचार रखेंगे कि यह चीफ मिनिस्टरों की कान्फ्रेन्स जो 23 जुलाई को हुई उसमें इन्स्ट्रक्शन्स हैं कि आर्चर्ड बेशक पास हो पर ड्राईलेण्ड मानकर उसका केलकुलेशन होना चाहिये। पर यह तो सरकार और मन्त्री महोदय स्वयं सोच सकते हैं। कभी भी चीफ मिनिस्टरों की कान्फ्रेन्स की और हाई कमाण्ड की भी यह राय नहीं रही कि इसकी आप मेक्सिमम लिमिट तय करें। 54 तो मेक्सिमम लिमिट है। 27 एकड़ से लेकर 54 एकड़ तक। आप 30 एकड़ आरचर्ड के लिये तय कर सकते हैं। अगर 30 एकड़ आरचर्ड के लिये तय करें तो कोई हाई कमाण्ड के अगेन्स्ट में नहीं हो सकता है। जो चीफ मिनिस्टर्स कान्फ्रेन्स में निर्णय लिये हैं, उसके अगेन्स्ट में भी नहीं हुआ है। आरचर्ड जो है वे तो वही लोग रखते हैं जो पूंजीपति है और उनको आरचर्ड के रूप में प्रोटेक्शन देते हैं। 30 एकड़ ही सफिसियन्ट है। पहले जो मेजर लिया है और 71 में जो कानून पास हुआ था उसमें आरचर्ड का विथड्रा हुआ था और काफी विचारविमर्श होकर सलेक्ट कमेटी में रखा गया था। अब हम आरचार्ड को एग्जेम्पशन कर रहे हैं।

मेरा यह निवेदन है सलेक्ट कमेटी इस बारे में सोचे और निर्णय लेवे। कितनी लिमिट होनी चाहिये। मेरा यह सुझाव है इसके बारे में अगर हाई कमान्ड और

(श्री वृद्धिचन्द्र जैन)

चीफ मिनिस्टर्स कान्फ्रेन्स की रिकमन्डेशन को मानें तो 30 एकड़ लिया जाना चाहिये। अब सलेक्ट कमेटी को यह निर्णय करना है ट्रान्सफर्स के बारे में जो निर्णय लिये आपने पहले जो निर्णय लिये थे 25 फरवरी, 1958 को कोई भी ट्रान्सफर्स किये जायेंगे तो इन-वेलिड होंगे। और 25 फरवरी, 1958 से हमने इस प्रकार के ट्रान्सफर्स को।

श्री उपाध्यक्ष : यह सबजेक्ट मेटर है क्या आज? नहीं है।

श्री वृद्धिचन्द जैन : उपाध्यक्ष महोदय यह है। अगर आज सलेक्ट कमेटी बैठेगी तो उनके लिये यह सबजेक्ट होगा। यह कानून प्रवर समिति के लिये रख रहे है तो कौन कौन सी चीज प्रवर समिति के लिये आयेगी, मैं निवेदन कर रहा हूं..

श्री उपाध्यक्ष : आपने संशोधन में रखा है क्या?

श्री वृद्धिचन्द जैन : मैंने रखा है। मैं निवेदन कर रहा हूं मुझे डिस्टर्ब न करें..

श्री उपाध्यक्ष : टर्म्स ऑफ रेफरेन्स जो होते है वह अमेन्डमेंट पर ही तो होते है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : सलेक्ट कमेटी की बहस तक यह मामला लिया जा सकता है। इस अमेन्डमेंट में और अमेन्डमेन्ट आने चाहिये सलेक्ट कमेटी के पहले वाचन तक। सैकिन्ड और थर्ड में नहीं आयेंगे लेकिन फर्स्ट में जरूर आ सकते है।

श्री वृद्धिचन्द जैन : सलेक्ट कमेटी निर्णय करें कि जो ट्रान्सफर्स के बारे में निर्णय लिया था कि 25 फरवरी, 1958 जो ट्रान्सफर्स होंगे उनको रिकोग्नाइज नहीं किया जायगा और 58 में जितने इल-लीगल ट्रान्सफर थे उनको रिकोगनाइज किया और अब क्या आवश्यकता है। ये ट्रान्सफर्स एक बोनाफाइड के नाम से ट्रान्सफर करें। यह सलेक्ट कमेटी के विचार करने की आवश्यकता है। लगातार इल-लीगल ट्रान्सफर्स को प्रोत्साहन देंगे तो हम जमीन कतई प्राप्त नहीं कर सकेंगे सीलिंग की मंशा है जमीन प्राप्त करके लैण्ड लैस पर्सन को देंगे। अब जितने इल-लीगल आरचार्ड है, उनको एग्जेम्पशन दें। इस प्रकार हमारा जो मकसद जमीन प्राप्त करने का है, वह जमीन प्राप्त नहीं कर सकेंगे।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

दूसरा मैं इसके कम्पनसेशन के बारे में कहना चाहता हूं। पहले कम्पनसेशन के बारे में राजस्थान टीनेन्सी एक्ट में प्रोविजन रखा था, वह कम्पनसेशन थर्टी टाइम जो 25 एकड़ के लिये था। 25 एकड़ के बाद में ट्वन्टी टाइम रखा गया था। यह जो इन्स्ट्रक्शनस् हाई कमाण्ड के बारे में या चीफ मिनिस्टर्स के जो इन्स्ट्रक्शनस् है उसके बिलकुल अनुकूल है और अभी जो कम्पनसेशन के बारे में निर्णय लेने जा रहे है उससे बहुत ही ज्यादा कम्पनसेशन देना पड़ेगा। लैण्डलैस पर्सन जिनको जमीन देंगे, गवर्नमेन्ट पर वजन पड़ेगा। इसलिये चीफ मिनिस्टर्स कान्फ्रेन्स में इन्स्ट्रक्शनस् दिये गये थे:—

"Compensation payable for the surplus land on imposition of

(श्री वृद्धिचन्द्र जैन)

ceiling laws should be fixed well below the market value of the property so that it is within the paying capacity of the new allottees mainly comprising the landless agricultural workers and belonging to scheduled castes and scheduled tribes.

The compensation may be fixed in graded slabs and preferably in multiples of land revenue payable for the land."

तो यह जो निर्णय है। पहले राजस्थान टीनेन्सी एक्ट के अन्तर्गत निर्णय लिया था। सीलिंग के बारे में वही निर्णय लेना चाहिये और कम्पनसेशन अधिक देने का प्रयास नहीं करना चाहिये और प्रयास करते है तो हाई कमाण्ड के अगेन्स्ट में है, चीफ मिनिस्टर्स के इन्स्ट्रक्शनस् के अगेन्स्ट है। ये सभी पाइन्टस् सलेक्ट कमेटी कन्सीडर करें और जो विधेयक है सलेक्ट कमेटी के सामने प्रस्तुत किया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : श्री शंकरलाल।

श्री शंकरलाल (पाली) : उपाध्यक्ष महोदय जहां तक इस बिल को, इस एक्ट को संशोधन करने का प्रश्न है, वह हमारे सामने है और उसके अन्दर उद्देश्य और कारणों का विवरण दिया गया है उसमें भूमि हीन व्यक्तियों को जमीन वितरित करने के लिये कृषि भमि अधिक उपलब्ध कराने हेतु यह आवश्यक समझा गया है। मैं, भूमिहीनों के लिये क्यों आवश्यक है, यह निवेदन नहीं करूंगा। संशोधन के ऊपर ही सी मित रहूंगा लेकिन जो संशोधन करने का मकसद है भूमिहीनों को अधिक से अधिक भूमि मिले। उपाध्यक्ष महोदय में यह पुनः कहना चाहूंगा प्रवर समिति को इस बिल को सुपुर्द करने के पूर्व कि भूमिहीनों को जमीने दिलाने के लिये अधिक से अधिक जमीन दिमलेऔर भूमिहीनों की समस्या का हल हो। अब वह सीलिंग कानून के तहत, मगर मोजूदा कानून चाहे दूसरे हो, मेरी दृढ़ मान्यता है बिना भूमि के राष्ट्रीयकरण के भूमिहीनों की समस्या हल नहीं हो सकेगी। इस देश में इस बात को दूर रखते हुये जो संशोधन लाये जा रहे है, इसको प्रवर समिति में सोपने का इसलिये प्रस्ताव रखा है। इसमें तीन मुद्दे उठाये है-पहला हिल्ली ऐरिया में 75 के स्थान पर 54 करना चाहते हैं। इसमें प्रवर समिति क्या करेगी। बिना प्रवर समिति के आप कर सकते है 75 से 54 करें। लेकिन दूसरा प्रश्न एक तो जोन्स का है। पहले कुछ रखा बाद में जोन्स में तब्दीली की। अब वही रखना चाहते है। उपाध्यक्ष महोदय चाहे पहले का हो और चाहे बाद का हो लेकिन जो भी जोन्स बनाये वे जोन्स किसी आधार पर न्याय संगत नहीं है। रेवेन्यू कमीशन की जो रिपोर्ट है और इसके बारे में जो जोन्स बनाये उसके आधार पर जोन्स कानून में रखे हैं लेकिन उपाध्यक्ष महोदय जिस समय रेवेन्यू कमीशन की रिपोर्ट बनी थी-आज से कई वर्ष पूर्व उस समय राज्य की स्थिति और थी। कई जगह कुओं में पानी था, अब नहीं है। कई जगह सूखा था अब वहां बांध बन गये हैं। जमीन की किस्म बदल चुकी हैं। रेवेन्यू कमीशन की जो रिपोर्ट है, आज जमीन के बारे में जोन्स का निर्णय

(श्री शंकरलाल)

करना चाहे तो कतई न्याय संगत नहीं है। मैं अपने इलाके के बारे में निवेदन करना चाहता हूं पाली जिला सेमी फरटाइल जिले में आता है अब आप चाहे इसे फरटाइल में रखे और चाहे डेजर्ट में रखे लेकिन आप देखें पाली जिले की अलग अलग तहसीलों में ही नहीं बल्कि एक तहसील के अन्तर्गत ही अलग अलग किस्म की जमीनें है। सब जगह अलग अलग स्थितियां है।

जवाई बांध में नीचे आई हुई जमीन को और जालोर से लगी हुई घोरों की जमीन को आप एक प्रकार का रूप देना चाहते है। यह कौनसे न्याय के अन्तर्गत है। मैं कहता हूं पाली जिले की रोही तहसील में 54 एकड़ रखना चाहते है तो जवाई बांध में फिर 27 एकड़ ही रखना चाहिये। यह नहीं हो सकता है कि दोनों प्रकार की जमीनों की एक ही किस्म मानी जाय। दोनों प्रकार की सिंचित भूमि को एक जोन में डाल दें, यह न्याय संगत नहीं होगा।

यह गलत है और किसी अदालत में इसको चैलेन्ज किया गया तो मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि इसमें मुझे पूरा सन्देह है कि किसी आधार पर हम नहीं कह सकेंगे कि आपका आधार क्या है। किस आधार से आपने जोन बनाये हैं। कम से कम जो पहले का सीलिंग कानून बनाया था, जिसको सन् 60 में कानून बनाया उसके नीचे रूल्स बनाने के लिए हमको 3 साल लगे। सन् 63 में हमने नियम बनाये और वह इतने विस्तृत बनाये कि एक एक गांव की जमीन को हमने अलग अलग छान बीन की कि इस गांव में इस तरह की जमीन है। कुछ आधार था, उपाध्यक्ष महोदय और उसके अन्दर हम यह नहीं कह सकते चाहे हमने 30 स्टेन्डर्ड एकड़ रखो उसके अन्दर चाहे कम कर दे या ज्यादा कर दे लेकिन एक न्याय संगत आधार था। लेकिन आज कोई आधार नहीं दिखाई देता इसलिए मैंने प्रस्ताव रखा है कि इसे प्रवर समिति को सौंपा जाये और इसके लिए 24 घन्टे का समय मने इसलिए रखा है कि मैं स्वयं चाहता हूं कि इस कानून की बहुत छिछालेदारी हो चुकी है और इस कानून पर सन् 58 से विवेचन करते करते कई साल गुजर चुके हैं और हमें तो उम्मीद नहीं रही कि कितनी जमीन मिलेगी लेकिन कम से कम ऐसा कानून तो बनायें कि जो कि आगे कोर्ट में चैलेन्ज नहीं की जा सके और हम कह सकें कि आगे अब हमें कुछ नहीं करना है। उपाध्यक्ष महोदय, हमारी भाषा में कहते हैं "उतावली दो बार फिरती है"। जल्दी करती है तो फिरके फिर आना पड़ता है। मैंने पहले भी कहा था कि इसे प्रवर समिति के सुपुर्द करो लेकिन उस समय भी मेरी बात नहीं मानी और आज फिर इसको लाना पड़ा। मैं फिर कहना चाहता हूं कि इस कानून में कई खामियां रह जायेंगी और यह जो जोन बने हैं यह किसी आधार पर नहीं है।

(समय–समाप्ति–सूचक घन्टी)

केवल एक बात और कहना चाहूंगा, उपाध्यक्ष महोदय। वह बात कम्पन्सेशन की है।

Page No 76

(श्री शंकरलाल)

उपाध्यक्ष महोदय, हम यह चाहते हैं कि भूमिहीनों को जमीन मिले। यह भी कहा गया है कि जो जमीन सीलिंग से निकलेगी वह भूमिहीनों को दी जायेगी और उसका जो मुआवजा दिया जायेगा वह ऐसा होगा कि राज्य के ऊपर भार नहीं पड़े। इसका मतलब यह है कि इसकी कीमत भूमिहीनों से वसूल की जायेगी। जितना कम्पन्सेशन देना है वह उनसे लिया जायेगा जिनको आप अलॉट कर रहे हैं। तो उस हालत में आपको देखना पड़ेगा कि आपको कम्पन्सेशन देना है या नहीं और देना है तो कितना देना है, उपाध्यक्ष महोदय। आज हमने भारत के संविधान में इसलिए संशोधन किया है कि जो मार्केट रेट के ऊपर कम्पन्सेशन। देने की बात करते थे उसको उचित नहीं माना, पार्लियामेन्ट ने उचित नहीं माना कांग्रेस की नीतियों ने उचित नहीं माना अगर हम बाजार कीमत पर आमुवजा दें तो फिर जमीन देने का क्या तात्पर्य है। फिर तो चाहे बाजार से ही सीधे खरीद लें। इसलिए भूमिहीनों को जमीन देना चाहते हैं तो यह मुआवजे की बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि इतना तो बाण्ड्स में देना पड़े और इतना कैश में तो चाहे बाण्डस में दो या कैश में दो अगर मुआवजा देना है तो नामीनल दिया जाये और वह भी भूमिहीनों से वसूल नहीं किया जाये। अगर आप भूमिहीनों को जमीन देना चाहते हैं तो राज्य सरकार को भार सहना पड़ेगा। आप अपनी मर्जी से मुआवजा दीजिये। हमने जो अमेन्डमेन्ट किया है कान्स्टीट्यूशन में और उसके अनुसार आप मुआवजा दें वह भूमिहीनों से वसूल नहीं करें, इस प्रकार का प्रावधान इसमें होना चाहिए और आप इसके बारे में प्रवर समिति में विचार करें।

यह दो मुद्दे हैं उपाध्यक्ष महोदय, जिनके लिए मैंने प्रस्ताव रखा है कि इसको प्रवर समिति को सौंपा जाये नहीं तो जो हमारा मकसद है सीलिंग लॉ का वह पूरा नहीं होगा।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं केवल पाली जिले के बारे में बात कह रहा था, उसको मैं और कहना चाहता हूं। कई जगह सरकार ने पाली जिले में डी० पी० ए० पी० के अन्दर डेजर्ट मान लिया, कहीं सेमी-फर्टाइल मान लिया। उपाध्यक्ष महोदय, मेरे पास अलग अलग विज्ञप्तियां हैं, 20-3-72 की है उसमें 10 जिलों को रेगिस्तान माना और अब कहते हैं सेमी-डेजर्ट, कभी कहते हैं सेमी-फर्टाइल और कभी फर्टाइल कहते हैं। तो जोन और कम्पन्सेशन की बात है इनके ऊपर आप ठंडे दिल से प्रवर समिति में विचार करें और फिर बाद में इसका आखरी निर्णय कन्सोलीडेटेड एक्ट में लायें जिससे आपको बार बार हाउस में नहीं लाना पड़े और हाउस का समय भी जाया न हो और आखरी तौर पर इसका निर्णय ले सकें।

श्री उपाध्यक्ष : श्री मोहनराज

श्री मोहनराज (बाली) : उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान कृषि जोत पर अधिकतम सीमा अधिरोपण के इस संशोधित बिल पर मैंने यह प्रस्ताव रखा है कि इस बिल को एक प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाये।

Page No 77

(श्री मोहनराज)

आखिर हर बिल का एक उद्देश्य होता है इसी प्रकार जब हम भूमि पर भी अधिकतम सीमा कायम करना चाहते हैं तो उसका भी एक ही उद्देश्य है कि हमारी जो समाजवादी नीतियां है उन समाजवादी नीतियों को कारगर तरीके से असली जामा पहना सके तब मैं सोचता हूं कि अगर चन्द लोगों के हाथ में उत्पादन के जो साधन है वह है और जिससे पूंजी एकत्रित होती है उसको हम अगर गरीब और पिछड़े वर्ग में बांटने में सहायक हों तो एक ऐसा मार्ग प्रशस्त होगा जिससे सचमुच में समाजवादी समाज की स्थापना हो सकेगी। तो हमें यह जांचना है कि यह जो बिल संशोधित रूप में ला रहे हैं उससे हमारे उस उद्देश्य की पूर्ति होती है या नहीं और उपाध्यक्ष महोदय, मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि हमारे महान उद्देश्यों की पूर्ति इससे नहीं होती है, हमारी घोषणाओं की उपलब्धि संशोधित बिल से नहीं होती और फिर हमारे सामने वही नजारा पेश होता है कि बहुत जोरों से नारा लगाते हुए हम ऐसे कानून बनाते हैं और फिर उसमें बार बार संशोधन करते हैं और आखिर में हम उसको कभी भी लागू नहीं कर पाते हैं। यहां राजस्थान विधान सभा के पूरे 20--21 साल के इतिहास में यही एक ऐसा बिल है, यही एक ऐसा कानून है कि जिसको हमने बड़े शोर के साथ, बड़ डन्के की चोट के साथ पास किया और बिना लागू किये हर दूसरे और तीसरे वर्ष इसमें हम संशोधन करते गये और एक रेकर्ड कायम कर लिया संशोधन करने का और आज भी उसी स्थिति में है कि जिस रूप में हम इसको ला रहे हैं यह वास्तव में लागू किया जा सकेगा या नहीं। मेरे पूर्व वक्ताओं ने काफी बातें कहीं है और मैं उन सारे तर्क को वापिस दोहराना नहीं चाहता .... ..

श्री उपाध्यक्ष : अभी लागू नहीं हुआ ?

श्री मोहनराज : सीलिंग का कानून जो पास किया है.... ..

श्री उपाध्यक्ष : यह कानून ही लागू नहीं हुआ है क्या ?

श्री मोहनराज : कानून तो पास कर लिया, लागू करने की घोषणा जरूरी कर दी गयी लेकिन वह पूरी तरह से लागू हो करके असली रूप इसका हो गया होता तो इसकी आवश्यकता ही नहीं होती लेकिन हमारा वह मकसद पूरा नहीं हो पाया। तो मैं यह कह रहा था कि जो हमने घोषणायें की है कांग्रेस को उसके अनुसार तो यह संशोधित बिल नहीं है लेकिन इसी बिल के मुताल्लिक जिस आर्डीनेन्स के आधार पर यह बिल लाया जा रहा है इस विधान सभा में गत सत्र में हमारे मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की थी कि इस बिल को वापिस विथड्रा करते हुए....

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : कोरम नहीं है हाउस में।

(गणाभाव-सूचक घंटी)

(गणपूर्ति के पश्चात्)

श्री रामानन्द अग्रवाल : 144 होने पर भी कोरम नहीं रख सकते।

श्री मोहनराज : तो, उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन कर रहा था कि हमारे मुख्य

(श्री मोहनराज)

मंत्रीजी ने इसी विधान सभा में गत 25 मई, 1972 को इस सीलिंग बिल को विड्रो करते हुए जिन मुद्दों पर प्रकाश डाला था और जिन कमियों की ओर सदन का ध्यान आकर्षित किया था और इस बिल में फिर संशोधित रूप में आने पर भी इन कमियों को पूरा करने की कोशिश नहीं की गई है। मैं इन मुद्दों पर, उपाध्यक्ष महोदय, आपकी मार्फत सदन के माननीय सदस्यों का ध्यान दिलाना चाहूंगा। मुख्य मंत्रीजी ने उसी दिन बहस में भाग लेते हुए कहा था :–

"इसी के साथ राज्य सरकार ने यह भी तय किया है कि जहां तक इस बिल का सम्बन्ध है उसके अन्दर किसान की डेफीनिशन ऐसी होनी चाहिए कि दूसरे लोग उसका फायदा नहीं उठा सकें और इसके ऊपर जो विभाग राजस्थान गवर्नमेंट का चल रहा है वह यह है कि जिसका कोई परमानेन्ट ओक्यूपेशन दूसरा हो सिवाय खेती के, वह जमीन का मालिक नहीं रह सकता। मिसाल के तौर पर अगर कोई वकील है उसका दूसरा ओक्यूपेशन है वह जमीन पर काबिज नहीं रह सकता। कोई गवर्नमेंट सर्वेंट है, सेठ है, साहूकार है, ज्वेलर्स है, जवाहिरात का काम करते हैं और दूसरा धन्धा करते हैं। कोई परमानेन्ट ओक्यूपेशन दूसरा है तो फिर वह काश्तकार नहीं रह सकता।

मेरा ख्याल है कि यह बड़ी महत्वपूर्ण घोषणा की थी हमारे मुख्य मंत्री ने और उन्होंने इस बिल को विड्रो करते हुए इसीलिए इस सदन में घोषणा की थी कि जब हम नया संशोधित बिल लायें तो उसमें इन सबका प्रावधान होगा, इन सब बातों का ध्यान रखा जाएगा।

दूसरी चीज जो उन्होंने हमारे सामने रखी थी वह यह थी कि जो बेनामी ट्रांजिक्शन्स हुए हैं उनको हम कवर करना चाहते हैं। जो बेनामी हो गए हैं उनको भी इस संशोधित बिल के अन्दर इस तरह का हवाला देना चाहते हैं कि जिससे नाजायज फायदा जिन लोगों ने उठाया है वह नहीं उठा पायें। क्योंकि उन्होंने यह कहा था:—

"फायदा मिलता है तो किसान को मिले और यदि फायदा नहीं मिलता है तो किसी को भी नहीं मिले।" साथ ही उन्होंने यह भी घोषणा की कि जो :—

"जो जमीन को जोतने वाला है उसी को हम मालिक बनाना चाहते हैं और जो दूसरों के जरिये अपना काम करवाते हैं खेती करवाते हैं और जिनका धन्धा नहीं है खेती का, वह नाजायज फायदा उठाना चाहते हैं उसको तो पूरा सदन मानेगा कि उसको यह फायदा नहीं देना चाहिए।"

मेरा ख्याल है कि यह महत्वपूर्ण बात है जिसका इस संशोधित बिल के अन्दर कोई भी हवाला नजर नहीं आता। यह भी उन्होंने कहा था कि –

"हमने इसलिए यह राइट्स थोड़े ही दिये थे कि कोई को-ऑपरेटिव बनायेंगे, लखपति कोई को–आपरेटिव बनायेंगे, करोड़पति कोई को-ऑपरेटिव बनायेंगे, गवर्नमेंट सर्वेन्ट्स जमीन लेंगे डोक्टर्स और इंजीनियर्स जमीन लेंगे। लेकिन कानून का जब उन्होंने नाजायज फायदा उठाया तो हमें भी मजबूर होना पड़ा और हम करेंगे और इस तरीके से करेंगे कि यह लोग जो जमीन के ऊपर नाजायज तरीके से अपने क्लैक को व्हाइट करना चाहते हैं, नाजायज

(श्री मोहनराज)
तरीके से जमीन की होल्डिंग को एक स्टेटस सिम्बल बना लिया है हम इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे।

मैं समझता हूं कि मुख्य मंत्रीजी ने कांग्रेस के घोषणा-पत्र को ध्यान में रखते हुए और साफ शब्दों में इस सदन के सामने अपनी बात पेश की थी और इस इरादे से की थी कि हम इस बिल को विड्रो करेंगे और नए संशोधित रूप में लायेंगे जिसमें इन सब समस्याओं का समाधान होगा।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके ध्यान में बहुत नम्रतापूर्वक यह बात लाना चाहता हूं कि ये चीजें हमारे इस संशोधित बिल के अन्दर कहीं भी दृष्टिगोचर नहीं होती। जब तक ये मूलभूत बातें नहीं आती हैं तब तक हम जिन लोगों के खातिर इस बिल को पास करना चाहते हैं और जो यह चाहते हैं कि जिनके पास जमीन नहीं है और जो आज न नौकरियां करते हैं और न कोई दूसरा धन्धा करते हैं उनको यह जमीन मिले। उनके खातिर यह बिल पास करना चाहते हैं और हम उस उद्देश्य में इसको पास करने के बावजूद अगर सफल न हों तो हमारा प्रयास सारा का सारा विफल जाएगा।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

मैं निवेदन करना चाहूंगा, उपाध्यक्ष महोदय, कि इन बिल के अन्दर जो जो कमियां रह गई हैं उनको हटाए बिना अगर यह बिल पास किया जाता है तो यह निरर्थक है और इसलिए इसको सलेक्ट कमेटी को सुपुर्द किया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : श्री योगेन्द्रनाथ हांडा।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (सूरतगढ़) : उपाध्यक्ष महोदय, यह बिल प्रेसीडेन्ट से तीन संशोधनों सहित सदन को वापस किया गया है और आज यह सदन में प्रस्तुत किया गया है। वह तीनों संशोधन जिनमें मुख्य यह है कि जो हिली एरिया है और जिसमें 75 एकड़ रखा गया था उसको वापिस 54 एकड़ कर दिया गया है। दूसरा कुछ तहसीलें जिनमें सेमी-डेजर्ट और डेजर्ट एरिया है उसको स्टेट कर दिया गया है। तीसरा संशोधन यह है कि कम्पन्सेशन जो केश में देने की बात थी वह बोंड में भी दिया जा सकता है। ये तीनों के तीनों संशोधन जो भारत सरकार ने सजेस्ट किए हैं काबिले स्वागत है। मैं और मेरी पार्टी इन तीनों संशोधनों का स्वागत करते हैं।

वैसे तो जो लिस्ट डेजर्ट और सेमी-डेजर्ट की बनाई गई है, उपाध्यक्ष महोदय, वह काफी गलत लिस्ट है और उस लिस्ट में मूलभूत संशोधन होना चाहिए और इसलिए इस चीज को मैं सदन में प्रस्तुत करना चाहूंगा। जैसे कि गंगानगर जिले को लेता हूं जो कि सारे भारतवर्ष में भू-पतियों का दूसरा अड्डा है। सारे भारतवर्ष में अगर कोई अड्डा हो सकता है कि पहला नम्बर फिरोजपुर और दूसरा नम्बर गंगानगर का है। और अगर सारे राजस्थान में कहीं धरती की आशा हो सकती है तो और अच्छी धरती की आशा हो सकती है तो वह गंगानगर जिले में ही हो सकती है। लेकिन जिस प्रकार से केटेगरीज आपने जिलों की

(श्री योगेन्द्र नाथ हांडा)
बनाई गई है, गंगानगर की दो तहसीलें हनुमानगढ़ और सूरतगढ़ उनको सेमी-डेजर्ट में रख दिया बाकी सारी तहसीलें डेजर्ट में डाल दी। अनूपगढ़ और सूरतगढ़ को यहां लास्ट में रखा है और गंगानगर का जो पोरशन राजस्थान नहर के तहत आता है उसमें सीलिंग कानून लागू नहीं होता। अब मैं जानना चाहूंगा माननीय रेवेन्यू मिनिस्टर साहब से कि क्या हनुमानगढ़ डेजर्ट तहसील है, सेमी-डेजर्ट तहसील है जिसमें कि घग्घर का पानी लगता है। आज हनुमानगढ़ तहसील के एक एक बीघे की कीमत दस हजार और पन्द्रह हजार तक हो गई है। वहां पर घग्घर का पानी लगता है, भाखरा प्रोजेक्ट का पानी लगता है और ट्यूब वेल हैं। सब सायल वाटर इतना अबण्डन है कि ट्यूबवेल सारे गंगानगर जिले में सफलता से कामयाबी से चल रहे हैं तो वे हनुमानगढ़ तहसील में कामयाब हैं जिसको कि सेमी डेजर्ट कहा गया है। जहां पर चार चार फसलें बड़ी आसानी से होती हैं। जिसके पास दस बीघा जमीन है गंगानगर में वह राजस्थान के किसी भी क्षेत्र से जिसके पास दो सौ, पांच सौ बीघा जमीन है उससे मकाबला करता है। जांच बैठा लीजिये। जिसके पास गंगानगर में 25 बीघा जमीन है उसका बैंक बेलेन्स देख लीजिए उपाध्यक्ष महोदय, कितना है। मुझे बड़ा ताज्जुब है कि हनुमानगढ़ तहसील को डेजर्ट में लिया है। मैं चैलेन्ज के साथ कहता हूं कि आज चाहे 15 एम एच चक को देखिए या 75 म एफ टो चक को देख लीजिए, आज वहां पर 15 हजार रुपये में भी वहां का जमींदार उस जमीन को देने को तैयार नहीं है।

श्री रामचन्द्र चौधरी (सिंचाई मंत्री) : आप खरीदेंगे।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : मैं तो फक्कड़ आदमी लंगोट वाला, मैं कहां से जुटा पाऊंगा।

श्री राजेन्द्रसिंह : आपके पास तो पहले से ही है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : वह तो ठिकाने लगा दी। थोड़ी सी कुछ लोगों के कफन के लिए बचा कर रखी है।

तो उपाध्यक्ष महोदय, मैं अर्ज करूं कि सूरतगढ़ और अनूपगढ़ तहसीलों को आपने रखा है और जिसको आपने डेजर्ट या सेमी-डेजर्ट रखा है। अनूपगढ़ डेजर्ट जोन में है जहां पर कि नाली जो सारी की सारी घग्घर बेंड कहलाती है वह हनुमानगढ़ क्षेत्र, सूरतगढ़ तहसील और अनूपगढ़ तहसील को कवर करती है और एक काफी बड़ा क्षेत्र अनूपगढ़ क्षेत्र का रेगिस्तान जिसे कहा है जिसमें गंग नहर और घग्घर का पानी लगता है वह सारा का सारा डेजर्ट है। उपाध्यक्ष महोदय, यह इसकी केटेगरीज हैं और पूरी राजस्थान नहर, उसमें सीलिंग लागू नहीं। राजदादी जोधपुर पांच हजार एकड़ जमीन औरझण्डा लगा कर वह राजदादी कल्टीजरीवेट करती है। वहां सीलिंग लागू करने का प्रश्न नहीं है। खुद एडवाईजरी कमेटी की मीटिंग में माननीय मंत्री महोदय ने महसूस किया था, उनके अधिकारी भी कहते हैं कि अगर आप राजस्थान केनाल क्षेत्र में सीलिंग लागू कर दें तो यह हाई कोर्ट के अन्दर जो खातेदारी के हजारों केसेज हैं वे हल हो जायं और यह जमीन

(श्री योगेन्द्र नाथ हांडा)

उपलब्ध हो सके। बांगड साहब जिनको देश के 75 पूंजिपतियों में विशेष स्थान प्राप्त है। पांच हजार एकड़ जमीन बांगड़ साहब कहां पर दबा कर बठ गये हैं मालपानी हिन्दुस्तान के दो सो परिवारों में से एक है, जो कि एक करोड़पति सेठ है। उनके हल के नीचे पांच हजार बीघा जमीन है और राजस्थान सरकार हाईकोर्ट के दरवाजे खटखटा रही है। राजस्थान का कौनसा ऐसा ऊंचा आदमी बचा है जिसने कि खातेदारी के नाम से जमीन नहीं ली है। मौजूदा आई०जी०साहब हो, चाहे चीफ सेक्रटरी साहब हो, रूपसिंह महाशय हो, चाहे और कोई महाशय हो, इनकी अनाप शनाप लिस्ट है, और राजस्थान कैनाल क्षेत्र के अन्दर इन्होंने काश्त की जमीन ली है। जोगेन्द्रसिंह कमान्डिग आफिसर है उनकी 27 मुरब्बा जमीन है और कुल मिला कर आज हजारों बीघा धरती ऐसी है जो राजस्थान कैनाल क्षेत्र की इस प्रकार की जमीन को भूमि पतियों ने और बड़े बड़े अधिकारियों ने और सेठों ने अपने चुगलमें दबा रखी है। क्या वहां पर सिलिग कानून लागू करने का प्रश्न नहीं है। बीकानेर क्षेत्र में वहां के बड़े बड़े जागीरदार जमीनों के मालिक हैं। ठाकुर साहब खींवसर ने 250 बीघा जमीन का सौदा किया है। 250 बीघा जमीन खरीदी है। राजा महाराजा हैं, मंसवाड़ा साहब को लीजिए, पुराने जितने भी एक्स जागीरदार हैं उनके पास बड़े बड़े भू-खंड हैं। सारे राजस्थान कैनाल की 11 तहसीलों के अन्दर यह जमीन इनके पास है और वहां पर आज तक सीलिग कानून लागू नहीं हुआ है। यह सीलिग कानून नहीं यह तो एक मजाक बन गया है। यह घोषणा की गई थी गंगानगर क्षेत्र से 2 लाख 57 हजार एकड़ जमीन इस सीलिग कानून से निकलने वाली है। आल इंडिया कांग्रेस का यह डाइरेक्टिव था कि फी परिवार के पास 18 एकड़ से अधिक जमीन एकसीड नहीं होना चाहिए। चाहे कितना ही बड़ा परिवार हो-दस एकड़ को न्यूनतम सीमा रखी गयी थी। वह डाइरेक्टिव सारा का सारा खत्म हो गया है। यह 2 लाख 57 हजार एकड़ जमीन आज तक नहीं निकल पायी है। सुखाडियाजी ने सन् 71 में यह कानून पास किया। बारह हजार दरख्वास्तें थीं उसमें 8 हजार दरख्वास्तें हो रहीं। यह सारी जो 8 हजार दरख्वास्त थीं उनको एस० डी० एम० ने ही निकाली। उस समय तीस एकड़ का ही कानून था और आज गंगानगर को डेजर्ट और सेमी-डेजर्ट बताया गया है जबकि गंगानगर में लहलहाते हुए बाग हैं। 54 एकड़ तक में ये बाग रह सकगे। तब सिलिग कानून का इससे बड़ा मजाक और क्या हो सकता है। गंगानगर का माल्टा भारतवर्ष में एक अपना स्थान रखता है आज वहां पर एक मुरब्बा माल्टे के 80 हजार रुपये मिलते हैं महाराजा करणीसिंह एक मुरब्बे माल्टे के इतने रुपये लेते हैं। रायपुर के माल्टे का बाग है। मैं चेलेन्ज के साथ कहता हूं कि इसकी ऑक्शन की रेट आप उठा कर के देख लीजिए एक लाख रुपया पच्चीस बीघे के बाग का मिलता है। यह माल्टा के बाग से आमदनी है। आज वहां पर पानी की कितनी बड़ी सहूलियत है। गंग, भाखरा का पानी वहां पर उपलब्ध है और इन बागों के लिए चार गुना पानी दिया जाता है। पांच घंटे की बारी होती है तो उस उस बाग को 20

Page No 82

(श्री योगेन्द्र नाथ हांडा)

घंटे पानी मिलता है और पानी की इन्टेन्सीटी भी चार सौ गुना ज्यादा हो जाती है। मैं इन्टेंसीटी के बारे में बताऊं तो यह इन्टेन्सीटी चार सौ गुना हो जाती है और पांच घंटे के बजाय उस बाग को 20 घंटे पानी मिलता है तो 25 बीघे के बाग को एक लाख रुपये की आमदनी होती है याने 4000 रुपया एक बीघे पर आमदनी हो रही है। तो ऐसी धरती को यह सरकार 54 एकड़ तक करने जा रही है। उपाध्यक्ष महोदय, वैसे यह सिलिंग कानून नहीं है यह सीलिंग कानून महज एक कानून है और फिर इसके अन्दर सारे ले सारे रिश्तेदारों को छोड़ दीजिए, दूसरे लोगों को छोड़ दीजिए तो उसके बाद क्या बच रहता है और फिर बाग लगाने के सिलसिले को ले लीजिए बाग लगान के लिए भी आप इतनी जमीन छोड़ देते हैं तो कोई प्रश्न नहीं आता है कि वहां से आपको कोई जमीन मिल सके। म्यूचिरिटी आफ लैन्ड कितनी है और कितनी नहीं है, यह नहीं होकर यह देखा जाएगा कि वहां पर हरा होना चाहिएं। जमीन के बाहर, ऊपर प्लांटेशन होना चाहिए और इस तरह वहां पर कोई सिलिंग नहीं होगी जब तक यह प्लान्टेशन की बात है, गंगानगर के अन्दर इससे आज यह हालत हो गई है कि जहां माल्टा और सन्तरे के पेड़ आठ आठ आने में बिकते थे, वहां पर आज इसकी कीमत बीस रुपया तक हो गई हैं। नीम्बू के बीज इस तरह से बोए जा रहे हैं जिस तरह कि गेहूं को बोया जाता है। बस नीम्बू और नारंगी के पेड़ लगा दीजिए इस कानून के मुताबिक वहां पर वह बाग हो जाएगा। नीम्बू के 49 और माल्टा के 67 तक पेड़ रहने दीजिए और बाकी को उखाड़ कर फेंक दीजिए, वह बाग मान लिया जायगा। सीलिंग की सीमा 54 एकड़ तक चली गयी है। मैं भारत सरकार के इस सिद्धांत को मानने के लिए तैयार हूं कि पांच सदस्यों का एक परिवार माना जाए। एक बालक अगर वह विवाहित है तो उसका परिवार अलग से माना जाएगा और उसके पश्चात् उसको, उसके परिवार के लिए 54 एकड़ की यह बाग के लिए छूट दी गयी है। यह अन-लिमिटेड पीरियड तक है। इसमें मैच्युरिटी आफ लैन्ड का सवाल नहीं है। वहां पर हरा होना चाहिए। इस तरह से आप बाग को लगाते रहेंगे। आज गंगानगर के लोग चौधरी साहब का गुणगान कर रहे हैं। लोग सिलिंग कानून से थोड़े चिन्तित हो गए थे, अब उनकी वह चिंता समाप्त हो गई है। अब गंगानगर के लोग निश्चिन्त होकर आराम की नींद सो रहे हैं। उन्हें यह विश्वास हो गया है कि कोई उनकी एक बीघा जमीन भी लेने वाला नहीं है। यह वही क्षेत्र था जहां से आपको जमीन मिलने वाली थी। राजस्थान के लोगों को भूमि मिलने वाली है। उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान नहर क्षेत्र की 90 प्रतिशत भूमि सरकारी है और इस धरती का बहुत बड़ा भाग पुराने जागीरदारों ने अपने खातेदारी हकूक साबित कर रहे हैं। खातेदारी हकूक साबीत करने के लिए वे राजस्थान हाईकोर्ट के दरवाजे खटखटा रहे हैं। झूठा, सच्चा, पुराना जाली रिकार्ड तैयार किया जा रहा है और इस रिकार्ड्स के ऊपर वे कब्जा करने की तैयारी कर रहे हैं। जैसलमेर का क्षेत्र हो, चाहे बीकानेर का क्षेत्र हो और चाहे गंगानगर का क्षेत्र हो, सारा का सारा पुराना रिकार्ड तैयार

(श्री योगेन्द्र नाथ हाण्डा)

किया जा रहा है और कोई दो हजार का मालिक बन रहा है और कोई एक हजार बीघा का मालिक बन रहा है। होना तो यह चाहिए था कि इसके लिए कोई सख्त आर्डिनेन्स आता और इस प्रकार के सारे केसेज को जिसको मैंने अनेक बार, बारम्बार एडवाइजरी मीटिंग में कहा है, सैद्धांतिक रूप से उठाया है, उसके लिए एक सख्त आर्डिनेन्स लाया जाकर और उसके जरिए जो लोग हाई कोर्ट के दरवाजे खटखटा रहे हैं, इन केसेज को बंद कर दिया जाता और दूसरी तरफ सिलिंग कानून को सख्ती के साथ लागू करके राजस्थान कैनाल एरिया को मुक्त कराया जाता और फिर इस धरती को राजस्थान के लोगों को, भूमिहीनों को, राजस्थान के हरिजनों को, राजस्थान के आदिवासियों के बीच में बांटा जाता।

उपाध्यक्ष महोदय, इसके अतिरिक्त पेनल्टी क्लाज के सम्बन्ध में भी निवेदन करना चाहता हूं। पेनल्टी क्लाज को रखना आवश्यक था? अभी एक माननीय सदस्य यह कह रहे थे कि इस पेनल्टी क्लाज को समाप्त किया जाए। यह पेनल्टी क्लाज ऐसा क्लाज था, जिसको सारे बिल के अन्दर कुछ कह सकते थे कि यह पोजिटिव था। जिस किसी ने गलत रजिस्ट्रियां करायी हैं, गलत डिस्ट्रीब्यूशन कराया है, टाइम पर जमीन को सरन्डर नहीं किया है, सारा अकाउन्ट सरन्डर नहीं किया तो उपाध्यक्ष महोदय, जिस तरह से अरबन प्रोपर्टी के अन्दर पेनल्टी का प्राविजन है वैसे ही प्राविजन सिलिंग बिल के अन्दर होना चाहिए था। इस पेनल्टी क्लाज को नॉन-बेलेबल, नॉन कम्पान्डेबल और कोगनिजिबल बनाकर इस कानून के अन्दर रखा जाना चाहिए था। फिर क्या इन जमीन के कानून के जरिये विचार होगा। मैंने 70 के कानून की मिसाल आपके सामने पेश की। जब 30 एकड़ लेंड का सीलिंग था, और उस समय साबित भी हो गया। कानून के अन्दर बड़ा स्पष्ट था और यह कल्पना करके चल रहे थे, और यह घोषणा भी की थी कि 2,95,000 बीघा धरती निकलेगी, लेकिन 150 बीघा धरती निकली। ऐसा क्यों हुआ? उपाध्यक्ष महोदय, इस कानून से धरती नहीं निकलने वाली है। धरती निकालने के लिए इस प्रकार की एजेन्सी जिसमें गांव के अन्दर कमेटी बने, पंचायत लेवल पर कमेटी बने, तहसील लेवल पर कमेटी बने और उनमें खेतों के मजदूर, और खेती के अन्दर काम करने वाले मेहनतकश को लेने की जरूरत है, और उनके प्रतिनिधियों की कमेटी बनाकर जमीन को बड़े बड़े भूपतियों से मुक्त कराने की आवश्यकता थी। लेकिन ऐसा कोई प्रावधान इस सारे के सारे बिल के अन्दर नहीं है जिसके जरिये उस एजेन्सी का प्रयोग लेकर धरती को मुक्त कराया जाय।

(समय समाप्ति-सूचक घंटी)

मैं अधिक समय नहीं लेते हुए अन्त में यह कहूंगा कि यह कानून भूपतियों को संरक्षण देने के लिए बनाया गया है, लेकिन खेतों के अन्दर काम करने वाले मजदूर सो नहीं रहे हैं जागते हुए हैं और यदि राजस्थान सरकार भूपतियों से धरती मुक्त कराके खेती पर काम करने वाले मजदूरों को नहीं देती है तो वह दिन दूर नहीं है जबकि बड़े बड़े भूपतियों के फार्म पर वह कब्जा कर लेंगे चाहे गंग कैनाल, राजस्थान कैनाल और भाखरा कैनाल ये तीनों नहरें खून से लाल हो जायं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री केशरीमल ।

श्री केशरीमल : मैं अपना समय नहीं लेना चाहता ।

श्री उपाध्यक्ष : श्री विजयसिंह ।

श्री विजयसिंह राठौड़ (मांडल) : माननीय उपाध्यक्ष, मेरा प्रस्ताव इस संशोधन विधेयक को प्रवर समिति को सौंपने का है। पहले भी जिस वक्त यह कानून आर्डिनेन्स के फार्म में से होकर एक विधेयक के रूप में सदन के अन्दर आया उस वक्त भी इसको प्रवर समिति में सौंप दिया जाता तो आज यह फिर कर दुबारा इसी सत्र के अन्दर सदन के अन्दर नहीं आता और इसको लाने की जरूरत नहीं पड़ती। माननीय उपाध्यक्ष, सबसे पहली और बड़ी चीज तो यह है कि अगर प्रवर समिति को सौंपा होता तो कम से कम जो चीफ मिनिस्टर्स की कान्फ्रेंस 23 जुलाई को हुई थी उसको ध्यान में रखते हुए और सारे प्रोज एण्ड कान्स को देकर कि किस तरह की जमीन है और कितनी ऊपज है यह सब सोचकर और कानून का अच्छा मस्विदा तैयार करके सदन में पेश करते तो आज यह नौबत पेश नहीं आती। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि लास्ट टाइम इसी सत्र के अन्दर सदन में पेश हुआ उस दिन इस कानून के ऊपर जितनी बहस लाबिज में हुई आज तक किसी चीज पर नहीं हुई। जितना सदन के अन्दर विचार नहीं किया गया उतना लाबिज में किया गया। विरोधी दल के नेता डूंगरपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने जिस प्रकार के शब्द कहते हैं उन्हीं शब्दों को दोहराते हुए मैं कहूंगा कि 'आपा-धापी' के अन्दर इस कानून को यहां पर पेश किया गया है। मैं निवेदन करूंगा कि कई ऐसे जोन बिना सोचे-समझे बना डाले। जो फर्टाइल और सेमी-फर्टाइल रेवेन्यू रेकार्ड में दर्ज थे उनको सेमी-फर्टाइल और सेमी-डेजर्ट कर दिया गया। उस दिन यहां पर कई चीजों में तब्दीलियां की गई और उन पर विस्तार से विचार करने का मौका नहीं दिया गया। यह एक ऐसी घटना हुई है जो कि शोभनीय नहीं है। एक ही चीज को एक ही सत्र में सदन में बराबर लाने की घटना अवांछनीय है माननीय उपाध्यक्ष, उसके अन्दर जो क्वान्टम रखा है मुआवजे का वह इतना ज्यादा है कि वह आदमी उसको बरदाश्त नहीं कर पायेगा जिस आदमी को वह जमीन मिलने वाली है। जमीन आप देना चाहते हैं भी भूमिहीनों को, गरीबों को जिनके पास कुछ नहीं है, और एलॉटमेंट का मतलब यह होता है कि आप उन लोगों को भूपति बनायें जिनके पास कुछ नहीं है, ये लेबरर्स हैं, शेडयूल्ड कास्ट और शेडयूल्ड ट्राइब्स के लोग हैं, एक तरफ तो यह विचार रखते हैं और दूसरी तरफ यह विचार रखते हों कि इतनी कास्ट रखना चाहिए तो क्या वह भूमिहीन वह जमीन ले सकेगा ? क्या वह जमीन उसको मिल जायगी ? आपने जो यह विधेयक रखा है वह इसीलिए रखा है कि उन लोगों को जमीन मिले, और इसीलिए सीलिंग लाये हैं। यह समाजवाद की नीति के अनुसार है और यह होना चाहिए, लेकिन समाजवाद की नीति के अनुसार जिसको मिलना चाहिए उसको अगर इस कानून से नहीं मिले तो इसका विरोध करना बहुत आवश्यक है, नितान्त आवश्यक है। हम एक तरफ तो बात करते हैं समाजवाद की। जब भी कोई कानून की बात करते

(श्री विजयसिंह राठौड़)

है, तो समाजवाद की बात करते हैं, लेकिन जब कानून सदन के अन्दर आता है तो हमारे लोग इतने सेल्फ-सेन्टर्ड हो जाते हैं कि समाजवाद को भुलाकर अपनी बात सोचने लगते हैं अगर समाजवाद में आस्था रखते हैं तो सब जगह रखना चाहिए। कोई भी कानून आये उसमें गरीब का फायदा होने वाली बात होती है तो वहां पर अपनी बात पहले करते हैं और गरीब के फायदे री बात बाद में करते हैं। माननीय उपाध्यक्ष, हम वोट लेकर आये हैं तो यह कह कर आये हैं कि हम समाजवाद के अन्दर आस्था रखते हैं, हम कांग्रेस की नीतियों का प्रतिपादन करने के लिए सदन के अन्दर जायेंगे, लेकिन इस कानून के अन्दर जब यह आर्डिनेन्स के रूप में आया था उस वक्त भी और उसके बाद में जब यह कानून के रूप में आया कानून बनने के लिए उस वक्त भी जो संशोधन आये वह मैं समझता हूं वह हमारी सारी भावनाओं और उन भावनाओं के विपरीत है जो कि जनता ने हमारी मारफत यहां पर उनकी अभिव्यक्ति करने के लिए एक मेन्डेट दिया था। माननीय उपाध्यक्ष, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस बात के कई उदाहरण हैं कि कानून बनाते वक्त जनता की, उन भावनाओं की अभिव्यक्ति हम इस सदन के अन्दर करते हैं जिनकी जनता हमसे अपेक्षा करती है। इस कानून के अन्दर वह कतई नहीं बरती गई है। इसमें एक-एक चीज को लेना चाहे तो एक एक सेक्शन के ऊपर एक एक दण्ड के ऊपर इस सदन में बहस की जा सकती है, लेकिन समय कम है।

मैं मोटी मोटी बातें निवेदन करना चाहता हूं कि जिस तरह से मेरे से पहले भी माननीय सदस्यों ने एक दो ने कहा है कि अनूपगढ़ और सूरतगढ़ जैसी तहसीलों को डेजर्ट में रख दिया। यह वास्तव में बड़े ताज्जुब जैसी बात है। मैंने स्वयं ने वह इलाका देखा है। जो जमीन सोना उगलती है उस जमीन को डेजर्ट में रख दिया और वहां पर बसे हुए लोगों को इस कानून के जरिये इस तरह से लाभ पहुंचाया है··

श्री केदारनाथ : वह इरिगेटेड लैण्ड नहीं है, अनइरिगेटेड लैण्ड है।

श्री विजयसिंह : जहां चार-चार फसलें होती हैं, मेरे से पहले बोलने वाले माननीय सदस्य ने खास तौर से कहा है उसको कानून के जरिये से बचाने के लिए···

श्री गुरदयालसिंह सन्धु : नाली इरिगेटेड है।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : ट्रिपल इरिगेटेड है। तीन तरीकों से इरिगेटेड हैं। एक तो नाली, फ्लड, ट्यूबवैल्स और भाखरा, गंग कैनाल प्रोजेक्ट से इरिगेटेड है।

श्री विजयसिंह : माननीय उपाध्यक्ष,··

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : एक-एक हजार बीघे के धोरे पड़े हैं··

श्री विजयसिंह : और हमारे यहां के पहाड़ी जिलों को, ब्यावर जिले को, उदयपुर जिले को उपजाऊ बताया है जहां कि लोग भूखों मर रहे हैं। उन जिलों को आप कहते हैं उपजाऊ। माननीय उपाध्यक्ष, जहां की जमीन सोना उगलती है और तीन तीन प्रकार से पिलाई होती है, जहां पर बाहर से पानी लाकर जमीन को सिंचित कर रहे हैं, नहरों से पानी मिल रहा है, यह सारा होते हुए भी उसको डेजर्ट के अन्दर रखा है। यह समझ में नहीं आता है। अब इस संशोधन के अन्दर हम वह बातें करते जा रहे हैं और उन्हीं चीजों को इसी लिफाफे में रखने जा रहे हैं। कोई प्रोग्रेसिव कानून

(श्री विजयसिंह राठौड़)

आप लाये हों मैं नहीं समझता। माननीय राजस्व मंत्रीजी कोई प्रोग्रेसिव कानून जो हमारी नीति के अनुकूल हो ऐसा कोई कानून मैं समझा हूं यह नहीं है। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह कानून निश्चितरूप से प्रवर समिति को सौंपा जाना चाहिए। आपा-धापी और हड़बड़ाहट के अन्दर चन्द लोग चाहें उनकी भावनाओं के अन्दर बहकर इस कानून को पास नहीं किया जाना चाहिए। इसलिए इस कानून को प्रवर समिति को सौंप कर आप चाहे एक हफ्ता दें, दो हफ्ते दें उसमें अच्छी तरह से विचार करके सारी जमीनों की जांच करके कि कहां पर किस तरह की जमीन है वह पर्याप्त मात्रा के लिए एक फेमिली के लिए कितनी हो सकती है उसके आधार पर करें तो उसका फायदा मिलने वाला है।

दूसरा निवेदन मैं और करना चाहता हूं, एक बडी बात यह है कि कम से कम जो जमीन इनसे ले रहे हैं, उसके मुआवजे के अन्दर थोड़ी कमी करके जह जमीन गरीबों को देनी चाहिए थी। लेकिन उसका मुआवजा भी मार्केट वेल्यू से कई गुना दे रहे हैं, मार्केट वेल्यू के साथ साथ उसका कुछ मल्टीपल है, मेरा निवेदन है कि जो लगान है, उसका मल्टीपल करके, गुणा करके जमीन का मुआवजा दें तो सही मायने में गरीब लोगों को जमीन उपलब्ध हो जायेगी वरना समृद्ध लोगों के हाथ में जायेगी, वेही लोग उसको खरीद पायेंगे, जिनके पास पैसा है या फिर सरकार के पास में पड़ी रहेगी और गरीब लोगों को नहीं मिल सकेगी। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि चीफ मिनिस्टर्स कान्फ्रेन्स की जो गाइड लाइन्स हैं, उनमें लिखा हुआ है, मल्टीपलाई करके लगान से उतना मुआवजा आप उन्हें दें, जिनकी जमीन आप लेते हैं। स्टेट चक्कर के ऊपर भार नहीं पड़े, इसलिए मुआवजे को कम करने के लिए माननीय राजस्व मन्त्री इसमें संशोधन रखें तो उपयुक्त रहेगा।

यह निवेदन करके एक निवेदन और करना चाहता हूं कि यह बिल प्रवर समिति को नहीं सौंपा गया तो यह कानून आज प्रोग्रेसिव नहीं है, और प्रोग्रेसिव नहीं होकर भी इसे पास कर दिया गया तो इसमें फिर संशोधन होगा। पार्टी का सिद्धान्त यह रहा कि समाजवाद की ओर कदम रखें तो निश्चित रूप से आपको फिर इस कानून को बदलने की जरूरत पड़ेगी।

श्री उपाध्यक्ष : श्री रामानन्द अग्रवाल !

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर): उपाध्यक्ष महोदय, मैंने इस बिल को प्रवर समिति के सुपुर्द करने के लिए प्रस्ताव रखा है, उस प्रस्ताव में मैंने यह भी कहा है कि चौबीस घन्टे के अन्दर अन्दर प्रवर समिति अपनी रिपोर्ट पेश कर दे और फिर इस बिल पर इस सदन में विचार किया जाय। मेरा मकसद यह है, इस बिल में जो संशोधन प्रस्तुत किये गय हैं, उनका हम स्वागत करते हैं, लेकिन इस संशोधन विधेयक को और व्यापक बनाने की आवश्यकता है, हम इसको डिले नहीं करना चाहते इसलिए कम से कम समय दे कर इसे प्रवर समिति की रिपोर्ट के साथ विचार करने के लिए रखने की बात मैंने कही है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं, इस सदन के इतिहास में शायद यह पहला मौका होगा कि उसी सदन में एक इतना मेजर बिल पास हो और हमारे जो प्रक्रिया और संचालन के नियम हैं, जिन नियमों के अनुसार जिस सब्जेक्ट के ऊपर एक बार विचार हो जाय सदन में, वह उसमें दुबारा नहीं आ सकता। लेकिन उसके लिए अध्यक्ष महोदय को अधिकार हैं, वह उसमें रिलेक्सेशन दे सकते हैं। मैं समझता हूं कि रिलेक्सेशन देकर इस

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

बिल पर विचार हो रहा है। तो यह इस सदन में पहली बार हो रहा है कि गवर्नमेंट को अपने ही एक बिल में उसी सदन के अन्दर एक संशोधन, अमेंडिंग बिल लाना पड़ा। उपाध्यक्ष महोदय, 27 फरवरी को हमने इस सदन में इसके मुख्य बिल को, एक्ट को पास किया और उसको 28 मार्च को राष्ट्रपति की स्वीकृति मिली और 28 मार्च के बाद अब इमीजियेटली, आज चार अप्रेल को हमने जो बिल पास किया, उसमें संशोधन की आवश्यकता महसूस हो रही है। मैं समझता हूं, उपाध्यक्ष महोदय, आपने इस बिल के इतिहास को, इसकी बहस को, इसके डिस्कशन को हाउस में सुना है, विशेषतौर से 27 फरवरी को, तो उस समय यह भली भांति साफ हो गया था कि इस बिल को जिस रूप में रखा गया, उसको इस सदन के अन्दर जो खुद कांग्रेस में जो तबका है, आदिवासी, हरिजन और जो प्रोग्रेसिव लैंन्ड रिफार्म्स के पक्ष में हैं, उन्होंने उस बिल को उस रूप में पसन्द नहीं किया था और उसमें बुनियादी संशोधनों की मांग की थी, मगर राजस्व मन्त्री और उनकी तरह सोचने वाले लोग, जो कांग्रेस दल में हैं, जो भूमिधारियों के हितों की सुरक्षा करना चाहते हैं, बजाय इसके कि भूमि हीन को जमीन मिले, उनका पहला कन्सर्न यह है कि भूमिधारकों की जमीन को कैसे बचाया जा सकता है और इस दल में इधर बैठने वाले, खासतौर पर जनसंघ के माननीय सदस्यों ने मिल कर उसमें कुछ अमेंडमेन्ट मंजूर करवाये, और माननीय राजस्व मन्त्री को अपने बिल को मन्जूर कराने के लिए व्हिप जारी करना पड़ा, तब वैसे जो आपके दल का बहुमत है, लेकिन जिन माननीय सदस्यों ने उसका विरोध किया था, उन्हें अपनी आत्मा को दबा कर व्हिप को मानते हुए उसके पक्ष में वोट देना पड़ा था। मैं समझता हूं, अब वापिस, यह ओपन सीक्रेट है, यह अमेंडमेंट उसमें करने पड़ रहे हैं क्योंकि केन्द्र को जो बिल भेजा, उसने उसको पसन्द नहीं किया और आपकी प्रतिष्ठा बचाने के लिए प्रेसीडेंट ने असेण्ट दे दी, लेकिन आपको यह डाइरेक्टिव दिया है कि आप इसमें चेंज करें, इसमें अमेंडमेंट करा कर मन्जूर करायें। मैं समझता हूं कि इस बिल को पास करना खुद कांग्रेस दल की ओर से, खुद राजस्व मन्त्रीजी की ओर से अपने में ही एक अविश्वास का प्रस्ताव मैं मानता हूं, यह खुद का सैन्सर मोशन है जो कि राजस्व मन्त्री जी खुद अपने हाथ से अपने ऊपर पास करा रहे हैं क्योंकि जिन राजस्व मन्त्री ने जिस बिल को मंजूर कराया, वह बिल डाक बिल है, उसमें कमियां रह गई और अब उसके अन्दर संशोधन करना पड़ रहा है। इस रूप में अमेंडमेंट के लिये आये हैं, चाहे वह डाइरेक्टिव के बाद में रखा हो, मैं निवेदन करना चाहूंगा सदन से, अब यह फिर दूसरा मौका है, जो गलतियां इस सदन में पहले भी नोटिस में लाई गई थी, उन गलतियों को दुरुस्त कर लिया जाय और इसलिए प्रवर समिति के अन्दर इसके ऊपर व्यापक रूप से विचार करके, जो मूल उद्देश्य आपने रखा है, उस उद्देश्य की पूर्ति के खिलाफ जो भी इसके अन्दर प्रावधान है, उनको आप दूर करके और इसके अन्दर जो असंगतियां हैं उनको मिटा कर इसको इस सदन में आप पास कराने की कोशिश करेंगे। कुछ बातें तो इस तरह की इस बिल के अन्दर हैं, जिनको आप भले ही मंजूर कर लें लेकिन जब इसके ऊपर अमल करने जायेंगे तो आप देखेंगे कि पर्याप्त इसका विरोध होगा। मसलन हमारी यह आलोचना है इस बिल की कि इस बिल के जरिये औसत मिल कर सीलिंग नीचे नहीं होकर ऊंचा हुआ है, ज्यादातर, आपने यह प्राविजन प्रोवाइड किया

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

हैं जिसको आप काफी प्रोटेक्शन समझते हैं जिसमें आपने यह कहा है कि पुरानी सीलिंग अगर मौजूदा नयी सीलिंग से किसी फेमिली की कम हुई तो पुरानी सीलिंग लागू होगी, नई सीलिंग लागू नहीं होगी। इस कन्डीशन के तहत आप यह क्लेम कर रहे हैं कि किसी की सीलिंग बढ़ने का तो सवाल ही नहीं है। मेरा यह निवेदन है, आप इस पर गम्भीरता से विचार करें। हमने नये बिल में कुछ मौलिक परिवर्तन कर दिया है, जो कि फेमिली की डेफिनेशन है, पहले जो फेमिली की डेफिनेशन थी, तो उस फेमिली की डेफिनेशन में मेजर सन भी फेमिली में शामिल था, चाहे मेरिड हो, चाहे अनमेरिड हो, सब उससे अलग नहीं थे, वह और मदर भी शामिल हैं। आज फेमिली में पांच सदस्य हैं। यह पुरानी डेफिनेशन में है, वह डेफिनेशन ज्यादा व्यापक थी। यदि जो पुरानी डेफिनेशन फेमिली की थी, उसके तहत सीलिंग हो, और अब डेफिनेशन है, उसके मुकाबले में कौनसी कैसी है, यह देखेंगे तो मौजूदा फेमिली पांच की है, पहले की फेमिली आठ की है, पहली में मेजर सन भी अलग नहीं था, शामिल था, मेजर सन शामिल रहते हुए सीलिंग लागू की गई थी, और अब अलग करके सीलिंग करेंगे। दूसरी तरफ कहते हैं, इसके पश्चात् उसको शामिल नहीं होने देंगे। तो आप अगर बालिग सन को शामिल मानते हैं तो सीलिंग को बहुत कम रखेंगे और बालिग सन को शामिल मानते हैं मौजूदा सीलिंग पिछली सीलिंग से लाजमी ऊंची होगी।

दूसरे गार्डन और ओरचर्ड के बारे में माननीय सदस्य ने अभी बताया, पहले ओरचर्ड एक्जेम्प्टेड थे, कांग्रेस के विभाजन के बाद, बम्बई के सैशन के बाद यह संशोधन लाया गया और उस एक्जेम्प्शन को विथड्रा किया गया। इसका मतलब यह है कि गार्डन पर भी 30 स्टेन्डर्ड एकड़ की सीलिंग लागू हो गई। इसका मतलब यह है, गार्डन 30 स्टन्डर्ड एकड़ का हो, राजस्थान के अन्दर गंगानगर के अन्दर जहां 29, 31, 35, 41 के हैं, वहां 30 स्टेन्डर्ड में कितने आयेंगे। आपने मौजूदा फेमिली पांच की रखी है उसके लिए 54 एकड़ किया है, इस फेमिली में एक बालिग भाई है, तो हो गया 108 एकड़। पुराने के अन्दर, जिसमें बालिग भी अलग नहीं हो सकते थे, उसके अन्दर चम्बल में 23 एकड़ थे। आज के हिसाब से 108 एकड़ करेंगे। इस प्रकार मौलिक धाराओं के अन्दर अन्तर है। उसमें 23 एकड़ और इसके मुताबिक वापिस आयेगा तो 108 एकड़। मैं समझता हूं कि हाई कोर्ट इसका इन्टरप्रिटेशन करने लगे तो आपका यह प्रावधान इतना वेग और लचीला है। मैं समझता हूं कि स्क्रूटिनी में वह कहीं ठहर नहीं सकेगा। इसलिये मैं आपके आब्जेक्टिव को प्लाजीबुल समझता हूं, अच्छा है। हम से कम आप यह आब्जेक्टिव पूरा कर सकेंगे कि हम जो पहले सीलिंग था उससे ऊंचा किसी हालत में नहीं जाने देंगे। मैं चाहूंगा आप इसका इम्प्लीमेंटेशन करें लेकिन आपके जो मौजूदा प्रावधान हैं चाहे ओर्चर्ड के प्रावधान के लिए कहते हैं कि पहले से ऊंचा कर दिया 54 एकड़, 54 एकड़ पहले कहीं नहीं था। आप कहते हैं कि इससे ऊपर नहीं जाने देंगे। अगर कैनन्स ऑफ इन्टरप्रटेशन्स के अनुसार एक्सप्रेस प्रोवीजन, जनरल प्रोवीजन पर प्रिवेल करता है तो स्पेसीफिक प्रोवीजन 54 एकड़ का है, जनरल प्रोवीजन में वह अगर इससे ज्यादा होगी तो पुरानी सीलिंग कायम होगी। अब पुराना सीलिंग ओर्चर्डस के मामले में 54 एकड़ से कम था तो अगर आपकी नीयत यह है कि इसको लाना नहीं है तो ओर्चर्ड्स के स्पेसीफिक

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

प्रोविजन निकालकर आपको परिवर्तन करना चाहिए वरना इस एक्सप्रेस प्रोवीजन के मुकाबले में जो जनरल प्रोवीजन है वह प्रिवेल नहीं कर पाएगा। ऐसी कानूनी सलाह हमको दी गई है और हम आपके सामने इस सदन में रख सकते हैं जिससे आप इसमें सुधार कर सकें।

दूसरी बात जिस पर विचार करना आवश्यक है वह यह कि हमने ईरिगेटेड लैंड का 18 एकड़ का सीलिंग तो कायम कर दिया लेकिन ईरिगेटेड लैंड कौनसी होगी, यह डिफाइन नहीं किया है और हमने आथोराइज्ड ऑफीसर को अधिकार दिया है तो इम्पलीमेंटेशन में एक दिक्कत है कि आपने तीन महीने का समय दे दिया। अब आप शायद 6 महीने बढ़ा रहे हैं लेकिन जब तक आपका आथोराइज्ड ऑफीसर ईरिगेटेड लैंड को डिफाइन नहीं करेंगे तो कोई भी व्यक्ति रिटर्न देने के लिए बाध्य नहीं है। यह आथोराइज्ड ऑफीसर तय करेगा कि सीलिंग के ऊपर है या नहीं। बेचने और खरीदने के बारे में जो पाबन्दी है वह भी उस पर लागू नहीं होती। जो रजिस्ट्रेशन ऑफीसर पर आपने पाबन्दी की है वह अगर डिक्लेरेशन दे दें तो आप कहें कि झूठा डिक्लेरेशन है, यह नहीं कह सकते क्योंकि ईरिगेटेड लैंड थी डिफाइन अभी भी कुछ नहीं किया है आपने। नीयत यह है कि इस कानून की जल्दी से लोग चुराकर न ले जायें तो डिफाइन कर दें कि फलां एरिया वेल डिफाइन्ड है। जहां पर परमानेन्ट ईरिगेशन स्कीम्स हैं उनको डबल क्राप कर दें, जहां पर टम्परेरी है उनको सिंगल क्राप कर दें। इस तरीके से जो मीडियम हैं, उनको आप सिंगल क्राप कर सकते हैं। इस तरह से कोई अनसर्टेन्टी नहीं रहेगी कि, इम्मीजिएट इम्पलीमेंटेशन शुरू हो जाएगा और लोगों को रिटर्न्स देने पड़ेंगे और लागू हो रहा है या नहीं, इसको पब्लिक वर्कर और सब लोग देख सकेंगे। वरना जब तक डिफाइन नहीं होगा कहना मुश्किल हो जाएगा।

दूसरी बात इनजोइण्ड वैल्स को आपने एग्जेम्प्ट किया है। मैं फिर चेतावनी देता हूं आपको फिर वापस आना पड़ेगा, फिर ऊपर से झाड़ पड़ेगी। मध्यप्रदेश में बिजली से चलने वाले, डीजल से चलने वाले जो कुएं हैं उनसे जो सिंचाई होती है उन पर ईरिगेटेड लैंड की तरह सीलिंग लागू हुआ है, आपने यहां पर एग्जेम्प्शन कर दिया है। जो ओरिजनल बिल था उसमें इस प्रकार का एग्जेम्पशन नहीं था। आप अपनी लोबी के दबाव में आकर आपने उनको यह कन्सेशन दिया है। यह उसके अगेन्स्ट है। आपके पास जो गाइडलाइन्स आई हैं, वह पहले भी आपने सदन में रखी थी, आप फिर सदन के सामने रखिये, अभी भी पूरी गाइडलाइन्स को लागू नहीं कर रहे हैं। उसमें यह भी है कि राजस्थान कैनाल को आप इन्क्लूड करें। आप जब कहते हैं कि पहले बिल से यह बिल ज्यादा प्रोग्रेसिव है तो पुराने बिल में राजस्थान कैनाल शामिल था, अब आप एक्सक्लूड कर रहे हैं।

श्री शंकरलाल : उसमें अमेंडमेंट की जरूरत नहीं है, वह नोटीफिकेशन से हो जाएगा।

श्री रामानन्द अग्रवाल : अव्वल तो नोटीफिकेशन से हो या नहीं, फिर इस सदन की बात नहीं रहेगी गवर्नमेंट की बात रहेगी। नोटीफिकेशन करने में और इसमें करने में बुनियादी अन्तर है, वह यह कि अगर आप सारे बिल को एक जनवरी, 1973 से लागू करते हैं तो जो प्रावधान रिट्रास्पेकिट ट्रांसफर के बारे में है 26 सितम्बर, 1970 के बाद के ट्रांसफर्स रेकग्नाइज नहीं होंगी, अगर आपने राजस्थान कैनाल की कोई और डेट तय की तो

Page No 90

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

डाउटफुल हो जाएगा, वह और, दूसरे प्रावधान, राजस्थान कैनाल के उसी तारीख से लागू होंगे या रिट्रास्पेक्टिव इफैक्ट से यह डाउटफुल हो जाएगा। अगर मन्त्री महोदय की नीयत है कि राजस्थान कैनाल के बारे में सेंटर ने कहा था, अब भागते चोर की लंगोटी सही तो 26 सितम्बर 1970 तक ट्रांसफर्स बचाली तो नोटीफिकेशन के जरिए करना चाहा तो फिर मामला ऊपर जाएगा, फिर गाइडलाइन्स आएगी, फिर अमेंडिंग बिल लाना पड़ेगा भारत सरकार के सामने 11 पोईंट्स विचाराधीन हैं, मेरे पास भी हैं और उन पर आपको विचार करना पड़ेगा और आपके पास भी विचाराधीन हैं। इन पर विचार करना चाहिए ताकि दुबारा बिल नहीं लाना पड़े।

ट्रांसफर्स के बारे में जो माननीय सदस्यों ने कहा है, 1958 से हम प्रयत्न कर रहे हैं कि सीलिंग कानून में इन ट्रांसफर्स को हम रेकग्नाइज न करें उसके बाद कन्सेशन्स पर कन्सेशन्स दे रहे हैं। अब 26 सितम्बर की लास्ट डेट के बाद अभी आपने बोनाफाइडी के नाम से जो रेकग्नाइज करने के बाद लूपहोल छोड़ा है, इसको निकाल दीजिए। फिर हाई कोर्ट्स वगैरह तय करते रहेंगे।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

मैं एक दो पाइंट्स कहकर खतम करूंगा।

पिछले बिल पास होने बाद मन्त्री महोदय ने प्रेस कान्फ्रेन्स में क्लेम किया था कि यह बिल पहले से ज्यादा प्रोग्रेसिव है। उस समय भी हमने आपसे कहा था कि किसी भी चीज का ठोस नतीजा देखना है। प्रश्न यह है कि भूमिहीनों को जमीन बांटने के लिए कानून बनाया गया है। पहले के मुकाबले में अगर ज्यादा जमीन निकलती है तो हम इसे प्रोग्रेसिव मान लेंगे लेकिन आप कहिए तो सही कि इस कानून के तहत फलां जिले में इतनी जमीन निकलेगी। हमने आपके सामने आंकडे प्रस्तुत किए हैं, अप्रेल 1971 के सारे आंकडे आपके सामने रखे हैं जिसमें सुखाड़िया मिनिस्ट्री के तहत हाई पावर कमेटी के सामने जो आंकडे दिए गए थे उनमें 16 लाख एकड जमीन सरप्लस उपलब्ध होगी। यह बात कही गई थी और आपने 13 दिसम्बर को जो कैबीनेट के बिल का प्रारूप था उसको मंजूर किया था। उसके बाद जो आपने प्रेस कान्फ्रेन्स की उसमें 14 तारीख को आपने कहा है कि इससे संभावना दो लाख एकड़ जमीन निकलने की है। राजस्थान पत्रिका को कोट करता हूं उसमें वक्तव्य छपा है। आपने इसमें दो लाख एकड या 3 लाख एकड़ जमीन मिलने का क्लेम किया है। यह 16 लाख के मुकाबले में आपको सिर्फ 2 लाख या तीन लाख एकड जमीन ही मिलने वाली है। मैं समझता हूं कि आपकी जो कृषि मन्त्रियों की कान्फ्रेन्स हुई थी उसमें भी आप यह नहीं बता सके कि इतनी जमीन हमें मिलेगी।

श्री शंकरलाल: यह आंकडे जो दे रहे हैं, यह गलत है।

श्री रामानन्द अग्रवाल: इसलिए मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि अभी तो आपको एक महीना ही हुआ है, ज्यादा समय भी नहीं हुआ कि आपको इस सदन में उसी बिल पर जिसको हमने पास किया उस पर संशोधन ला रहे हैं। इसलिए मेरा मन्त्री महोदय से अभी भी यह निवेदन है कि इसमें हेस्ट नहीं करें जल्दी नहीं करें और इसके लिये सदन को कोन्फिडेन्स में

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

लिया जाय और बाद में यह पता लगाया जाय कि हमें कितनी जमीन उपलब्ध हो सकेगी। जिसको कि हम लैण्डलैस में बांट सकेंगे ताकि हमें बार बार इसमें संशोधन लाना नहीं पड़े। मैं मन्त्री महोदय से फिर निवेदन करना चाहता हूं कि आपने इसमें जो फेमिली की डेफीनेशन में छूट दी है इसको ठीक कर लें और जैसा कि मैंने सुझाव दिया था उसके अनुसार करलें ताकि आप लैण्डलैस काश्तकारों को ज्यादा जमीन एलॉट कर सकेंगे। इसके अलावा आपने बिना इरिगेशन की लैण्ड लिये कहीं पर 84 एकड, कहीं पर 89 एकड़ कहीं 111 एकड़ रखी, कहीं आपने 125 और और 150 रख दी है। तो इसके लिये मेरा निवेदन है कि काफी असुविधा होने का खतरा है आज गंगानगर जिले में और स्थिति मिलेगी। इसी तरह जैसा कि झुन्झुनू से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि उनके यहां पर आपने खेतडी और उदयपुरवाटी तहसील को सेमीडेजर्ट में काउन्ट कर लिया है। वहां से आपको कुछ नहीं मिलने वाला है सिवाय एक व्यक्ति के पास की जमीन के वह है श्री भीमसिंह मण्डावा की जमीन वह शायद आपके सीलिंग में आ सकते हैं बाकी कोई नहीं आने वाला है। शायद उनको भी आपने एग्जम्पट कर दिया है। यह भी मुझे कोई बता रहे थे तो फिर आप जो बिल को लाने की भावना रखते हैं वह पूरी नहीं हो सकेगी क्योंकि आपके इस प्रकार छूट देने से जिले के जिले की जमीनें सीलिंग में आने से बच जायेंगी इसलिये मेरा निवेदन है कि आप इस बिल को सेलेक्ट कमेटी को रेफर कर दें ताकि हम लोग इक्ट्ठे होकर बिल के प्रोविजन्स को अच्छी तरह स्टडी करले और बाद में उचित संशोधन पेश करके इस बिल को सदन में लाव ताकि इस बिल को लाने का मकसद पूरा हो सके और बार बार एमेंडिंग बिल नहीं लाना पड़े। और एक ही बार में जितना संशोधन करना हो वह ठीक तरह से करलें।

श्री उपाध्यक्ष : प्रोफेसर केदार।

श्री केदारनाथ (गंगानगर) : उपाध्यक्ष महोदय, आज सदन में ऐमडिंग सीलिंग बिल पर डिस्कशनन्स चल रहे हैं। मान्यवर रामे निवेदन है कि आपने जो ऐमेडिंग बिल का स्लेब रखा है वह लिमिटेड रखा है। इसमें आपने इस बिल के आब्जेक्ट्स एण्ड रीजन्स में दिया है कि राज्य सरकार इस बिल को इस तरह ऐमेन्ड करने जा रही कि जिससे राज्य सरकार ज्यादा से ज्यादा लैण्ड लेस लोगों को जमीन दिला सके। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं मान्यवर कि यह स्टे का आब्जेक्ट है इसलिये सीलिंग लण्ड लॉ को ऐसा कोप्रीहेन्सिव बनाया जाय जिससे मेग्जिमम काश्तकारों को लाभ हो। इसके लिये आपको प्लानिंग कमीशन से डिस्कसन्स करके ऐसा लॉ बनाना चाहिये जिससे लैण्ड लेस को राहत मिले।

(2.33 म.प.)

(श्री फूलचन्द जैन, सभापति, पदासीन)

आज जो समाज का लोएस्ट वर्ग है जो लैण्ड लेस है उन्हें ऊपर उठाया जाय और इससे ऐसे एमेन्डमेन्ट्स किये जाय जिससे कि सोशियल लीडर शिप कायम हो सके और एक सोशियल रिवोल्यूशन लाया जाय जिससे राजस्थान में हम जो एम लैण्ड लेस को लैण्ड देने का है वह पूरा कर सकें। आपके जो प्लानिंग कमीशन ने लैण्ड रिफोर्म कमेटी ने रिपोर्ट दी है उसकी तरफ आप केन्द्र की रिपोर्ट को ध्यान में रखते हुए यहां एक सब

Page No 92

(श्री केदारनाथ)

कमेटी बनावें और उसमें वह पाइन्ट्स भी लेवें जो नाइन मैन चीफमिनिस्टर्स कमेटी ने जो रिपोर्ट दी है उसमें क्या फर्क है उसको भी ध्यान में रखते हुए वह सब कमेटी यह सब स्टेडी करके कि प्लानिंग कमीशन ने इसके बारे में जो रिपोर्ट दी है और नाइन मैन चीफ मिनिस्टर्स ने रिपोर्ट दी है और जो हाई पावर कमेटी ने रिपोर्ट दी है उसमें क्या फर्क है। और फिर बाद में ऐसा एमेन्ड करें ताकि लैण्ड लेस को मेग्जिमम प्राफिट हो। लेकिन मैं समझता हूं उन सभी को इगनोर किया है। इसलिये जो सोसियल क्लाइमेट पैदा होनी चाहिये वह नहीं हो सकी लोगों में एवरेन्स पैदा नहीं हो सकी है। न तो इसमें पालीटिकल फोर्म बिल है और न ही आपके पास ऐसी मशीनरी ही है और आज आप जो 2 लाख 3 लाख एकड भूमि मिलने की बात करते हैं, वह मुझे ऐसा दिखाई देता है कि वह प्रोपर इम्प्लीमेन्टेशन नहीं होने की वजह से सभी डेट लेटर रूम में चला जायगा। और अगर मानलो आप जो अनुमान लगाते हैं उसका 30 या 40 पर्सेन्ट मिल भी जायेगा तो आप उनसे कम्पनशेसन भी लेंगे। मान्यवर आज काश्तकारों में 99 परसेन्ट लोग कर्जदार हैं इसलिये उनकी कोस्ट ऑफ प्रोडेक्शन को वे वीअर नहीं कर पायेंगे। आज उनके पास केपीटल नहीं है तो मान्यवर उसकी व्यवस्था होनी चाहिये। मान्यवर राज्य सरकार ने 27 फरवरी को यह बिल पास किया है और आप इसबिल में बार बार एमेन्डमेन्टस ला रहे हैं और इस बिल को हर बार हेस्ट एण्ड स्वीप में पास कर रहे हैं। मेरा निवेदन है कि इस बिल को सलेक्ट कमेटी को सुपुर्द किया जावे। इसे हेस्ट और स्वीप में पास नहीं करें। बाद में उसमें हम सभी मेम्बर्स बैठकर उस पर स्टेडी करें। एक मशीनरी इस प्रकार की इन्वोल्व करें व यह भी सोचा जाय तथा इससे एक हवा भी बनेगी, नहीं तो जो प्रोग्रेसिव बिल बनाने की बात कर रहे हैं वह एक कन्फ्यूजन बन कर रह जायेगा।

श्री रामानन्द अग्रवाल : इसमें प्रोग्रेसिव के अलावा रिएक्शनरीज भी बैठे हैं।

श्री केदारनाथ : जब इतना सब करके वापस ऐसी ही एमेन्डमेन्ट करना चाहते हैं कि स्टेटस मेन्टेन रहे तो मैं समझता हूं कि पहले जो सीलिंग बिल लाया गया था वही ठीक था। इसलिये मेरा निवेदन है कि अगर आप सीलिंग बिल एक्चुअली काश्तकारों को फायदा देना ही चाहते हैं तो आप इसे सलेक्ट कमेटी को सुपुर्द कर दें अगर आपको बहुत जल्दी हो तो आप उस सलेक्ट कमेटी को यह कह दें कि वह अपनी रिपोर्ट 8-10 दिन में ही दे दे और उसके लिये एक सेशन और हम थोड़े समय के लिये बुला लेंगे। इससे काफी ठीक रहेगा। वह कमेटी सब पाईन्ट्स को डिसकस कर लेगी उसमें यह भी रिकमन्डेशन हो जायेगी कि जो भी ट्रांसफर्स सन् 70 के बाद हुए वह सभी इल्लीगल समझे जायेंगे। जिन्होंने अपने रिश्तेदारों में जमीन बांट दी है जिनकी बोनाफाइडी डाउट फुल है उन सभी लैण्ड को हम एक्वायर इस एक्ट के तहत कर लेंगे और वह बाद में लैण्ड लैस में बांट दी जायेगी। इसलिये मेरा निवेदन है मान्यवर इस बिल को हेस्ट एण्ड स्वीप में पास नहीं करें और इसको ज्यादा बेनीफीशयरी बनाया जाय। और इसमें जो सेन्ट्रल गाइड की लाइन आई है उसको भी ध्यान रखते हुए बिल पास करेंगे तो ठीक रहेगा।

श्री लक्ष्मणसिंह (डूंगरपुर) : सभापति महोदय, मेरे दल को समय नहीं मिला है। सूक्ष्म में मैं बोलना चाहूंगा। पांच मिनट का समय मुझे आप दे दीजिये।

श्री सभापति : आप बोल लीजिये।

श्री लक्ष्मणसिंह : सभापति महोदय, इस विधेयक को जिन परिस्थितियों में सदन के समक्ष लाया गया है उस सम्बन्ध में इतना आवश्यक निवेदन करूंगा कि यह एक अजीबोगरीब व्यवस्था है। सदन के लिये भी यह शोभनीय नहीं है और सरकार के लिये तो निश्चित रूप से अशोभनीय है। एक विधेयक, कैसा भी विधेयक क्यों न हो, किन्तु यह तो महत्वपूर्ण विधेयक है, अगर इस विधेयक को पारित किया जाय और एक हफ्ते के अन्दर-अन्दर पुनर्विचार करने के लिये सदन के समक्ष फिर से लाया जाय यह बहुत अस्वस्थ परम्परा है। इस सदन की शान के विपरीत है।

उसके साथ साथ, सभापति महोदय, राजस्थान सरकार का इस सीलिंग के सम्बन्ध में जो आचरण है वह भी एक ऐसा है, राजस्थानी भाषा में कहूं "पूत के पग पालने"। तो शुरू से ही सरकार इस विधेयक को सीरियसली इम्प्लीमेन्ट करना चाहती हो इस सम्बन्ध में मुझे तो आशंका है। खैर, इस विधेयक को सरकार यहां लाकर पारित कराना चाह रही है, मेरे ख्याल में, यह जनता के लिये भी परमावश्यक है कि अस्थिरता का जो वातावरण है इसको समाप्त किया जाय अस्थिरता का वातावरण कृषि के लिये सही नहीं होता और इस कृषि उत्पादन प्रधान देश के लिये भी मेरे ख्याल से यह घातक होगा।

मेरे पूर्व वक्ताओं ने भी आशंका व्यक्त की और मैं भी आशंका व्यक्त किये बिना नहीं रह सकता कि आज देश में जो वातावरण है, आज हम जिधर जा रहे हैं, हमारी विचारधारा है, उस विचारधारा को देखते हुए यह विधेयक लास्ट वर्ड नहीं है और मैं भी यह आशंका व्यक्त कर देना चाहूंगा कि यह विधेयक थोड़े ही समय के बाद फिर यहां पर आयगा ऐसी संभावना है और ऐसी आशंका मुझे भी है।

हिली एरियाज के सम्बन्ध में आपने जो व्यवस्था की है उस सम्बन्ध में मुझे कुछ कहने की गुंजाइश नहीं है। पहले भी जब विधेयक पारित हुआ, क्योंकि हिली एरिया में मैं रहने वाला हूं, मैं इस सम्बन्ध में क्या विचार व्यक्त करूं आपने जबकि सरकार की नीति ही कुछ और किस्म की थी लेकिन मुझे भी आश्चर्य हुआ कि ऐसे एरिया में, ऐसे क्षेत्र में जहां गरीब बहुत हैं, जहां जमीन पर प्रेशर बहुत है, जहां जमीन को इन्डिया रबर की माफिक लम्बा-चौड़ा तो बना नहीं सकती है, जमीन है वही रहेगी, ऐसी स्थिति में 75 एकड़ का प्रावधान, मैं तो प्रतिक्रियावादि तो हूं लेकिन यह भी प्रतिक्रियावादि प्रावधान था यह मैं कहे बिना नहीं रह सकता।

जहां तक कि फेमिन फर्टाइल जोन का जो क्लासिफिकेशन है यह क्लासिफिकेशन भी मेरे ख्याल में, साइन्टिफिक आधार पर आधारित नहीं है। दिन ब दिन पानी, वर्षा का अभाव सब साईकल स्ट्रेटाइ का जो अन्डर ग्राउन्ड वाटर है वह भी धीरे-धीरे गहरा होता जा रहा है, ऐसी परिस्थिति के अन्दर इस पर गम्भीरता-

(श्री लक्ष्मणसिंह)

पूर्वक विचार किया जाना चाहिये । अभी मेरे पूर्व वक्ता ने आशंका व्यक्त की पाली जिले के सम्बन्ध में वैसी यह सारे राजस्थान के अन्दर परिस्थिति है। एक जिला और एक तहसील में आप यह कहें कि एक जैसी जमीन क्लासिफाई किया जाय यह संभव नहीं है और प्राकृतिक अनुमान के अनुसार और मुद्दे के अनुसार भी ऐसा होना असंभव है । इस ओर भी मैं अपनी ओर से आपत्ति व्यक्त किये बिना नहीं रह सकता ।

आर्चर्ड के सम्बन्ध में अगर सरकार यह दावा रखती है कि वह प्रोग्रेसिव है, तो मेरे ख्याल से, जो व्यवस्था की गयी है वह प्रोग्रेसिव व्यवस्था नहीं है । पहले के एक्ट के अन्दर जो व्यवस्था थी उस में व्यवस्था के मुकाबले अगर वर्तमान में किया जाय तो आर्चर्ड को एग्जम्पशन देना व्यक्तिगत रूप से राजस्थान की वर्तमान परिस्थिति को देखते हुए एक तरह का डिस्क्रिमिनेटरी प्राविजन मानता हूं । इस सम्बन्ध में भी मैं सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा ।

राजस्थान कैनाल एरिया के सम्बन्ध में भी इसको जो एक्जम्प्ट रखा गया है यह कुछ समझ में नहीं आता । अगर कोई महत्वपूर्ण कारण है तो मंत्री महोदय उस सम्बन्ध में प्रकाश डालेंगे । मैं यह अशोभनीय बात समझता हूं कि एक मंत्री महोदय को ही बार–बार कोसा जाय कि वे भूमि सम्बन्धी एक खास तौर के विचार रखते हैं । मेरे ख्याल में यह अवास्तविक है । कैबिनेट की रेस्पोन्सिबिलिटी है तो सारी सरकार की जिम्मेदारी है । एक व्यक्ति विशेष जिम्मेदार हो मैं ऐसा नहीं मानता । व्यक्ति विशेष की विचारधारा है वह दूसरी बात है । उनको अधिकार है रखने का । लेकिन मैं इस विधेयक को न रिट्रोग्रेटिव न प्रोग्रेसिव कहता हूं लेकिन विधेयक की जो शान शक्ल हम देख रहे हैं उसकी सारी जिम्मेदारी सरकार की है और, सभापति महोदय, इस विधयक को जो खास उद्देश्य है वह गरीब आदिवासियों को और हरिजनों को जमीन दिलाने का है । मैं समझता हूं यह सरकार सिर पटक कर टांकों को ढीला करके थक जाय तब भी आदिवासियों और भूमिहीनों के लिये संतोषजनक व्यवस्था भूमि आवंटन के सम्बन्ध में कर सके यह न भूतो न भविष्यति । यह असंभव है । इट इज एब्सोल्यूटली इम्पोसिबल ।

सारे देश में सीलिंग का कानून लागू हुआ है । उन सीलिंग के कानून के प्रावधानों में खास मुद्दा यह यह है कि ओनरशिप ऑफ लैंड को आपने बरकरार रखा है । अगर आप इस आनरशिप ऑफ लैंड को बरकरार रखते हैं, अनादी काल से भारतवर्ष की जो व्यवस्था है कृषि प्रधान देश होने के नाते, जिसके ऊपर हमारे गांवों की आर्थिक व्यवस्था, विलेज इकोनॉमी आधारित है, अगर आप उसको सेफगार्ड करके चलते हैं, उसको आप संरक्षण और आश्रय देते हैं तो फिर साथ-साथ भूमिहीनों को जमीन देने का लक्ष्य निर्धारित करते हैं इन दोनों में कान्फ्लिक्ट है । यह कोन्सिलियेटरी नहीं है । आपको भूमिहीनों को और श्रमिक वर्ग को भूमि दिलाना है तो केवल एक मात्र एक सोल्यूशन है और अन्य देशों में देख रहे हैं

(श्री लक्ष्मणसिंह)

वहां कम्युनेलाजेशन ऑफ लैंड है। ओनरशिप के प्रिन्सिपल को स्वामित्व भू-स्वामित्व के सिद्धान्त को आप कितनी दूर तक मोडिफाइड करेंगे, 54 एकड़ हो, कि 18 एकड़ हो कि 4 एकड़ हो। फिर यह प्रिन्सिपल तो है। इस प्रिन्सिपल को अगर आप निभाना चाहते हैं तो मैं यह समझता हूं कि लास्ट लाइन ऑफ रेसिस्टेन्स एडॉप्ट करते हुए देश के वातावरण को और अन्तर्राष्ट्रीय वातावरण को देखते हुए, पॉपूलेशन के एक्सप्लोजन को देखते हुए नये-नये सीलिंग के कानून आपको बनाने पड़ेंगे और देश में इससे असन्तोष होगा। अब देश प्रगति करे या न करे यह भविष्य में ही जाना जा सकता है। पर एक सामान्य बुद्धि का व्यक्ति, मेरे जैसा आदमी जो बुद्धि थोड़ी बहुत रखता है उसके अनुसार यह स्पष्ट है कि जहां व्यक्ति असन्तुलित होगा, जहां अस्थिरता होगी वहां पर प्रोडक्शन नहीं हो सकता।

आपको अगर कुछ करना भी है और ठोस कदम उठाना है तो साहस पूर्वक कदम उठाकर कम से कम पांच-छः वर्ष के लिये आप स्थिरता लाइये। जिससे टैक्स ईल्ड आप लेते हैं वसे इम्यूनिटी दीजिये काश्तकार को या कुछ और इस प्रकार की चीज करनी पड़ेगी आपको। अन्यथा यह रेकरिंग प्रोब्लम होगा और इसको धीरे-धीरे टी.बी. ग्रस्त घोषित करके खेती और विलेज इकोनॉमी को भी मखौल बना देंगे आप। मुझे इसमें व्यक्तिगत स्वार्थों से मतलब नहीं, यह देश हित की बात है। इसको कहने में मुझे कोई पशोपेश नहीं होना चाहिये। इसलिए मैं केवल मात्र इतना ही निवेदन करूंगा कि अगर आपको इस विधेयक को बार-बार सदन में नहीं लाना है, अगर आपको इस विधेयक को मजबूर होकर छः महीनों के अन्दर ही फिर से लाना पड़ा तो कम से कम ऐसा तो नहीं होना चाहिये और 1958 से तो यह रगड़ा लैंड सीलिंग का चल रहा है। 15 वर्ष से तो मैं खुद देख रहा हूं। अगर 15 वर्ष चला है तो मेरे ख्याल में पांच हफ्ते और भी चले और मेरे पूर्ववक्ता ने जैसा सुझाव दिया वैसा दुष्काल भी पड़ा हुआ है अगर आप इस बारे में सदन को कान्फीडेन्स में भी लेना चाहते हों तो जून में वर्षा से पहले 14 दिन के लिये सेशन को बुला लीजिये। फिर बैठकर दो-तीन दिन में जो कुछ भी निर्णय हो आखिर कोई पॉलिसी तै तो हो। अगर ऐसा नहीं किया जाता है तो वैसा ही होगा कि जस्टिस डिलेड जस्टिस डिनाइड। इतना ही मेरा निवेदन है।

श्री सभापति : श्री राजस्व मंत्री।

श्री रामचन्द्र चौधरी (राजस्व मंत्री) : सभापति महोदय, जो यह बिल सदन में पेश है इसके विषय में ग्यारह बारह माननीय सदस्यों ने अपने विचार व्यक्त किये हैं। जहां तक इस अमेन्डमेन्ट का सवाल है जो पेश किया गया है, उसका तो करीब करीब सभी ने स्वागत किया है। लेकिन दो तीन मुद्दों पर उन्होंने ऐतराज उठाया है।

पहला तो यह कि राजस्थान कैनाल में सीलिंग लागू क्यों नहीं किया गया। इसके बारे में कई माननीय सदस्यों ने अपने विचार प्रकट किये। राजस्थान कैनाल एरिया में खातेदारी हमने बन्द कर रखी है। गिफ्ट या ट्रान्सफर आदि भी हमने बन्द कर रखे हैं। खास-खास मदों में कोई कुछ करना

(श्री लक्ष्मणसिंह)

चाहे तो वह भी कलेक्टर की इजाजत से हो सकता है। तो वहां पर खतरा तो मानकर नहीं चलना चाहिये कि कोई भी सीलिंग से बचने के लिये जमीन डिस्पोज ऑफ कर सकता है क्योंकि वहां सभी तरह ट्रान्सफर बन्द हैं जैसा मैं निवेदन कर गया हूं। इस लिये इसको नहीं लिया गया था क्योंकि आज जो राजस्थान कैनाल में पानी लगता है वह तो सीजनल है। जब तक उसका डेम पूरा नहीं होता तब तक रिजर्वेअर में पानी पूरा नहीं भर सकता, और इस कारण साल भर पूरा पानी नहीं दे सकते। वर्षा में पानी दरिया में जब आता तो दे सकते है, बाद में नहीं। इसलिये इसको नहरी जमीन मानकर सीलिंग लागू किया जावे, इस पर हमने विचार विमर्ष किया। पर नतीजे पर नहीं पहुंच सकते थे और आज जो सीलिंग लागू करते हैं प्रजेन्ट कण्डीशन्स में तो कोई अन्तर नहीं आनेवाला है। तो जहां तक यहां आठ लाख एकड़ के आसपास जमीन पर इस नहर का पानी पहुंचने लगा है वहां 23 लाख एकड़ ऐसी है जहां न नहर है, न पानी पहुंचाने का प्रावधान है। मेरे ख्याल से इस एरिया में पानी पहुंचाने में अगर हमनें जल्दी से जल्दी भी मचाई तो पांच छः साल से पहले नहीं पहुंच पावेगा। इसमें पानी पहुंचने में पांच छः साल लगेंगे तो वहां इससे भी बाधा हो रही है। आज की स्थिति में तो यह सारा का सारा ही इलाका डजर्ट है। यह भी मालूम है। बीकानेर और आगे जैसलमेर का यह इलाका इसमें लगता है। आज अगर सीलिंग इम्पोज करते हैं तो 175 एकड़ का यह होगा। जहां पानी नहीं पहुंचा है और पांच छ साल पहुंचने की अभी कोई सम्भावना भी नहीं है। तो जहां रेगिस्तानी इलाका माना गया है वहां पर सीलिंग लागू होगा वह 175 एकड़ पर होगा और इसके बाद भी बच जाय कुछ इलाका जब सीलिंग इम्पोज कर दें तो यह होगा।

पर चूंकि चारों तरफ से माननीय सदस्यों की मांग आई है तो हम इसके लिये नोटिफिकेशन जारी कर रहे हैं। कल जारी हो जावेगा। परसों उस पर भी सीलिंग लागू कर देंगे जो आपकी इच्छा है। तो यह हैड लाइन है और जो मैं कहता हूं वह लाइन ही कहता हूं।

श्री रामानन्द : डेड लाइन नहीं, मैं तो गाइड लाइन की कह रहा हूं।

श्री रामचन्द्र चौधरी : पार्टी मीटिंग हुई उसमें भी लोगों ने विचार व्यक्त किये। आपने यहां भी विचार व्यक्त किये। इस लिये मैं कल इसका नोटिफिकेशन जारी करूंगा। कानून में प्रावधान है। जिस तरह गवर्नमेंन्ट चाहेगी उस तरह से लागू कर सकेगी। तो फायदा तो पहले वाली में पहले की व्यवस्था में है। आज हमने टान्सफर बन्द कर रखे हैं। पर अब जब आपकी मंशा नहीं है तो यह तो सवाल नहीं रहा। सत्तर से किया जाता या अब करें कोई अन्तर इसमें नहीं पड़ रहा है क्योंकि ट्रान्सफर वैसे भी नहीं हो सकते थे। पर आज सीलिंग करने पर उनका हक जाता है जिनके यहां पानी नहीं पहुंचता वहां 175 एकड़ पर सीलिंग करना पड़ेगा। तो इस तरह से कानूनी फायदा जिनको पहुंच सकता है, वह पहुंचेगा। पर सबको ऐसी ही गलत विचारधारा बन गई जिसके कारण कहने लग गये कि राजस्थान केनाल

(श्री रामचन्द्र चौधरी) एरिया में सीलिंग लागू क्यों नहीं किया जाता तो हम कल ही नोटिफिकेशन जारी कर देंगे। छः तारीख से सीलिंग लागू कर देंगे। तो यह जो आपने चाहा है वह मैं कर दूंगा।

श्री रामानन्द अग्रवाल : हमें तो 28 तारीख को ही पता लग गया था दिल्ली में।

श्री रामचन्द्र चौधरी : मैंने आरगूमेन्टस पेश किये। आपने नहीं माना तो मैंने मान लिया आपका सुझाव।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : चलिये साहब। हो गया।

श्री रामचन्द्र चौधरी : दूसरी बात, जोन के विषय में एक बात कही गई। जोन के विषय में वैसे तो गाइड लाइन भारत सरकार की है कि हीली जोन को अलग रक्खें। पार्टी मीटिंग में भी बात आई, असेम्बली में भी कहा गया। अपने अपने इलाकों से जो लोग वाकिफ थे उनके बारे में यह राय व्यक्त की थी कि हीली जोन में 100 बीघा जमीन है उसमें काश्त होती नहीं बीज डाल नहीं सकते। सिर्फ दो चार भांति का चारा हो जाता है। इससे ज्यादा नहीं। उन हिल्ली जोन्स को ध्यान में रखते हुए यह अमेण्डमेन्ट किया था। लेकिन बाद में जैसा आज भी बहुत से माननीय सदस्यों ने विचार व्यक्त किये, डूंगरपुर से आने वाले माननीय सदस्य महारावल साहब ने भी कहा, जिनका सारा पहाड़ी इलाका है ठीक नहीं था तो इन सारी बातों को ध्यान में रखकर हमने इसको जहां पहले 54 से 75 किया था अब सभी चाहते हैं तो कुछ को छोड़कर फिर 75 से 54 कर देते हैं। लोग चाहते हैं कि इसको वैसा ही क्यों न कर दिया जावे तो इसलिये इस अमेण्डमेन्ट को ला रहे हैं कि जिसमें 75 के बजाय 54 किये जाने का प्रावधान है। और तीसरा जोन के बारे में जैसा झुंझनू से आने वाले राम नारायण जी ने कहा—खेतड़ी और उदयपुरवाटी में एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो सीलिंग में आता हो, आज भी नहीं आता है और पहले भी नहीं आता था। उसमें जैसा आपने रामानन्दजी ने शकुन्तलाजी से तस्दीक कराई, कोई सीलिंग में नहीं आता है। 300 बीघा सरप्लस रखा है। मुमकिन है अलवर में भी बहुत सी जगह ऐसी हालत होगी। झुंझुनू में कितना लैन्ड प्रेसर है और वहां पर सीलिंग में कितनी जमीन आयगी, यह नहीं कहा जा सकता है। मैं तो पहले भी इस विचार का था। जो जोन्स लैन्ड के रेवेन्यू कमीशन ने कायम किये हैं चाहे उनका बहुत साइन्टिफिक बेसिस न हो लेकिन कुछ बेसिस है। बहुत से माननीय सदस्यों के कहने के आधार पर ही ऐसा किया गया था।

कई माननीय सदस्यों ने यह कहा है जोन्स जो है उनका आधार ठीक नहीं हैं। यह मैं मानता हूं कि जो पहले सीलिंग लॉ 32 हजार गांवों की अलग अलग भूमि मिलाकर सीलिंग कायम की थी वह ज्यादा साइन्टिफिक थी और वह करीब ढाई या तीन साल की मेहनत के बाद चार्ट बना कर की गई थी आज न उतना समय है। और न केटेगरी रखी है। 5-6 जोन्स में डिवाइड किया है-फरटाइल, सेमी फरटाइल, डेजर्ट, इरिगेटेड, सेमी-डेजर्ट, हिल्ली।

श्री रामानन्द अग्रवाल : पहले बिल पेश किया था उसका थ्री-फिफथ कर दें।

Page No 98

श्री रामचन्द्र चौधरी : मैं पहले थोड़ा-सा साफ करना चाहता हूं जो मेम्बर अपनी मांग करते हैं वह तो डेजर्ट समझें और दूसरे को फरटाइल समझें, यह कैसे हो सकता है। अब भीलवाड़ा जहां 30-40 इन्च वर्षा होती है, उसे गंगानगर से मुकाबला करते हैं जहां 4-5 इन्च वर्षा नहीं होती है। जो इर्रिगेटेड है, उसको पहले ही मान चुके हैं कि वह 27 या 28 एकड़ में आयेगी लेकिन जो इर्रिगेटेड में नहीं है—इस तरफ उत्तर में गंगानगर उधर बाड़मेर, जैसलमेर वेस्ट में। यह सारा का सारा डेजर्ट है लैन्ड कमीशन की रिपोर्ट है, अभी नहीं है जो प्रचारक है गंगानगर, जो सोना उगलता है इन हाण्डा साहब के साथ चले जाइये ये भी आपके साथ चले जायेंगे। नोहर, भादरा का जो इलाका है उसको जाकर देखें। 10-10, 20-20 मील दूर से पानी लाते हैं, उसको डेजर्ट माना है। उसके अलावा सूरतगढ़, अनूपगढ़ के टीले देखें जिसमें पानी लगता है, उसको इर्रिगेटड माना है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : नाली जिसमें कैनाल नहीं है, वह कौनसा एरिया माना है ?

श्री रामचन्द्र चौधरी : नाली का सारा एरिया इर्रिगेटेड। कैटेगरी का सवाल ही नहीं है। ए, बी, सी, नाली का कोई एरिया इर्रिगेशन से बाहर नहीं है। वह तो इर्रिगेटेड है। वहां भी आपको मालूम होगा हाण्डा साहब 10 हजार, 15 हजार की कीमत बताते हैं। हमने जो कम्पेनसेसन रखी है एक बीघा की एक हजार—

Best land in Rajasthan will bring one thousand rupees....

जो 15 हजार बता रहे हैं तो हमने तो रुपये में एक आना कम्पेनसेसन रखा है—

It will not exceed in any case beyond 16 per acre.

बेस्ट लैण्ड है वह एक हजार बीघा से कमी नहीं लायेगी। हाण्डा साहब के अनुसार तो रुपये में एक आना ही दिया है। केरल में तो ज्यादा है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : केरल को तो आप छोड़ दीजिये।

श्री रामचन्द्र चौधरी : लेकिन आप यह मानते हैं 15 हजार, 10 हजार कीमत है तो हम एक आना कीमत दे रहे हैं।

श्री लक्ष्मणसिंह : भूखा, प्यासा, नंगा राजस्थान दिवालिया है। इस राजस्थान को एक आने की जगह एक पैसा भी मिल जाय तो भी सही है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : एक सीलिंग वाले तो अपने आपको मंजूर कर रहे हैं। उनको तो मंजूर करें।

(3.07 म० प०)

(श्री रामसिंह यादव, उपाध्यक्ष, पदासीन)

श्री रामचन्द्र चौधरी : तो कम्पेनसेसन की बात है, इट इज मोस्ट राशनल। रेगिस्तान की भूमि है पांच सेर, दस सेर अनाज होता है उसको पांच सेर, दस सेर की वेल्यू मिली है। पांच, छः मन मेक्सिमम रखा गया है। अलवर में भी हमने चाही लैण्ड की एक हजार एकड़

(श्री रामचन्द्र चौधरी)
रखी होगी । अब आप अलवर से आने वाले माननीय सदस्य बता दें अलवर में एक हजार में मिलती है क्या ?

श्री रामानन्द अग्रवाल : मार्केट वेल्यू रखवाना चाहते हैं क्या आप ?

श्री रामचन्द्र चौधरी : मेरे ख्याल से चाही जमीन 4-5 हजार रुपया बीघा से कम में नहीं मिलती है । अब हम उसको 400-500 दे रहे हैं ।

We should be reasonable to some extent.

श्री रामानन्द अग्रवाल : You want to be reasonable to the landlord and I want to be reasonable to the landless.

श्री रामचन्द्र चौधरी : हम जो गवर्नमेंट लैण्ड दे रहे हैं माखरा एरिया में पौने 18 हजार से 20 हजार तक है और 1200 से 1800 डवलपमेंट चार्जेज होंगे । वर्ल्ड टीम है उसकी सिफारिश है । जो लैण्डलस को दे रहे हैं उसको आधी कीमत देंगे । मान लीजिये एक व्यक्ति के पास 30 एकड़ जमीन है । अब हम उससे कहेंगे तेरे पास 27 एकड़ ही रहेगी, तीन एकड़ हम छीनेंगे तो क्या हम उससे तीन एकड़ जमीन ऐसी छीनेंगे जो उस कटेगरी की नहीं होगी ? उसकी डवलप्ड जमीन ही छीनेंगे । कम्पेनसेसन में कोई बात नहीं है । जो बेजा है, वह दे दिया जायगा ।

श्री रामानन्द अग्रवाल : नॉन-प्रोजेक्ट ऐरिया में फ्री दे रहे हैं ।

श्री रामचन्द्र चौधरी : जो नॉन-प्रोजेक्ट एरिया है उसमें भी कीमत से देंगे । जिस किसी से लेना है····

श्री योगेन्द्र नाथ हाण्डा : गवर्नमेंट वेलफेयर स्टेट है । यह तो भूमिहीनों को बेच रही है । तीन हजार लेकर आप एक हरिजन को क्या आबाद करेंगे ?

श्री रामचन्द्र चौधरी : आपके हिसाब से 15 हजार एकड़ होगी तो फिर उसमें क्या खराबी है, इस बात में ।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : वह तो मैंने घग्घर की और कॉप की जमीन के लिये कहा है—7 लाख माखरा में है, 7 लाख गंग कैनाल की है। आपके 6 लाख राजस्थान कैनाल की है इस तरह जो और भी है जो 20-22 लाख एकड़ जमीन है, उसमें जो क्रीम है, उसके लिये कहा है ।

श्री रामचन्द्र चौधरी : मैं बता रहा हूं आपको । आपको मालूम है और खास तौर से गंगानगर से आने आले माननीय सदस्य श्री गुरदयालजी, केदारजी और हांडा साहब को मालूम है कि आज से 20 साल पहले गंगानगर में जब पाकिस्तान नहीं बना था उससे पहले पाकिस्तान से कम पानी मिलता था और गंग नहर मे दरबारासिंह जिनकी दोनों चकें थीं उनके बरतन और पशु नीलाम हुए थे आबयाना चुकाने के लिये । आप जानते हैं और फिर ऐसी बात करते हैं हाउस में ।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : आपकी लाजिक पर ही तो मैं चौंका कि उस हरिजन को जो नये कॉलोनी एरिया में जहां जमीन आबाद कर रहे हैं 3 हजार

(श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा)
में देने की बात कर रहे हैं। उस समय भी यही स्टेज थी और डवलपमेन्ट प्रिलिमिनेरी स्टेज में था।

श्री रामचन्द्र चौधरी : कीमत है इसकी। उस समय एक मुरब्बा जमीन को 1500 में भी कोई नहीं खरीदता था और आज उसकी कीमत 70 हजार के करीब है।

श्री गुरदयाल सिंह संधु : उस समय तो 700 रुपये में मुरब्बा मिलता था।

श्री रामचन्द्र चौधरी : हां।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : जोधपुर पहुंचिये साहब।

श्री रामचन्द्र चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय, शंकरलाल जी ने उठाया था कि जवाई बांध के नीचे जो जमीन आई हुई है उसमें सीलिंग 27 एकड़ रख दो। तो मुझे एतराज नहीं है, 27 एकड़ रख दें तो वहां का किसान खुश होगा क्योंकि उसका कारण है कि जवाई बांध से पानी नहीं मिलता है और उससे जोधपुर को पीने के लिए पानी मिलता है। अगर जवाई बांध के किसान के लिये यह चाहते हैं तो हम यह जारी कर देंगे लेकिन क्या वहां का किसान इसको समझेगा? आप उसको पानी तो दे नहीं रहे हैं क्योंकि जोधपुर सारा पानी ले रहा है, इर्रिगेशन वहां है नहीं। तो पहले जो कानून बनाया है......

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : आखिर कब तक लोढा साहब उस जवाई का पानी पीयेंगे? कभी तो मुक्त होगा पानी किसान के लिए?

श्री रामचन्द्र चौधरी : वह नहीं होगा भाई। इसलिये मैंने जो अमेन्डमेन्ट्स पेश किये हैं उस पर तो किसी को एतराज नहीं है। उसका तो सभी स्वागत करते हैं और जो जनरल बातें थीं उनका मैंने जवाब दे दिया और बहुत सोच-विचार कर इसको किया है। अगर आप इसको फिर चलाना चाहें तो मुझे एतराज नहीं लेकिन चलाने की कोई बात तो हो।

श्री रामानन्द अग्रवाल : जमीन कितनी निकलेगी यह तो बताइये।

श्री रामचन्द्र चौधरी : उस समय भी, पत्रकारों से पूछ लेना, मैंने नहीं कहा कि 2 लाख जमीन मिलेगी।

श्री रामानन्द अग्रवाल : वह छपा हुआ है। आपने कॉन्ट्राडिक्ट नहीं किया।

श्री रामचन्द्र चौधरी : बहुत सी बातें छपती हैं। हर एक बातों को कैसे कॉन्ट्राडिक्ट करें। आप पत्रकारों को बुला कर पूछ लें। मैंने जो कहा था कि मैं इस पोजीशन में नहीं हूं कि यह बता सकूं जब तक कि स्टेटमेन्ट दाखिल नहीं हो जाय तब तक कहना मुश्किल है कि कितनी जमीन निकलेगी। आपने कह दिया 1971 में 16 लाख आयेगी और फिर कह दिया 72 में 18 लाख आयेगी तो यह 2 लाख कहां से ज्यादा बढ़ गयी। मेरे खयाल से तो घटेगी।

श्री रामानन्द अग्रवाल : 1972 में 18 लाख आयेगी मैंने नहीं कहा।

श्री रामचन्द्र चौधरी : आपने कहा।

श्री रामानन्द अग्रवाल : हाई पॉवर कमेटी को गवर्नमेन्ट ने दो करोड़ था और अपने फिगर्स बताये थे। उसमें पहले गंगानगर के आये नहीं थे। कुछ जिलों के नहीं आये थे तब तक 15 लाख था।

श्री रामचन्द्र चौधरी : आप कभी 15 और फिर 16 लाख और फिर 18 लाख कहते हैं। इसलिये मैंने तो हमेशा इस बात को दोहराया है कि जब तक रिटर्न्स नहीं आ जायें, स्टेटमेन्ट्स नहीं आजायें तब तक यह कहना मुश्किल है कि कितनी जमीन आयेगी कितनी नहीं आयेगी। क्योंकि अगर मैंने कुछ कह दिया तो फिर उसीको आधार मानकर फिर पूछेंगे।

जैसा महारावल साहब ने कहा था कि सीलिंग ऐसी चीज है कि जो कि एक बार मुकर्रर कर दी जाये क्योंकि जब तक किसान के मस्तिष्क में अस्थिरता रहेगी तब तक वह खेत में साधन नहीं जुटा पायेगा, काम नहीं कर पायेगा। इसलिए सीलिंग जो भी लगायें उसको एक बार निश्चित कर दे ताकि किसान को मालूम हो जाये कि उसके पास इतनी जमीन है और अब इसमें किसी का दखल नहीं होगा। इसलिए मैं मानता हूं कि सीलिंग ऐसी चीज नहीं है कि जिसको बार बार बदला जाये इसलिए मैं उपाध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा प्रार्थना करूंगा कि जो यह सीलिंग के अमेन्डमेन्ट्स मैंने रखे हैं, प्रवर समिति में भेजने की कोई आवश्यकता नहीं है, इनको विचारार्थ लेकर इस बिल को पारित किया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री रामनारायण जी क्या आप अपना संशोधन वापिस लेना चाहेंगे ?

श्री रामनारायण चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से वापिस लेना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि श्री रामनारायण चौधरी ने जो संशोधन प्रस्ताव रखा है उसे वापिस लेने की आज्ञा प्रदान की जाये ?

(स्वीकृत)

संशोधन प्रस्ताव वापिस लेने की अनुमति दी गई।

श्री रामनारायण चौधरी : मैं वापिस लेता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री वृद्धिचन्द्र जैन। (अनुपस्थित)

प्रश्न यह है कि राजस्थान कृषि जोतों पर अधिकतम सीमा अधिरोपण (संशोधन) विधेयक, 1973 को प्रवर समिति के सुपुर्द करने के संशोधन प्रस्ताव को स्वीकार किया जाये ?

(अस्वीकृत)

प्रवर समिति के सुपुर्द करने के संशोधन प्रस्ताव अस्वीकार किए गये।

प्रश्न यह है कि राजस्थान कृषि जोतों पर अधिकतम सीमा अधिरोपण (संशोधन) विधेयक, 1973 को विचारार्थ लिया जाये ?

(स्वीकृत)

विधेयक विचारार्थ लिया गया।

श्री रामचन्द्र चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय, वैसे तो सभी माननीय सदस्यों ने इसका स्वागत किया है इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि इसको पारित किया जाये ?

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान कृषि जोतों पर अधिकतम सीमा अधिरोपण (संशोधन) विधेयक, 1973 को पारित किया जाये ?

श्री झाबरमल : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे कुछ कहना है।

श्री उपाध्यक्ष : मैंने पारित करने के लिए प्रस्ताव रख दिया है इसलिए आप बैठें।

(स्वीकृत)

विधेयक पारित किया गया।

श्री झाबरमल : यह मेरे साथ बड़ा अन्याय है।

श्री उपाध्यक्ष : नियम के अनुसार ही है।

I have put the motion before the House and that has been passed now.

श्री झाबरमल : आप बिल पारित कर ही रहे थे और मैं खड़ा हो गया।

श्री उपाध्यक्ष : That has been passed now. It cannot be re-opened now.

श्री हरिदेव जोशी : (उद्योग मंत्री): आप थोड़ी देर से खड़े हुए।

श्री उपाध्यक्ष : विद्युत् मंत्रीजी।

राजस्थान राज्य विद्युत् मण्डल के आय-व्ययक, 1973-74 पर विचार

श्री हरिदेव जोशी (विद्युत मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान राज्य विद्युत् मण्डल के वार्षिक वित्तीय विवरण (आय-व्ययक), 1973-74 को, जो दिनांक 2 अप्रेल, 1973 को सदन की मेज पर रखा गया था, विचारार्थ लिया जाये।

श्री उपाध्यक्ष : विचारार्थ लिया गया।

श्री प्रद्युमनसिंह।

(अनुपस्थित)

श्री लक्ष्मणसिंह।

श्री लक्ष्मणसिंह (डूंगरपुर): उपाध्यक्ष महोदय, बिजली के संबंध में मेरा निवेदन है कि राजस्थान के इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की स्थापना हुई। हमारा देश आजाद हुआ उसके पहले छोटे-बड़े राजस्थान के राज्य थे उनमें बिजली की व्यवस्था की शुरूआत सन् 1925 के आस-पास हुई। उस समय में बिजली एक लग्जरी की आइटम मानी जाती थी और इने गिने स्थानों पर दिखाई देती थी। बहुत से छोटे राज्य थे उस समय में उनके यहां नल और बिजली की व्यवस्था थी। दूसरे बड़े राज्यों में यह व्यवस्था आबादी में आई। वर्ल्ड वार द्वितीय के पश्चात् और हमारा देश आजाद हुआ उसके पश्चात् अणुयुग का प्रादुर्भाव हुआ और बिजली हमारा एक मुख्य प्रगति का साधन बनी। आज किसी भी राज्य की प्रगति के लिए बिजली एक मुख्य साधन है। बिना बिजली के हम प्रगति नहीं कर सकते। फिफ्थ फाइनेन्स कमिशन के अनुसार यह कहा गया है कि राजस्थान के

(श्री लक्ष्मणसिंह)

अन्दर प्रोडक्शन और डिस्ट्रिब्यूशन जो कि व्यवस्था बिजली की है वह हाई है, एबनॉर्मली हाई है अगर उनके शब्द में यहां पर सदन के समक्ष दोहराऊं राजस्थान की जो स्थिति है वैसी की वैसी स्थिति आसाम की भी बताई गई और उसमें फिफ्थ फाइनेंस कमीशन ने यह उल्लेख किया है कि राजस्थान की यह प्रोडक्शन और डिस्ट्रिब्यूशन की व्यवस्था एबनॉर्मल है। ऐसी कठिनाई है यह भी प्रकृति के कारण है कि जिनके ऊपर कब्जा राजस्थान सरकार भी नहीं कर पाई है। इसके अनुसार अगर अपन देखें तो मैं यह तो नहीं कहूंगा कि पहले के जमाने के अनुसार आज हमने प्रगति नहीं की। हमने प्रगति की है। लेकिन हर एक चीज और खास करके आज मेटिरियलिस्टिक वर्ल्ड में इस कम्पेरिटिव रूप में देखा जाय तो अन्य राज्यों के मुकाबले में राजस्थान पिछड़ा हुआ है और यह निर्विवाद बात है। हमारी जो राजस्थान इलेक्ट्रिसिटीबोर्ड की जो इकोनॉमी है, आर्थिक व्यवस्था है वह सारी की सारी रेडिएटिंग नहीं है वह स्वावलम्बी नहीं हो रही है, वह अत्यधिक खराब हो चुकी है। इसका भी कारण प्राकृतिक कारण है। इसलिए यह केवल कागजों में हम कहें कि ओटोनोमस, स्वावलम्बी संस्था है तो यह हर एक राज्य की व्यवस्था के अनुसार यह संस्था स्वावलम्बी हो सकती है किन्तु आर्थिक दृष्टिकोण से अगर यह संस्था सेल्फ रेडिएटिंग नहीं है, स्वावलम्बी नहीं है, परावलम्बी है तो मुझे यह कहना पड़ेगा कि यह प्रशासन की शाखा है, एडमिनिस्ट्रेशन की एक शाखा है। उसको आप कैसी भी संज्ञा दें, यह भी संज्ञा दें कि आप उसको ओटोनोमस बोर्ड कहें, उसको मैं एडमिनिस्ट्रेशन की शाखा कहूं तो यह परमावश्यक है कि आज जो हमारा राजस्थान स्टट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है उसका राजस्थान सरकार के बीच में सामंजस्य होना परमावश्यक है।

हमारा बिजली के क्षेत्र में पिछड़ापन जो है उसका मूल कारण मैं समझता हूं, उपाध्यक्ष महोदय, मुख्यतः यह है कि हमारे राजस्थान के अन्दर बहने वाली पेरेनियल नदियां नहीं हैं। ऐसी नदियां नहीं हैं जो बारह महीने बहती रहें। एक नदी अलबत्ता एसी है जो भी बिलकुल पूर्वी क्षेत्र में है जो बारह महीने बहती है उसका नाम चम्बल है। लेकिन चम्बल पर भी जो कुछ वहां पर बिजली की व्यवस्था है, बिजली का उत्पादन है उसके ऊपर पूर्णतया राजस्थान का अधिकार हो, ऐसा नहीं है। मध्य प्रदेश का अधिकार उस चम्बल की पावर के ऊपर आधा-आधा, फिफ्टी परसेंट है। उसी तरह से भाखरा, व्यास, पोंग डेम की जो इलेक्ट्रिसिटी है उसमें कई एक का भाग है और राजस्थान भी एक भागीदार है। मैं यहां पर यह अवश्य कहे बिना नहीं रह सकता कि जो जो हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी कडाणा डेम में उपलब्ध होगी उसमें हमारी भागीदारी बिलकुल नहीं है। उसका पूर्णतया लाभ गुजरात को प्राप्त होगा ....

श्री हरिदेव जोशी : कडाणा में हाईड्रोइलेक्ट्रिसिटी जनरेट नहीं करेंगे।

श्री लक्ष्मणसिंह : यह मुझे जानकारी नहीं थी, किन्तु मैंने यह सुना था।

श्री हरिदेव जोशी : केवल इरिगेशन

(श्री हरिदेव जोशी)
का प्रोजेक्ट है और अपने बांसवाड़ा में जो प्रोजेक्ट है उसमें यह प्रपोजल जरूर है कि हम जनरेट करें लेकिन गुजरात में हाईड्रो-इलेक्ट्रिसिटी नहीं होगी ।

श्री लक्ष्मणसिंह : मैं इस सम्बन्ध में, मंत्री महोदय ने जो स्पष्टीकरण किया है उस सम्बन्ध में इतना ही निवेदन करना चाहूंगा कि बजाज सागर में जो व्यवस्था हाईड्रोइलेक्ट्रिसिटि प्रोडयूज करने की है, तो मैं यह अनुमान कर रहा था कि गुजरात में कडाणा डेम में यह व्यवस्था होगी लेकिन आपने यह जो व्यक्त किया है तो भी यह आशंका अवश्य है कि कडाणा में भी हाईड्रो इलेक्ट्रसिटि प्रोडयूज हो सके ऐसी सम्भावना अवश्य है। भविष्य में भी सम्भवतः यह हाईड्रो इलेक्ट्रिक प्रोडयूज करने की कोई बात आगे आवे, इस सम्बन्ध में भी मैं सरकार को यह निवेदन करूंगा कि हमको सतर्क रहना चाहिए । मैं यह नहीं कहता, जैसा मंत्री महोदय न कहा, मैं एक हद तक उस बात को मानने को तैयार हूं, किन्तु मान लीजिए एक मिनिट के लिए, यह जो पड़ौसी सरकारें हैं और सरकार सरकारों के अन्दर भी छीना झपटी हुआ करती है। यह परसनलिटि ऑफ स्टेट और मनुष्य की परसनलिटि में कोई विभिन्नता नहीं रहती । एक राज्य दूसरे राज्य से अनुचित लाभ लेता रहा है अनादि काल से । मैं तो यह निवेदन करूंगा कि बजाज सागर में यह व्यवस्था है तो कडाणा बांध तो उससे बहुत बड़ा है । अगर वे प्रोडयूज करें इलेक्ट्रिक तो सेफटी के लिए प्रोविजन रख दिया जाय कि अगर गुजरात भविष्य में कभी भी इलेक्ट्रिसिटि प्रोडयूज करे तो उसका किसी हद तक लाभ राजस्थान भी लेने का हकदार हो ।

इस सम्बन्ध में मैं एक और भी निवेदन करूंगा। मैं तो लेमेन के रूप से उपाध्यक्ष महोदय, कहता हूं । मुझे कोई इस बारे में एक्सपर्ट जानकारी नहीं है किन्तु माही पर सागला है वहां पर चाकमा, सोम और माही नदिया मिलती हैं। वहां पर जल के बड़े 2 स्रोत हैं। अगर वहां बांध बांधने की सम्भावना हो तो एक हद तक मेरे खयाल में पिछड़े हुए इलाके के लिए आप कोई न कोई इण्डस्ट्रियलाईजेशन की व्यवस्था कर सकते हैं आदिवासी क्षेत्र है, भूखा क्षेत्र है, वहां पर अकाल ग्रस्त क्षेत्र है, वहां पर जंगल सब कट चुके हैं । तो जिस तरह से चम्बल के लिए मैं निवेदन कर रहा हूं कि एक हाईड्रो इलेक्ट्रिक स्कीम जो कुछ भी करेंट हमको चम्बल से प्राप्त होता है वह भी सारे राजस्थान के लिए अपर्याप्त है, तो दो तीन जगह अगर हो सके या कम से कम कोई जगह ऐसी हो सके जहां हाईड्रो इलेक्ट्रिक पैदा कर सकें तो एक हद तक हम हमारी आवश्यकताओं को मीट कर पायेंगे । ऐसी सम्भावना मैं व्यक्तिगत रूप से अनुभव करता हूं । और जो बेणीसर का बांध बनेगा तो उस क्षेत्र में इलेक्ट्रिक आयेगी और हजारों आदिवासियों को वहां गुजारे की, रोजी रोटी की व्यवस्था होगी ।

उपाध्यक्ष महोदय, इलेक्ट्रिफिकेशन के सम्बन्ध में राजस्थान की परिस्थिति स्पेशल कण्डीशन को देखते हुए मैं यह

(श्री लक्ष्मणसिंह)

निवेदन करना चाहूंगा कि आप और तेल से थरमल की इलेक्ट्रिसिटि प्रोड्यूज करने के लिये व्यवस्था होनी चाहिए यह परम आवश्यक है। जहां तक चम्बल से सप्लाई कर सकें, स्वागत है, किन्तु जा हों या राजस्थान को इस रूप से विभक्त कर दिया जाय कि अमुक जोन में स्टीम व्यवस्था हो, किसी तरह से जहां पर कोल वगैरा आसानी से प्राप्त हो सके, अन्य स्थानों पर जहां तेल की व्यवस्था हो और दूसरी जगह पर आपकी व्यवस्था अगर हाईड्रो इलेक्ट्रिक की हो तो यह व्यवस्था मेरे खयाल में ऐसी होगी कि जिससे हमको निराशा का मुंह नहीं देखना पड़ेगा।

अब तो दिन पर दिन वर्षा भी कम होती जा रही है। इसका मूल कारण डी-फोरेस्टेशन है। मैं इन जंगलों के सम्बन्ध में, डी–फोरेस्टेशन के सम्बन्ध में काफी बोल चुका हूं। मैं सदन का बहुमूल्य समय इस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा उठा कर नष्ट नहीं करना चाहूंगा लेकिन मैं यह व्यक्तिगत रूप से अनुभव करता हूं कि वह दिन भी दूर नहीं है कि प्रताप-सागर, गांधी सागर डैम भी कमी पूरी नहीं कर पाये और यह डी-फोरेस्टेशन की वजह से नुकसान बढ़ता रहा है और यह दिन पर दिन पोजीशन एक्यूट हो रही है, इन्क्रीज हो रही है और हमारी समस्यायें इससे बढ़ती चली जायं और हमारे इलेक्ट्रिसिटि बोर्ड की जो स्थिति है वह बद् से बद्तर हो जावे। तो पावर हमको मिल सके, रीजनेबल रेट पर मिल सके, मैं यह नहीं कहता हूं कि हम अग्रणी बनें, हरियाणा की नकल करें। आप की परिस्थितियों के अन्दर कुछ हद तक हम अच्छे हो सकते हों तो निश्चित रूप से थरमल, स्टीम और हाईड्रो इलेक्ट्रिक को हम पावर जनरेट कर ऐसी व्यवस्था हो तो राजस्थान के लिए हितकर होगा। एटामिक पावर, बिजली घर जो कोटा में दिया गया है वह केन्द्र की हमें एक महत्वपूर्ण देन है लेकिन उसमें कब और कितनी और किस कीमत पर बिजली पैदा होगी, यह कोई नहीं कह सकता है। और मैं फिर इस बात को दोहराता हूं कि इस विषय के अन्दर मेरी कोई जानकारी नहीं है और न जानकारी रखने का मैं अधिकारी हूं लेकिन यह संदिग्ध विषय है कि कब और किस कीमत पर हमको यहां से इलेक्ट्रिसिटि मिल सकेगी। मैंने यह भी सुना है कि तार दूसरे लगाने होंगे। अगर तार दूसरे लगाने पड़ेंगे तो यह भी एक खर्चीली व्यवस्था होगी और यह भी मैंने सुना है कि एटामिक एनर्जी से हम अगर बिजली प्राप्त करेंगे तो संभवतः वह भी मंहगी होगी। आज की मंहगी व्यवस्था के अन्दर अगर एटोमिक एनर्जी से हमको मंहगी बिजली मिलती है तो फिर हम कैसे प्रोग्रेस कर पाएंगे। इस पर भी सोचने की आवश्यकता है और हमारा पिछड़ापन जिस तरह से खाद्यान्न के अन्दर है, पेय जल के अन्दर है जिस तरह से कर्ज के अन्दर पिछड़ापन है उस तरह से बिजली के सम्बन्ध में पिछड़ापन रहेगा। मेरा सरकार से विनम्रतापूर्वक यह निवेदन है कि जहां पर पेय जल की व्यवस्था पिछले 25 वर्षों से नहीं कर पाये हैं वहां अकेली पन बिजली के ऊपर हम हमारी सब व्यवस्था को आधारित करेंगे तो मैं यह समझता हूं

(श्री लक्ष्मणसिंह)

कि यह मोकरी है, अवास्तविकता है। इस युग के लिए, बहुमुखी विकास के लिए उपाध्यक्ष महोदय प्रकाश सुविधा के विस्तार के लिए बिजली चाहिए। उद्योगों की स्थापना के लिये बिजली चाहिए। खनिज आधारित उदयोगों की स्थापना के लिए बिजली चाहिए। कृषि, सिंचाई की उन्नति के लिए भी बिजली चाहिए, पेय जल के लिये भी बिजली चाहियें और स्वास्थ्य, चिकित्सा के लिए, डीप एवमरे टेरिफ के लिए बिजली चाहिए। सिनेमा, रेडियो, एयर कन्डीशन इन विषयों के अन्दर भी बिजली अनिवार्य रूप से चाहिए। तो नागरिक जीवन की सुविधा के लिए आज बिजली का साधन परमावश्यक हो गया है। बिजली की आश्रिता दूर हो यह हमारा मूल लक्ष्य होना चाहिए। करन्ट बिना इन्टरप्शन के मिले, बराबर मिलता रहे यह परमावश्यक है। आज गांवों की स्थिति क्या है? मंत्री महोदय मेरे सामने बिराजमान हैं वे भी इसको अच्छी तरह से जानते हैं कि बहुत से गांवों में मैं तो यह कहता हूं कि बिजली लपक लूलियां कर रही है। आज हमने प्रगति की है यह तो निर्विवाद बात है। आज वर्तमान व्यवस्था के अन्दर हम देख रहे हैं, और फिर उसके अन्दर व्यवसायिक व्यवस्था है उसके पश्चात् भी हम जो कीमत वसूल कर रहे हैं उसके बावजूद बिजली नहीं दे पा रहे हैं। मैं तो एक फ्रेज इस्तेमाल करूंगा सरकार की नीति है and the heads I win, tails you lose and the Government wins in any case हर वक्त सरकार का पलड़ा भारी हो, सरकार की बात और सरकार के फायदे को ही प्राथमिकता दी जाए तो यह अनुचित है।

हमारी जो उपलब्धियां हैं उसके सम्बन्ध में मैं कुछ हद तक प्रशंसा किए बिना नहीं रह सकता हूं। सिंचाई और प्रकाश के सम्बन्ध में हमने बड़ी दिक्कतों का सामना किया है लेकिन दिक्कतों का सामना करते हुए, महंगा, सस्ते का उतार-चढ़ाव सबको भुगतते हुए भी हम कुछ कर पाए हैं। मेरे खयाल में अन्य राज्यों के मुकाबले में इतना अधिक नहीं बढ़ पाए हैं तो भी निश्चित रूप से पिछले 25 वर्षों में इधर हम कुछ कर पाये हैं। यह निर्विवाद बात है।

रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन के सम्बन्ध में उपाध्यक्ष महोदय मेरा यह निवेदन करना है कि फर्स्ट प्लान के अन्दर 24 बस्तियों को हम इलेक्ट्रिफाइ कर पाये हैं, सैकिन्ड प्लान के अन्दर 65 बस्तियों को इलेक्ट्रिफाइ किया और थर्ड प्लान के अन्दर 1111 बस्तियों को इलेक्ट्रिफाय किया और फोर्थ प्लान के अन्दर 2665 बस्तियों को इलेक्ट्रिफाइ किया गया है। जो कुछ भी किया हो, यह कोई मामूली काम नहीं है। इस सब का योग होता है उपाध्यक्ष महोदय 4881। इन बस्तियों को हम इलेक्ट्रिफाइ कर पाये हैं। सिंचाई के सम्बन्ध में फर्स्ट प्लान में कुओं को एनरजाइज एक भी नहीं कर पाए। इस प्लान में हमारी उपलब्धी जीरो थी। सैकिण्ड प्लान में यह एक हजार अड़तीस थी और थर्ड प्लान में 5823 और फोर्थ प्लान में 45988 याने करीब 46 हजार। यह भी एक उपलब्धि थी जिसके सम्बन्ध में मैं सरकार से यह निवेदन करूंगा कि यह पर्याप्त नहीं है तो प्रशंसनीय तो है ही।

यहां के उद्योगपतियों के सम्बन्ध में उपाध्यक्ष महोदय मैं यह निवेदन करूंगा

(श्री लक्ष्मणसिंह)

कि यहां के उद्योगपति भारतवर्ष के अन्दर ख्याति प्राप्त हैं । विश्व के अन्दर भी उनकी ख्याति है । फिर मेरी समझ में नहीं आता है कि वे यहां पर आते हैं उद्योगों की स्थापना के लिए और सरकार से निवेदन करते हैं । परन्तु उनको जमीन नहीं मिलती हैं, बिजली के लिए व्यवस्था नहीं हो पाती है । इसमें देरी होती है यह सब तो सरकार की नीति पर आधारित है । शायद सरकार यह विचार करती हो कि हम प्रोग्रेसिव और आधुनिक सरकार हैं । इसलिए हम यह चाहेंगे कि पब्लिक सेक्टर के अन्दर ही इन्डस्ट्रीलाइजेशन और प्राइवेट सेक्टर के अन्दर बिल्कुल ही प्रोत्साहन नहीं दिया जाय । लेकिन जहां तक मैंने सुना है आज भी केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकार एक हद तक मिक्स्ड इकोनोमी के अन्दर विश्वास रखती है और आपने कम्पार्टमेंन्टीलाइजेशन कर दिया है कि अमुक उद्योग को राष्ट्रीयकरण की योजना के अन्तर्गत रखा जाय और अमुक उद्योग को मिक्स्ड इकोनॉमी के अन्तर्गत रखा जाय । तो फिर यह इन्डस्ट्रीलाइजेशन के सम्बन्ध में उद्योगपति आते हैं उनके लिए भी आपको कोई न कोई तात्कालिक कदम उठाना परमावश्यक है, यह मेरा निवेदन है । हम विवश हैं और इन विवशताओं के लिए एक हद तक मेरी सहानुभूति है लेकिन इसको मैं अच्छा कभी नहीं कहता । पचास प्रतिशत आपने कट किया है उद्योगों के अन्दर और 25 प्रतिशत आपने घरेलू उपयोग के लिए कट किया है । यह अगर पच्चीस वर्षों की आजादी के पश्चात, रजत जयन्ती वर्ष के अन्दर हो रहा है (बिजली गुल होने पर) यह भी बिलकुल मेरी बात कह रही है, पता नहीं क्यों बिजली पड़ रही है, बन्द हो रही है,....यह लपट लूलियां यहां पर भी आ गई हैं । यह तो पूर्ण अव्यवस्था है ।

उपाध्यक्ष महोदय, इस सदन के अन्दर चर्चा हुई कि मिट्टी का तेल नहीं मिलता है । कोयला नहीं मिलता है और फिर चारकोल तो मिलेगा ही कहां से ? जंगल कट चुके हैं । अब तो वह दिन आएगा कि घासलेट नहीं है, कोयला नहीं है, कोल नहीं है रेलें जिससे चलती है । यह सब न मिलेगा तो जनजीवन की क्या परिस्थिति होगी और लोगों का उत्पीड़न कितना बढ़ सकता है यह आप स्वयं अनुमान कर सकते हैं ।

छात्रों के सम्बन्ध में यहां पर चर्चा की गई और यह भी कहा गया कि उनके जीवन के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है । छात्र अगर 12 महीनों में 9-10 महीने उच्छृंखलता को अपनायें तो कम से कम इम्तिहान के समय वह मेहनत भी करते हैं, और इसी इम्तिहान के समय न घासलेट मिले, न कोयला मिले और बिजली भी लपटलोलियां करना शुरू कर दे तो फिर जन-जीवन के लिए, जो भविष्य के निर्माता छात्र हैं उनके लिए क्या होगा ? यह भी सरकार गम्भीरतापूर्वक विचार करे ।

मेरा तो यह काम नहीं है कि मैं कुछ सुझाव दूं, लेकिन गलत हो या ठीक हो मैं इतना तो जरूर कहूंगा कि यह कटौती विवशतापूर्वक हमने की है तो सिनेमाओं के अन्दर बिजली देना कम करें, मैं नहीं कहता कि बन्द करें । मैं यह भी नहीं

(श्री लक्ष्मणसिंह)

कहता कि सरकारी कार्यालयों के अन्दर बिजली बिल्कुल ही मत दीजिये, लेकिन अगर हमने विवशतापूर्वक कटौती को अपनाया ही है तो हाथ से पंखा चलाने की व्यवस्था भी पुराने जमाने की व्यवस्था सरकारी कार्यालयों और मिनिस्टरों के बंगलों के ऊपर आप कराइये ताकि और कुछ तो नहीं थोड़े बहुत लोगों को एम्लॉयमेंट भी मिल सकता है।

उपाध्यक्ष महोदय, 20 युवक इन्जीनियर दो दिन पूर्व मुझे मिलने को आये। उनका यह कथन था कि सरकार ने उनको मकान भी दिये हैं, उनको ऋण भी दिया है, उनको मशीनरी भी दी है, अब पॉवर देने के लिए, सरकार ने उनको करेन्ट देने के लिए असमर्थता प्रकट की है, इन्कारी दे दी है। उसमें बड़ी निराशा थी। केवल 20 ही आदमियों का यह प्रश्न नहीं है, उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह समझता हूं यह एक मनोवैज्ञानिक प्रश्न है फ्रस्ट्रेशन इन यंगर जेनेरेशन उत्पन्न होता है तो मेरे खयाल से कोई प्रगतिशील सरकार के लिए यह शोभनीय नहीं है, और समाजवादी सिद्धान्त के अन्दर जो सरकार विश्वास करती है उसके लिए वह अच्छी चीज नहीं है। मैं यह भी सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि अगर यह इन्जीनियर सफल होते ह तो आपको एक रास्ता दिखाई देता है कि जिसके आधार पर आप एक एम्पलॉयमेंट की व्यवस्था सुदृढ बना सकते हैं। अगर यह लोग सफल भी नहीं होते है तो आपको यह भी अनुमान. हो जायगा कि किस प्रकार की स्थिति का सामना शनैः-शनैः आपको करना पड़ेगा। उनकी मांग, उपाध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं साधारण है। कटौती के बाद भी जहां तक मुझे जानकारी है सरकार ने यह व्यवस्था की है कि 120 दिन की करन्ट की सप्लाई की व्यवस्था का उन्होंने पहले से प्रबन्ध कर रखा है। 120 दिन में 2 घण्टा और 10 मिनिट के लिए ही वह करन्ट चाहते हैं। वह यह भी कहते हैं कि 50 प्रतिशत वह कटौती भी मानेंगे। मैं सूक्ष्म रूप से यह निवेदन करूं, उपाध्यक्ष महोदय, कि 120 दिन के अन्दर 130 मिनिट के लिए अगर उनको करन्ट दे दिया जाय तो सरकार की बड़ी कृपा होगी, और उन लोगों के लिए भी एक रास्ता दिखाई पड़ेगा कि जिसके द्वारा वह अपना जीवन-यापन कर सकें।

प्लान्ट्स और मशीनरी के घोटाले के संबंध में केपेसिटिलाइजर्स, बूस्टर्स, कन्डेन्सर्स, फ्यूज बेट्रीज के अन्दर मैं नहीं पड़ना चाहता। होते होंगे और घोटाले हुआ ही करते हैं। जहां पर करोड़ों रुपयों का खर्चा होता है वहां आजकल के जमाने म होना स्वाभाविक है। लेकिन मैं यह निवेदन अवश्य करूंगा कि घाटे का अनुमान 492 लाख का स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के विषय में है, करीब 5 करोड़ का घाटा है। यह एक बड़ी चिन्तनीय स्थिति है। दिस इज नाट आटोनॉमस बोडी, यह एक स्वावलम्बी स्वायत्त संस्था नहीं है। यह एक व्यवसायी संस्था है इसलिए जैसा मैंने पहले कहा यह ब्रान्च ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन भले ही हो यह एक आटोनॉमस बोडी नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं विशेष निवेदन नहीं करना चाहूंगा। जहां तक कि मेरे क्षेत्र का सम्बन्ध है मैंने पहले भी निवेदन किया उस संबंध में सरकार ने कुछ व्यवस्था

(श्री लक्ष्मणसिंह)

की है। मेरे क्षेत्र में भी बिजली की व्यवस्था की गई है। इसके लिए मैं आभार प्रदर्शित करता हूं, लेकिन उसके साथ-साथ मैं यह भी निवेदन करूंगा कि अन्य क्षेत्र और खास तौर से श्री मीखा भाई का निर्वाचन क्षेत्र जो कि मेरे पड़ोस में उसकी तुलना में मेरे क्षेत्र में बिजली का विस्तार नगण्य है। कोई किसी का क्षेत्र सदा के लिए नहीं है लेकिन सदन की परम्परा है कि अपनी-अपनी बात सभी कहते हैं। मैं यह निवेदन करूंगा कि मीखा भाई के क्षेत्र के अनुपात म, कम्पेरीजन म अगर मेरे क्षेत्र में आधी भी बिजली की व्यवस्था की जायगी तो मैं आभारी होऊंगा। बस इतना ही मुझे निवेदन करना है।

श्री उपाध्यक्ष : श्री गुमानमल लोढा।

श्री गुमानमल लोढा (जोधपुर) : माननीय उपाध्यक्ष, बिजली के बारे में आज बजट सदन के सम्मुख प्रस्तुत है। बजट से संबंधित सबसे बड़ा मूल प्रश्न जो इस समय राजस्थान प्रदेश की सारी जनता को चिन्तित कर रहा है वह बिजली की कटौती है। उपाध्यक्ष महोदय, यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि जिस समय सत्र के अन्दर सारी समस्याओं के ऊपर चर्चा चल रही थी व सदन का सत्र का प्रारम्भ था उस समय सदन के माननीय सदस्यों को विश्वास में लिये बिना, यहां किसी प्रकार की घोषणा किये बिना विद्युत की कटौती की महत्वपूर्ण नीति के बारे में और उसका विस्तृत विवरण और उल्लेख सदन में किये बिना विद्युत मण्डल के द्वारा अलग से राजस्थान में घोषणाएं की गई हैं। मैं समझता हूं, उपाध्यक्ष महोदय, अच्छी परम्परा यह होती कि जो राजस्थान की ढाई करोड़ जनता के जीवन के साथ के अन्दर लगी हुई एक समस्या है, और जैसा कि हमारे माननीय महारावल साहब ने कहा बिजली का प्रश्न चाहे सिंचाई के साथ में हो, चाहे पढ़ने वाले विद्यार्थी के लिए हो, या कार्यालय में कार्य करने वाले व्यक्ति के लिए हो अथवा अन्य व्यापारी, किसान, मजदूर सब व्यक्तियों की जरूरत के साथ में जुड़ा हुआ था। चाहिए तो यह था कि यहां पर उस प्रश्न के ऊपर नीति निर्धारित की जाती। सदन के सदस्यों को कॉन्फीडेन्स में, विश्वास में लिया जाता और कम से कम यह घोषणा यहां पहले की जाती, मैं नहीं कहता कि यह कोई प्रिविलेज का इश्यू हो, लेकिन परम्परा के नाते, प्रोप्राइटी के नाते मैं इसको बहुत बुरा समझता हूं विशेष रूप से राज्य सरकार की स्वीकृति के द्वारा हुआ है। माननीय विद्युत मंत्रीजी को चाहिए था कि सदन में इसकी घोषणा करते और इस पर चर्चा करवाते।

माननीय उपाध्यक्ष, सबसे पहले कटौती के बारे में निवेदन तो यह करना चाहूंगा कि जब सितम्बर के माह से पहले यह पता लग चुका था कि इस बार वर्षा कम हुई है और हम साधारण बिजली जिस रूप में दे रहे हैं वह नहीं दे सकेंगे तो दूरदर्शिता यह होती, आवश्यकता इस बात की थी कि विद्युत मण्डल पहले से ही इलेक्ट्रिसिटि की सप्लाई कम करता और आज जो 50 पर्सेन्ट, 33 पर्सेन्ट या 25 पर्सेन्ट कट करने की नौबत आई है उसके स्थान पर यदि उस समय से रेग्युलेशन किया जाता तो 10, 15 पर्सेन्ट से हो सकता

(श्री गुमानमल लोढ़ा)

था। उसमें इतनी बड़ी बेकारी नहीं होती आज कई छोटी इन्डस्ट्रीज बन्द हो गई हैं, उनमें ताले लग गये हैं, जो दो शिफ्ट में काम करती थीं वे एक शिफ्ट में काम कर रही हैं और दूसरी शिफ्ट के हजारों मजदूर बेकार हो गये हैं। विद्यार्थी यह आशा लगाये बैठे थे कि परीक्षा के समय रात को पढ़कर वह परीक्षा पास कर लेंगे, वह निराश हो गये हैं। उनको चेतावनी दी गई है कि अगले माह उधर परीक्षा में जाना पड़ेगा और इधर बिजलीघर का एक-एक व्यक्ति आयेगा जो आपकी करन्ट काट कर चला जायगा। यह अदूरदर्शिता की अकर्मण्यता की मिसाल है। हमारे विद्युत् मण्डल समय रहते इसको पहचान नहीं सका, इसका एस्टीमेट नहीं कर सका और उसके अनुसार काम नहीं कर सका।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, म यह भी कहना चाहूंगा, जहां तक विद्यार्थियों का प्रश्न है, मैं समझता हूं, इस बारे में हमें निश्चित रूप से नीति निर्धारित करनी चाहिए। हमारे देश के भाग्य और भावी निर्माता हैं, वह पांच पचास नहीं हैं, लाखों की तादाद में हैं, उनके आज परीक्षा के दिन हैं, वह अपनी तैयारी कर रहे हैं, उनके भाग्य का फैसला होने वाला है। उनके लिए डॉमेस्टिक कन्जम्प्शन का जहां तक प्रश्न है, मैं समझता हूं, यह मानवीय पहलू है, आवश्यक भी है, इसलिए विद्युत् मन्त्री को इस बात की घोषणा करनी चाहिए, जहां तक डॉमेस्टिक कन्जम्प्शन का प्रश्न है, अप्रैल में और मई के आधे महीन तक, जब तक सब विद्यार्थियों की परीक्षा हो जाती है, इसम कटौती नहीं की जायगी। अब किस प्रकार से इसको कम्पेन्सेट किया जाय, सिनेमा को बिजली अधिक देना बन्द किया जाय, अथवा 23 तारीख से जो व्यापारिक संस्थायें शाम को सात बजे बन्द करनी हैं, वह पहले बन्द की जायं ताकि यह विद्यार्थियों का प्रश्न है, इस पर विचार हो सके और विद्यार्थियों के हित में डॉमेस्टिक कन्जम्प्शन म कटौती नहीं की जाय। यह मेरी मांग है।

इन्जीनियर्स ने एन्टरप्राइज खोले हैं, जिनके बारे में संकेत किया गया, मुझे यह बताया गया, मैं सोचता हूं, वह सत्य ही होना चाहिए, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बेरोजगार इन्जीनियर्स का डेपूटेशन कल माननीय मुख्य मंत्री से मिला, उन्होंने यह स्वीकार कर लिया, जिन लोगों ने राज्य सरकार से कर्जा लिया है, सेंट पर्सेण्ट रकम जो मिलती है बेरोजगारी के कारण एस्टेब्लिश होने के लिए, एन्टरप्राइज लगाने के लिए, जयपुर में बड़ा खर्च तो नहीं है, जोधपुर में भी है और पूरे राजस्थान में दो करोड़ से अधिक राशि राज्य सरकार की लगी हुई है और बीस नहीं, 60, 70, 80 इन्जीनियर्स का भाग्य उनके साथ बंधा हुआ है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज कहा जाता है, आपको एक दिन के लिए एक यूनिट मिलेगी, एक यूनिट एक दिन के लिए और वह भी उद्योग चलाने के लिए यह मखौल है, खिलवाड़ है, यह जले पर नमक है, बेरोजगार पहले से भटक रहे थे, कई सालों से परेशान हो रहे थे सड़कों पर, बड़ी मुश्किल से उन्हें एस्टेब्लिश किया, खूनपसीना एक करके, सरकार ने मदद की, रुपया लगाया–अब उनको बन्द करने जा रहे हैं। कहते हैं, टेम्प्रेरी कनेक्शन थे। मेरा निवेदन है कि उन्हें रिमूव नहीं किया जाय, क्योंकि कल फिर लगाने पड़ेंगे। कल

(श्री गुमानमल लोढ़ा)

कुछ लोग मेरे पास आये, उन्होंने कहा, माननीय मुख्य मंत्रीजी ने स्वीकार कर लिया है, 4 हजार यूनिट तक राजस्थान में उनको देंगे। 20 हजार किलोवाट से ऊपर जिनके पास है, उनमें से 30 हजार के बजाय 25 हजार तक के लिए कहा है और 40 हजार वालों को 20 हजार के लिए कहा। मुझे यह बताया गया, कहां तक गलत है, सही है यह माननीय मंत्री इसका स्पष्टीकरण देंगे। लेकिन रात-रात के अन्दर मुख्य मंत्री का निर्णय बदल दिया गया। मुख्य मंत्री ने घोषणा कर दी, इन्जीनियर्स ने बड़ी आशा के साथ सोचा कि घर जाकर परिवार के साथ बैठेंगे, मित्रों के साथ खुशी मनायेंगे कि हमारे एन्टरप्राइज पर ताला नहीं लगेगा, उसमें अन्धेरा नहीं होगा, हम अपने एस्टेब्लिशमेंट को चला सकेंगे। लेकिन प्रातः जब विद्युत मंत्री से मिले तो उन्होंने उस बात को स्वीकार करने से इन्कार कर दिया, मैं अलग-अलग लोगों के लिए अलग-अलग पॉलिसी नहीं बना सकता। मोटे तौर से उनकी बात ठीक है, जब विषमता को मिटाने की बात करते हैं, समता लाने की बात करते हैं तो उसमें से ध्वनि निकलती है, सबको एक डण्डे से हांकें। लेकिन माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न इतना सरल नहीं है कि यह कह दिया जाय, चाहे विद्यार्थी हो, चाहे इन्जीनियर हो, चाहे दुकानदार हो, चाहे इन्डस्ट्री वाला हो, बड़ी इन्डस्ट्री वाला हो, छोटी इन्डस्ट्री वाला हो, इरिगेशन का काम हो, कोई कुआं लेकर बैठा हुआ हो—उनको समान तरीके से दी जायगी। मैं विद्युत् मंत्रीजी से निवेदन करूंगा, इसलिए नहीं कि मुख्य मंत्री जी ने कह दिया है, उनके वचन को न टाला जाय या उसे चर्चा का विषय बनाया जाय, बल्कि इसलिए कि आपने एक मानवीय दृष्टिकोण से, क्योंकि उनका भविष्य अन्धकारमय बनता जा रहा है, एक हाथ से लोन दिया जिससे वह उद्योग लगायें, दूसरे हाथ से आप उसको छीन रहे हैं, उनके उद्योग में डेड-लोक आ जायगा, उनकी इन्डस्ट्री बन्द हो जायगी, उनकी इन्डस्ट्री में ताला लग जायगा। मैं मंत्री महोदय से प्रार्थना करना चाहूंगा, वह बड़े इन्डस्ट्रियलिस्ट नहीं हैं कि एक साल नुकसान हो तो कोई बात नहीं, अगले साल उसकी पूर्ति कर लेंगे। इससे उनकी जीविका का आधार छिन जायगा, उनके परिवार का आधार है, उनके भविष्य का आधार है वह हमेशा के लिए छिन जायगा और उनके जीवन के अन्दर अन्धकार हो जायगा। आपने दो करोड़ रुपये की रकम लगा रखी है, वह खत्म हो जायगी। और बेरोजगारी को मिटाने के लिए जो आपने दिशा दी है उसमें आप गत्यावरोध पैदा कर देंगे। मैं ज्यादा डिटल में न जाकर, क्योंकि विद्युत् मंत्रीजी परिचित हैं, केवल यह कहूंगा कि इसके सम्बन्ध में रास्ता निकाला जाय, और माननीय मुख्य मंत्रीजी ने जो घोषणा की है उसे स्वीकार किया जाय, अथवा इसका कोई तरीका निकाला जाय जिससे काम चलता रहे। अगर टेम्प्रेरी कनेक्शन को एक्सटेंड कर दिया जाय तो वह इन्डस्ट्री चल सकती है। यह रास्ता निकाला जाय तो मैं समझता हूं कि यह जनहितकारी और कल्याणकारी राज्य के अनुकूल होगा।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अब मैं राजस्थान इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के बारे में

(श्री गुमानमल लोढ़ा)

कुछ कहना चाहूंगा । एक तो मैं यह कहना चाहूंगा कि वहां पर कई वर्षों से इंजीनियर और स्टाफ के लोग काम करते आये हैं लेकिन सर्विस रेगुलेशन, के बारे में अस्थिरता है । सर्विस रेगुलेशन, जो सरकारी कर्मचारी हैं, चाहे छोटे हों, चाहे बड़े हों, चाहे चपरासी हों या सेक्रेटरी हों—उनके जीवन को रेगुलेट करने के लिए, उनके भविष्य की ओर संकेत करने वाले और उनके भविष्य को निर्धारित करने वाले होते हैं, यह आवश्यक वस्तु है, जिनसे उनको पता लगता है, परमानेन्ट-टेम्प्रेरी का यह भेद है, स्केल यह मिलेगी, छुट्टियों का यह प्रावधान है, बोनस का यह प्रावधान होगा, पद प्रमोशन के बारे में यह प्रावधान होगा । जब तक सर्विस रेगुलेशन नहीं बनाये जाते हैं तब तक सीनियोरिटी, प्रमोशन—प्रमोशन एडहोक होंगे, टेम्प्रेरी होंगे, परमानेन्ट होंगे, सीनियोरिटी-कम मेरिट से होंगे, या सीनियोरिटी से होंगे, ओपन कम्पीटीशन से होंगे, या केवल उन्हीं में से होंगे। यह अस्थिरता दूर होनी चाहिए। मैं व्यक्तिगत रूप से नहीं परिचित हूं कि कहां पर क्या हुआ, यह अवश्य है, जहां सर्विस रेगुलेशन निश्चित नहीं होते, जहां हर बात डिस्क्रिशनरी रखी जाती है, जहां पर किसी विभाग या बोर्ड या किसी भी महकमे के अन्दर मुख्य अधिकारियों की इच्छा के अनुसार, दया के अनुसार, डिस्क्रिशन के ऊपर रखा जाता है, किस को प्रमोशन दें, किस को टेम्प्रेरी समझें, किस को परमानेन्ट समझें, किसको कहां पर रखें, कौनसा पे स्केल दें, वहां पर स्कैण्डल्स के साथ अन्धेरगर्दी होती है, फेवरिटिज्म होता है, नेपोटिज्म और करप्शन का डेम बन जाता है । राजस्थान इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड आज फेवरिटिज्म, नेपोटिज्म और करप्शन का डेम बना हुआ है । यह इस कारण से भी है कि कभी भी इस बात का प्रयास नहीं किया गया कि निश्चित रूप से सर्विस रेगुलेशन बना कर स्थायी तौर से प्रबन्ध कर दिया जाय, बता दिया जाय कि उनके जीवन के अन्दर सर्विस के बारे में इस प्रकार से प्रगति होगी।

उपाध्यक्ष महोदय, इस सम्बन्ध में मैं यह कहना चाहूंगा, आज यह विवाद चल रहा है, राजस्थान में ही नहीं, बाहर भी और वह यह है. ब्यूरोक्रेट्स और जो टेक्निकल एक्सपर्ट्स होते हैं, टेक्नोलोजी के अन्दर एक्सपर्ट्स होते हैं, उन एक्सपर्ट्स और सर्विस हैड, जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, के बीच में विवाद चल रहा है, यह विवाद हमारी प्रोग्रेस को, हमारे बढ़ते हुए चरणों को, विद्युत् के अन्दर होने वाले विकास को अवरुद्ध कर रहा है । मैं कहना चाहूंगा इसके बारे में, वैसे मैं इसके बारे में अपने आपको न तो अनुभव वाला व्यक्ति कहता हूं, न क्लेम कर सकता हूं कि एक्सपर्ट नालेज है, फिर भी मैं यह अवश्य कहूंगा कि जो एक्सपर्ट होते हैं, जो सब्जेक्ट के अन्दर, टेक्निकल साइड में जो विशिष्ट प्रतिभा रखते हैं सब्जेक्ट के अन्दर, उनको उचित स्थान मिलना चाहिए। आज राजस्थान इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के चेअरमैन हैं, मुझे चेअरमैन के प्रति किसी प्रकार का व्यक्तिगत दुर्भाव नहीं है, न मैंने चेअरमैन के बारे में कोई शिकायत सुनी है, फिर भी टेक्निकल एक्सपर्ट हैं. वह यदि चेअरमैन होता है तो मैं समझता हूं कि टेक्नोलोजी के अन्दर प्रगति की दिशा है, उसका अनुभव है इसलिए टेक्नोलोजी की दिशा है उसमें गति मिलेगी इसका मतलब यह नहीं है कि आइ० ए० एस० अधिकारी या ब्योरोक्रेसी इन्कम्पीटेन्ट है लेकिन जहां टेक्नोलोजी

(श्री गुमानमल लोढ़ा)

का प्रश्न है वहां पर जो एक्सपर्ट है. वही दिशा दे सकता है। सही माइने में प्लान बना सकता है, इसलिए मेरी मांग है कि विद्युत मंडल का अध्यक्ष टेक्नीकल एक्सपर्ट होना चाहिए। इस मामले में एक बात और कहना चाहता हूं कि हमारे यहां पर जो टेक्नीकल मेम्बर होता है विद्युत मंडल के अन्दर, उसमें प्रतिभाशाली जो टेक्नीकल एक्सपर्ट है उसको ही रखा जाना चाहिए। मैं किसी विशेष व्यक्ति के लिए विवाद में नहीं जाना चाहता। एक बात मैं और विद्युत मंडल के बारे में कहना चाहूंगा कि कोटा में 400 मेगावाट का थरमल प्रोजेक्ट हमें केन्द्र ने दिया। यह दुर्भाग्य है कि 100 करोड़ का प्रोजेक्ट था। दो साल पहले केन्द्र के द्वारा आवंटन हुआ, घोषणा की गई, हमारे साथ में हरियाणा व पंजाब के लिए भी घोषणायें की गई यह तो सर्वविदित है कि हरियाणा और पंजाब हमारे प्रशासन से, हमारे राज्य से इस बारे में काफी आगे बढ़ चुके हैं और बाजी मार चुके हैं। हरियाणा की बिजली का उदाहरण दिया जाता है। मैं इस थर्मल प्लांट की बात करता हूं हरियाणा व पंजाब ने सुपरिन्टेंन्डिग इंजीनियर, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर और 5-7 लोगों को परमानिन्टली पोस्ट कर दिया। उन लोगों को यह काम था कि प्लानिंग करके इस प्रोजेक्ट को इम्पलीमेंट करवायें जबकि हमारे यहां पर एक व्यक्ति को केवल रखा गया नामीनल और इस कारण से आज इस 400 मेगावाट प्लांट का कहीं भी किसी प्रकार का प्रोग्रेस का संकेत नहीं मिलता। उस प्लांट को लेकर जो कमिटमेंट करवाया था, हरियाणा व पंजाब ने उसको पूरा कर लिया और राजस्थान पीछे रह गया और हम नहीं चाहेंगे लेकिन ऐसा लगता है कि हमारी अकर्मण्यता हमारी इमेजिनेशन की कमी के कारण हम इस प्लांट को अपने हाथ से खो बैठेंगे। मैं चाहूंगा इस बारे में स्पष्टीकरण किया जाए कि क्यों नहीं हमने इस बारे में तत्परता से काम किया और हरियाणा व पंजाब के कमिटमेंट्स पार हो गए। हम क्यों पीछे रह गए।

बिजली के अन्दर बहुत बड़ा घाटा दिखाया गया। महारावल साहब ने बताया। घाटा जितना हुआ वह क्यों हुआ उसका विश्लेषण हमें करना चाहिए। उसके विश्लेषण में जब हम जाते हैं तो कुछ बातें मैं बताना चाहूंगा। एक तो बहुत महत्व की बात है जिसकी ओर मैं माननीय विद्युत मंत्री का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, वह यह कि जहां पर विद्युत मण्डल और विद्युत विभाग से दूसरी कम्पनीज को एडवांस दिया जाता है, उनकी ओर से पैसा जमा रहता है, वहां पर राजस्थान में मान इंडस्ट्रियल कार्पोरेशन जिसका दूसरा नाम है मान स्ट्रक्चरल्स उनको 9 लाख रुपये एडवान्स पैमेंट किया गया, पी० एन० 853 के अगेन्सट में 24 फरवरी 1970 को किया गया और शर्त यह थी कि जून 1970 तक वह राजस्थान विद्युत मंडल को 9 लाख एडवांस पैमेण्ट के अगेन्सट में उनके साथ जो कान्ट्रेक्ट हुआ था उसका पालन करेंगे और मंडल को बिजली के टावर्स बनाकर देंगे। फरवरी, 1970 से जून, 1970 भी निकल गया और जून, 1970 के बाद में आज हम जून, 1973 के पास में आ रहे हैं, वह रकम अभी भी उनके पास में जमा है। माल का नामो-निशान नहीं। विद्युत मडल की रकम उनके

(श्री गुमानमल लोढा)

पास में रही है, कोन्ट्रेक्ट के अनुसार उसका पालन नहीं कर सके और यह क्यों हुआ ? इसके लिए कौन जिम्मेवार है ? मैं तो केवल यही कह सकता हूं कि विद्युत मंडल की शासन व्यवस्था जिम्मेदार है। कोई भी व्यक्ति हो, चाहे उस समय के चेयरमैन हों, चाहे उस समय के मंत्री महोदय हो, मैं व्यक्तिगत विवाद में नहीं जाना चाहता लेकिन एक बात स्पष्ट है कि यह घपला हुआ है, घोटाला हुआ है, बड़ा स्कैंडल है और यह क्यों हुआ है, इसके लिए कौन जिम्मेवार है ? 1970 से 1973 तक बराबर ऑर्डर को एग्जीक्यूट नहीं किया, हमारी रकम उनके पास में एडवान्स जमा रही। राज्य सरकार को एडवांस में देने की जरुरत क्या थी ? विद्युत मंडल आटोनोमस बोडी है उसकी इतनी प्रेस्टीज होनी चाहिए, उसका ऑर्डर आनर होना चाहिए। अगर माल नहीं दिया तो वापस रिफंड होनी चाहिए थी, पेनल्टी लगनी चाहिए थी। तो वह रकम आज तक वहां जमा है। यह सारा स्कैण्डल अभी भी चल रहा है और ऐसे अनेक हैं मैं इसमें नहीं जाना चाहता इसको अलग से रखूंगा जब विषय आएगा, यहां केवल संकेत मात्र कहता हूं।

दूसरा उदाहरण मैं देता हूं विद्युत मंडल को इतना बड़ा नुकसान होने का। मीटर्स का पर्चेज किया गया, और सारी खरीद जयपुर मेटल्स व इलेक्ट्रिकल्स के द्वारा की गई जो करीब एक करोड़ की होती है। उधर एक आंध्र प्रदेश की फर्म थी उसने कहा हम कम कीमत में मीटर्स देंगे लेकिन उसका स्वीकार नहीं किया गया टेण्डर और जयपुर में जे० एम० ई० से सप्लाई ली गई और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि इसी फर्म ने मध्य प्रदेश में एक मीटर के लिए 28 रुपये में तय किया और हमारी राजस्थान सरकार ने विशेष कृपा करके एक मीटर के लिये उनको 34.75 के हिसाब से पेमेंट किया। अपेक्षा तो यह थी कि जिसने राजस्थान में उद्योग लगाया है जिसको सरकार कई तरह से फायदे देती है चाहे बिजली में, चाहे अन्य प्रकार से, वह फर्म राज्य के साथ कन्सेशन करेगी। आंध्र प्रदेश वाली फर्म से 30 रु० में नहीं लिया 28 रु० में नहीं लिया और जे० एम० ई० से 34.75) में लिया। एक करोड़ रुपये का ट्रांजेक्शन हुआ इसमें कितना घोटाला है और विद्युत मंडल को कितना बड़ा नुकसान हुआ, इसका अनुमान लगाया जाना चाहिए। मैं केवल यह कहना तो चाहूंगा कि इसमें कोई न कोई व्यक्ति होंगे, कौन है, इसकी जांच कराई जानी चाहिए लेकिन इतना अवश्य है कि बहुत बड़ा घोटाला है।

यूनिवर्सल केबुल्स, सतना, मध्य प्रदेश में बिरला का एक बड़ा संस्थान है वहां से 1/2 करोड के जेबरा कन्डक्टर्स मंगाए गए सदन में भी प्रश्न आया और उत्तर संतोषजनक नहीं आया, उसको एवॉइड किया गया है कि आर्बीट्रेशन में पड़ा हुआ है लेकिन वह इतना बड़ा स्कैंडल है कि माल वहां से आया उसके बाद में 1½ साल रखा गया, कोई टेस्ट चेक नहीं हुआ, पूरे का पूरा पेमेंट किया गया और उसके बाद जब काम में लेना शुरू किया तो पता लगा कि माल डिफेक्टिव है, काम में नहीं आ सकता। रकम कंपनी के पास में है, रद्दी माल हमारे पास में। अब आप. आर्बीट्रेशन करवा

(श्री गुमानमल लोढा)

रहे हैं, क्या आवश्यकता थी इतना जल्दी पेमेंट करने की ? छोटे छोटे लोगों को तो पेमेंट नहीं करते हैं, मामली 200-500 रुपये की पेमेंट के लिए व्यापारी आपके यहां घूमते रहते हैं जो सप्लायर्स होते हैं उपाध्यक्ष महोदय डेढ करोड़ रुपये का पेमेन्ट किया गया है । बगैर टेस्ट किये ही उस जमाने के चेअरमैन कोई हों, खुराना साहब हों, चाहे कोई अन्य व्यक्ति हो, वह उसके लिये जिम्मेदार है । इतना बड़ा स्कैण्डल किया और राजस्थान की जनता का ढाई करोड़ रुपये का खर्चा आपने क्रिमिनल कोन्सपीरेसी करके कर दिया । उपाध्यक्ष महोदय यह सारा का सारा रुपया उन दोषी अधिकारियों से वसूल कियाजाना चाहिये । और इसके लिये एक जुडिशियल इन्क्वायरी बैठाई जाय इस सारे विषय पर एक न्यायिक जांच की जानी चाहिये । उपाध्यक्ष महोदय जब भी इस मामले को सदन में उठाया गया तो उस वक्त यह कहा जाता रहा कि यह मामला हमने आरबीटरेशन में दे दिया है और बाद में आपने उस पार्टी को पेमेन्ट कर दिया । इसलिये मैं कहता हूं कि उस वक्त का चेयरमैन कोई हो उसे दण्डित किया जाना चाहिये । आज इस वक्त जो बिजली विभाग के अधिकारी हैं वे कह रहे हैं कि हम उस प्लान्ट को चलाने की रिस्क नहीं ले सकते क्योंकि अगर हम उसको काम में लें तो हो सकता है कि वह बिजली फेल हो सकती है । उपाध्यक्ष महोदय, आज अगर हम बाजार से कोई पांच रुपये की चीज भी लेने जाते हैं तो उसे अच्छी तरह से टेस्ट कर के लाते हैं लेकिन राजस्थान में इतना बड़ा स्कैण्डल हो गया, करोड़ों रुपये की मशीनरी खरीद ली गयी उसकी टेक्नीकल जांच तक नहीं करायी और करोड़ों रुपये का राजस्थान सरकार के बिजली विभाग ने पेमेन्ट कर दिया । लेकिन राज्य सरकार ने आज तक उसके खिलाफ में किसी भी अधीकारी की जिम्मेदारी आज तक निर्धारित नहीं की ।

इसके अलावा उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक बात सबसे महत्वपूर्ण है वह भी अर्ज करना चाहता हूं । सन् 66-67 में डी-वेल्यूएशन हुआ था उस समय इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड ने मेसर्स आई० ए० सी०, देहली जो कि एक फर्म है उसने आर० एस० ई० बी० को माल डिलीवरी किया था । यह बहुत ही सनसनीखेज समाचार है । उपाध्यक्ष महोदय उस फर्म को 80 लाख रुपये का ज्यादा पेमेन्ट कर दिया । आपने उनको 80 लाख रुपये का फायदा एक प्रिटेक्स बनाकर किया । मैं सदन में उन अधिकारियों के खिलाफ में अरोप लगाना चाहता हूं कि उस फर्म को डिवेल्यूएशन के नाम से फायदा दिलाया, इसकी जांच करायी जाय । यह पेमेन्ट किसके आदेश से हुआ । कौन मन्त्री इसमें शामिल था, कौनसा चेअरमैन था उस वक्त उसके खिलाफ में जांच बैठाकर यह सारा का सारा रुपया उनसे वसूल किया जाना चाहिये और उनके खिलाफ में मुकदमा चालान किया जाना चाहिये । यह 80 लाख रुपया का स्कैण्डल है। इसके अलावा आपने एक पत्र के अनुसार डी० सी० एम० से कान्ट्रैक्ट किया है । उसको अगर देखा जाय तो पता लगेगा कि कितना खर्चीला एग्रीमेन्ट आपने किया है । मैं आपको उस दिन की बात बता रहा हूं जब कि डी० सी० एम० का केस हाई कोर्ट में चल

(श्री गुमानमल लोढा)

रहा था मैं उस दिन कोर्ट में पीछे बैठा हुआ था। दफ्तरी साहब पैरवी कर रहे थे। और राजस्थान सरकार ने एक ऐसा खराब एग्रीमेन्ट किया जिसके अनुसार 3 पैसे से पांच पैसे, पांच पैसे से 8 पैसे बढाने की बात थी। इसमें आपको 15–20 लाख रुपये का नुकसान हुआ था। इतना लर्चील कान्ट्रेक्ट डी० सी० एम० के साथ करते हैं और फिर बाद में यहां पर आप आकर बजट में सात करोड़ रुपये का घाटा बताते हैं। आज आपके पास खेती करने वाले काश्तकारों के लिये कुओं में बिजली देने के लिये बिजली नहीं है उनके काम अवरुद्ध हुए पड़े हैं लेकिन आप बड़े-बड़े धन्ना सेठों को चाहे वह भरतराम चरतराम हो, चाहे साहू जैन हो, चाहे जे० के० सिन्थेटिक हो उनको कितनी सस्ती बिजली देते हैं और आज आप राजस्थान की जनता के साथ विश्वासघात कर रहे हैं। लेकिन आप राजस्थान की जननता के हितों की बात करते हैं। राजस्थान सरकार ने इस प्रकार के कोन्ट्रेक्ट इन धन्ना सेठों के साथ करके जुर्म किया है ये मुलजिम है इन्होंने राजस्थान की जनता, ढाई करोड़ जनताके साथ धोखा किया है और इस प्रकार के धोखे करके आप 8 करोड़ रुपये का बजट घाटा होने का दिखाते हैं। उपाध्यक्ष महोदय आज राजस्थान इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में तीन बातें विशेष पाई जाती हैं पहली तो यह कि वहां पर जो इन्जीनियर्स क्वालिफाइड हैं उन्हें प्रमोशन नहीं देकर इगनोर किया जा रहा है। उन्हें आगे बढने का अवसर नहीं दिया जाता है। वहां पर अनियमितता की जा रही है यह सभी अनियमिततायें इन चेयरमेन महोदय के जमाने की नहीं है वे पहले वाले चेयरमैन साहब थे जो आज यहां पर चीफ सेक्रेट्री बने बैठे हैं उन्होंने सारी गड़बड़ियां की हैं। वहां पर इन्होंने अपने समय में फेवरटीज्म, नीपोटीजम करप्शन, भाई-भतीजावाद का और भ्रष्टाचार का डेम बना दिया। इसलिये मैं आपके माध्यम से राज्य सरकार को निवेदन करना चाहूंगा कि उनके खिलाफ में कार्यवाही की जाय और भविष्य में ऐसी बातें नहीं दोहरायी जाय इसके लिये व्यवस्था की जाय। और जो कानूनी गलतियां इन्होंने की हैं उनके लिये आज राज्य सरकार रहमदिली बरत रही है और उन्हें बचाने का प्रयास किया जा रहा है उसे रोका जाना चाहिये और उनके खिलाफ जुडिशियल इन्क्वायरी बैठाकर उन्हें सजा दी जानी चाहिये। और जो राज्य का मन्त्री हो, चाहे मुख्य मन्त्री हो, चाहे उप-मन्त्री हो इन्हें डाइरेक्टली या इन-डाइरेक्टली बचाने का प्रयत्न करता हो उसके खिलाफ में कार्यवाही करने का प्रावधान किया जाना चाहिये। बस इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी भावनाएं आपके सामने रखता हूं और निवेदन करता हूं कि इनके ऊपर विचार किया जाना चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष : श्री प्रद्युम्नसिंह।

श्री प्रद्युम्नसिंह (राजाखेड़ा) : उपाध्यक्ष महोदय, आज राज्य के विद्युत मण्डल के बजट व उसके कार्यकलापों पर विचार इस सदन में हो रहा है। उसमें भी अपने विचार सदन के समक्ष रखना चाहता हूं। उपाध्यक्ष महोदय राजस्थान बनने के बाद राजस्थान ने विद्युत की काफी तरक्की की है। आज जो तरक्की राजस्थान में हुई है विद्युत के बारे में वह किसी से छि

(श्री प्रद्युम्नसिंह)

नहीं है। उपाध्यक्ष महोदय, राजाओं के जमाने में भी बिजली होती थी पर वह सभी बिजली राजाओं के राजमहलों तथा उनके शिकारगाहों तक ही सिमित होती थी या उनको बिजली दी जाती थी जिन पर कि राजा-महाराजा लोग मेहरबान होते थे। लेकिन आज राजस्थान सरकार ने गरीबों की तरफ ध्यान रखा है, काश्तकारों को बिजली दी है और उनकी खेती को बढ़ाने के लिये काफी ज्यादा ध्यान दिया है। आज राजस्थान बनने के बाद विद्युत के बारे में काफी प्रगति हुई है। उसके लिये मैं राज्य विद्युत मण्डल की सराहना जित ी करूं उतनी थोड़ी है। उपाध्यक्ष महोदय, आज सदन में कई माननीय सदस्यों ने यह चर्चा की थी कि हरियाणा में आज राजस्थान से ज्यादा बिजली का विकास हुआ है उसने बिजली के मामले में ज्यादा तरक्की की है, और उसके मुकाबले में राजस्थान बहुत ही पिछड़ा हुआ है। लेकिन वे माननीय सदस्य राजस्थान की भौगोलिक परिस्थितियां को नहीं सोचते हैं, राजस्थान की जनता पहले से ही गरीब और पिछड़ी हुई थी और हरियाणा का इलाका पहले से ही काफी सरसब्ज था। इसके आलावा राजस्थान की जनता ढ़ाई करोड़ है और हिन्दस्तान के प्रान्तों को ऐरिया में देखें तो राजस्थान दूसरे नम्बर का है। इसमें 26 जिले हैं और हरियाणा में सिर्फ 8 जिले हैं। अगर कोई मन्त्री अपने मुख्यालय से सुबह रवाना हो तो शाम तक सभी जिलों में इन्स्पेक्शन करके वापिस आ सकता, है। जहां पर राजस्थान में अगर एक मिनिस्टर चाहे तो इतना दौरा नहीं कर सकता एक दिन में। फिर भी मैं इतना जरूर निवेदन करना चाहूंगा कि राजस्थान में इतना सब कु होते हुए भी काफी बिजली का विकास हुआ है और काफी कुओं को बिजली दी गयी उसके लिये मैं राज्य के विद्युत मण्डल की सराहना करना आवश्यक समझता हूं। लेकिन इसके साथ-साथ म यह भी निवेदन करना चाहूंगा राजस्थान सरकार को अण्डर ग्राउण्ड वाटर जहां-जहां पर है उस पानी को बाहर निकाल कर जनता के काम लेना चाहिये। लेकिन मैं समझता हूं कि इस मामले में काफी ढिलाई बरती जा रही है। इसके लिये स्कीम्स बनाई जाय और उनको डवलप करने के लिये भारत सरकार से भी मदद ली जाय तो अच्छा रहेगा। ताकि राजस्थान की जनता को उन स्कीमस का लाभ पहुंचे और उसके साथ-साथ राज्य के इलेक्ट्रीसिटी बोर्ड को भी लाभ होने वाला जो है वह हो।

उपाध्यक्ष महोदय, एक बात और ताज्जुब की सामने आयी है। आज से साल भर पहले, दो साल पहले, हम जोरों से चिल्लाते थे कि राजस्थान पावर के माने में सरप्लस है। और आज इतना बड़ा गप है। यह कैसे हो गया? हम डोमेस्टिक कन्जम्पशन को कट कर रहे हैं, हम इन्डस्ट्री के पावर को कट कर रहे हैं और किसानों के खास-खास इलाकों में आठ-आठ घण्टे के लिये बिजली गायब करदी जाती है। मन्त्री महोदय से निवेदन करूंगा कि साल भर पहले बिजली के माने में हम सरप्लस कहते थे। ट्रान्समिशन के लिये हम नहीं चाहते थे। आज हालत उससे भिन्न है। ओटोमिक पॉवर दो दफा चलना शुरू हुआ और दो दफा बन्द हो गया। कौन जिम्मेदार है सके लिय? भारत सरकार का यह प्रोजेक्ट जरूर है। इसका मतलब यह नहीं है

(श्री प्रद्युम्न सिंह)

कि राजस्थान विधान सभा के सदस्य इस बारे में चुप बैठे रहें। सरकार से कुछ कहें नहीं। आलोचना नहीं करें भारत सरकार का प्रोजेक्ट होने के साथ-साथ राजस्थान के काश्तकारों का भविष्य, राजस्थान के उद्योगों का भविष्य इससे इन सबका भविष्य जड़ा हुआ है। उसका ट्राईल हो रहा है। भगवान करें चलना शुरू हो और बिजली मिले निर्धारित समय पर किन कारणों से यह नहीं चल पाया इसके लिये किस की जिम्मेदारी है ? जो अफसर और कर्मचारी इसके लिये दोषी हैं। क्या राजस्थान सरकार भारत सरकार को लिखने जा रही है कि उनके खिलाफ एक्शन लें। मन्त्री महोदय से निवेदन करूंगा कि इस बारे में उत्तर देंगे तो वे इस पर जरूर प्रकाश डालेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय, अब मैं उन समस्याओं की ओर मन्त्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं जो रोजमर्रा की समस्याएं हैं जिनको काश्तकारों को फेस करना पड़ता है। और उनको बड़ी तकलीफ होती है। मन्त्री महोदय यह कहें कि इलेक्ट्रिसीटी बोर्ड में भ्रष्टाचार नहीं है यह मैं मानने के लिये तैयार नहीं हूं। भ्रष्टाचार है। उसको रोकने के लिये आप क्या कदम उठाने जा रहे हैं ? बिजली के कनेक्शन देने के लिये रिश्वत मांगी जाती है। सिक्योरिटी मनी डिपोजिट किये हुए साल-साल भर, छः-छः महीने हो गये, विधान सभा में प्रश्न उठा था। रिश्वत दे देते हैं तो उनको बिजली के कनेक्शन मिल जाते हैं। उसके लिये क्या व्यवस्था करने जा रहे हैं। मेरा सुझाव है कि सिक्योरिटी मनी डिपोजिट हो जाय तो महीने भर की सीमा बांध दी जाय कि उस सीमा के अन्दर तो उनको कनेक्शन जरूर दे दिये जांय। इसमें यदि कोई इन्जीनियर फेल हो तो उसके खिलाफ एक्शन लिया जाना चाहिये। मैं कई उदाहरण दे सकता हूं कि जहां पर लोगों को साल भर में, छः महीने में कनेक्शन नहीं मिले हैं। एल फार्म लोगों को मिलता नहीं। मेरा सुझाव है कि इस फार्म की प्रणाली को समाप्त ही क्यों न कर दिया जाय। इलेक्ट्रिसिटी एक्ट का प्रोविजन है और हम समाप्त नहीं कर सकते हैं तो इसको भारत सरकार के साथ बातचीत करके तय कीजिये। यह फार्म मिलता नहीं है। इन्जीनियर्स और कान्ट्रेक्टर्स की कनाइवेन्स से यह स्थिति है। धौलपुर की एग्जाम्पल देता हूं। एक भी कान्ट्रेक्टर नहीं है। धौलपुर के लोगों को भरतपुर भागना पड़ता है। कान्ट्रेक्टर्स मुंह मांगे दाम मांगते हैं। दो चार दिन खराब होते हैं। न तो मौके पर कान्ट्रेक्टर किसी को भेजता है और न किसी किस्म का फिटिंग होता है। कागज पर लिख दिया है एल फार्म, इन्जीनियर साहब मान लेते हैं। कान्ट्रेक्टर ने कागज पर लिख दिया और मान लिया आपने। इसलिये इस फार्म की प्रथा को समाप्त करिये। कनेक्शन रिलीज कर देने चाहिये। एल फार्म को समाप्त करने की ओर आप अवश्य ध्यान देंगे। मंत्री महोदय से खास तौर से निवेदन करूंगा।

उपाध्यक्ष महोदय, अभी कुछ दिन पूर्व तकनिकी कर्मचारियों और अधिकारियों की ओर से, मैं तो यह मान कर चलता हूं कि इसमें बड़े इन्जीनियर्स का भी हाथ था, एक बहुत बड़ा मेमोरेन्डम पेश किया जिसमें यह कहा गया कि बोर्ड की व्यवस्था को उनके हाथों में सौंप देना चाहिये। अभी उत्तर

Page No 119

(श्री प्रद्युम्नसिंह)

प्रदेश में बड़ी संख्या में वहां के इन्जीनीयर्स लोगों ने स्ट्राइक कर दिया उनकी मुख्य मांग यही थी कि बोर्ड का अध्यक्ष कोई टेक्निकल आदमी होना चाहिये। उपाध्यक्ष महोदय, स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का चेयरमेन एक आई० ए० एस० ओफिसर है। उसके अन्तर्गत दो चीफ इन्जीनियर, दो सुप० इन्जीनियर हैं। उनकी सलाह पर कार्य होता है न केवल प्रशासन का काम चेयरमेन के पास रहता है। उपाध्यक्ष महोदय, इस पर सरकार की क्या राय है?

इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का हाल यह है कि राज्य सरकार का उस पर कोई कन्ट्रोल नहीं है? ओटोनोमस बोर्ड कही जाती है। राज्य सरकार का कन्ट्रोल नहीं होने की वजह से वहां के अफसर कर्मचारी मनमानी करते हैं। किसी बात की ओर उनका ध्यान नहीं जाता। जनता की तकलीफों की ओर वे ध्यान नहीं देते। इसलिये सरकार की ओर से आई० ए० एस० ओफिसर चेयरमैन होता है तो वह बोर्ड के कार्य को कन्ट्रोल कर सकता है। राज्य सरकार का यदि कोई कन्ट्रोल है तो केवल चेयरमैन के द्वारा ही। यदि चेयरमैन नहीं रहा और उनको ही सर्वे सर्वा बना दिया गया तो वे फिर किसी बात को सुनने वाले ही नहीं। टेक्निकल लोग वहां ह प्रशासन के लिये चेयरमैन बैठे हुए हैं, इस पद को हटा देन से फिर राज्य सरकार का बोर्ड के ऊपर कोई कन्ट्रोल नहीं रह जायगा इसलिये चेयरमेन तो रहना आवश्यक है। इसलिये मंत्री महोदय आपको निवेदन करूंगा कि आप इस बात की ओर कतई ध्यान न दें कि चेयरमैन वहां न रहे। मैं तो यह भी कहूंगा कि इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में इस प्रकार का प्रावधान किया जाय कि राज्य सरकार का उस पर अधिक से अधिक कन्ट्रोल हो। विधान सभा में आपको जवाब देना पड़ता है। विधायकों की तकलीफें सुन कर जवाब देना पड़ता है। उनके कार्यों के लिये हमें उत्तरदायी ठहराया जाता है। हमें बुरा भला सुनना पड़ता है। कनेक्शन बिना रिश्वत लिये नहीं दिये जाते हैं, किसान परेशान होते हैं। राज्य सरकार का ग्रिप अधिक बड़ा होना चाहिये और टेक्नोक्रेट्स की डिमाण्ड है कि उनको कन्ट्रोल में दिया जावे। इस तरह जितने राज सरकार के पद हैं वे उनको दिये जावें। यह सही है कि उत्तर प्रदेश में अपनी यूनिटी के आधार पर दबाकर अपनी बातें इस तरह की सरकार से मनवा ली। सारे राज्य को अन्धकार में डूबा दिया।

पर हमें दबना नहीं चाहिये। मैं जानता हूं राजस्थान सरकार और यहां का इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड इसमें सक्षम है कि इस किस्म की अगर कोई धमकी दी जावे तो उसका मुकाबला सख्ती के साथ कर सकते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, अब मैं एक बात आपसे और निवेदन करना चाहूंगा कि राज सरकार को जिन क्षेत्रों में जिन गांवों में वाटर पोटेन्शियेलिटी है उस तरफ ध्यान देना चाहिये खास तौर से। आज आप राजनैतिक आधार पर जो स्कीमें बनाते हैं वे बन्द कर दें अब। मैं यह नहीं कहता कि जहां वास्तव म आवश्यक है वहां भी न दी जाय। जहां इस तरह की जिनुआइन आवश्यकता है वहां अवश्य दी जाय।

(4.32 म. प.)

(श्री फूलचन्द जैन, सभापति, पदासीन)

(श्री प्रद्युम्न सिंह)

पर राजनैतिक आधार पर तो निश्चित रूप से इस मामले में हस्तक्षेप स्वीकार नहीं किये जावें। बिजली की हर जगह से मांग आ रही है। पर राजस्थान की भयंकर सूखे की स्थिति को देखते हुए इस सूखे को मिटाने का प्रयास सबसे पहले किया जाना चाहिए। इसे टाप प्रायरिटी दी जानी चाहिए। जहां अण्डर ग्राउण्ड वाटर पोटेन्शियेलिटी अच्छी है वहां पहले व्यवस्था की जानी चाहिए। उन एरियाज में सबसे पहले बिजली दी जानी चाहिए ताकि वहां पानी का उपयोग भरपूर रूप से अन्न उत्पादन में किया जा सके।

इस दृष्टि से अलवर, भरतपुर, सवाई माधोपुर, और जयपुर जिले महत्वपूर्ण हैं। इनमें अण्डर ग्राउण्ड वाटर बहुतायत से है और काफी मात्रा में उपलब्ध है और जमीन से बहुत थोड़े नीचे ही उपलब्ध है। इसके लिए एक नमूना मैं आपको बताऊं।

राजाखेड़ा तहसील में बिजली नहीं आने से पहले लोग होली दिवाली पर ही गेहूं के दर्शन कर पाते। बाजरा अधिकतर मिलता था। अब जब से इस इलाके के कुछ गांवों में बिजली विभाग ने 150 के करीब ट्यूब वैल लगाये हैं तब से वहां आज गेहूं की भरमार हो गई है। इसी तरह राजाखेड़ा तहसील में आज भी बहुत सा एरिया पड़ा है। सवाई माधोपुर तो पूरा का पूरा पड़ा है, जयपुर का बहुत सा इलाका बाकी है जहां अण्डर ग्राउण्ड वाटर काफी तादाद में है। राज्य सरकार इन इलाकों का तुरन्त सर्वे करावे और तत्काल कार्यवाही करे, युद्ध स्तर पर करे ताकि हम सूखे की स्थिति से बचें और अन्न उत्पादन में आगे बढ़ें।

मैं आपका ध्यान आकर्षित करूंगा। आप थोड़े दिन पहले धौलपुर पधारे थे। विद्युतिकरण योजना का उद्घाटन किया था। उस समय भी लोगों ने मांग की थी कि इतनी वाटर पोटेन्शियेलिटी वहां है कि एक एक गांव में साठ साठ, सत्तर सत्तर ट्यूब वैल लगाये जा सकते हैं। लोग आतुर हैं कनेक्शन लेने के लिए। दर्ख्वास्तें भी दी गई हैं। तो क्या सरकार इस पर सहानभूतिपूर्वक विचार करेगी। आज भी कई गांव ऐसे हैं जहां आसानी से शीघ्र ही बिजली दी जा सकती है और काफी मात्रा में फायदा पहुंचाया जा सकता है।

(समय–समाप्ति-सूचक घंटी)

कहने को तो बहुत था। पर आपने घंटी बजा दी है तो समाप्त करता हूं।

श्री सभापति: श्री दीपंकर।

श्री दीपंकर (लाडनूं): सभापति महोदय, राजस्थान विद्युत-विभाग का जो कार्यकलाप है उनके बारे में राजस्थान व्यापी तरह तरह की बातें हैं। इसमें कोई शक नहीं कि राजस्थान सरकार की देखरेख में चलने वाला यह संगठन एक ऐसा है जिस पर कहने को चाहे हम कहें कि यह आटोनामस बाडी है इसलिए अलग उनका चिन्तन है, अलग व्यवस्था और अलग कार्य प्रणाली है, पर ऐसा है नहीं। राज्य सरकार की काफी निगरानी और काफी निर्देश इसको दिए जाते हैं। राज्य सरकार की पूरी की पूरी दस्तन्दाजी भी इसमें है। अगर राज्य सरकार इस पर अंकुश नहीं लगाती थोड़ा बहुत तो जो कुछ काम हुआ है राज्य सरकार उतना नहीं करा पाती।

(श्री दीपंकर)

फिर भी इस विभाग की जो भी योजना है, कार्यक्रम हैं, सामान खरीद के मामले हैं इन सबमें काफी बड़े घोटाले हैं, हर स्तर पर काफी बड़ा भ्रष्टाचार इसमें पनप रहा है जिस पर किसी का कोई अंकुश नहीं है। इस बोर्ड की तरफ से जो भी राजस्थान लेवल पर बल्ब, तार होल्डर आदि जो भी सामान खरीद किया जाता है उनमें जो भ्रष्टाचार होता है उनमें इसके पीछे यहां बैठने वाले बड़े बड़े इन्जीनियर और जो भी अधिकारी हैं वे बाहर की बड़ी बड़ी कम्पनियों से इस तरह से सौदेबाजी में फंसे रहते हैं कि राजस्थान के उद्योग धन्धों को जहां इन्सेन्टिव देना उनका फर्ज है, उनको पनपाने में उनका भी काफी योगदान जहां होना चाहिये, वह कतई नहीं हो पाता। मैं उदाहरण के तौर पर निवेदन करूं कि राजस्थान की राजधानी जयपुर में और राजस्थान में एकमात्र इस तरह का सामान बनाने वाली एक कम्पनी है आनन्द इलेक्ट्रिक लैंप की। उस कम्पनी से एक पैसे का सामान ये इन्जीनियर और अधिकारी लोग नहीं खरीदते। सारा का सारा वाहर की अपनी सांठगांठ वाली फर्मों से खरीदते हैं। यहां की इस फर्म के माल में तरह तरह के नुक्स निकाल कर रिजेक्ट करवा देते हैं क्योंकि इससे जाती फायदा उनको इतना नहीं होने की उम्मीद उनको बन्धती है, जितनी बाहर की कम्पनियों से बन्धी हुई है। तो इस तरह से इस बेसिस पर यहां के उद्योग धन्धे को जहां पनपना चाहिये उल्टे वे निरुत्साहित होते हैं। यह एक मैं सीधा चार्ज इस विभाग पर लगाता हूं पूरी जिम्मेदारी के साथ। . . . .

इसके साथ ही साथ गांवों में औद्योगिकरण की योजनाओं को विद्युत् देने का प्रश्न आता है पर इनमें कोई तालमेल नहीं हो पाता। हर जिला तहसील में जो इनके सहायक इन्जीनियर हैं उनका काम शहरों की व्यवस्था देखने का ही रह गया है। इसके लिये मेरा सुझाव है कि हर जिला वाइज अलग अलग यूनिट बिजली विभाग म होने चाहिये। असिस्टेन्ट इन्जीनियर का लेवल का आदमी भी अगर वहां रख दिया जाय तो हर्ज नहीं, बड़ा हो तो और भी अच्छा है ताकि गांवों की योजना में प्राथमिकता के आधार पर पूरी तरह से गौर करके इस काम को पूरा किया जा सके।

बड़ी मुश्किल से तहसील या जिला लेवल पर इलेक्ट्रिफिकेशन की मंजूरी मिलती है सरकार के सहयोग से। परन्तु इन गांवों में मन्जूरियां पड़ी रहती हैं। लोग इन्तजार करते ही रहते हैं। कभी खम्भे खड़े कर दिये तो तार नहीं हैं यह बहाना बनाकर काम को ठप्प कर दिया जाता है, कभी कोई चीज नहीं मिलती, कभी किसी चीज का बहाना कर दिया जाता है। मुझे आश्चर्य है कि जब एक बार स्कीम स्वीकार की जाती है तो इन सब चीजों का ध्यान तो उसी वक्त कर लिया गया होगा। यहां तक कि मैं नागौर जिले की बात कहूं। लाडनूं जैसे अच्छे कस्बे में जहां काफी अच्छी लोकेलिटी है वहां बिजली के बिल जमा कराने के लिये तीस दिनों में केवल एक दिन नियत कर रखा है। वहां ग्राम पंचायत ने हरीजन लोकेलिटी में बिजली लगाने के लिये रकम जमा करा रखी है। टैंकरों के लिये रकम जमा करा रखी है। जो लोग डोनेशन . . .

(श्री दीपंकर)

देते हैं वह रकम बेकार पड़ी रहती है। गांवों में इलेक्ट्रीफिकेशन की योजनाएं अधर में लटक रही हैं। इसलिये मेरा निवेदन करना है कि गांवों की कठिनाइयों की तरफ अधिक ध्यान दिया जावे। वहां बिजली की व्यवस्था की जावे ताकि वे गांव विकसित हो सकें। वहां इनकी उपयोगिता भी बहुत है। राजनैतिक आधार पर किसी गांव को इलेक्ट्रीफाइड करने के लिये जो तरीके अपनाये जा रहे हैं वे हथकन्डे अब बन्द होने चाहिये। अच्छी से अच्छी उपयोगिता वाली अन्डरग्राउण्ड-वाटर स्कीमें हैं, ट्यूब वेल की स्कीमें हैं उन पर बिजली नहीं दी जाती। लोगों की दर्खास्तें पड़ी हैं तो उनको नहीं दिया जावे। इस तरह का सौतेला व्यवहार रखना उचित नहीं है। मूलभूत योजना के लिये बिजली अगर नहीं मिलेगी तो यह हमारी योजनाएं बनाना व्यर्थ है न हमारी घोषणाओं के विपरीत आचरण है। इसलिये यह जरूरी है कि हमारा ध्यान इधर जाना चाहिये।

जैसे सदन में माननीय मन्त्री महोदय ने बताया पर आज भी लाडनूं में जो कन्जूमर हैं 230012400 के लगभग हैं। काफी बड़ी संख्या है उनको एक ही दिन में बिजली के बिल जमा कराने के लिये मजबूर किया जाता है जो असम्भव है। परिणाम स्वरूप उनको नागौर जाना पड़ता है और आने जाने में बिल की रकम से अधिक पैसा खर्च हो जाता है। 15 रुपया और चार पांच रुपया के बिल को भरने के लिये नागौर जाना पड़ता है बीस मील दूर। यहां कोआपरेटिव बैंक भी है। उनको बैंक में जमा कराने की सुविधा देने में इस विभाग को क्या कठिनाई है? आप को-आपरेटिव क्षेत्र को बढ़ावा देना चाहते हैं तब फिर नागौर जाकर जमा कराये जाने के लिये क्यों मजबूर किया जाता है। तो ये वैसे छोटी छोटी बातें हैं पर इस विभाग की भयंकर लापरवाही के कारण वे छोटी-छोटी बातें भी बड़ी समस्या बन जाती हैं।

जो कुछ भी एक उपयुक्त बात है वह यह कि इस विभाग में काम करने वाले इन्जीनियरों की बेसिक मांग है कि हरियाणा पंजाब आदि में जो असिस्टेण्ट इन्जीनियरों को वेतन दिया जाता है अथवा दूसरी जगहों के वेतन ग्रेड हैं उनमें और यहां के इन्जीनियरों के ग्रेड में काफी बड़ा अन्तर है। इससे हमारे इन्जीनियर अपने को उनसे हीन अनुभव करते हैं। इस बारे में कमेटी की रिपोर्ट भी सरकार के सामने है। उन्होंने भी माना है कि असिस्टेण्ट इन्जीनियरों का ग्रेड ठीक किया जाना चाहिये। ये भी उतने ही टेक्नीकल अनुभव और ज्ञान रखते हैं जितनी और जगह के। फिर यह भेद क्यों? इसमें कोई कठिनाई जैसी बात भी नहीं है। यह उनकी बेसिक मांग है और इनमें हीन भावना पैदा न हो यह भी समझ कर हमें इनके ग्रेड ठीक करने चाहियें।

अब इलेक्ट्रिसिटी का जहां तक कमी का सवाल है इसके लिये मन्त्री महोदय को उलाहना देने से काम नहीं चलेगा कि कट क्यों किया जाय। पर इस कट करने में काफी व्यापक दृष्टिकोण अपनाना चाहिये। आज रोड लाईट छः बजे शुरू हो जाती है जब कि दिन 7:1 बजे अस्त होता है। यह रात भर भी जलती है। तो इसके

(श्री दीपंकर)

लिये ऐसा कर सकते हैं कि छः बजे के बजाय देर से जलावें। बारह बजे के बाद कन्वीनियेन्स के अनुसार एक एक जगह की बन्द करते जावें। शुक्ल पक्ष में चांदनी रात में आप बन्द कर दें। विद्यार्थियों का सवाल अहम हो तो उनकी सहूलियत को ध्यान में रखकर कट किया जाय। उनके परीक्षाओं के ये दिन हैं। आने वाले युग में भारत के ये भाग्य विधाता होंगे। इनका ध्यान बराबर रखें। इनको बराबर बिजली मिले। आप किसी भी तरह बेकार इंजीनियर्स है, उनको लोन दिया है जो आत्म निर्भर होने के लिये सचेष्ट थे। उनकी अगर बिजली सप्लाई बन्द हो जाती है तो यह न केवल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के लिये शोभा की बात नहीं है बल्कि सम्पूर्ण स्टेट को उलाहना आ सकता है। इसी तरह टेक्निकल आदमी बिना कोई वजन दिये आत्म निर्भर होना चाहते हैं और एक तरफ आपके उद्योग की कमी है। जो गुड्स आपके यहां पैदा नहीं होता है, उसको करने की चेष्टा करते हैं तो इस तरह उनकी बिजली बन्द करना वाजिब नहीं है।

जहां तक यह सवाल है, कुछ गांवों के नाम दिये गये हैं उनको इलेक्ट्रिफाई किया जाना जरूरी था, रजत जयन्ति के अवसर पर लेकिन इसमें इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का कहना है पंचायत समितियों ने बहुत दूर दूर के गांवों को ले लिया, उनकी बात तो अलग है परन्तु यह जरूर देख लें जो नजदीक पड़ते है और जहां उद्योग धन्धे लग हुये है और जहां आपका खर्च कम आता है और जिसका जस्टीफिकेशन है, बिलकुल करेक्ट है तो एसे गांवों को तो बिजली दीजिये। मैं नागोर जिले की पंचायत समिति का उदाहरण देता हूं, मैं समझता हूं आधे से ज्यादा ऐसे गांव है लाडनू, लाचरी, मीठडी से डेढ़ मील दूर पर 10-12 गांव है जिन्होंने इंजिन से चक्की चला रखी हैं, वहां बहुत तरह के उद्योग चला सकते हैं। आशा है, इस तरफ तवज्जह देंगे ताकि जो लक्ष्य रखा है रजत जयन्ति का इतने गांवों को इलेक्ट्रिफाई करेंगे, उनकी तरफ जरूर तवज्जह दी जाय।

नगरपालिकाओं को इस रजत जयन्ति के अवसर पर कहा गया था जहां पर हरिजन जातियों के मोहल्ले हैं वहां पर बिजली पहुंचाये। बहुतसी म्यूनिसिपेलिटीज के केसेज पेन्डिंग पड़े हैं। उनके पैसे इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में जमा हैं। मैं लाडनूं का उदाहरण देना चाहता हूं। उनकी रकम जमा है तो ऐसे कार्यों को भी प्राथमिकता दी जाय। आज कई जगह पर भंगियों के मोहल्लों में जो मैला ढोता है पांच खम्भे लगा दिये गये और जहां 41 खम्भे लगाने थे, नहीं लगाये गये। जहां पिछड़ी जाति और हरिजन जाति के लोग रहते है वहां के मोहल्लों को इलेक्ट्रिफाई किया जाना वाजिब है।

जो बिजली की लगातार गड़बड़ आती है, इससे जहां कहीं मीठा पानी खेती के लायक मिला है, मैं डीडवाना सब डिविजन की बात कर रहा हूं, कितने ही कुओं पर मोटर जल चुकी है। उन लोगों ने कई बार सरकार से निवेदन किया लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती है। हम आश्चर्य कर रहे थे कि पुलिस, पी० डबल्यू० डी० विभाग में ही कम सुनाई होती है लेकिन बिजली विभाग म भी बहुत कम सुनते है और वे भी यह सोचते हैं और कहीं से आदमी कहने के लिये आना चाहिये। क्यों नहीं

(श्री दीपंकर)

वहां के लोगों को यह कहा जाय नफा नुकसान जिस विभाग का चल रहा है ऐसी बातों की शिकायतें रहनी ही नहीं देनी चाहिये। अमूमन बिजली के बिल के लिये रीडिंग लेने के लिये आते ही नहीं हैं। देख लिया कि अमुक माह में अमुक यूनिट्स आई ह उसको मद्दे नजर रखते हुये वैसा ही बिल बना दिया जाता है। अब चाहे उस महीने में किसी के यहां शादी ही हो तो लगातार शादी वाले महिने का ही बिल आता रहेगा। इस तरह की सब बातों को ध्यान में रखकर आशा है इसे जनोपयोगी और लोकप्रिय महकमा बनाया जाना चाहिये जिससे लोगों में इस विभाग के प्रति आस्था और सन्तोष हो।

मैं समझता हूं इस विभाग के लिये और एक शिक्षा विभाग के लिये इधर इंजीनियर्स हैं और उधर मास्टर्स हैं, किसी टेक्निकल आदमी के द्वारा संचालन होना चाहिये। हमारे यहां आइ० ए० एस० ऑफिसर एक ऐसी क्लास की शक्ल ले चुका है जो अपने आपको आर० जे० एस०, आर० ए० एस० आदि से कई गुणा ज्यादा ऊंचा समझते हैं। योग्यता है, ठीक है उनकी। बहुत अच्छे व्यक्ति हैं परन्तु किसी जगह की आवश्यकता को वे ज्यादा अनुभव करते हैं इसलिये शिक्षा विभाग में बहुत सारे पढ़ लिखे आदमी हैं। डबल एम० ए० हैं लेकिन वह भी उस अफसर के आगे बाहर बेन्च पर बिठा दिया जाता है। यह व्यवहार उनके लिये कतई उचित नहीं है। ग्रामीण क्षेत्रों में कई इंजीनियर्स उद्योगों को जमाये बैठे हैं, ऐडमिनिस्ट्रेशन की बात करते हैं। इसमें कोई ईर्ष्या की बात नहीं है और कोई शंका की बात नहीं है अगर उनको संचालक मुकर्रर कर देंगे तो क्या भूल हो जायगी। सरकार को घाटे में थोड़े ही डाल देंगे। उन्होंने जो टेक्निकल ज्ञान प्राप्त किया है अगर वे चाहते हैं तो उनके जरिये ज्यादा उपयोगी बनाया जाय।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

इस तरह से जो कुछ भी हमारे इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के बारे में वाजिब बात है मंत्री महोदय को धन्यवाद देते हुये आशा है, सारी कमियों को दूर करने की कोशिश करेंगे। इसी आशा के साथ मैं यह जरूर धन्यवाद पेश करना चाहता हूं कि उन्होंने जो राजस्थान की आवश्यकतायें थी उनको मद्दे नजर रखते हुये बिजली का जिस तरह सन्तुलन बनाये रखा है उसको आगे भी रखेंगे। लेकिन इतने बड़े साझे में जो बिजली है दूसरों के मुकाबले में घाटे में नहीं रहे। हमारा राजस्थान का उद्योग नहीं रुकेगा और बिजली की कटौती दूर हो जायगी।

श्री सभापति : श्री रामानन्द अग्रवाल।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : सभापति महोदय, राजस्थान राज्य विद्युत् मण्डल के बजट पर विचार करते हुये मैं कुछ बुनियादी बातों की ओर इस सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। सभापति महोदय, मैं यह महसूस करता हूं कि विद्युत् के सम्बन्ध में जो हमारी प्लानिंग है, उसमें तीन दृष्टिकोणों से खामियां नजर आती हैं। जब मैं खामी की बात कहता हूं तो मैं इस बात को नजरन्दाज करके नहीं चल रहा जो जो राजस्थान राज्य विद्युत् मंण्डल ने राजस्थान में प्रगति की है जिसने लगभग पांच हजार बस्तियों में और लगभग 60 हजार कुओं का विद्युतिकरण किया

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

है और इस राजस्थान में बिलकुल बिजली नहीं थी वहां हम बिजली काफी क्षेत्र में पहुंचा पाये है परन्तु यह हमको देखकर चलना पड़ेगा कि आज भी हम राजस्थान में नम्बर—1 हमारा सारा सिस्टम मोस्टली हाइडल पावर पर बेस्ड है और जिसकी वजह से आज हम इस संकट का अनुभव कर रहे हैं। पहले भी संकट आया था और मैं समझता हूं उससे सबक नहीं सीख कर हम लगातार हाइडल पर ही बेस करके अपनी स्ट्रेटेजी चला रहे हैं। नम्बर-2 जो भी हमारे पावर रिसोर्सेज हैं वे सबके सब अनफारचूनेटली अधिकतर हमारी स्टेट से बाहर हैं। या तो हमें भाखरा से बिजली मिल रही है या गान्धी सागर से या फिर सतपुड़ा से जो सब बावजूद इस बात के कि हमारे भारत के अन्दर हैं परन्तु स्टेट्स के ऐडमिनिस्ट्रेशन में आटोनोमस होते हुये और फिर जिस तरह की नेरो रीजनल, प्रोविन्सियल दृष्टिकोण रखने लगते हैं जो कि दुरुस्त तो नहीं है और नेशनल दृष्टि से इन समस्याओं को देखा जाय तो बाहर इन पावर स्टेशन का फिट होना भी एक आपत्ति जनक नहीं होना चाहिये। लेकिन फिर भी जो वास्तविकतायें हैं उनको मद्देनजर रखते हुए हम इस बात को दृष्टिगत नहीं कर सकते कि यह कमजोरी है हमारे इस सारे सिस्टम में जिसको हमें पाटना चाहिए।

नम्बर तीन यह है कि राजस्थान को रीजनल बेसिस पर ही अगर हम देखें तो हमारा सारा पावर सिस्टम राजस्थान के एक ही हिस्से के अन्दर ज्यादा स्थित है केवल भाखरा को छोड़कर चाहे गांधी-सागर है, एटामिक पावर स्टेशन है, चाहे चम्बल का है-यह सब के सब एक ही साइड पर हैं जिसका नतीजा यह है कि दूसरे जो हिस्से हैं वह टेल एण्ड पर हैं और बिजली जैसे जैसे ट्रेवल करती है उसकी क्षमता घटती जाती है। तो लाजिमी तौर पर राजस्थान के दूसरे हिस्सों में हमें बिजली पहुंचाने म दिक्कत अनुभव करनी पड़ेगी। तो मैं समझता हूं कि आगे के प्लानिंग में हमारी स्ट्रेटेजी इन तीनों कमजोरियों को दूर करने की होनी चाहिए और इसलिए पहली कमजोरी को दूर करने के लिए हमें थर्मल पावर स्टेशन्स एस्टेब्लिश करने चाहिए। मैं समझता हूं कि मैजारिटी हमारी रिसोर्सेस की इस समय हाइडल है तो उसका बैलेन्स ठीक ही नहीं बल्कि थर्मल को भी डोमीनेन्ट हम बनायें। मुझे खेद के साथ कहना पड़ता है सभापति महोदय कि इस दिशा में न केवल हमने विशेष एफर्ट्स नहीं किये हैं बल्कि जो अपार्चुनिटीज हमको आफर की गयी हैं उन अपार्चुनिटीज को उपयोग में नहीं लाने के हम दोषी हैं।

मैं समझता हूं कि यह सदन इस बात को जानता है कि भारत सरकार ने पंजाब, हरियाणा और राजस्थान तीनों को 400 मेगावाट के थर्मल पावर स्टेशन बनाने के लिए स्वीकृति दी थी। पंजाब और हरियाणा ने अपने इस प्राजेक्ट को आगे बढ़ाया है और उन्होंने आर्डर्स भी प्लेस कर दिये हैं लेकिन मेरी जानकारी के अनुसार जो 400 मेगावाट का पावर स्टेशन कोटा में लाना चाहिए था उसके सम्बन्ध में अभी तक हम कोई प्रगति नहीं कर पाये हैं। अभी तक हमारी जो भी स्कीम है वह बहुत प्रिलिमिनेरी स्टेज में है और नौकरशाही और ब्यूरोक्रेसी के

(श्री रामानन्द अग्रवाल)
इधर उधर फाइलों में दफ्तरों के अन्दर घूम रही है और उसकी अभी तक सैंक्शन नहीं हुई है। आज सभापति महोदय, खतरा यहां तक पहुंच गया है कि केन्द्र में यह बात चलने लगी है कि राजस्थान अगर इसका उपयोग नहीं कर पाये तो क्यों न मध्यप्रदेश को यह प्राजेक्ट दे दिया जाये और मध्यप्रदेश 400 मेगावाट का पावर स्टेशन अपने वहां बनाये। मध्यप्रदेश को भी इस प्रकार की सुविधा मिले उससे मुझे कोई एतराज नहीं लेकिन राजस्थान को जो अपार्चुनिटी प्रोवाइड की गई राजस्थान उसका उपयोग नहीं कर सका इससे बड़ी इनएफीशियेन्सी हमारी नहीं हो सकती और मैं जानना चाहूंगा माननीय मंत्रीजी से कि यह सवाल पहली बार नहीं उठाया जा रहा है मैं समझता हूं कि इससे पूर्व भी मैंने और शायद माननीय शिवचरणजी माथुर ने इस प्रश्न को इसी सदन में इससे पूर्व भी उठाया था और उसके बावजूद हम इतने पिछड़े रहे हैं कि इस सदन में इस साल हमने कितने ही मामलों में सुनना पड़ा है, पार्लियामेन्ट में बारबार कहा जा रहा है कि राजस्थान को हमने यह सुविधा दी उन्होंने उसका उपयोग नहीं किया, राजस्थान को रोड्स के अन्दर यह सुविधा दी उसका उन्होंने उपयोग नहीं किया, राजस्थान को ड्राटप्रोन एरिया के लिए यह सुविधा दी उसका उन्होंने उपयोग नहीं किया और अब विद्युत् के अन्दर भी यही सुनने को मिले कि राजस्थान को 400 मेगावाट का पावर स्टेशन की इतने दिनों से अपार्चुनिटी दी हुई है लेकिन राजस्थान की स्कीम आगे निकल कर नहीं आती तो इसका मतलब यह है कि राजस्थान इसके लिए सक्षम नहीं है तो दूसरी स्टेट्स को इससे क्यों वंचित रखा जाये, निश्चित तौर पर ऐसा निर्णय हो सकता है। मैं समझता हूं कि यह इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड और उसके कार्यकलापों के लिए बहुत बड़ा काला धब्बा है जिसको दुरुस्त करने की आवश्यकता है। इमीडियेट एक्सपीडियेन्सी के साथ और मैं समझता हूं मंत्रीजी इस बारे में जब बोलें तो इसको एक निश्चिता के साथ और गारन्टी के साथ कहेंगे कि राजस्थान के लोग जो पावर से त्रस्त हैं उनको बता सकें कि यह अपार्चुनिटी हमारे पास है इसको हम निश्चित रूप से यूटीलाइज करेंगे और इतने समय के अन्दर यूटीलाइज कर लेंगे।

दूसरा सजेशन भी नया नहीं है। पहले भी इस सदन में दिया था कि हमको दूसरे थर्मल पावर स्टेशन्स राजस्थान के डेजर्ट एरिया में जो कि अभी तक इससे शून्य हैं जो कि एरिया के लिहाज से भी इस डिवीजन में याने कोटा डिवीजन में सारे के सारे स्थित हो गये हैं, उस दृष्टिकोण से भी एक थर्मल पावर स्टेशन बीकानेर या जोधपुर के अन्दर बड़ा लगना चाहिए।

पलाना के अन्दर जो माइन्स हैं वह एक फयुअल है जो कि हमारे लिए उपयोगी हो सकता है। इसका ओपिन कास्ट माइनिंग के जरिये काफी बड़ा भण्डार है जो कि कितने ही वर्षों के लिये उपयोग हो सकता है और मैं समझता हूं कि वह फयुअल का काम दे सकता है। इसलिए मैं ज्यादा तो प्रिफर करूंगा कि

(श्री रामानन्द अग्रवाल)
जोधपुर के अन्दर हो। जोधपुर के अन्दर इस प्रकार का एक थर्मल पावर स्टेशन हो। इकानामिक दृष्टिकोण से ज्यादा सूटेबल नहीं रहे तो बीकानेर में भी हो तो वह भी ठीक हो सकता है। मैं समझता हूं कि इस पर बोर्ड को सीरियसली विचार करना चाहिए और इस दृष्टिकोण से राजस्थान के अन्दर यह हो जाने से थर्मल पावर अधिक हो जायेगी और इस रूप में हमारा डिस्ट्रिब्यूशन बढ़ेगा।

दूसरी बात जो मैं निवेदन करना चाहता हूं वह यह है कि हमारा जो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का सिस्टम है, मुझे मौका मिला था जो हमारी पब्लिक अण्डर टेकिंगस कमेटी को रिपोर्ट्स हैं उनको पढ़ने का और उसके सदस्य के नाते भी मण्डल के प्रवक्ताओं से भी बातचीत करने का अवसर मिला था। मैं समझता हूं कि जो हमारा सिस्टम है उसमें जो बाहर से हम पावर लेते हैं उसके अकाउन्टिंग का और उसके चैकिंग का हमारे पास कोई सही सिस्टम नहीं है चाहे वह बिजली हमको भाखरा से मिलती हो चाहे सतपुड़ा से हमारा हिसाब हो। जहां तक जानकारी है वहां पर फिजिकल कण्ट्रोल के हिसाब से हमारा कोई टेक्नीकल हैंड न भाखरा में है और न सतपुड़ा में है जहां कि हम अपने हिस्से की बिजली हिसाब से ले सकें।

श्री हरिदेव जोशी : सभापति महोदय, सभा की कार्यवाही छः बजे तक बढ़ाने का मैं प्रस्ताव करता हूं।

श्री सभापति : क्या सदन की सम्मति है कि सदन का समय छः बजे तक....

श्री रामानन्द अग्रवाल : जब तक खत्म नहीं हो।

श्री मोहन राज (बाली) : सभापति महोदय, समय मिलना चाहिए, अभी तो काफी लोग बोलने वाले हैं।

श्री झाबर मल सूंडा : जब तक खत्म न हो तब तक के लिए बढ़ा दें।

श्री हरिदेव जोशी : मेरा प्रस्ताव छः बजे तक का है, फिर आगे देख लेंगे।

श्री सभापति : क्या सदन की सम्मति है कि फिलहाल छः बजे तक बढ़ा दिया जाय?

(स्वीकृत)

सदन का समय छः बजे तक के लिए बढ़ाया गया।

श्री रामानन्द अग्रवाल : मैं निवेदन करता हूं, सभापति महोदय, कि हमारा जो सिस्टम है, जो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड बिजली रिसिव करता है आउट साइड स्टेट, उसमें हिसाब-किताब रखने का जितना हमारा हिस्सा है, वह पुरा हिस्सा मिल गया है, इसके बारे में हमारा कोई अच्छा सिस्टम सही सिस्टम नहीं है बोर्ड का। जो हिसाब हमको पंजाब दे दे या जो हिसाब हमको मध्य प्रदेश दे दे या जो भी वह बिल बना कर दे दे उसको एक्सेप्ट करके या आर्बीट्रेरीली तरीके से उस पर कोई नुक्ता-चीनी करके हम उसको एक्सेप्ट करते रहे हैं। मेरी जानकारी के अनुसार जो अब की बार झगड़ा हुआ पंजाब से, मुक्तसर में हमारे यहां पावर आना रुक गया उसका कारण क्या था।

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

सभापति महोदय, मैं समझता हूं कि पंजाब से हमारा पूरा हिस्सा जहां हमें 50 परसेंट मिलना चाहिए था वह पूरा हिस्सा नहीं मिल करके और इस तरह से गडबड की जाती है। जो लीकेज का लोस है जितना लीकेज का लोस नार्मली होना चाहिए एग्जगरेट करके उसमें मिला कर हमको बिल कर दिया जाता रहा है और मेरी जानकारी के अनुसार राजस्थान के इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को पंजाब ने इलेक्ट्रिसिटि बोर्ड ने लगभग दो या डेढ़ करोड रुपये के ऐसे ज्यादा बिल दिए हैं और हम अभी तक उसका पैमेन्ट करते रहे हैं। अब पिछले कुछ ही महीने पहले इस बात को इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड समझ पाया है जब कि कुछ टेक्निकल हैण्डस ने इस बात को पोइन्ट आउट किया कि जो लीकेज पंजाब क्लेम करता जा रहा है वह करीब 8 परसेंट पड़ता है जबकि नोर्मल लीकेज 4 परसेंट से ज्यादा नहीं होना चाहिये। इसकी जगह से फोर परसेंट से अबाव आठ परसेंट तक क्लेम कियागया है और उसके बिल अनन्ने से सरीलो हम लोगों को दिए जाते रहे हैं। उस हद बिजली जो मिलनी चाहिए थी वह बिजली मिली नहीं और उसका पैसा अपने को देना पड़ा। यह स्थिति चलती रही है। माननीय मंत्रीजी फिर जानकारी करेंगे कि यह आखिर क्यों हुआ, कौन जिम्मेदार है और इस बिल के कारण आर्थिक संकट क्यों बढ़ता रहा, कितने साल से यह चल रहा है, कितने करोड रूपयों का नुकसान हुआ और राजस्थान इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की वाकई में कितना नुकसान भुगतना पड़ा है। किसकी जिमेदारी है और आयन्दा इस प्रकार की बात न हो इसका क्या इन्तजाम किया है।

इसी प्रकार से, सभापति महोदय, जो सतपुड़ा से बिजली मिलती है वह थरमल में हमारा हिस्सा था। इसके बदले में सतपुडा की बिजली एक्चुअली लेते नहीं हैं और हमारा जो फिफ्टी परसेंट हिस्सा है उसके बदले गांधी सागर से हम हाईडो बिजली ले लेते हैं। लेकिन दोनों की जो जरनेट कोस्ट है उस हिसाब से थरमल ज्यादा खर्चीली है, ज्यादा कोस्टली है और हाईडो इलेक्ट्री कम खर्चीली है। उसके भी इस तरह से अकाउण्ट अदान-प्रदान होते हैं उसमें भी राजस्थान को फाइनेन्शियली लोस रहता है। इसके बारे में भी इस प्रकार की कोई गलती तो नहीं है। जो मध्य प्रदेश का जो आधा हिस्सा बिजली का है उसमें एक्चुअल जनरेशन कितना हुआ, उस बात का अकाउण्ट और उस बात की देखमाल राजस्थान गवर्नमेंट खुद नहीं करती बल्कि वहां से जो भी अकाउण्ट भेज दिया जाता है उसको बेस मान कर उसको बना लिया जाता है। मैं समझता हूं कि इसके बारे में भी माननीय मंत्रीजी अपना उत्तर देंगे कि यह स्थिति क्यों, कैसे हो रही है।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

श्री सभापति : जल्दी समाप्त करें।

श्री रामानन्द अग्रवाल : कितना समय देना चाहेंगे।

श्री सभापति : पांच मिनिट में समाप्त करें।

श्री रामानन्द अग्रवाल : दस मिनिट का समय दे दीजिए।

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

तीसरी बात यह निवेदन करना चाहता हूं कि जो भी प्रोजेक्ट हम इलेक्ट्रिफिकेशन के लिए मंजूर करते हैं उसके लिए भी यह हिसाब लगाते हैं कि उससे टेन पर्सेन्ट रिटर्न होना चाहिए । साढे सात पर्सेंट हम ब्याज एल० आई० सी० को देते हैं बाकी मुनाफा होना चाहिए । लेकिन एक भी प्रोजेक्ट लागू होने के बाद इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड ने उसका हिसाब लगा कर और यह चेक अप नहीं किया कि जो हिसाब टेन पर्सेट का लगाया था अब उसका रिटर्न एक्चुअली हमें क्या मिल रहा है तो ऐसा दुकानदार और कोमर्शियल एजेन्ट जिसको अपने हिसाब का पता नहीं है कि इतने वर्षों से इतना खर्चा करने के बाद अब रिटर्न क्या मिल रहा है, जिसको यह पता ही नहीं है कि वह किस तरह से अपने इंट्रेस्ट को कोप कर सकता है ।

पाचवीं बात मैं निवेदन करना चाहता हूं, सभापति महोदय, कि राजस्थान में यह ट्रांसफार्मर्स हैं उनके लोसेज में स्कैंडल्स एक्स्ट्रा आर्डिनरी हो रहे हैं । मेरी जानकारी के अनुसार दो करोड़ रुपये के ट्रांसफार्मर्स राजस्थान के अन्दर जल गए हैं और ऑडिटर जनरल ने भी अपनी रिपोर्ट में, ऑडिट रिपोर्ट में इस सम्बन्ध में नोट लिखा है । ये मेरी जानकारी के अनुसार अभी तक बोर्ड ने इस बात की इन्क्वायरी नहीं की है कि यह आखिर जल क्यों रहे हैं । इनकी रेसपांसिबिलिटी किन की है और कैसे ये ट्रांसफार्मर्स जल गए हैं जिनकी कीमत एक-एक की ढाई-ढाई लाख रुपये हैं, जो विदेशों से आते हैं और जिनकी लाइफ लोंग गारण्टी होती है, वे भी जल गए हैं । अब इसका क्या कारण है यह जानने की इस सदन को और राजस्थान की जनता को भी उत्सुकता है। मैं नहीं जानता कि राजस्थान गवर्नमेंट को भी इस बारे में जानकारी है या नहीं है कि यह सारा का सारा इतना क्यों करोडों का नुकसान हुआ है । इस बारे में, मैं समझता हूं कि गवर्नमेंट को सीरियसली बोर्ड को खींचना चाहिए । बोर्ड ने इस बारे में जानकारी की है या नहीं की है, इन्क्वायरी की है या नहीं, कौन रसपांसिबल है, उनको इस बारे में एक्शन लेना चाहिए ।

अब सभापति महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि अभी यहां पर इस सदन में भी यह कण्टोवर्सी उठी कि इस इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का जो एडमिनिस्ट्रेशन है वह टैक्निकल हैंड करें या कि नॉन टैक्निकल हैंड, आई० ए० एस० करें। मैं समझता हूं अध्यक्ष (सभापति) महोदय, व्यक्तियों की बात को अलग रखते हुए हमारे दल का यह दृढ मत है कि हमारे देश मे टैक्निकल हैड्स को आज प्रापर रेस्पेक्ट, प्रोपर रेसपोंसिबिलिटी नहीं दी जा रही है । यह समझते हैं कि जो डवलपमेंट वर्क हैं उनके अन्दर इंजीनियर्स को, टैक्निकल हैंडस को प्रोपर रिसपोंसिबिलिटी दी जानी चाहिए । हम नहीं समझते कि इंजीनियर्स को एडमिनिस्ट्रेशन में चाहे वह चेयरमैनशिप का काम हो या दूसरे का काम हो क्यों नहीं दिए जावें । उनको जिम्मेदारी दे कर और टस्ट करने की जरूरत है, उनको काम देकर काम लेने की आवश्यकता है । आज देशव्यापी चाहे डाक्टर्स हों, चाहे इंजीनियर्स हों, दूसरे टैक्निकल हैंड्स हों उसमें यह फीलिंग

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

है कि देश के अन्दर आज उन लोगों के बजाय एडमिनिस्ट्रेशन में आई० ए० एस०, आई० सी० एस० को ज्यादा इज्जत दी जाती है, ज्यादा रेस्पॉसिबिलिटी, ज्यादा पे स्केल, ज्यादा ऊंचा दर्जा दिया जाता है, जिसके लिए मैं समझता हूं कि कोई कारण नहीं होना चाहिए। यह ब्रिटिश पॉलिसी थी। ब्रिटिश गवर्नमेंट एक फ्यूडल स्टेट कायम करना चाहती थी जब कि हम नये हिन्दुस्तान का निर्माण करना चाहते हैं और निर्माण कार्यों के अन्दर जो जिम्मेदारी इंजीनियर्स, डाक्टर्स और दूसरे टेक्निकल हैंड्स की है जो बहुत बड़ा काम करना है उनको दी जानी चाहिए और उनको यह सपर्द किया जाकर यह चीज हमको लानी चाहिये।

जहां मैं यह चाहता हूं कि इंजीनियर के ऊपर यह जिम्मेदारी रखी जाय वहां मैं इंजीनियर्स की जो जिम्मेदारी जनता के प्रति है उसकी ओर भी मैं उनको जागरूक करना चाहूंगा। आज जो इंजीनियर्स हैं, टेक्निकल स्टॉफ है उनके प्रति तीव्र असंतोष है। भारी भ्रष्टाचार से सभी परेशान हैं। टेक्निकल बात कह कर बिजली नहीं लगाते है। टेक्निकली फिजीबल नहीं है यह कहा जाता है और जब पैसा मिल जाए तो वह फिजीबल हो जाता है। इस टेक्निकल का इस तरह से दुरूपयोग हो रहा है। इसका दुरूपयोग करने के कारण इन आई० ए० एस० और० आई० सी० एस० एडमिनिस्ट्रेटर्स को आपको डाउन रखने का मौका मिलता है। इसलिए निवेदन करना है कि यह एक बहुत बड़ी गल्फ है टेक्निकल हैंड्स का और आई० ए० एस० और जनता के बीच और टेक्निकल हैण्ड्स के बीच में। आज जरूरत है इस गल्फ को पाटने की। आज यह बढ़ता हुआ एडमिनिस्ट्रेशन है। इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है यह बढ़ रहा है और आम जनता से इसका सम्बन्ध बढ़ रहा है और इस बोर्ड को बहुत ही तानाशाही तरीके से चलाया जा रहा है। आरबीट्रेटरी तरीके से इसको चलाया जा रहा है। मेरे नोटिस में मेरी कान्स्टीटॅयून्सी का एक केस आया है। कुछ लोगों ने चार पांच वर्षों से सिक्यूरिटीज जमा करायी है। यह पैसा जमा है। उसको एल फार्म दे दिया गया है लेकिन किसी आदमी ने जाकर दावा कर दिया तो सारे गांव को मना कर दिया गया। सारे गांव के लोगों को पेनेलाइज कर दिया गया। चूंकि उसन दावा कर दिया इसलिए देखें गांव वाले कैसे बिजली ले लेते है? यह एटीट्यूड बोर्ड का नहीं होना चाहिए। मैंने व्यक्तिगत तौर से डिपार्टमेन्ट की हाएस्ट आथॉरिटिज को, चीफ इन्जीनियर को कहा है परन्तु इन लोगों को आज तक बिजली नहीं मिल पायी है। 4-5 वर्ष का अर्सा हो गया है इन लोगों को बिजली नहीं मिली है। मैं नहीं समझता कि केवल इस तरीके का दिमाग हो जाए कि कोई हाईकोर्ट में चला गया है तो वह इसके अन्दर आउट ला हो गया। किसी ने हिम्मत कैसे कर ली किसी के खिलाफ आवाज उठाने की। यह फ्यूडल आरबीट्रेरी और मनमाना तरीका है। यह तरीका अब नहीं चलने वाला है। यह एटीट्यूड रखेंगे तो लोग आफिसर को और इन्जीनियर्स को सड़क पर लाएंगे, सड़क पर खड़ा कर देंगे और पूछेंगे कि यह क्या नहीं करते हैं। आप कहां कहां पर पुलिस को मंगवाऐंगे। यह हायली प्रोवोकेटिव है। इस चीज को

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

देखा जाना चाहिए कि इस तरह की जो मनमानी करने वाले लोग हैं, जिनकी ऐसी आदत हो गई है वे अपने तौर तरीकों को ठीक करें।

(समय समाप्ति सूचक घंटी)

अन्त में एक बात कह कर मैं खत्म करना चाहूंगा। वह मैं कहना चाहूंगा एम्पलाइज के बारे में। जो इम्पलाइज हैं उनके बारे में मैं निवेदन करूंगा कि उनके वेज बोर्ड लागू करने के सम्बन्ध में एक फिक्सेशन कमेटी बनायी थी। उस फिक्सेशन कमेटी ने जो भी फैसला दिया उस पर अपील करने के लिए एक अलग से आफिसर नियुक्त किया गया है। मिस्टर कक्कड़ को इसका ऑफिसर नियुक्त किया गया है। यह आफिसर अपील स्वीकार करता और उस पर फैसला देता ऐसा करने के बजाय यह अफिसर उसी फिक्सेशन कमेटी को जिसके कि खिलाफ अपील है, दुबारा फसला करने के लिए भेजता है। वह कमेटी क्या फैसला देगी। फिक्सेशन कमेटी में यूनियन के रिप्रिजेन्टेटिव भी हैं। यह कमेटी इस तरीके की है कि मैं निवेदन करना चाहता हूं कि वापिस इस कमेटी के पास मामलों को भेजने से न्याय की उम्मीद नहीं होगी। इसलिए मेरा निवेदन है कि कोई इन्डीवीजुअल वर्कमेन अपील करे, इन्डस्ट्रीयल डिस्प्यू एक्ट के तहत अपने डिस्प्यूट को लेकर जाता है तो गवर्नमेन्ट का लेबर आफिसर उसको रेफर नहीं करता है। इसी तरह से इन्डीवीजुअल वर्कमेन को फन्डामेन्टल राइट है, उसको यह च्वाइस करने का अधिकार है। इसलिए मैं समझता हूं कि इसको निरस्त किया जाना चाहिए और अलग से अपीलांट आथोरिटी बना कर फैसला दिया जाए फिक्सेशन कमेटी के फैसले के खिलाफ जो भी अपील आवे उस पर। किसी को प्रोमोशन मिलने में किसी ने डिस्प्यूट किया है तो उस पर फैसला नहीं होता है। आज भी इन्डीवीजुअल वर्कमेन को दिक्कत हो रही है। गवर्नमेन्ट को कम से कम यह करना चाहिए कि इन केसेज को इन्डस्ट्रीयल ट्रिब्यूनल की कोर्ट में रेफर कर दें ताकि इन्डीवीजुअल अपनी ग्रिवेन्सेज को तय करा सकें। इन्ही शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

श्री सभापति : श्री अमृतलाल गहलोत।

श्री अमृतलाल गहलोत (सरदारपुरा) : सभापति महोदय, मैं 15 मिनिट लूंगा। अतः इससे पहले घंटी बजाने का कष्ट नहीं करें।

स्वतंत्रता के पश्चात् हमारे प्रदेश में विद्युत् के प्रचार में बहुत ही सन्तोषजनक उन्नति हुई है। किसी भी देश की उन्नति, किसी भी प्रदेश की उन्नति, उसके प्रति व्यक्ति विद्युत् का उपभोग कितना होता है, उससे नापी जाती है। जब राजस्थान बना था, कुछ रजवाड़ों में राजाओं ने अपने महलों में बिजली देने के लिए बिजली घरों की स्थापना की थी। राजस्थान में पहली बार जोधपुर में एक हजार किलोवाट क्षमता के बिजली घर की स्थापना 1930 में हुई थी। इसके बाद राजस्थान में बहुत ही धीमी प्रगति हुई है। 1947 में जैसा कि रिपोर्ट में बताया गया है, राजस्थान में 13 हजार किलोवाट बिजली की क्षमता थी और देश में 2.3 मिलीयन किलोवाट याने 2300 मेगावाट की क्षमता थी और राजस्थान को 13 मेगावाट याने केवल 0.6 परसेन्ट और आबादी 4.6 परसेन्ट है। जहां तक विद्युतीकर

(श्री अमृत लाल गहलोत)

का प्रश्न है गांवों में करने के लिए 31 मार्च, 1975 के अन्त तक जैसा कि कार्यक्रम विद्युत् बोर्ड में बनाया है 6 हजार गांवों तक बिजली को पहुंचा देंगे। पिछले दो वर्षों में 71-72 और 72-73 में दो हजार गांवों का विद्युतिकरण किया गया है और 73-74 में एक हजार का कार्यक्रम है। जहां तक कुओं को बिजली पहुंचाने का प्रश्न है अभी तक 64 हजार कुओं को बिजली पहुंचा दी गयी है और मैं समझता हूं कि 74 के मार्च तक, याने चौथी पंच वर्षीय योजना के अन्त तक 80 हजार कुओं का विद्युतिकरण कर दिया जायगा। इस प्रान्त के लिए यह सन्तोष की बात हो सकती है। परन्तु यदि हम देश के दूसरे हिस्सों को देखें आज जो रिपोर्ट पेश की गयी है, उसमें जो लेटेस्ट आंकड़े बताये हैं उसके मुताबिक राजस्थान में राजस्थान को दिन भर के लिए 67 लाख यूनिट बिजली की आवश्यकता होती है। यदि इसको 365 से गुणा करें और 2 करोड़ 70 लाख यूनिट होती है। तो 90 किलोवाट घन्टा प्रति व्यक्ति बिजली उपयोग में आती है। यह बहुत ही अच्छा सूचक अंक है। चार वर्ष पहले एप्रोच पेपर में मैंने देखा है प्रति व्यक्ति यह अंक 30 था। यह 90 तक पहुंच गया है। यह सन्तोषजनक है और देश में ऐवरेज 110/120 तक पहुंच गया है। विद्युत् को इस वक्त जो इस्टाल कैपेसिटी है, वह ठीक है परन्तु दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थिति यह है कि वह पराधीन है। हमारे यहां पर जो इन्स्टाल कैपेसिटी है, प्रतिस्थापित क्षमता है वह 785 मेगावाट की है। यह रिपोर्ट में नहीं है परन्तु मैंने इसको एप्रोच पेपर में देखा है। थरमल पावर में करीब 485 है। देश की क्षमता चौथी पंचवर्षीय योजना में 25 हजार किलोवाट तक पहुंच जाएगी। चौथी पंच वर्षीय योजना में हमने यह लक्ष्य रखा है कि हमारी आर्थिक वृद्धि 7 प्रतिशत है और समूचे देश के लिये पांच, साढ़े पांच प्रतिशत रखा है। अर्थ शास्त्र के सिद्धांत की दृष्टि से देखा जाए तो इस हिसाब से विद्युत् की गति आर्थिक गति से तिगुनी होनी चाहिये। पांच प्रतिशत आर्थिक गति है तो इलेक्ट्रिसिटी को 15 प्रतिशत की गति से वृद्धि होनी चाहिये। 7 प्रतिशत की हम आर्थिक गति से वृद्धि की योजना कर रहे हैं तो विद्युत् की गति 21 प्रतिशत रखी जानी चाहिए और इस हिसाब से राजस्थान में दो हजार मेगावाट की क्षमता होनी चाहिए। इस वक्त में 785 मेगावाट की क्षमता है। क्षमता कितनी है इसके बारे में भी निवेदन करूंगा। भाकरा थरमल, राइट साइट, गंग केनाल इनमें 1100 किलोवाट की क्षमता है और हमारा हिस्सा इसमें 15.22 है। चम्बल, गांधीसागर, जवाहरसागर, और राणा प्रताप सागर इनमें भी हमारा 50 प्रतिशत का हिस्सा है सतपुड़ा में करीब 40 प्रतिशत का हिस्सा है। पांच यूनिट काम कर रहे हैं और एक ने अभी काम प्रारम्भ नहीं किया है। क्षमता एक की 62.05 मेगावाट है इतना होते हुए भी हमारे यहां पर विद्युत की कमी आ गई है। यह भी जोड़ दिया गया है कि एटामिक एनर्जी का प्रोजेक्ट दिसम्बर तक शुरू हो जाएगा। इसका एक्सपेरीमेन्ट भी हुआ है 118,19 और 20 फरवरी को यह चालू हो जाएगा। परन्तु इसका क्या नतीजा आया है जो हमारा दुर्भाग्य है। हमारे विद्युत् मंडल के अधिकारियों ने यह नहीं सोचा कि यह

(श्री अमृतलाल गहलोत)

सही होगा और विश्वास कर के इसको भी जोड़ लिया गया। फरवरी तक यह बिजली देगा या नहीं इसको हम विश्वस्त नहीं कर पाए और जो हमारे पास में पानी था उस पानी का जल का उपयोग हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी को पैदा करने के लिए जोरों से शुरू कर दिया यह सोच कर के फरवरी में प्लान्ट चालू हो जाएगा और हम लोगों को बिजली मिल जाएगी परन्तु वह नहीं मिली। परन्तु वह नहीं मिली जब कि इसमें उल्लेख किया गया है कि 18 हजार तो मिलेगा चम्बल से, 14 हजार भाखरा से और 14 हजार सतपुड़ा से यह हुआ 56 हजार और 20-30 मिलेगा एटामिक एनर्जी प्लान्ट से। 66 से 76 मिलेगा तो राजस्थान में कमी नहीं आयेगी। हमारी जो अधिकतम मांग है वह पूरी हो जायगी। वास्तव में हमें धोखा हुआ। हम सरकार को भी दोष देते हैं तो ठीक नहीं है, हम विद्युत मण्डल को दोष देते हैं तो ठीक नहीं है, दरअसल दोष एटोमिक एनर्जी का है, in fact the project was of the government. अब परिस्थिति यह है कि छठी योजना में कितना होना चाहिए। जैसा कि मैंने निवेदन किया है कि पंच वर्षीय योजना में हमारी क्षमता 2000 तक जानी चाहिये और हम छठी योजना में हम चाहते हैं कि हमारी आर्थिक प्रगति में 4 प्रतिशत वृद्धि हो तो 4000 मेगावाट की क्षमता हमारी इसके बाद में होना चाहिए तो छठी योजना का प्लानिंग अभी से शुरू हो जाना चाहिए नहीं तो बुरी तरह से हम मात खा जाएंगे और बिजली में पीछे पड़ जाएंगे। जहां तक मुझे मालूम हुआ है पांचवी पंचवर्षीय योजना में कोटा में एक थर्मल पावर प्लान्ट की सेन्कशन सेन्ट्रल पावर एण्ड वाटर कमीशन ने दी है जिसकी क्षमता 450 मेगावाट की है। इसके साथ ब्यास प्रोजेक्ट के दो भाग हैं। एक भाग तो पोंग डेम का है और एक टेरी का है। पोंग डेम में हमारा शेयर 458 पर्सेन्ट का है और इसमें 30 पर्सेन्ट का है। तो इससे हमें करीब 200 मेगावाट बिजली मिलेगी। इसके आलावा 200 मेगावाट और हमें एटामिक एनर्जी से मिल सकेगी इस तरह से 400 मेगावाट मिल जायगी। कोटा में 200 एटामिक एनर्जी से और 200 और मिलेगी तो हमको 800 मिल जायगी। यह भी सुनने में आया है कि जो भाखरा-नांगल नहर जिस रास्ते से जाती है वहां पर आनन्दसिंह गुरूद्वारा जगह है यहां पर एक स्टीम फाल है तो वहां पर पंजाब सरकार एक पावर स्टेशन बनाने जा रही है उसमें हमारा कुछ हिस्सा होना चाहिए। ऐसा मुझे नजर आरहा है कि पांचवीं पंचवर्षीय योजना है इसके लिए 2000 मेगावाट बिजली चाहते हैं वह हमारे सामने तैयार है। भविष्य में क्या होगा यह पता नहीं है। 4000 मेगावाट यदि हमें चाहिए छठी पंच वर्षीय योजना में तो हाईड्रो-इलेक्ट्रिक प्लान्ट में 7 वर्ष चाहिए और 5 वर्ष चाहिए थर्मल प्लान्ट में तो उसके लिए अभी से काम शुरू हो जाना चाहिए। गेस्टेशन पीरियड में वर्क चालू हो जाना चाहिए।

माननीय सभापति महोदय, अब मैं थोड़ा सा बोर्ड के वर्किंग सिस्टम के बारे में कहना चाहता हूं जिस पर प्रकाश माननीय साथियों ने नहीं डाला है। बोर्ड 67 में बना था। उस वक्त बोर्ड के पास कितने एसेट्स थे, कितने प्लान्ट

(श्री अमृत लाल गहलोत)

लगे हुए थे उनका इसमें दिया हुआ है वह करीब 283 करोड़ के हैं और उसमें 157 करोड़ वह राजस्थान सरकार की तरफ से दिया गया है। पिछले वर्ष तक का घाटा जोड़ते हैं तो 1972 के मार्च एण्ड तक कुल घाटा 15 करोड़ का पहुंच गया है। इस वर्ष घाटे का जो अनुमान लगाया गया है वह करीब 3 करोड़ का है। अगले साल का जोड़ा गया है वह करीब 5 करोड़ का है अर्थात् 74 के बाद वह 23 करोड़ का घाटा होगा। यह बोर्ड मन्जूर कर रहा है। आपको मालूम होना चाहिए कि घाटे के कारण क्या हैं। बोर्ड ने यह भी लिखा है अपनी रिपोर्ट में कि गांवों का बिजलीकरण हुआ है उसके साथ साथ घाटा भी हमारा बढ़ा है। वहां पर 11 किलोवाट की ट्रान्समिशन लाइन लम्बी ले जानी पड़ती है, उसकी केपिटल आउट-ले ज्यादा होती है और 13 पैसे उनसे चार्ज करते हैं जो कि अनइकानामिक है और कास्ट ऑफ प्रोडक्शन से बिलो। उसमें बताया गया है कि इस वर्ष 2 करोड़ का घाटा हुआ और 1973 का 4 करोड़ का घाटा हुआ और अगले साल 6 करोड़ का घाटा होगा तो कुल रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन का घाटा उसका 10 करोड़ का हो जायगा। यह गहराई से चिन्तन का विषय है, क्योंकि एक तरफ तो हम यह सोचते हैं कि हमारे पब्लिक अन्डर-टेकिंग सभी मुनाफे में चलें। सन् 1964 में एक एक्सपर्ट कमेटी भारत सरकार ने बिठाई थी उसके जो चेयरमेन थे वह आर० वेंकट रमण थे जो कि मद्रास में मंत्री भी रह चुके हैं और बाद में प्लानिंग कमीशन के सदस्य भी रहे हैं तो श्री वेंकट रमन ने यह सिफारिश दी है कि इलक्ट्रिसिटी बोर्ड में 11 पर्सेन्ट का रिटर्न होना चाहिए। 2 पर्सेन्ट इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी, 6 पर्सेन्ट ब्याज, 3 पर्सेन्ट लाभ और आधा पर्सेन्ट वह रिजर्व रखा जाय। परन्तु दुर्भाग्य की बात है कि जो विद्युत् मण्डल ने हिसाब दिया है वह राजस्थान सरकार को 11 पर्सेन्ट देने में असमर्थ है और 15 करोड़ का घाटा है, मुनाफे का सवाल ही कहां। इसलिए मेरा निवेदन है आपकी मारफत कि इसमें यह लिखा गया है टेरिफ कमेटी बैठायेंगे और टेरिफ कमेटी के बारे में कुछ सुझाव दिये गये हैं कि इस वक्त में थोक भाव का सूचकांक 270 है 1953 की प्राइसेज के मुकाबले में तो बिजली की रेट उस हिसाब से होना चाहिए। जो कुओं से बिजली से सिंचाई करते हैं वह साधारण किसान ही हैं। यदि वह उस जमीन पर बैलों से सिंचाई कर तो एक हजार रुपया खर्चा आता है, लेकिन डीजल सेट से सिंचाई करें तो 300 का खर्चा आता है और बिजली से सिंचाई करें तो 100 रुपये का खर्चा आता है। इसका फायदा तो एक बड़ा काश्तकार उठाये और उसका जो खर्चा पड़ रहा है वह राजस्थान के आम टेक्सपेयर पर तो इसका बंटवारा होना चाहिये। साथ में उद्योगपतियों को जो 3, 4, 5 और 6 पैसे के हिसाब से बिजली दी गई है तो वह टैरिफ रिवाइज होना चाहिए। जिनके साथ म एग्रीमेंट हो चुका है और कानूनी दिक्कत है उनके लिए मैं नहीं कह सकता लेकिन बाजार में भाव बढ़ रहे हैं और उनके उत्पादन के भी भाव बढ़ चुके हैं तो क्यों नहीं उनकी टेरिफ को रिवाइज किया जाय। यह कॉमर्शियल अन्डरटेकिंग है और जनता का 282

(श्री अमृत लाल गहलोत)

करोड़ रुपया खर्च हुआ है तो उनको फायदे में क्यों नहीं चलाया जाय और उनका भविष्य स्वयं अपने आप पर ही निर्भर क्यों न कर दिया जाय। यह गहराई से चिन्तन का विषय है। 80 हजार किसान इससे फायदा उठा रहे हैं वह नाराज हो जाय तो इसकी परवाह न करें। 80 हजार परिवारों के मुकाबले में 55 लाख परिवारों का सवाल है। 100-200 बड़े उद्योगपति होंगे उनके लिए राजस्थान के 55 लाख परिवार मुआवजा दे दे यह कोई न्याय की बात नहीं है।

अब मैं दो चीजों की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। एक तो लेबर रिलेशन्स का है। मजदूरों के बारे में मजदूर प्रतिनिधियों से बोर्ड का समझौता हो चुका है। एक और बीच वाली यूनियन है वह यूनियन है यूनियन ऑफ जूनियर इन्जीनियर्स। उनके प्रतिनिधि मुझ से मिले थे। उनकी शिकायत यह थी कि उनकी सर्विस कन्डीशन्स ठीक नहीं है। उनका कहना था कि ज्यादा काम लिया जाता है और वेतन कम दिया जाता है। मैं गहराई म नहीं जाता हूं कि वहां पर कितना क्या वेतन दिया जाता है और कितना ज्यादा काम लिया जाता है, परन्तु म इतना जरूर कहूंगा कि कोई भी व्यवस्था हो, चाहे वह साम्यवादी व्यवस्था हो, समाजवादी व्यवस्था हो या पूंजीवादी व्यवस्था हो, जो भी कर्मचारी काम करने वाले हों उनको सन्तुष्ट करके उनका हार्दिक सहयोग नहीं लिया जाता है तो कोई भी संस्था नहीं चल सकती है। पश्चिमी देशों में इसीलिए मनोवैज्ञानिक लोगों को रखा गया है। लेबर काम क्यों नहीं करते हैं? मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि एक कमेटी बिठाइये चाहे वह वन मैन कमेटी हो चाहे मोर देन वन मैन वह उनकी बातों को सुने और उन पर सरकार की ओर से उचित फैसला किया जाय।

इस वर्ष मेरा साढ़े चार लाख की आबादी वाला नगर कई बातों से बड़े जोरों से ग्रसित हो चुका है। वह अकाल-ग्रसित हो चुका है। वह पैदावार का कोई क्षेत्र नहीं है। वहां पर 51 उद्योग आपकी इस कटौती से बन्द हो गये हैं। ससे और बेकारी होगी। हमारे मामले में कुछ विशेष कृपा होनी चाहिए, और आपके माध्यम से मैं निवेदन करूंगा मंत्री महोदय से कि हमारी तरफ विशेष रिआयत की जाय। इस संबंध में ध्यानाकर्षण प्रस्ताव की सूचना दी गई थी परन्तु इसके साथ में उसको मर्ज कर दिया है। इसलिए आप कटौती ही करना चाहते हैं तो इस तरह की कटौती करना चाहिए कि उद्योग चलते रहें और आपको कट करना है तो हम पर छोड़ दें।

श्री सभापति : श्री सहदेव शर्मा।

श्री सहदेव शर्मा (जमवारामगढ़): सभापति महोदय, मेरे पूर्व वक्ता, कई साथियों ने बिजली कटौती के बारे में काफी जिक्र किया। मैं यह मानता हूं कि विद्युत् मन्त्रीजी और हमारे इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के प्रयासों का फल है कि हम इतनी बड़ी कटौती अनुभव नहीं कर रहे हैं, जितनी तमिल नाडू, हरियाणा, उत्तर प्रदेश के लोग बर्दाश्त कर रहे हैं। वैसे यह प्रान्त अपने इस प्रान्त से काफी आगे बढ़े हुए हैं विद्युत प्रसार की दृष्टि से, फिर भी मैं मानता हूं कि विद्युत् मन्त्रीजी और बोर्ड के अधिकारियों ने एक बहुत मजबूत कदम उठाया जिसके कारण आज के दो महीने पूर्व हमें कठिनाई महसूस नहीं हुई। आप समाचार पत्र पढ़ते

(श्री सहदेव शर्मा)

होंगें, मेरे खयाल से मेरे बहुत से मेरे मित्रों को जानकारी है कि तामिल नाडू में आज भी 75 पर्सेन्ट कट है। इसलिए मैं विद्युत् बोर्ड और विद्युत् मन्त्रीजी को इसके लिए बधाई देना चाहता हूं। उन्होंने फिर भी सूझ-बूझ से काम लिया, जिससे हमें इतनी बड़ी परेशानी अनुभव नहीं हुई, जितनी अन्य प्रान्तों में हुई है। अभी अमृतलाल जी कह रहे थे कि बिजली का किसान के जीवन में, मजदूर के जीवन में और साधारण आदमी के जीवन में बहुत बड़ा महत्व है। इस तरीके से हम यदि चाहते हैं कि हम गांव में रहने वाले किसानों के जीवन स्तर को जल्दी से जल्दी बढ़ायें तो हमको विद्युत् प्रसार की तरफ ज्यादा ध्यान देना होगा। अभी जो विद्युत् मण्डल का बजट और विद्युत् मण्डल की रिपोर्ट दी गई है, उसमें यह बताया 1971-72 का वर्ष ऐसा रहा है कि जितनी लोकेलिटी है, उनमें से जिनको एनर्जेंाइज किया है, वह करीब 25 पर्सेन्ट को किया है। यह 1971-72 के साल में कर दिया है। 1972-73 के लिए जो संकेत दिया है, उससे हम देखते हैं कि इसमें ह्रास आता जा रहा है, कमी आती जा रही है। मैं इसे सही नहीं मानता हूं। मैं यह मानता हूं कि विद्युत् मन्त्रीजी को इस ओर ध्यान अवश्य देना चाहिए। आप चाहें तो और कहीं से बजट काट लें, किसी और विभाग से काट सकते हैं, लेकिन इस ओर ध्यान देना चाहिए। मैं कहूंगा हम शिक्षा की मद में थोड़ा और इन्तजार कर सकते हैं लेकिन विद्युत् की मद में इन्तजार नहीं कर सकते, क्योंकि इसका जन-जीवन से सीधा सम्बन्ध है, किसान से सीधा सम्बन्ध है। इसलिए ज्यादा से ज्यादा प्रावधान इसके अन्दर रखना होगा। खास तौर से उन इलाकों में, जहां पर वाटर पोटेंसियलिटी है, जहां लोग खेती पर निर्भर हैं, उनकी जो समस्या है, विद्युत के अलावा कोई माध्यम नहीं है जिससे उनको हल कर सकें। मैं मानता हूं कि राज्य सरकार इस सम्बन्ध में भरसक प्रयत्न कर रही है। फिर भी हमें आर. ई. सी. की स्कीमों की ही शरण लेनी पड़ेगी। जैसा विद्युत् मण्डल की रिपोर्ट में कहा है, एप्रोच पेपर में कहा है कि 27 स्कीमें मन्जूर हो चुकी हैं, 9 स्कीमें आर. ई. सी. के पास पेंडिंग हैं। राजस्थान के अन्दर जहां 232 पंचायत समितियां हैं, उनमें से 27 के लिए तो कहा है और 9 और हो जायेंगी, इस प्रकार 36 हो जायेंगी इससे काम नहीं चलने वाला है। गांवों में रहने वाले आदमी हैं, खास तौर से जयपुर जिले के जो किसान हैं वह यह चाहते हैं कि हमें और साधन न दिये जायें, हमें सिचाई के लिए बांध की जरूरत भी नहीं है, लेकिन जितने कुए हैं, उनके ऊपर बिजली के कनेक्शन दे दिये जायें। मैं मानता हूं कि देश खेती पर आश्रित होता जा रहा है। हमें इसके साथ उद्योग की ओर अग्रसर होना होगा। जिन गांवों में बिजली चली गई है, बिजली का प्रसार हो गया है, मैं वहां की स्थिति खुद देखता हूं तो मैं परेशानी भी महसूस करता हूं। वहां की श्रम शक्ति, मेनुअल लेबर खत्म हो गई है। किसी-किसी परिवार में आठ दस आदमी हैं, खेती में दो आदमियों को तो काम मिल जाता है, बाकी के छः या आठ आदमी बेकार रहते हैं। मैं विद्युत मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि विद्युत विभाग का और उद्योग विकास का इस प्रकार समन्वय होना चाहिए और कृषि विभाग से इनका इस प्रकार से समन्वय होना चाहिए कि तीनों विभाग मिल कर योजना बनायें जिससे गांवों के अन्दर तरक्की हो सके। आज गांवों में श्रम शक्ति खत्म हो गई है, वहां लोग समय का अपव्यय न करके सदुपयोग कर सकें। आज उनके पास धन्धा नहीं है, जो आठ आदमी

(श्री हरदेव शर्मा)
बेकार हैं उनके पास धन्धा नहीं है। मैं, सभापति महोदय, आपके माध्यम से चाहता हूं कि किसी तरीके से कॉर्डिनेशन बैठायें, कोई कार्डिनेशन कमेटी इस तरीके से बनायें, जिला स्तरपर और प्रान्तीयस्तर पर कार्डिनेशन हो ताकि तीनों विभागों में कम से कम समन्वय हो सके।

एक बात और कहना चाहूंगा। इसके बारे में भी गहलोतजी कह रहे थे। जो मौजूदा टेरीफ है, इस मौजूदा टेरीफ को घाटे का टेरीफ मानता हूं कन्ज्यूमर का हिस्सा देखें तो 2 करोड़ 38 लाख रुपये मैं मानता हूं। इस हिस्से को बढ़ाना होगा। हमें इस पर विचार करना होगा कि इस टेरीफ को किस तरह ठीक किया जाय। जो कैपीटल आउट ले का खर्चा है, वह 1963-64 की कीमतों के हिसाब से, 1962-63 की कीमतों के इन्डेक्स के हिसाब से है, आज कीमतें देखते हैं जो काफी बढ़ गईं। मैं मानता हूं कि हम पंजाब–हरियाणा की बात करते हैं लेकिन राजस्थान की स्थिति भूल जाते हैं कि किस प्रकार राजस्थान में लाइन का प्रसार करना पड़ता है यह बिखरी हुई लाइनें हैं, इनमें ज्यादा खर्चा होता है। जो खर्चा 1962-63 की प्राइस के मुताबिक है, उस टाइम जो खर्चा छः मील पर आता था आज वह दो मील पर खर्च हो जाता है। आप देखिये कि हरियाणा और पंजाब की तुलना में राजस्थान में कितनी परेशानी होती है। यहां लाइनें लम्बी हैं और एरिया दूर-दूर पड़ता है। मैं कहना चाहता हूं, जैसा गहलोतजी कह रहे थे, टेरीफ कमीशन मुकर्रर होना चाहिए और रेट रिवाइज होनी चाहिए। मैं मानता हूं कि जिन फैक्ट्री के साथ पहले कान्ट्रेक्ट किया था, डी० सी० एम० फेक्ट्री से और दूसरी फेक्ट्री से, इन्डस्ट्रियल डवलपमेंट को करने के लिए आर० एस० ई० बी० ने कुछ फैसेलिटी उनको दी थी, राज्य सरकार ने फैसेलिटी देने के लिए घोषणा की थी। लेकिन आज वह एस्टब्लिश हो गई है इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन होना शुरू हो गया, है, इसलिए इन फेक्ट्री के साथ में कॉन्ट्रेक्ट रिवाइज करना चाहिए। और अभी जो तीन पैसे पर यूनिट देते हैं, उस पर दुबारा सोचना पड़ेगा। मैं कहता हूं, मैंने एक किताब देखी थी, जिसमें आर. एस. ई. बी. की टेरीफ बतायी थी, उसमें है कि यू० पी० में 23 पैसे पर यूनिट आता है, हरियाणा में 18-19 पैसे पर यूनिट आता है और राजस्थान में 13 पैसे है। जहां खर्च ज्यादा होता है। इसलिए उस टेरीफ के मुताबिक अन्य प्रदेशों के मुकाबले में राजस्थान में कम मात्रा में है। इसके साथ जनरेशन कोस्ट सतपुड़ा की है, वह साढे तीन पैसे है, वर्तमान में गांधी सागर की साढे सात पैसे है। इससे और दिक्कत सामने आयेगी। आपकी आर० एस० ई० बी० की जनरेशन कोस्ट है, वह साढे दस पैसे है। मुझे हैरानी होती है कि साढे दस पैसे खर्च करके तेरह पैसे में देंगे – यह कैसे सम्भव हो सकेगा। मुझे आवश्यकता महसूस होती है कि हमें इस बारे में दुबारा सोचना चाहिए नहीं तो घाटा बढ़ता जायगा और इस तरीके बोर्ड का अपने पैरों पर खड़ा होना सम्भव नहीं होगा।

इसके बाद मैं अपने जिले के बारे में निवेदन करना चाहूंगा। हमारे जिले में मैंने बहुत सी लाइनें ऐसी देखी हैं, जो 11 के० वी० की लाइनें हैं, और 14-15 मील लम्बी हैं। उनको देख कर लगता है कि किस तरह से काश्तकार गुजारा करते होंगे। लोड की हालत यह हो जाती है कि रात में क्या,

(श्री सहदेव शर्मा)

दिन में भी गुजारा नहीं होता है। कई दफा किसान फावड़ा लेकर बैठा रहता है, लेकिन उसको बिजली नहीं मिल पाती है। मैं चाहता हूं कि जहां बड़ी-बड़ी लम्बी लाइनें हैं वहां पर बडी लाइन डालनी चाहिए, वहां हाई टेंशन की लाइन डालनी चाहिए। मैं मानता हूं कि जब कनेक्शन दें तो यह चैक करने की जरूरत है कि आप एस्योर्ड पॉवर सप्लाई दे सकते हैं या नहीं। क्यों नहीं देते हैं तो किसान के दिमाग पर धक्का लगता है। जो प्रोग्राम चल रहा है, इससे किसानों में जागृति आयी है, वह स्वयं समझ गया है कि डीजल इंजिन के मुकाबले में पॉवर इंजिन मुफीद है। जब आप एस्योर्ड पॉवर सप्लाई नहीं देते हैं तो इस प्रोग्राम के बारे में यह सोचते हैं कि इससे तो बैल से खेती करता था वह ज्यादा अच्छा था। कभी-कभी दिमाग में महसूस हो जाता है। लेकिन होता क्या है कि हम कनेक्शन दे देते हैं और सब चाहते यही हैं कि कनेक्शन किसी तरीके से मिलना चाहिए लेकिन वास्तव में जब परेशानी होती है सर्दी के मौसम में तब महसूस होता है, यह ठीक नहीं है। लेकिन हमारा विद्युत् मंडल, जो एक कॉमर्शियल कन्सर्न है, उसे सोचकर चलना चाहिए कि किसी प्रकार से उसके ग्राहकों को नुकसान न हो, कमजोरी महसूस न हो, तकलीफ महसूस न हो लेकिन होता उसका उल्टा ही है। बोर्ड कनेक्शन्स देता जाता है। 15 हजार से 20 हजार जो टार्गेट्स किसी तरह से अचीव करने चाहिए। कनेक्शन्स होते हैं लेकिन होता यह है कि पिछले 5-6 सालों में मेरा अनुभव है कि दिसम्बर तक पोजीशन ठीक रहती है, लेकिन जनवरी, फरवरी व मार्च का सीजन आता है वह किसान के लिए बहुत क्रूशल स्टेज होते हैं। फसल को पानी आवश्यक होता है, बिजली की परेशानी उन्हीं दिनों में होती है। कई जगह तो ऐसी हालत हो जाती है, मैंने देखा है चोमू, सामोद और फुलेरा में काश्तकार इतना परेशान हो जाता है कि हजारों की संख्या में बोर्ड को घर लेते हैं, उस समय महसूस होता है किसानों में अपने बारे में जागृति आई है लेकिन साथ ही साथ यह भी परेशानी होती है कि आखिर हम बोर्ड को कॉमर्शियल कन्सर्न बताते हैं इसलिए इसके आर्गुमेंटेशन के बारे में ध्यान दें।

मैं अब बोर्ड के स्टाफ के बारे में कहना चाहता हूं। बोर्ड का स्टाफ जितना होना चाहिए उतना नहीं है। कई जगह तो हालत ऐसी हो जाती है कि ए० ई० एन० व जे० ई० एन० के कार्यालयों में पूरा क्लेरीकल स्टाफ न होने से काफी माननीय सदस्य कह रहे थे कि एल फार्म नहीं मिलता है। किसान परेशान होता रहता है, दूसरे साथी परेशान होकर आते हैं। उस समय मैं महसूस करता हूं कि बात क्या है। गहराई से सोचने के बाद लगता है कि जहां जे० ई० एन० व ए० ई० एन० के ऑफिसों में 5-10 क्लर्क्स होने चाहिए वहां दो-दो तीन-तीन क्लर्कों से काम चलाना पड़ता है।

(समय समाप्ति सूचक घंटी)

एक बात और कहना चाहता हूं। एसिस्टेंट इंजीनियर के पास विहकल होना चाहिए। लाइन में डिफाल्ट हो जाता है तो दो-दो तीन-तीन दिन परेशानी हो जाती है इसलिए जूनियर इंजीनियर के लेविल पर एक जीप मुहैया करना जरूरी है।

दूसरी बात आपका लाइनमेन पटवारी होता जाता है। लाइनमेन वास्तव में सबसे

(श्री सहदेव शर्मा)

बना हुआ है आज के किसानों के लिए। हो सकता है कि अकेला ही हो, उसका इलाका लंबा चौड़ा होता है, वही वहां के लिए भगवान होता है। किसान लाइनमेंन की इतनी खातिर करता है कि वह अपने मेहमान की भी नहीं करता। उनसे बात करने में ऐसा महसूस हुआ कि लाइनमेन ही उनके लिए भगवान है क्योंकि अगर 5 दिन वह फ्यूज को रिप्लेस न करें, मीटर को न सुधारे फाल्ट को न देखे तो किसान की फसल खराब हो जाए, रोटियों के लाले पड़ जायं। कई बार मैंने अधिकारियों से कहा है लेकिन कई बार महसूस होता है कि लाइनमेन की क्या शिकायत करें। एक छोटे से कर्मचारी के बारे में क्या शिकायत करें लेकिन मैं आपसे कहूं लाइनमेन इतना परेशानी का कारण बन गया है कि उसको गांव वाले ही महसूस करते हैं, वह कहते हैं कि लाइनमेन किसी भी तरीके से राजी होना चाहिएं। आप और पदों का सृजन करें। कई बार लाइनमेन को बैलगाड़ी में बिठाकर जाते हुए देखता हूं...

(समय समाप्ति सूचक घंटी)

ज्यादा समय नहीं लेता हूं। बोर्ड का काफी प्रसार हुआ फिर भी बहुत कुछ करना काफी है जिससे ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों का जीवन स्तर बढ़े।

श्री सभापति : श्रीमती उषा प्रकाश।

श्रीमती उषा प्रकाश (वैर) : सभापति महोदय, आज राजस्थान विद्युत मंडल 1973-74 के जो कार्यक्रम हमारे सामने हैं और जो लेखा जोखा है उस बारे में अपने यहां सोच रहे हैं। ज्यादा किसी समस्या की गहराई में न जाते हुए मैं उन समस्याओं के लिए कहूंगी जो हमेशा हमारे सामने ज्यादातर आती हैं। काफी बातें इस रिपोर्ट को देखते हुए हमारे सामने स्पष्ट होती हैं, उसकी ओर भी सरसरी तौर पर निगाह डालने की कोशिश करूंगी। सबसे मोटी बात टेक्निकल तौर पर इस रिपोर्ट में हमारे सामने आई है कि ट्रांसमिशन लाइन्स में लगातार बढ़ते हुए खर्चे के बावजूद भी मेन्टिनेन्स पर लगातार बढ़ते हुए खर्चे के बावजूद आज जो ट्रांसमिशन का लोस है उससे जो नुकसान उठाना पड़ता है वह भी बढ़ता जा रहा है। ट्रांसमिशन लोस आल इंडिया एवरेज 15 प्रतिशत है, राजस्थान का एवरेज 1970-71 में 18 प्रतिशत था, 1971-72 में 25 प्रतिशत हो गया। आज जब बिजली के लिए लोग इतने आतुर हैं तब इन ट्रांसमिशन लोसेज के लिये हमें चिंता होना स्वाभाविक है। दूसरी बात विद्युत मंडल की रिपोर्ट में दो तीन बार एक बात उन्होंने कही है कि रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन में घाटा हो रहा है और यह मानकर चलते हैं कि आगे भी ज्यादा होगा। इस मामले में मैं एक दो मुद्दों की तरफ राज्य सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहती हूं। दो तरह के अपने यहां एरियाज हैं कहीं तो बहुत सेन्ज पापूलेशन है दूसरी तरफ दूर दूर तक लाइन ले जाने के बाद एक-आध गांव बीच में आता है उसको छोड़ देते हैं। रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन के जो प्रोग्राम्स हम बनाते हैं उनमें बेसीकली एक बात मानकर चलना चाहिए कि जो भी हम सर्वे करें या प्लान बनायें, वह क्लस्टर होना चाहिए, वह पटवार सर्किल या गिरदावर सर्किल सारे के सारे पर सर्वे कराना चाहिए। उस हिसाब से सैंक्शन करें तो काफी परेशानी से बच जायेंगे बहुत से लोगों को फस्ट्रेशन है इस बात का

(श्रीमती उषा प्रकाश)

कि चारों तरफ के गावों में बिजली आ गई, बीच में एक गांव रह जाता है। भरतपुर में डेन्स पापूलेशन है पास पास में गांव हैं वहां यह समस्या आती है । कहीं तो एक खेत बीच में रह जाता है क्योंकि वह दूसरे रेवेन्यू विलेज में पड़ता है और चारों तरफ खेतों में बिजली होती है, उससे किसान परेशान होता है । ऐसा एक गांव मंत्री महोदय जो देखा है और उस गांव के लिए उन्होंने वायदा किया था कि ऐसे गांवों के लिए कोई टेक्निकल रास्ता निकालना चाहिए। सभापति महोदय इससे मैं समझती हूं कि सभी प्रोबलम दूर हो जायेंगी। आपको रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन करने के लिये मैं यह सुझाव देना चाहती हूं कि जो पटवार सर्किल और गिरदावर सर्किल हैं उनके अनुसार रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन होना चाहिये । इससे आपको जो यह प्रोबलम है कि आस-पास के चार गांव में बिजली पहुंच गई और बीच में सिंघल विलेज रह गया जहां पर बिजली नहीं पहुंचती वह समाप्त हो जायेगी । दूसरे जनता को भी इससे काफी फायदा मिलेगा । हमारे को जो यह कहा जा रहा है कि आर० ई० से हमें नुकसान हो रहा है वह हमारा घाटा बढ़ जायेगा यह शिकायत दूर हो जायगी। सभापति महोदय, आज बार बार सदन में यह कहा जा रहा कि विलेजेज इलेक्ट्रिफाइड हों और वहां पर जो कुएं हैं उनमें कनेक्शन्स दिये जायें । आज एक विलेज में कहीं-कहीं तो 10-12 कुएं पर ही बिजली है इसलिये लोग ज्यादा मांग करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा कनेक्शन्स दिये जायें । अगर आप कुओं को ज्यादा बिजली देते तो आपके बोर्ड को और जनता को दोनों को लाभ होगा । सभापति महोदय, आज आप जो भी प्लान बनाते हैं उसमें हम पहले यह देखते हैं कि इतना खर्चा हमारा इस प्लान में होगा और हमें इससे क्या रिटर्न मिलेंगे । आज रिटर्न का हिसाब पहले लगाया जाता है । इसके अलावा इसमें आज कई जगह पर बहुत मुश्किल हो जाता है कि जहां पर अण्डर ग्राउण्ड वाटर सरफेस में है या नहीं जहां सरफेस में अण्डर ग्राउण्ड वाटर है तो हम उस तरफ अपना ध्यान डाइवर्ट करते हैं मेरा मतलब कहने का यह है कि हमें पूरे राजस्थान का ध्यान रखना पड़ेगा । इसके लिये दो बातें देखनी पड़ती हैं पहला तो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन के बारे में — दूसरा रूरल इलेक्ट्रिफाइड करने के लिये । इसमें हमको पहले एग्रीकल्चर प्रोडक्शन के लिये बिजली देने के मामले को प्रायोरिटी देनी पड़ेगी । जहां तक लोकेलिटी में बिजली देने का सवाल है वह अलग पड़ जाता है इसके कम्पेरिजन में इसलिये आपको जो हमारे ऊपर डाइरेक्ट इफेक्ट करती है उनकी ओर पहले ध्यान देना चाहिये । जिससे हमें और बोर्ड दोनों को फायदा होगा ।

सभापति महोदय आज आर० ई० की जो स्कीम है, लागू हो रही है। मैं मेरे तहसील के कुछ गांवों का उदाहरण देना चाहूंगी आज कुछ गांव में इलेक्ट्रिफिकेशन हुआ है और कुछ गांव रह गये हैं । आज आर० ई० सी० की जो स्कीम्स है उनके अनुसार विलेजेज में इलेक्ट्रिफिकेशन का एक्सपान्सन होना चाहिये हमें ऐसे प्रोग्राम बनाने चाहिए जिससे कि हमारे राजस्थान में कम्प्लीट इलेक्ट्रिफिकेशन हो । इसके लिये हमें रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कोर्पोरेशन ऑफ इन्डिया के प्रोग्राम्स के अनुसार काम होना चाहिए इस बारे में मैं कुछ सुझाव देना चाहूंगी — जैसे अगर किसी तहसील के गांवों में अण्डर ग्राउण्ड वाटर हो तो वहां पर पहले रूरल

Page No 141

(श्रीमती उषा प्रकाश)

इलेक्ट्रिफिकेशन का एक्सपेन्सन काम होना चाहिये।

मैं मेरे इलाके के गांवों के बारे में निवेदन करना चाहती हूं कि वहां पर काफी पानी अन्डर ग्राउन्ड है उसके लिये राज्य सरकार को चाहिये कि वह उस इलाके के लिये स्कीम बनाकर आर०ई०सी० को भेजनी चाहिए और विलेजेज में रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन का एक्सपान्सन ज्यादा से ज्यादा होना चाहिये। पर सभापति महोदय आज दूसरे प्रान्तों में में रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन के अन्तर्गत कितनी बिजली दी गई है उसको देखते हुए राजस्थान के अन्दर रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन बहुत कम हुआ है और अगर क्रमश: देखें तो पता लगेगा कि राजस्थान का नाम नीचे से चौथा है यह बहुत ही चिन्ताजनक विषय है। इसलिये हमें रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन की काफी योजनायें बनाकर काम करना चाहिये। आज यहां पर राजस्थान इलेक्ट्रीसिटी बोर्ड में रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन के लिये कोई अलग से डाईरेक्टर नहीं है और एक ही व्यक्ति दो पद सम्भाल रहा है इसलिये काम की अत्याधिकता हो जाती है और होता यह है कि उस डाईरेक्टर का ध्यान एक ही तरफ ज्यादा रहता है वह है शहरों की तरफ और ग्रामीण विद्युतिकरण के लिये कह कर टाल दिया जाता है कि रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन में खर्चा ज्यादा आता है और इसलिये राजस्थान इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को बहुत घाटा हो रहा है आज आपने बताया है कि इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में 7॥ करोड़ का घाटा है। तो मैं इसके लिये आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहूंगी कि आप डाईरेक्टर की अलग पोस्ट क्रियेट करिये रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन के लिये की जाय इसके अलावा इस प्रोब्लम पर एक आदमी का कन्सन्ट्रेशन होगा। तो मैं समझती हूं कि जनता को भी लाभ होगा और राजस्थान इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को भी जरूर फायदा होगा। आज हम अगर बजट को देखें तो हमें रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन के कनेक्शन देने के लिये हमने जो प्रोविजन्स रखे हैं वह बहुत कम है इसलिये हमें उसमें ऐसी स्कीमस का प्रोविजन्स इस बजट में करना चाहिये कि जिससे ज्यादा से ज्यादा कनेक्शन्स बढ़ाये जाय। मैं आपको जयपुर सरकल सेकण्ड की बात निवेदन करना चाहती हूं आपने जयपुर के दो सरकल बनाये उस डिवीजन में 3 लाख 15 हजार के करीब कन्ज्यूमर्स है और उसमें 11 के० वी० की लाइन है - इन कनेक्शन्स की संख्या बहुत कम वह 5 लाख होनी चाहिए इसलिये मेरा निवेदन है कि राज्य सरकार को चाहिये कि कन्ज्यूमर्स बढ़ाने के प्रोविजन्स बजट में रखे जाने चाहिये - आज कई बार पावर शार्टेज हो जाती है - तो उसके लिये मेरा निवेदन है कि सभापति महोदय हमें कोटे में आटोमेटिक पावर प्रोजेक्ट मिला था और उससे हमें उम्मीद थी कि यह जल्दी ही तैयार हो जायेगा और तीन चार साल में बिजली की शार्टेज समाप्त हो जायगी।

श्री पी०के० चौधरी : सभापति महोदय 6 बज गये हैं समय बढ़ा दिया जाय

श्री सभापति : कितना समय बढ़ाया जाय (मन्त्रीजी की ओर इशारा करके आपको जवाब देने में कितना समय लगेगा)

श्री हरिदेव जोशी : करीब 15-20 मिनट लगेगा।

श्री सभापति : सदन का समय 7।। बजे तक के लिये बढ़ाया जाय ।

(कई माननीय सदस्यों के यह कहने पर सदन का समय जब तक माननीय सदस्यों के भाषण समाप्त नहीं हो तब तक बढ़ाया जाय) ।

श्री सभापति : फिलहाल साढे सात तक बढ़ाया जाय आगे जरूरत होगी तो और देख लेंगे ।

श्री पी० के० चौधरी : यह समय कम है सभापति महोदय, मैं मंत्री महोदय का ध्यान इस ओर आकृष्ट करना चाहूंगा कि पिछले साल भी इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की रिपोर्ट पर वाद विवाद नहीं हुआ इस साल तो इस पर डिसकशन होना चाहिये ।

श्री हरिदेव जोशी : इससे क्या फर्क पड़ेगा ।

श्री सभापति : क्या सदन की अनुमति है कि सदन का समय साढे सात बजे तक बढ़ा दिया जाय —

(स्वीकृति प्रदान की गई)

सदन का समय साढे सात बजे तक के लिये बढ़ाया जाय अब आप कन्टीन्यू करें। श्रीमती उषा प्रकाश

श्रीमती उषा प्रकाश : सभापति महोदय कोटा में थरमल इलेक्ट्रिसिटी प्लान्ट से हम ट्रान्समिशन लाइन सेट अप कर रहे हैं अभी ऐसा सुना है कि कोटा का यह आटोमेटिक प्रोजेक्ट फेल हो रहा है तो इसके लिये मैं राज्य सरकार से निवेदन करना चाहूंगी कि राज्य सरकार इस बारे में भारत सरकार से इस मामले पर सिरियसली विचार विमर्श करे और इस को जल्दी से जल्दी तैयार करवाये नहीं तो हमें काफी नुकसान होगा सभापति महोदय हमें उसमें देखना चाहिये कि उसमें डिफेक्ट क्या और क्या है । जल्दी से बिजली दे सकें ।

(समय सामाप्ति सूचक घंटी)

दूसरा प्रोपोजल है कोटा में थर्मल यूनिट स्थापित करना । अभी एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट बन रही है । उसके लिये सरकार से निवेदन करूंगी कि प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनने के बाद भी काफी समय लगेगा । इसलिये उस पर ज्यादा कन्सन्ट्रेट करें । एक्जीक्युटिव इन्जीनियर बना रहे हैं और उस पर सीनियर ओफिसर लगा कर तेजी से इस पर कार्य करना चाहिये ताकि पावर की जो भूख है वह मिट सके । आगे कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़े ।

जो पावर कट हमारे सामने है उसके लिये दो सुझाव देकर अपना स्थान ग्रहण करूंगी । एक तो यह है कि छोटे 2 इन्जीनियर्स और कुछ बड़े इन्जीनियर्स ने मिल कर नयी इन्डस्ट्रीज चालू कीं उनको आपने कितना यूनिट दिया अब आप उन पर पावर कट लागू कर रहे हैं उन इन्जीनियर्स और खास कर नौजवान इन्जीनियर्स के साथ में क्या आप न्याय कर सकेंगे ? आप इस पर विचार करें ।

इसी प्रकार एग्रीकल्चर प्रोड्यूसर्स पर आप पावर कट लागू कर रहे हैं । 14 घंटे तक एग्रीकल्चर प्रोड्यूसर्स को पावर नहीं मिलेगा । इस पर भी आपको सोचना है । इसके लिये आप कोई न कोई ऐसी व्यवस्था करें ताकि एग्रीकल्चरिस्ट्स जो इन्वेस्टमेंट करके बैठे हैं उनको महरूम न होना पड़े ।

(अनवरत घंटी)

श्री सभापति : श्री हनुमानसहाय व्यास ।

श्री हनुमानसहाय व्यास (वैराठ) : सभापति महोदय, राजस्थान विद्युत बोर्ड द्वारा इन वर्षों में की गयी प्रगति की सराहना किये बगैर मैं नहीं रहूंगा । कम समय में विद्युतिकरण किया उसके कारण देहाती क्षेत्र में जन-जागृति आयी है, उत्पादन में वृद्धि हुई है, आर्थिक स्तर ऊंचा हुआ है यह सब विद्युत बोर्ड के अधिकारियों की कार्य कुशलता और उनके प्रयत्न की द्योतक है । परन्तु इसके साथ साथ मैं थोड़ा माननीय मंत्रीजी का ध्यान विद्युत मंडल के कर्मचारियों के द्वारा जो कार्य किये जा रहे हैं और जो परेशानियां उत्पन्न हुई हैं उनकी ओर भी आकर्षित करना चाहूंगा ।

पहली बात तो मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि विद्युत बोर्ड के उच्चाधिकारियों के अलावा जो ज्युनियर इन्जीनियर्स हैं, जिनके जिम्मे यह काम सौंपा गया है, कृषक के कुएं तक बिजली पहुंचाना और लाइन लगाना । उनके द्वारा जो काम किये जाते हैं उससे कृषक बहुत परेशान रहते हैं । उसके लिए मैं निवेदन करना चाहूंगा कि किसी कृषक से उनका एडजेस्टमेन्ट नहीं बैठता है तो वे क्या करते हैं कि उसका एस्टीमेट नजदीक के कुंए की लाइन से बनाना चाहिए उससे न बना कर दूसरी जगह से बना देते हैं और पोल चार्जेज की समस्या खड़ी कर देते हैं । कृषक एक्जीक्युटिव इन्जीनियर के पास जाकर एप्रोच करता है तो उसके एस्टीमेट तैयार हो कर कम चार्जेज हो जाते हैं । इस तरह की जो जिनाइन समस्यायें हैं ये हैं उनको देखना चाहिए । ए० ई० एन० के सामने माप वगैरा होना चाहिए लेकिन ठेकेदार यह कहते हैं । ये लोग किसानों को बहुत हैरान करते हैं । उनको परेशान करते हैं ।

दूसरा निवेदन यह करना चाहूंगा कि जिला समिति प्रस्ताव पास करके भेजती है कि इन इन गांवों को विद्युतिकरण करना चाहिए । लेकिन डिस्ट्रिक्ट प्रोडक्शन कमेटी की रिकमन्डेशन के बावजूद भी वे गांव सेन्क्शन नहीं होते हैं । ऊपर से आकर जो गांव सेन्क्शन होते हैं उसका परिणाम होता है कि यदि एक गांव में सेन्क्शन होता है तो उसके पास का दूसरा गांव वंचित हो जाता है और उससे आगे का सेन्क्शन हो जाता है । इस तरह से एक एक गांव को छोड़ कर लाइन चली जाती है । मेरा यह सुझाव है कि इन गांवों को नहीं छोड़ना चाहिए । उसमें विद्युत विभाग को कोई खर्चा नहीं होता । लाइन जा रही है । उन गांवों को भी इलेक्ट्रिफाई कर देना चाहिए ।

मेरे क्षेत्र की मिसाल पेश करूंगा । वह यह है कि 9 वर्ष पहले शाहपुरा से लाइन गयी । उसके बीच में तीन गांव को इलेक्ट्रिफाई कर दिया और तीन गांवों को ऐसे ही छोड़ दिया । जहां पर 11 के० वी० की लाइन गयी हुई है । उनको इलेक्ट्रिफाई नहीं किया । मीलकांडी गांव है । बीच में से लाइन गयी है । उसको इलेक्ट्रिफाई करने से न बोर्ड पर खर्चा होता है और न ही भार पड़ता है और इसको आसानी से सेन्क्शन किया जा सकता है । अभी तक इनको सेन्क्शन नहीं किया है यह कर देना चाहिए ।

वैराठ तहसील के कुछ गांव सेन्क्शन हुए हैं । लाइन खींचकर दी गयी । वाल्टेज की कमी के कारण कनेक्शन जारी नहीं हुए । उसके बाद जारी होंगे ऐसी सूचना है । उस लाइन में दो गांव ऐसे रह गये हैं जहां से

(श्री हनुमान सहाय व्यास)

लाइन हो कर गयी है। सुझाव बोर्ड को प्रस्तुत कर दिया। मैं माननीय मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि इन गांवों को अवश्य सेन्क्शन करना चाहिए। छबड़ा कला है। इनको इलेक्ट्रिफाई करने की व्यवस्था करना चाहिए।

दूसरा यह निवेदन करना चाहूंगा कि अनसेन्क्शन्ड लोकेलिटी में कनेक्शन दे दिए गये हैं। पिछले वर्ष यह हुआ था कि इन गांवों को रेगुलेराइज कर दिया जाय। बोर्ड के फैसले के मुताबिक ए० ई० एन०, एक्स० ई० एन० जिनको पॉवर हैं उनको रेगुलेराइज करने की कार्यवाही करनी चाहिए। नहीं करते हैं तो नुकसान होता है। इसलिए विद्युत् बोर्ड को यह चाहिए कि गांवों की बातों को प्राथमिकता दे इस समय। जो दर्ख्वास्तें भेजी गई हैं उनको सेन्क्शन दे बाकी शेष कुओं पर कनेक्शन दे।

कम वोल्टेज की समस्या को दूर करने के लिये गत वर्ष भी सामोद फीडर से 33 के० वी० की लाइन ली गई थी। इसके लिये मैं धन्यवाद देता हूं। पर ऐसा न हो कि साढ़े तीन लाख का जो बजट रखा है वह लेप्स हो जाय। पानी जिस वक्त चाहिये उस वक्त चाहिये उस वक्त आप दे नहीं सकें। इसलिये अभी से तेजी से काम किया जाना चाहिये। इस वक्त सब-स्टेशन कायम कर देना चाहिये। इन दिनों लाइन भी खींच देनी चाहिये ताकि आगे काश्त के समय ज्योंही किसान को जरूरत पड़े उसे बिजली मिल जाय। अप्रेल, मई, जून, जुलाई के ये महीने आपके मुस्तैदी से काम करने के हैं। इन दिनों में किसान को पानी की जरूरत नहीं रहती। इसलिये इन दिनों में अगर आप काम कर लेते हैं तो किसान को भी फार्म पर कनेक्शन आसानी से मिल सकता है और आपका भी इन्वेस्टमेंट हो जाने पर रिटर्न तुरन्त मिल सकता है। नहीं तो अगर आपने सुस्ती की और सुस्ती से लाइन निकाली और किसान का काश्त का समय निकल गया तो फिर दुबारा काश्त का समय जब तक नहीं आवे तब तक आपकी बिजली में इन्वेस्ट की गई रकम का रिटर्न नहीं मिल सकेगा। कृषक भी नुकसान से बच जावेगा।

इलेक्ट्रिसिटी-बोर्ड के जे० ई० एन० और एक्स० ई० एन० वहां बिठाये जाते हैं उनका समाज के लोगों के साथ उचित व्यवहार होना चाहिये। पुराने जमाने के राजा-महाराजाओं के जमाने में जिस तरह कलक्टर, नाजिम और पुलिस का सिपाही बात बात पर धमकी देता था और बड़े घमंड के साथ बरताव करता था उनकी तरह का बरताव आज इन लोगों का जनता के साथ है। इन दोनों पोस्टों का गांव के किसानों के साथ रोजमर्रा का सम्बन्ध पड़ता है इस दृष्टि से उनको नम्र होना चाहिये। प्रेक्टिकल होना चाहिये और सहानुभूतिपूर्ण होना चाहिये। फ्रेश लड़कों में से इनका रिक्रूटमेंट किया जाता है। कॉलेज से निकले हुए स्टूडेण्ट्स होते हैं। अब अनपढ़ काश्तकार लोगों के साथ, गांव के लोगों के साथ उनको किस तरह से व्यवहार करना चाहिये, इसका ज्ञान उनको नहीं होता। उनको प्रेक्टिकल ज्ञान नहीं है। अफसरी के जोम में इन लोगों के साथ इस तरह से बरताव करते हैं बोलते चलते हैं कि इस प्रजातन्त्र के युग में बड़ा विचित्र सा लगता है, जो शब्द वे बोलते हैं काम में लेते हैं उनको सदन में कहने में मुझे भी शर्म महसूस होती है। मुझे इसका प्रत्यक्ष अनुभव भी है। उच्चाधिकारी लोगों में चीफ इन्जीनियर हुए, सुपरिन्टेण्डिंग इन्जीनियर, सेक्रेटरी, चेयरमेन आदि हुए उनका एटीट्यूड और

(श्री हनुमान सहाय व्यास)

व्यवहार बड़ा अच्छा होता है, बोलचाल में वे बड़े नम्र और सहानुभूति प्रकट करने वाले हैं। उनका व्यवहार बड़ा प्रशंसनीय रहता है। हर तकलीफ शान्ति से सुनते हैं और उसे दूर करने को तैयार रहते हैं। पर ये छोटे इन्जीनियर बड़े उजड़ हैं। ऊपर से जारी किये गये निर्देश का भी पालन नहीं करते यह बड़ा शोचनीय मामला है। इसके लिये उच्चाधिकारियों को कुछ करना चाहिये।

हरिजन बस्तियों में जहां बिजली लगाने का सवाल आता है तहसील बैराठ में काफी गांवों में लग चुकी है, पर हरिजन बस्तियों का जहां सवाल है एक भी गांव में बिजली नहीं दी गई है। इस सदन में इसी सत्र में एक प्रश्न भी पेश किया था। पर उत्तर बिलकुल गलत दिया गया। जहां हरिजन बस्ती नहीं वहां लगाई गई और झूठ कह दिया गया कि हरिजन बस्ती में बिजली लगाई गई है। ऐसी गलत जानकारी नहीं दी जानी चाहिये। जिस जाति के लोगों के मोहल्ले में बिजली लगाने की बात कही गई है वह शिड्यूल कास्ट और शिड्यूल ट्राइब्स की गिनती में नहीं आती। तो इस तरह की गलत जानकारी अधिकारी देते हैं उनके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाना चाहिये।

हमारे इलाके में चार हजार की बस्ती है एक मेड जो मेन लाइन से साढे तीन किलो मीटर दूर है। चार और भी बड़े बड़े गांव आसपास में पड़ते हैं। अब वहां बिजली लगाना टैक्निकली फिजिकल है या नहीं। इसमें भी हैरेस किया जाता है इन ए० ई० एन० और जे० ई० एन० इन्जीनियरों द्वारा। गलत सलत रिपोर्ट कर देते हैं। जहां 70 पर सी०एफ०टी० है वहां 45 मिला कर एफ० टी० बता देते हैं। जबकि आर्डर बोर्ड का क्लीयर है कि जयपुर जिले के लिये रेवेन्यू एस्टीमेंट 70 रुपया कर बी० ई० का अन्दाज लगाना चाहिये। इस तरह की बोर्ड के इन्स्ट्रक्शन के खिलाफ जो ये कार्यवाही करते हैं उनके खिलाफ सख्त कार्यवाही करनी चाहिये।

मैं इतनी उम्मीद करके चलता हूं कि विद्युत् बोर्ड के उच्चाधिकारी जो हैं वे सभी अच्छे ढंग से बात करते हैं, सहानुभूतिपूर्वक बात सुनते हैं। अच्छा व्यवहार करते हैं। उन उच्चाधिकारियों के आदेशों के खिलाफ जो काम करें उनके खिलाफ एक्शन लिया जाना चाहिये।

अन्त में संक्षेप में इतना और निवेदन करूंगा कि बैराठ तहसील के कई गांव बाकी पड़े हैं इस साल उधर लाइन आई है तो इनको तो ले ही लेना चाहिये। फिर जो बड़े कस्बे काफी रह गये हैं उनको दें आप फिर। जय हिन्द।

श्री सभापति : श्री झाबरमल सूंडा।

श्री झाबरमल सूंडा (फतेहपुर) : सभापति महोदय, बिजली शक्ति के नाम से विदित है। इसलिये हमारे आज के इस आधुनिक व भौतिक जगत के अन्दर यह आधारशिला साबित हुई है। इसने जिस तरह हमारे जीवन के हर क्षेत्र को प्रभावित किया है वह हम रोजमर्रा महसूस करते हैं।

सोने से लेकर उठने तक छोटे से बड़े आवागमन के साधन, उत्पादन आदि ऐसी कोई जगह, कोई क्षेत्र नहीं जिन्दगी, का जिसमें इसका बड़े से बड़ा महत्व नहीं। बिजली ही सब कुछ है, बिजली नहीं है तो अन्धेरा है, कुछ नहीं है। जिस युग में भौतिकवाद की

Page No 146

(श्री झाबरमल सूंडा)

तरफ हमारा लक्ष्य नहीं था, आध्यात्मिकवाद की तरफ अधिक था तब कहा जाता था कि

"तमसो मा ज्योतिर्गमय।"

और आज भी जब भौतिक युग में हम प्रवेश कर गये बिजली का आविष्कार हुआ है तो भौतिक दृष्टि से इस बिजली के लिये कह सकते हैं कि

"तमसो मा ज्योतिर्गमय।"

मैंने जो महसूस किया है, हमारी जिन्दगी में जो बिजली का महत्व है, उसको सरकार ने अनुभव किया है और समाज को इसका लाभ देने की चेष्टा की है वे निश्चित रूप से प्रशंसनीय हैं।

जबसे हमने स्वतन्त्रता प्राप्त की तब से आज तक हम कितना उत्पादन बिजली का कर सके और कहां तक हम गांवों में इसे पहुंचा सके हैं इस बारे में भले ही दो रायें हो सकती हैं, पर जो बिजली का उत्पादन हम कर पाये हैं और जितना कुछ गावों में पहुंचाने का प्रयत्न हमने किया है वह वाकई प्रशंसनीय कार्य है।

राजस्थान को देखते हुए हम दूसरी स्टेटों से तुलना करते हैं तो निश्चय ही हम पीछे कहे जा सकते हैं। हमें अपने उत्पादन को बढ़ाना है। दूसरों की तुलना में हमें अपना हिसाब ठीक करना है। अब जैसे हाइडल पावर है। इसमें वर्षा पर हम आश्रित रहते हैं। वर्षा अगर नहीं हुई तो वैसे भी अकाल पड़ जाता है और बिजली का भी अकाल पड़ जाता है। तो हमें सोचना पड़ेगा कि क्या उपाय हमें करने चाहिये कि जिससे बिजली का उत्पादन जितना है उतना तो रहे ही बल्कि वह बढ़े तो कैसे बढ़े और पानी से जुड़ा न हो। इसके लिये भारत की जो नीति है कि हम एटोमिक इनर्जी का उपयोग घातक हथियारों के उत्पादन में नहीं करके, लोगों के जीवन को उन्नत बनाने में सहायक बिजली के उत्पादन में करेंगे, उस नीति के अनुसार हमें राजस्थान में भी एक एटोमिक इनर्जी का प्लान्ट मिला है। लेकिन उस पर काम आशा के अनुकूल समय पर नहीं हो सका है

सभापति महोदय, यह वितरण का जो मामला है उससे भी लोगों को गिला है और लोगों ने महसूस किया है और मैंने भी जो अनुभव किया है वह यह है कि भ्रष्टाचार के मामलों में इस विभाग ने पुलिस विभाग को भी मात दे दी है। क्योंकि इमीजिएट रिलीफ जहां आदमी एक्सपेक्ट करता है वहां भ्रष्टाचार के लिये गुंजाइस उतनी ही अधिक है इमीजिएट है। पुलिस में भी ऐसा ही है। इमीजिएट रिलीफ के तो लिये लोग वहां पैसा देते हैं और यहां उससे भी एक कदम आगे की बात है। बटन बन्द, तो हम अन्धेरे में बटन चला तो सब कुछ चला। तो इस इमीजिएट रिलीफ के लिये आदमी कुछ भी पाप करने को तैयार रहता है।

(6.20 सायं)

(श्री मोहम्मद गफार अली, सभापति, पदासीन)

इसलिए इस डवलपिंग बिजली के सिस्टम में हमारे बिजली विभाग के कर्मचारी जो इधर ज्यादा कदम बढ़ा रहे हैं–भ्रष्टाचार में लिप्त होने की उससे मुझे उस बात की तरफ सन्देह हो गया है कि टेक्निशियन को हमें प्राथमिकता देनी चाहिए। जब फिजिबिलिटी की बात आती है जब नान-फिजिबिलिटि की बात आती

(श्री झाबरमल सूंडा)

तो उनके टेक्निकल नालेज पर पर्दा पड़ जाता है। एक चित्रण चित्रकार के लिये जरूरी है लेकिन वह टेक्निशियन जब आज पैसों के मामले में सारे कामों को भूल जाय और पैसों के पीछे पड़ जाय। मैं चाहता हूं शक्तिशाली मिनिस्टर को जिनको काफी अनुभव है, इस बात को दूर करना चाहिए।

जोधपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने, अलवर से आने वाले माननीय, सदस्य ने ऊपर से भ्रष्टाचार की बात सुनी और नीचे का मेरा अनुभव है। सभापति महोदय एक कहावत याद आती है–

एक ही उल्लू काफी था बरबाद गुलिस्तां करने को।

हर शाख पर उल्लू बैठा है, अन्जामे गुलिस्तां क्या होगा।।

लाईन मैन भी वैसा ही करे, फोरमैन भी वैसा ही करे, सुपरवाइजर भी वैसा ही करे और फिर चैयरमेन के पास भी जाय तो वहां भी करोडों का घपला ही रहे तो मैं उम्मीद करता हूं और शक्तिशाली मिनिस्टर से मेरा निवेदन है जो भ्रष्टाचार कर रहे हैं उस पर रोकथाम की जाय।

सभापति महोदय, मैं गांवों की देहात की बात करूंगा। बिजली डिस्ट्रिब्यूशन में इरिगेशन को जितना हिस्सा दिया गया है वह टोटल प्रोडक्शन का वन-थर्ड से ज्यादा नहीं है और उसमें भी इन्डस्ट्रीज और छोटे मोटे उद्योग शामिल हैं। जब हम टोटल डिस्ट्रिब्यूशन को शामिल करते हैं तो उसमें देखते हैं इन्डस्ट्रीज और अन्य उद्योगों को तो फिर उम्मीद करते हैं हम तरक्की करेंगे? हम इस देश को आगे ले जायेंगे मुश्किल है। इस समाजवादी सरकार को यह सोचना होगा कि हमें प्राथमिकता किसको देनी है।

सभापति महोदय, मैंने एक समाचार-पत्र पढा था कि जयपुर में मसूदा साहब मौजूद हैं और श्रीमती कमलाजी ऐयर कन्डीशन कपड़े के शो रूम का उद्घाटन करने जा रहे थे आप अन्दाजा लगाइये, दो दो मिनिस्टर एक ऐयर कन्डीशन शो रूम का उद्घाटन करने जा रहे हैं और फिर समाजवाद की बात करें, बिजली के अन्य क्षेत्रों में कटौती करें, उद्योगों में बिजली की कटौती की बात करें और ऐयर कन्डीशन रूम का उदघाटन करें, यह अशोभनीय बात नहीं है तो क्या है?

मैं ऊदन गांव की बात बताता हूं जिसमें 60 से 72 घंटे तक लगातार बिजली बन्द रही कटौती करनी है तो किधर करनी है, यह बात बहुत सोचने की है। आज जब हम अनाज को तरस रहे हैं और गांवों में कुओं पर 60-60, 70-70 घंटे तक बिजली बन्द रहे और खेतों में पानी नहीं पहुंच सके।

सभापति महोदय, मैं एक बात बताऊं एक बाप ने बेटे से पूछा खेती कैसे होती है। साधारण बात थी उसने जवाब दे दिया-खाद पानी, खाद पानी, खाद पानी। तीन बार खाद पानी को रिपीट कर दिया यानी खाद और पानी के क्रम में बिल्कुल ढिलाई नहीं आनी चाहिए और यहां 72-72 घंटे तक बिजली बन्द रहे और वहां जाकर जब डेपूटेशन मिले, उसके बाद लाइन मिले। दो गांव बराबर पास पास है, एक में बिजली जा रही है और दूसरे में नहीं जा रही है मतलब आधे गांव को बिजली और आधे गांव को बिजली नहीं। इसमें भी कोई राजनैतिक कारण है जो 72 घंटे तक बिजली बन्द रहे।

हम टाऊन का ज्यादा ध्यान रखें और जहां प्रोडक्शन होता है, बिजली देना निहायत जरूरी

(श्री झाबरमल सुंडा)

है। जिस इलाके में केवल एक फसल होती है वहां तो बिजली देना सभापति महोदय, निहायत जरूरी है। दूसरी जगह से कटौती की जा सकती है। मैं तो कहता हूं हमारा जो ऐयर कन्डीशन हाउस है उसमें भी कटौती की जा सकती है। 70-80 घंटे तक बिजली बन्द रखी जाय तो सभापति महोदय ऐसा भविष्य में तो नहीं किया जाय।

सभापति महोदय, मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि अभी खेती के ऊपर जो पैसा वसूल किया जाता है वह हमारे रेट ऑफ प्रोडक्शन से ज्यादा है 8 से 13 पैसे हैं। मैंने 5-6 खेतों का, जो प्रोडक्शन कर रहे हैं उसकी स्टडी की है। एक ऐसे खेत पर कितना लाभ मिलता है। एक खेत है जिसका मैंने लिया है। उसमें चार साल से 9300 रुपया बिजली का खर्चा और 32 बीघा जमीन में उसको 9600 रुपया मिला है। एक आदमी है, उसका पांच हजार का बिल है अगर वह आदमी पांच हजार जमा नहीं करायेगा, बिल में तारीख पड़ी है अगर 8 मार्च को पांच हजार रुपया जमा नहीं करायेगा तो·········

(6.26 सांय)

(श्री फूलचन्द जैन, सभापति पदासीन)

उसका कनेक्शन काट दिया जायगा। सभापति महोदय, चार साल में 9600 रुपया कमाये और आप उससे पांच हजार रुपया वसूल करने की आशा रखते हैं। यह ऐवरेज के हिसाब से पैसा लगाया गया है.। क्या होता है इलेक्ट्रि-सिटी बोर्ड एक मीटर इन्सटाल कर देता है उसके बाद कन्जूमर की उस पर जिम्मेदारी हो जाती है। उस मीटर पर शुल्क लगता है जो इन्स्टालेशन करने वालों को पैसा दे दें मीटर रीडर को पैसा दे दें तो उनके कम पैसे आते हैं और उनको पैसे नहीं दे तो ज्यादा बिल आ जाता है। सभापति महोदय, इस तरह की बात को देखी जाय।

मैं यह भी मानता हूं कि काश्तकार बिजली की चोरी करता है लेकिन एक आदमी चोरी करे और सबको दण्डित किया जाय तो मैं यह चाहता हूं इस मीटर सिस्टम से जो निहायत ठीक है, मैं चाहता हूं चोरी को रोकने के लिये, काश्तकारों को ठीक करने के लिये यह मीटर सिस्टम हटा देना चाहिए और होर्स पावर के हिसाब से एक खास रकम तय कर देनी चाहिए बजट में लिखा है हम एक दल स्थापित कर रहे हैं जो मौके पर जाकर देखेगा और मीटर खराब है तो उसको ठीक किया जायगा और उस पर पेनेल्टी भी लगाई जायगी। सभापति महोदय मैं एक जिक्र करता हूं एक कुए पर अक्टूबर में नया मीटर लगाया गया जो मीटर रीडर है उसने पहले महीने में 50 यूनिट व दूसरे महीने में 70 यूनिट, तीसरे महीने में 80 यूनिट और चौथे महीने में चार हजार यूनिट। एकदम चार हजार यूनिट। पिछले महीने में 70-70, 80-80 यूनिट थे और चौथे महीने में 4 हजार यूनिट। निश्चत रूप से कन्जूमर ने बदमाशी की है, एसा ही सोचा गया। जब उसको केलक्यूलेट किया गया तो ए० ई० एन० जो कम्पीटेन्ट होता है, उसको विश्वास हो गया कि यह गलती मीटर रीडर की है। अब सभापति महोदय, बोड की तरफ से आम काश्तकार को जो परेशानी होती है उसका आप अन्दाजा लगा लीजिये। मैंने तो यही बात सुनी है पंजाब और हरियाणा में मीटर सिस्टम नहीं है। चोरी भी कम होती है, काश्तकार की परेशानी भी कम है और मीटर भी सभापति महोदय जब से कुछ मीटर गये हैं। एक ही होर्स पावर के मीटर दो कुओं पर चल रहे हैं। एक

(श्री भंवरलाल सूंडा)

कुए में 6 घंटा प्रति यूनिट और बराबर वाले दूसरे कुए में 9 घंटा प्रति यूनिट तो समापति महोदय एक काश्तकार को 6 घंट के हिसाब से पैसा देना पड़ता है और दूसरे को 9 घंट के हिसाब से पैसा देना पड़ता है, यानि ड्योढा पैसा एक काश्तकार को देना पड़ता है तो मीटर के प्रोडक्शन में जो खामी है उसका खमियाजा आपको नहीं भुगतना पड़ रहा है, उसका खमियाजा तो कन्जूमर को ही भुगतना पड़ रहा है ।

मैं यह चाहता था और बिजली के सम्बन्ध में मैंने एक ध्यान०आकर्षण प्रस्ताव भी रखा है उस बात को नजरअन्दाज कर देगा और काश्तकार की बात को ध्यान में नहीं रखते हुए जो उनके पीक आवर्स हैं उसमें कनेक्शन काट दिया गया ।

मैंने एक्स०ई०एन० से बात की तो उन्होंने कहा कि हमने कटौती की है लेकिन कटौती करने के बावजूद भी हमारे ऊपर, ऊपर से दबाव पड़ रहा है कि और कटौती की जाये । समापति महोदय, जब हमारे पास बिजली कम है तो वाकई में कटौती करनी पड़ती है और उसके लिए सभी पर असर पड़ता है, इसके लिए मुझे इन्कारी नहीं है लेकिन हम समाजवादी हैं और हमारी सरकार समाजवादी है । हमको प्रोडक्शन की जरूरत है तो हमको प्रॉयोरिटी उनको देनी है इस बात की तरफ हमेशा ध्यान रखना चाहिए ।

मैं एक बात प्रोडक्शन के हिसाब से रह गई थी उसको भी कह देना चाहता हूं कि कार्य निस्पादन में और धन की उपलब्धि में तालमेल नहीं है । तो बात सही है कि जब तालमेल नहीं होता है तो कार्य में ढिलाई होती है कार्य भी कम होता है । यहां एक स्पेशल सेक्रेटरी फौर स्पेशल स्कीम्स मिस्टर पाण्डे हैं । उन्होंने वाकई में बहुत अच्छे काम किये हैं और उनका अनुभव भी बहुत अच्छा है और उनके अनुभवों का लाभ भी मिला है । इसलिये जो रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कारपोरेशन है उससे जो हमें धन मिलना चाहिए उसके लिए उम्मीद थी कि हमको 7।। करोड़ मिलेंगे लेकिन उनका को-आर्डीनेशन नहीं होने की वजह से पहले जहां 70 परसेन्ट देने का था उसको घटाकर 30, 40 परसेन्ट कर दिया । इससे स्कीम तो बढ़ गई लेकिन धन घट गया । अगर ऐसा हुआ तो स्कीम आगे नहीं बढ़ सकेगी और वह केवल सिम्बोलिक होगी । इसलिये मैं चाहता हूं कि इलेक्ट्रिफिकेशन को धीरे धीरे ले जाने के लिए विश्व योजनाओं को टटोलना चाहिए ताकि द्रुत गति से इलेक्ट्रिफिकेशन हो सके ।

श्री सभापति: श्री केदारनाथ ।

श्री केदारनाथ (गंगानगर): मान्यवर, हम फोर्थ फाईव ईयर प्लान के लास्ट ईयर में और फिफ्थ फाईव ईयर प्लान के एडवान्स ईयर में चल रहे हैं । 19 साल के प्लान डवलपमट के बाद राजस्थान उस स्टज पर पहुंच गया कि वह बिजली के बारे में अपना पर्सपेक्टिव प्लॉनिंग बनायें और केवल पांच साल का प्लॉन बनायें यह राजस्थान के हित में नहीं है । अगर आप सारे राजस्थान का 15,20 साल का पर्सपेक्टिव प्लॉन बनायें, फिर उसका फेस प्रोग्राम बनाये इन्टीग्रेटेड फाईव ईयर प्लॉन के साथ तो ज्यादा कारगर होगा । मान्यवर, इसलिए मैं समझता हूं कि बिजली से हमारी इकानामी सेल्फ सफीशियेन्ट स्टेज पर आये, एम्पलायमेंट की प्राब्लम हल हो और हमारी इकॉनामी सेल्फ जनरेशन की स्टेज पर पैदा हो और जो आज हमारे यहां 40 परसेन्ट बिलो पावर्टी लाइन है उनको आने वाले 10 साल में कम से कम बेसिक नीड और

(श्री केदारनाथ)
जो मिनिमम रिक्वायरमेंट्स हैं उनकी पूरी हो जाये इसको दिमाग में रख कर हम चलेंगे तो ही हम पर्सपेक्टिव प्लॉनिंग के जरिये काम पूरा कर सकेंगे ।

मान्यवर, राजस्थान सरकार से हम आशा करते हैं कि जितना भी जनरेशन है, जितना कन्जम्प्शन टोटल है कम से कम 50 परसेन्ट उसका जनरेशन राजस्थान सरकार अपने यहां दायरे में करे। ठीक है मान्यवर, प्लानिंग के बारे में यहां मेरे से पहले बोलने वाले माननीय सदस्य जो अलवर से आने वाले हैं उन्होने बहुत इम्पारटेन्ट बा कही। तो मान्यवर, मैं अर्ज कर रहा था कि पॉवर इकानामी कमीशन के नाम से भारत सरकार ने एक कमीशन अपाइन्ट किया था। उन्होंने भी प्लान के बारे में कहा कि इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का कम्पॉजीशन क्या हो, टेक्निशियन्स की क्या पोजीशन हो और कई मुद्दों पर अपनी रिकमन्डेशन की है। मान्यवर उन्होंने एक रिकमन्डेशन यह भी दी थी कि हाइडल पॉवर के साथ ही साथ स्टैण्ड बाई थर्मल पॉवर कायम नहीं की जायेगी तो इसके अन्दर क्राइसेस पैदा होगी और वह क्राइसेस हम फेस कर रहे हैं। मान्यवर, माननीय मंत्री महोदय ने रोपड़ देखा होगा। क्या था वह और इस पावर प्लॉन्ट प्राजेक्ट के बाद वहां की कैसी इकोनामी डवलप हुई है। मैं यह एग्जाम्पल इसलिए देना चाहता हूं कि सारे के सारे राजस्थान की पावर का कन्सनट्रेशन कोटा में है-थर्मल पावर भी वहां, हाईडल पावर भी वहां और एटोमिक पॉवर भी वहां। मान्यवर इतना हैवी ट्रैफिक है वहां कि रेलवेज की जो मूवमेंट है वैगन्स की वह बड़ी स्लो है और इसलिए कन्सन्ट्रेशन जब एक जगह पर हो जाये और एट दी कास्ट ऑफ अदर फेसेस' तो वह सही प्लॉनिंग नहीं माना जा सकता। जैसा मेरे से अभी पहले बोलने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि अगर पलाना में पॉवर को जेनरेट करने में कीमत ज्यादा हो जाये तो कोई बात नहीं है। उसके साथ कितनी और अलाइड इन्डस्ट्रीज पैदा हो जायगी एरिया का डवलपमेन्ट होगा। इस तरह से इनडाइरेक्टली जब हम डवलपमेंट करेंगे तो मालूम होगा कि वह फायदेमन्द प्रप्रोजल है। आप सोचें कि जब 200 हजार यूनिट पैदा करें और कम कीमत हो तब जाकर हम वहां पर यह प्लॉन्ट कायम कर सकते हैं तो यह गलत है। मैं चाहता हूं कि चाहे आप वहां पर 50 हजार ही करें और थोड़ी कीमत भी ज्यादा पड़े तो भी कोई बात नहीं है क्योंकि उससे और दूसरे फायदे बड़े होते हैं। बीकानेर डिवीजन को तो भाखरा नांगल से बिजली मिलती है लेकिन जो बीकानेर के साथ जैसलमेर और जोधपुर का हिस्सा है यह बिजली कहां से लेगा। इसलिए आप दस, पन्द्रह साल का प्लॉनिंग बनाकर कहां कहां थर्मल प्लॉट कायम करना चाहते हैं उस हिसाब से चलें। इसके साथ ही साथ मान्यवर वह केवल पॉवर ही जनरेट नहीं करता बल्कि वह इन्फस्ट्रक्चर की फेसेलिटीज भी पैदा करता है। अलाइड इन्डस्ट्रीज के जरिये से, डवलपमेन्ट के जरिये से काफी इन्फ्रा-स्ट्रक्चर फेसेलिटीज पदा होती है।

तो मान्यवर, स्विस्थ फाइनेन्स कमीशन के सामने हमने अपना केस पेश किया। मुख्य मन्त्री जी ने स्पीच दी है और इसमें कोई शक नहीं कि अपना केस सही तरीके से पेश किया। इसमें शक नहीं कि रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन में हम बहुत पीछे हैं और उन्होंने कास्ट ऑफ प्रॉडक्शन ऐसा बताया कि ज्यादा है। सारा केस पेश करते हुए ऐसा मालूम पड़ता था कि हम फाइनेन्स की ज्यादा मांग कर रहे हैं।

(श्री केदारनाथ).

मानना भी चाहिए। आप अगर चाहते हैं ऑल इन्डिया एवरेज को पूरा करना और उसके मुताबिक आना और जितनी आपकी लोकेलिटीज हैं उनमें 42 परसेंट इलेक्ट्रिफिकेशन कर पाये आइन्दा फिफ्थ फाईव ईयर प्लान में तो बहुत अच्छा होगा। उसमें यह भी सुझाव आया कि हमारे इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को कितना डेप्रीसियेशन के नाम से है उसको हम ट्रान्सफर कर दें। इन्टरनल रिसोर्सेस के रूप में वह काम में आये। जैसे हरियाणा और पंजाब ने किया है। तो मान्यवर, यह चीज दो तीन बातें इसलिए जरूरी हैं कि इसके ऊपर सोच विचार कर आगे चलेंगे तो राजस्थान में लाजिमी आइन्दा पोटेन्शेलिटी बहुत ज्यादा होने वाली है।

तीसरी बात यही चीज नहीं मैं जो सोच रहा हूं इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के कम्पोजीशन के बारे में यह केवल कहना कि इसको ऑटोनामी पावर्स ज्यादा मिले जिस देश में प्लॉनिंग के जरिये से चलना है, सारा सोशियो इकॉनामी स्ट्रक्चर बनाना है तो केवल ऑटोनामी के नाम से सारी पावर्स देदें मैं इसको नहीं मानता हूं। स्टेट गवर्नमेन्ट प्लानिंग का काम अपने हाथ में रखे, वह डाइरेक्शन्स और टोन दे, पालिसी मैटर्स अपने हाथ में रखे, तो ऑटोनामी के नाम से यह पॉवर्स राज्य सरकार अपने हाथ से नहीं जाने दे। हां, मैं मानता हूं कि उसका कम्पोजीशन कई तरीके से हो सकता है। इसमें तीन तरह के लोग हो सकते हैं। एक तो वे लोग हैं जो अकाउण्ट्स में, फाइनेंसेज में एक्सपर्ट हैं, वे होते हैं। एक दो आदमी वो हैं जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में एक्सपर्ट हैं उनको टेक्निशियन कहते हैं। तीसरे एडमिनिस्ट्रेटिव साईड हैं जिनको कॉमर्शियल नोलेज हो। तो तीन तीनों का जब कोऑर्डिनेशन हो तब काम बने। आज तक केवल हमने एडमिनिस्ट्रेशन को प्रॉयोरिटि दी है। और एडमिनिस्ट्रेशन में ही लेक किया है। और ऐसे कामों में टेक्निकल गाइडेंस में, टेक्निकल एक्सपर्ट ओपिनियन में टेक्निशियन्स को जो प्लेस, जो जगह मिलनी चाहिए इन्तजाम में, मैनेजमेंट में वह जगह हम उनको दे नहीं पाए हैं। मान्यवर। पंजाब में हरियाणा ने अपने यहां नयी प्रेक्टिस शुरू कर दी है। जितने टेक्निशियन्स हैं, इन्जीनियर्स हैं, उनको चैयरमैन, सेक्रेटरी की पोस्ट दी है। तो मैं जैसा कि भाई रामानन्दजी ने यहां कहा था, यह किसी पर्सन का प्रश्न नहीं है, किसी व्यक्ति विशेष के बारे में बात नहीं है केवल एक पॉलिसी के मेटर के तौर पर कि आयन्दा कौन मैन का मैनेजमेंट में और इनका कोऑर्डीनेशन लाजमी होगा। किसको हम ज्यादा जिम्मेदारी देते हैं, इन्तजाम में, मैनेजमेन्ट में, यह पॉलिसी मैटर है। पंजाब और हरियाणा का कोई कन्सेप्ट अलग नहीं है, कोई पॉलिसीज अलग नहीं मगर जिस दिन से आप आए हैं मैं यह मानता हूं कि आपने ग्रिप अप किया है, कण्ट्रोल कायम किया है, कुछ स्टीम लाईन की है। एडमिनिस्ट्रेशन को स्ट्रीम लाइन किया है। मगर इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो काम होते हैं उसमें कोई आप यह कह दें कि एफिशियेंसी हो, वहां पर करप्शन नहीं हो, पक्षपात नहीं हो तो मैं यह मान कर नहीं चल सकता। आपने डिस्ट्रिक्ट लेवल प्रोडक्शन कमेटी का एक ढांचा खड़ा कर दिया-लेकिन पावर्स कुछ नहीं। कभी छः महीने, साल में एकाध मीटिंग भी बुलायें नहीं। उसके प्रपोजल आते हैं तो यहां मालम नहीं कहां पड़े रहते हैं। इसलिये आ डिस्ट्रिक्ट लेवल के प्रपोजल्स हैं उनका डिवीजन लेवल पर स्क्रीनिंग हो, स्टेट लेवल पर प्रॉयोरिटि बेसिस पर उन स्कीम्स को अप्रूव करें, फाइनेन्स सेक्शन करें तो ही मैं सच्चा पीपुल्स पार्टीसिपेशन मान सकता हूं। जब प्लॉनिंग फ्रोम

(श्री केदारनाथ)

लोयेस्ट लेवल आए, पोपुलर पार्टीसिपेशन इवोल्व हो तभी जाकर राजस्थान में सही डवलपमेंट आएगा। इसलिये आप री-कांस्टीटयुट कीजिये, प्रोडक्शन कमेटीज को पॉवर दीजिये, उनका स्कोप तय कर दीजिए।

मान्यवर मैं कहता हूं कि बोर्ड के फंक्शन के बारे में जो वह टेक्निशियंस हैं, जो इंजीनियर्स हैं, उनकी जो दिक्कतें हैं उनको अपनी डिमाण्ड के बारे में आपने मौका दिया बातचीत का और काफी हल भी कर दिया है। आज 16-17 साल पहले उन्होंने सर्विस ज्वाइन की लेकिन अब जाकर सर्विस रूल्स फ्रेम कर पाये हैं। जो मान्यवर, 16-17 साल से काम करते थे उनके लिए अब तक रूल्स फ्रेम नहीं कर पाये थे, उनके प्रमोशन के चांसेज क्रियेट नहीं कर पाये तो कम से कम इतना तो आप उनके लिए कोई मोनेटरी एल्योरमेंट क्रियेट कर दीजिए जिससे उनका इण्टरेस्ट समाप्त नहीं हो। इसके लिए आप कोई न कोई रास्ता निकालें। वरना क्या होगा कि उनका काम करने का मन नहीं रहेगा, कोई इनिशियेटिव नहीं रह जाएगा और स प्रकार के टेलेंट का इनिशियेटिव और इण्टरेस्ट खत्म हो जाएगा तो वह देश का दुर्भाग्य होगा।

मान्यवर, मैं तीसरी बात यह कहना चाहता हूं कि यह खुशी की बात है कि लेबर के आपने नुमायन्दे को लिया है। मैं इसके बारे में अर्ज करूंगा कि आप जो भी नुमायन्दा लें वह चुनाव के तरीके लें तो इससे लेबर के अन्दर एक इण्टरेस्ट पैदा होगा। कौन सी यूनियन का है, किस फेडरेशन का है कैसी मेजोरिटी है यह अलग चीज है, लेकिन जो नुमायन्दा लें वह बेलट वोटस के जरिये लें तो इससे लेबर में नई जान पैदा होगी, नया इण्टरेस्ट पैदा होगा। मैं समझता हूं कि आप इस बारे में कोई न कोई घोषणा करेंगे।

मान्यवर, अब मैं कटौती के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। इसके अनुसार इसमें कोई शक नहीं मान्यवर कि फिफटी परसेंट कटौती के बाद हमारे प्रोडक्शन में हमें थर्टी टू, थर्टी फाईव परसेंट नुकसान होगा। मगर मालिकों ने इसकी वजह से शिफ्ट बन्द करना शुरू कर दिया, ले ऑफ करना शुरू कर दिया। कानूनी तौर पर इस प्रकार ले ऑफ नहीं किया जा सकता। शिफ्ट बन्द नहीं की जा सकती। आप वर्किंग पीरियड कम कर दें। आठ घण्टे की जगह पांच घण्टे कर सकते हैं जिससे मजदूरों को काम मिल जाय। यह तरीका आपको अपनाना पड़ेगा। इण्डस्ट्रियलिस्ट्स को आप छूट दे दें पुराने कानून के तहत कि जब मर्जी आवे ले ऑफ कर दें, जब मर्जी आवे शिफ्ट बन्द कर दें तो इससे मजदूरों के सामने बड़ी समस्या हो जावेगी। आपको लाजमी उन पर पाबन्दी लगानी पड़ेगी ताकि लोगों के दिमाग में एक सेंटीमेंट पैदा हो कि सरकार हमारे लिए काम करती है।

अब दूसरा मान्यवर, हमारे यहां जो कुछ बातें मेरे से पूर्व बोलने वाले माननीय सदस्यों ने भी कही थीं कि यहां के 20-22 जो लोग इंजीनियर्स हैं, बेकार हैं उन्होंने करीब चार साढ़े चार करोड़ रुपये खर्च करके, लोन लेकर फाइनेंसेज इस्टीटयूशन्स और कारपोरेशन्स से, अपनी इन्डस्ट्रीज कायम की हैं। और उन्होंने यह प्रार्थना-पत्र पेश किया है कि राजस्थान में जितनी पावर जनरेट हो उसमें उन्हें इतना हिस्सा तो मिल जाय कि हम लोगों ने कम से कम जो इतना पैसा

(श्री केदारनाथ)

खर्च किया है, जो लोन्स लिए हैं उनके इंस्टालमेंट पे कर सकें और हम रिहेबिलिटेट हो सकें। और, मान्यवर, यह कटौती का असर अगर उन पर पड़ता है तो जितने भी एफर्ट्स उन्होंने किए हैं और जो प्लान्ट्स कायम किए हैं वे समाप्त हो जायेंगे, और न उनको सर्विस मिल सकेगी, इधर कर्जा ले लिया है, आयन्दा के लिए काम करने की शक्ति खत्म हो जाती है, तो उनकी बहुत बुरी हालत होगी। बेकार आदमी से भी ज्यादा बुरी हालत हो जाएगी। इसलिए राज्य सरकार से मैं कहना चाहता हूं, यह मैं मानता हूं कि सारे प्रोसेस में आप सिंगल आउट किस प्रकार कर पायेंगे, किस प्रकार से एडजस्ट कर पायेंगे, किस तरह से ज्यादा पॉवर दे सकेंगे यह आपको सोचने की चीज है। लेकिन किसी तरह से वे जिन्दा रह जावें, उनका काम, उनका प्रोजेक्ट कायम कर सकें, जो मेहनत उन्होंने की है, सारे कर्जे लिए हैं, उनका पैसा रिटर्न हो सके ताकि आयन्दा भी वे कम्पीट कर सकें। इसलिए, मान्यवर, आपके मार्फत मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि उनके बारे में लाजमी तौर पर ह्यूमेनिटरियन ग्राउण्ड पर और अच्छी तरह से सोच कर उनको एडजस्ट करेंगे।

(6.46 सायं)

(श्री रामसिंह यादव, उपाध्यक्ष, पदासीन)

अब अन्त में मैं एक बात और कहना चाहूंगा, मान्यवर, अपने इलाके के बारे में। हमारे यहां, मान्यवर, सबसे ज्यादा जीनिंग और प्रेसिंग का सेंट वर्क है। अभी भी एक लाख बेल्स जो काटन कॉर्पोरेशन की है वह जीन और प्रेस नहीं हो पाई है। हम लोग 33 पर्सेन्ट के कट में हैं और आयन्दा के लिए आपने एग्जेम्प्ट कर दिया है। मैं चाहता हूं कि इस महीने में जबकि वहां पर काटन पड़ी हुई है जो जीन और प्रेस नहीं हुई है, आयन्दा आने वाली आंधी के वक्त में खराब हो जावेगी, लेबर नहीं मिलेगा, फायर का डर है और आयन्दा के लिए काटन कॉर्पोरेशन का सेंटर वहां से चला जाएगा, किसानों को जो इससे फायदा होता है हमेशा के लिए उन्हें इस बात का नुकसान होगा।

दूसरी बात, मान्यवर, मैं यह कहना चाहता हूं कि हमारे यहां एक पोटेंशियल है चाहे बोर्डर एरिया हो, नंगी हो, अनूपगढ़ हो, हिन्दूमल कोट हो, जहां-जहां से मेन गंग कैनाल गई है वहां-वहां पानी मीठा है सिवाय नाली को छोड़कर बाकी सा:िटश है। यह एक बेल्ट है जो बोर्डर पर सैकिंड डिफेंस लाइन का काम करती है। उनको विशेष तौर पर बिजली देनी चाहिए। एक तो वहां की जो मण्डी हिन्दूमलकोट की है वह डेजर्ट हो गई है। वहां पर स्माल स्केल इण्डस्ट्री क्रिएट हो। इससे काश्तकारों को फायदा होगा क्योंकि जितनी बार एग्रेशन हुआ इण्डो-पाक रिलेशन्स में, इन्हीं लोगों को नुकसान हुआ है। सैकिंड डिफेंस लाइन की दृष्टि से भी आवश्यक है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं समाप्त करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री मोहनराज !

श्री मोहनराज (बाली) : उपाध्यक्ष महोदय, बिजली का कितना महत्वपूर्ण स्थान है खास तौर से ग्रामीण विकास में इससे तो इन्कार नहीं किया जा सकता लेकिन इस मौजूदा वक्त में हम जिस

(श्री मोहनराज)

संकट काल से गुजर रहे हैं उसम हमें मजबूर होना पड़ रहा है एक ओर तो विकास बन्द करने के लिए आग की कार्यवाही की और दूसरी ओर जो मौजूदा कार्यक्रम चल रहे हैं उनमें भी बड़ी भारी कटौती करने के लिए। मैं सोचता हूं कि जिस ढंग से इस वक्त बिजली में कटौती के प्रस्ताव किए गए हैं उससे हमको वांछित फल नहीं मिलेगा और कुछ लोगों को बहुत ही ज्यादा, व्यक्तियों को ही नहीं लेकिन सामुहिक रूप से हमारे राष्ट्र को और प्रान्त के हितों को भी भारी ठेस पहुंचेगी। इसलिए मैं सोच रहा हूं कि यह जो विद्युत् कटौती का प्रस्ताव है उसको इस ढंग से टेक अप किया जावे कि जिससे कम से कम नुकसान और अधिक से अधिक फायदा हम उससे हासिल कर सकें।

आज मैं कुछ सुझाव देना चाहता हूं इस मामले में और वे यह हैं कि एक साधारण स्थिति के लोग हैं जो मामूली जगह के अन्दर, दो या तीन कमरों के घर में रहते हैं और वहां पर बहुत कम बिजली न्यूनतम यूनिट कन्ज्यूम करते हैं उन पर भी उतना ही कट लागू कर रहे हैं जितना कि बड़े-बड़े पेलेशियल बिल्डिंग में रहने वाले लोग हैं जो अपनी शान और शौकत के खातिर बहुत बड़ी-बड़ी ट्यूब लाइट्स लगा कर महलों में रहते हैं तो कम से कम मकानों में रहने वाले लोग हैं उनका पर्सेन्टेज कट का कम कीजिए और जो बड़े लोग हैं जो ज्यादा यूनिट कन्ज्यूम करते हैं पचास से अधिक, सौ-दो सौ यूनिट घरों के अन्दर जिनका कंजम्पशन होता है उन पर ज्यादा कट लागू कीजिए और उनको एनफोर्स करने की बात देखिए।

दूसरी चीज जो मैं निवेदन करना चाहता था वह यह है कि एक तरीका यह भी हो सकता है कि इस वक्त आम तौर पर लाइट और पॉवर दो तरह के कनेक्शन दिए हुए हैं। लाइट एक नेसेसिटी है कि जिससे हम इधर से उधर बच कर नहीं निकल सकते हैं। मेरा खयाल है, अगर हम एक सिस्टम एडॉप्ट करके पॉवर कनेक्शन को कट कर दें, जिससे जो रेफ्रिजरेटर चलते हैं, आइरन वगैरह का यूज होता है, वहां पर इसका इफेक्ट पड़ेगा और इस तरह का कट हो, पॉवर कट हो तो इससे लोग कम प्रभावित होंगे और बचत भी होगी। यह मेरा डोमेस्टिक पावर से मतलब है।

दुसरी चीज मैं जो अर्ज करना चाहता हूं, वह यह है कि एयर कन्डीशनर्स और रेफ्रिजिरेटर्स ये जो हैं बिलकुल इस वक्त हमारे लिए लक्जरी की चीजें हैं, जिनका कोई उपयोग नहीं है। इनको तत्काल बन्द कर देना चाहिए। आज हम जो छोटे-छोटे कन्ज्यूमर्स हैं उनके घरों की बिजली को कट करने की बात करते हैं तो हमें वे सीधा जवाब देते हैं, आप लोग कोई विधान सभा के सदस्य हैं, चाहे मंत्रीगण हों, आप बड़े-बड़े एयर कन्डीशन्ड हाल में बैठे रहते हैं। रेफ्रिजरेटर के पानी के सिवाय दूसरे पानी का स्वाद आपके मुंह पर नहीं लगता है और जो छोटे-छोटे कन्ज्यूमर हैं उनको इस तरह की बात कहते हैं। इस तरह उनकी बातों को सुनकर शर्मिन्दा होना पड़ता है इसलिए, उपाध्यक्ष महोदय आपके माध्यम से निवेदन करूंगा कि इस वक्त जब राजस्थान में बिजली का गंभीर संकट है, बिजली के गंभीर संकट से हम गुजर रहे हैं तब तत्काल ही जितने एयर कन्डीशनर्स लगे हुए हैं, रेफ्रिजिरेटर्स हैं उनके कनेक्शन बन्द

(श्री मोहनराज)

कर दिये जाने चाहिये। यह वाहियात और फिजूलखर्ची की बात है। आज फेक्ट्री के कनेक्शन काट रहे हैं। उद्योगपतियों और इन्डस्ट्रीज को कह रहे हैं कि बिजली में कट करें और इससे कारखानेदार मजदूरों को निकाल रहे हैं। यह मजदूरों के रोटी का सवाल है। उनके सामने रोजी का सवाल पैदा हो गया है। एक और रोजी का सवाल है दूसरी तरफ आरामतलबी जीवन के लिए पावर को कन्जूम कर रहे हैं यह मेरा खयाल है कि उचित नहीं है। मेरा निवेदन है कि राज्य सरकार तत्काल इस बार में विचार करे।

दूसरी चीज में जो निवेदन करना चाहता हूं वह यह है कि कई ऐसे इन्डस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट्स हैं जिनके खुद के जेनेरेटिंग सेट्स हैं। जब पावर मिलने लग गया तो अपने पावर का इस्तेमाल करना बंद कर दिया। कई लोगों के पास विजली के डिजल सेट्स हैं। दूसरे इस तरह के पावर प्लान्ट्स हैं और ये बड़ी बड़ी फेक्ट्रीज के एस्टेब्लिशमेन्ट में लगे हुए हैं और वे आज आइडल पड़े हुए हैं। मैं चाहता हूं कि इस बात का सर्वे करके कि जिन लोगों के पास, जिन फेक्ट्रियों के पास या मिल्स के पास उनके अपने इन्डिविज्युल सेट्स हैं उन लोगों को सात दिन का नोटिस दे कर अपने जेनेरेटिंग सेट्स का उपयोग शुरू करने के लिए कहा जाना चाहिए। उनको पावर जेनेरेट करने के लिए कहा जाना चाहिए। इस तरह से आपकी काफी पावर बच सकेगी। इसके अलावा आर०एस०ई०बी० के जगह जगह इस तरह के सेट्स पड़े हुए हैं और म चाहता हूं कि इन सेट्स का तत्काल उपयोग किया जाए ताकि हम इस संकटकाल से बाहर निकल सकें।

श्री उपाध्यक्ष : आप भी अपने भाषण में कट करिये।

श्री मोहनराज : मैं कट कर रहा हूं। बहुत बड़े कट का सुझाव दे रहा हूं। दो मिनिट में ही खतम कर दूंगा।

दूसरी चीज में यह अर्ज कर रहा था कि एक इस तरह की स्कीम हाइडल पावर की स्कीम पुराने जोधपुर स्टेट के वक्त जब जवाई डेम का प्लान बना था उसके साथ ही साथ में जवाई के पास ही सुगारा नाम गांव का जो स्थान है वहां एक ऊंचाई आई है, जो ओरिजीनल जवाई की स्कीम बनी थी उसके अन्दर भी पावर जेनेरेट करने की प्लान बनी थी। मैंने उस पुरानी स्कीम को देखते हुए अधिकारीगण से बात की है और उनका कहना है कि अब तो यह स्कीम सक्सेसफुल तरीके से लागू की जा सकती है। जवाई के अन्दर साई रीवर का डाइवर्शन करके पानी लाया जा रहा है, चाहे वह सिंचाई के लिए हो, चाहे वह जोधपुर शहर के लिए लगातार पानी दिया जा रहा है, वहां वह नहर चलती रहती है। ऐसी सूरत में अगर हाइडल पावर जेनेरेट करने का प्रयास किया जाए तो इस क्षेत्र के अन्दर जो ईरिगेशन के वेल्स हैं, जो लोकेलिटी है उनको हम कम से कम चीप पावर तो दे पाएंगे और इस तरह की इमरजेन्सी में भी वह सहायक सिद्ध होगी।

इसके अलावा एक सुझाव है कि जो लोकेलिटी आलरेडी इलेक्ट्रिफाइड है, उनके पास आधा मील की दूरी पर इस तरह के गांव आ गये हैं जहां कि बिजली नहीं दी गयी है और बिजली नहीं दिए जाने के कारण उनको मुसीबत हो रही है। पिछले दो-तीन साल से डिस्ट्रिक्ट प्रोडक्शन कमेटी लगातार सिफारिश करती आ रही है कि धनी, धूलबा,

(श्री मोहनराज)

सेना, मोला मारेखा, पडलाहसा, पिछलवाड़ा और डडवाना ये ऐसे गांव हैं जो कि आपके इलेक्ट्रिफाइड विलेजेज से तीन फर्लांग, आधा मील और एक मील से किसी का भी ज्यादा डिस्टेन्स नहीं है। मैं सोचता हूं कि इनको बिजली से महरूम रखना अन्याय होगा और जो हम प्रोडक्शन केवल इरिगेशन से ले सकते हैं वह भी महरूम रहेगा। इसलिए ऐसी जो जो लोकेलिटीज हैं उनको भी इलेक्ट्रिफाई कराया जाना चाहिए तब जाकर लोगों को सुविधा हो सकती है।

दूसरी चीज जो मैं अर्ज करना चाहता हूं वह यह है कि कन्जूमर्स जो बिल्स का भुगतान करते हैं उनमें उनको दिक्कत हो रही है। आपने बड़े बड़े गांव और कस्बों के लिये दो-चार दिन नियत कर रखे हैं। उन्हीं दिनों में सारे लोग, कन्जूमर्स लोग जाकर अपने बिलों का भुगतान करते हैं। मैं समझता हूं कि जहां पर म्यूनिसिपेलिटीज हैं, बैंक्स हैं वहां पर इन इन्स्टीटयूशन्स को हम काम दें ताकि इससे किसानों को, लोगों को सुविधा रहेगी और उनके झगडे भी कम हो जाएंगे और सुविधा से वे अपने बिल का भुगतान करेंगे। आज इस व्यवस्था से लोगों को परेशानी होती है। दूर दूर से लोग आते हैं। वक्त पर जमा नहीं करा पाते हैं तो उनके कनेक्शन कटने का खतरा रहता है। मैं सोचता हूं कि आप मेरे इस सुझाव पर ध्यान देंगे।

श्री उपाध्यक्ष . श्री हाजी जान मोहम्मद।

हाजी श्री जान मोहम्मद (पिड़ावा): सदरे मोअत्तरम, मैं बहुत देर से सोच रहा था कि टाइम मिलेगा या नहीं मिलेगा। खैर, टाइम देने के लिए आपका शुक्रिया। यहां पर बहुत देर से बिजली के बारे में बात चल रही है और हमारे मोअत्तरम एम०एल०ए० साहबान और पुराने नेता तरह तरह की बातें कह रहे हैं। पंजाब की बात बता रहे हैं, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के उदाहरण यहां पर दे रहे हैं और इस तरह से हमारे मिनिस्टर साहब को समझा रहे हैं। मैं कोई लम्बी चौडी बात कहने के लिए नहीं खड़ा हुआ हूं। मैं तो जहां से आया हूं वहां की ही बात करना चाहता हूं। मोअत्तरम, पिड़ावा जिला झालावाड से मैं यहां हाजिर हुआ हूं और वहां की ही बात करता हूं। हमारे इलाके के अन्दर न तो तालाब हैं और न कोई नहर है। सिर्फ पानी है। इसलिए सिर्फ वहां की ही बात करता हूं। हमारे यहां पर बिजली की कमी है, और इसकी कमी से लोग परेशान हैं। मैं उधर जाता हूं तो लोग मुझे पकड़ लेते हैं और पूछते हैं जयपुर से क्या लाए हो? क्या बिजली लाए हो? बिजली मेरे पास नहीं है। हमारे जोशी जी के पास हैं। वे हम को बिजली देना नहीं चाहते हैं। इस बिजली की कमी से कई लोग परेशान हैं। वह पैदावार का अच्छा इलाका है। इस साल बारिश कम हुई है इसलिए पैदावार भी कम हुई है और काश्तकार काफी परेशान हैं। आखिर बिजली कब आएगी, कब आएगी कहते रहते हैं। हम कहते हैं बिजली आ रही है। वे कहते हैं आप झूठ बोलते हैं। बिजली नहीं आ रही है। मैं अफसोस के साथ कहना चाहता हूं कि मैंने मन्त्री महोदय को चार गांव या तीन गांवों के नाम दिए थे कि आप इन गांवों को बिजली दे दीजिये। उसके बाद वहां के लोगों को कहा कि बिजली चार गांव में आयेगी। वहां पर इस बात पर दो पार्टियां हो गईं। एक ने कहा कि चार गांवों में बिजली नहीं आयगी तुम्हारा एम. एल. ए. झूठ बोलता है। हमारी पार्टी वालों ने कहा कि हमार

(हाजी श्री जान मोहम्मद)

एम०एल०ए० झूठ नहीं बोलता है उसने झूठ बोलना सीखा नहीं और बिजली आयेगी। यह लोग कहने लगे कि तुम्हारा एम०एल०ए० जयपुर जाकर झूठ बोलने लगा है। 10-20 साल लग जाते हैं बिजली आने में। आपने कहा था वह मैंने कह दिया। मैंने कोशिश की कि सच बोला जाय और उन लोगों को इत्मिनान दिलाया कि जो मैं कहता हूं वह सच बात है। अफसोस की बात है कि आप जयपुर जाकर झूठ बोलने लगे। अफसोस की बात है कि खम्भों को आये हुए एक साल हो गया, लेकिन एक खम्भा भी हमारे इलाके में बिजली का नहीं लगा। जब एक साल में भी एक खम्भा बिजली का नहीं लगा तो आखिर जनता क्या कहेगी? कैसे एम० एल० ए० हो तुम कि एम० एल० ए० होकर एक खम्भा बिजली का नहीं लगवा सके तो आयन्दा क्या करोगे?

हाजी श्री मोहम्मद गफ्फार अली: जोशीजी को ले जाइये दौरा कराने।

हाजी श्री जान मोहम्मद: यह बहुत अच्छा है कि जोशी साहब वहां पधारें और हमारी जनता की तकलीफों को दूर करें। मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि तशरीफ लायें। जोशी साहब वहां तशरीफ ले चलें तो मेरे इलाके की जो तकलीफात हैं वह उनको बतलाऊंगा और हम लोग जो झूठे पड़ गये हैं जिनको आज तक सच्चा मानते थे वह भी जनता को मालूम हो जावेगा। अच्छा हो कि आप पधारें।

इसलिए इसका इलाज क्या है? इसका इलाज यह हो सकता है कि सिनेमा और दूसरी ऐसी चीजें हैं राजस्थान के अन्दर उनको बन्द कर दें। बहुत से लोग नाराज तो होंगे कि क्या सुझाव दिया है लेकिन उससे करोड़ों रुपयों की बचत होगी। 2 करोड़ 66 का इन्सान यहां पर बसते हैं इनमें से कुछ नाराज हो सकते हैं लेकिन यह मेरा सुझाव है। आप सिनेमा में बिजली की कटौती करें तो अच्छा होगा। काश्तकारों को इससे छोड़ दें। हमारे इलाके में ज्यादातर लोग खेती करते हैं हमारे सदर की मारफत मैं जोशीजी से अर्ज करूंगा कि वहां पर बिजली दें जहां कि तालाब नहीं हैं, नहरें नहीं हैं इसलिए कुछ ना कुछ तो कीजिये। आप इत्मिनान दिलाइये जवाब दें तब ताकि हम जनता से कह सकें कि बिजली आने वाली है। पहले वाला जवाब नहीं हो कि एक खम्भा भी हमको नहीं दिया गया। हमारी मांग जायज है। वहां पर सड़क नहीं है, बिजली नहीं है।

यह जितने बिजली देने वाले इन्जीनियर हैं इनको अगर रिश्वत दे दें तो वह खम्भा लगा सकते हैं। इसलिए और बहुत सी तकलीफें हैं काश्तकारों की। कनेक्शन जो दिये जाते हैं तो बगर रिश्वत के कोई कनक्शन नहीं मिलता है। एक चोर इन्जीनियर हमारे इलाके में आया था। उसकी वहां पर शिकायत थी तो मैंने जिला परिषद् की मीटिंग वहां पर रखी तो वह साहब भी वहां पर गये थे तो उसकी एन्क्वायरी की गई तो 300 रुपये वापिस कर दिये गये, लेकिन आज तक उसकी एन्क्वायरी नहीं हुई। दूसरे साहब आये तो वह भी चोर आ गये। वह भी खूब रिश्वत खा रहे हैं। लोग कहते हैं कि यह उसका भी बाप आ गया। ऐसे लोगों की एन्क्वायरी कराई जाय। लोग परेशान हैं। बगर रिश्वत के कोई कनेक्शन नहीं मिलता है। मेरी झूठ बोलने की आदत नहीं है। मैंने भी एन्क्वायरी की तो बगैर रिश्वत के कोई कनेक्शन नहीं देता है। न मालूम क्या बात है? यह जिम्मेदारी किस की है? यह जिम्मेदारी मिनिस्टर साहब की है। अगर वे इसको नहीं रोक

Page No 158

(हाजी श्री जान मोहम्मद)

सकते तो यह महकमा और किसी को दे दें। अगर यह महकमा उनके पास है तो वे रिश्वत को मिटायें। उनके महकमे के अन्दर कोई पैसा खाता है तो यह उनकी जिम्मेदारी है। वह इस काम को नहीं कर सकें तो किसी और को सौंप दें। यह ईमानदारी की बात है। अगर वह इसको नहीं मिटा सकते हैं तो उनको इस महकमे को रखने का अधिकार नहीं है। इसलिए मैं निहायत अदब से गुजारिश करूंगा कि आप यह फर्मा दें कि हमारे इलाके में बिजली दी जायगी ताकि हम यहां से 7 तारीख को जा रहे हैं तो अपने लोगों से यह कह सकें कि हमें बिजली मिलेगी। इसलिए निहायत अदब से गुजारिश करना चाहता हूं कि बिजली काश्तकारों को चाहिए। यह उनकी मांग है और वह चाहते हैं कि बिजली आये तो हमारी पैदावार बढ़े। यह चन्द बातें मैंने कही हैं। बिजली हमारे इलाके में दी जाय ताकि काश्तकारों की पैदावार बढ़े।

श्री उपाध्यक्ष : श्री मोहम्मद गफ्फार अली।

श्री मोहम्मद गफ्फार अली (जौहरी बाजार, जयपुर) : सभापति महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे टाइम दिया। ऐसा है कि प्रोडक्शन के बारे में मेरे दल के नेता ने बहुत विस्तार के साथ कुछ तजवीजें रखीं। मैं सिर्फ दो-एक पहलुओं पर प्रकाश डालूंगा।

मेरा अर्ज करना यह है कि मैं यह जो डिस्ट्रिब्यूशन का सिस्टम है इस बात से सहमत नहीं हूं। एक तो इस पर रोशनी डालूंगा। दूसरा यह है कि जो इन्जीनियर्स बेकार थे जिनको कि कुछ रुपया दिया गया है उनके बारे में अर्ज करूंगा।

तो सबसे पहले मैं यह गुजारिश करूंगा कि जिन लोगों को गवर्नमेन्ट ने रुपया दिया और वह इस नजरिये से दिया, इस दृष्टिकोण से दिया कि उनको रिहेबिलिटेट किया जाय, उनको रोजगार दिया जाय, और यह अच्छी चीज है। उनको बहुत कम पीरियड गुजरा था कि सिर मुड़ाते ही ओले पड़े। मुझे अच्छी तरह ध्यान है इस बात का कि पहले जब बिजली के बारे में तहकीकात किया आया तो जोशीजी ने यह कहा था इस सदन में कि जिन फैक्ट्रीज में 20 किलोवाट से कम खपत होगी उसके ऊपर कोई कट नहीं करेंगे। मुझे मालूम नहीं कि स्थिति में परिवर्तन क्या आया। मेरा सुझाव है कि यह परिवर्तन कुछ भी आया हो उन इन्जीनियर्स को जिनको कर्जा दिया है उस कर्ज की अदायगी तो दूर रही वह फिर बेरोजगार हो जायेंगे। उनके कारखाने, फैक्ट्री, इन्डस्ट्री जो कि छोटी छोटी हैं वह बन्द हो जायेंगी और आपका पैसा डूब जायगा और उनके लिए वही प्रॉब्लम एजीटेशन की और परेशानी की पैदा हो जायगी। इसलिए मेरा यह सुझाव है कि इसको तब्दील करें और इसलिए लागू न करें कि जो चीज पहले डिक्लेयर की थी हम कटौती स्लेब सिस्टम पर करेंगे और ऐसे बड़े बड़े कारखाने हैं जिन पर बिजली ज्यादा खर्च होती है उन पर ज्यादा कटौती करेंगे और जो छोटे छोटे कारखाने हैं उनको एक्जेम्प्ट कर देंगे। अगर एक्जेम्प्ट या मुस्तस्ना होना या उनका छोड़ा जाना पूरी तरह से सम्भव नहीं हो तो मेरा यह सुझाव है कि उनके साथ में रियायत की जाय और कम से कम वे लोग जिनको गवर्नमेन्ट ने कर्जा दिया है, जिन्होंने छोटी छोटी इन्डस्ट्रीज लगाई हैं उनके ऊपर किसी किस्म की पाबन्दी न हो।

(श्री मोहम्मद गफ्फार अली)

यह मेरा सुझाव है। बेसिकली यह चीज सही भी है।

दूसरी चीज डिस्ट्रिब्यूशन के बारे में कहना चाहता हूं वह यह है कि जिनको प्रोडक्शन कोस्ट से भी कम में बिजली दी जाती है उनका जो कन्जम्पशन है वह कुछ न कुछ एबनार्मल है जैसे भरतराम चरतराम डी० सी० एम० वालों को बिजली दे रहे हैं वह 4, 5 या 6 पैसे के हिसाब से दे रहे हैं और उसके बारे में कोई कान्ट्रेक्ट आड़े आ जाता है, और उसके बारे में जिस वक्त भी कोई चीज कही जाती है तो कहा जाता है कि हमारा मुआयदा हो गया है, यह मुआयदा हमारा जानलेवा हो गया है। जब आप बिजली की कटोती कर रहे हैं तो ऐसी फैक्ट्रीज के अन्दर ऐसा स्लेब रखें कि उनकी 60, 70 फीसदी कट करें ताकि उनको जो प्रोडक्शन कोस्ट से भी कम पर बिजली देनी पड़ती है उससे जो नुकसान होता है उससे हम बच जायं और जो छोटे कन्ज्यूमर्स हैं उनको राहत मिले।

दूसरी चीज जो मुझे कहनी थी वह लेबर के बारे में है। जैसा प्रोफेसर केदार ने कहा है चूंकि फैक्ट्रीज बन्द हो रही हैं तो उससे तमाम मजदूर बेकार हो रहे हैं या किये जा रहे हैं तो उनके वर्किंग आवर्स को कम किया जाय तो यह बात समझ में आती है। उनको बिल्कुल बेकार बैठा दिया जाय और शिफ्ट बन्द कर दी जाय यह ठीक बात नहीं है। लक्ष्मी मिल में बहुत अर्से से स्ट्राइक चल रही थी और गवर्नमेन्ट ने वाद-विवाद करके उसको चलाने की कोशिश की और उसको टेक ओवर किया तो वह बिजली की कटोती के चक्कर में फिर आ गई। तो ऐसे मिलों को जिनके मजदूरों को बड़े अर्से से परेशानी का शिकार होना पड़ा अब उनके ऊपर कटोती की तलवार लटकेगी और मजदूर बेकार होंगे तो मैं यह समझता हूं कि यह गलत इन्तजाम होगा। जो सिक मिल्स हैं और रिलीफ देने के लिए, रिहेबिलिटेट होने के लिए जो पैसा दिया जा रहा है उस पैसे का दुरुपयोग होगा और उनके लिए वह फिर परेशानी का बायस हो जायगा। तो यह डिस्ट्रिब्यूशन और इस के बारे में सुझाव था।

इसके अलावा एक सुझाव देना चाहता हूं, मैं उम्मीद करता हूं कि इस पर गौर से विचार किया जाय। भ्रष्टाचार विद्युत् मण्डल में चालू है वह इसलिए कि बेनीफिशियरी और लोकल पोपूलेशन को आप इन्वाल्व नहीं करते हैं। मेरा सुझाव है जहां काश्तकारों को पावर देते हैं, कनेक्शन देते हैं वहां बेनिफिशियरी की एक कमेटी बननी चाहिए और उसको कन्सल्ट करके इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड वहां विद्युत् वितरण करे तो भ्रष्टाचार की शिकायतें कम हो जायेंगी। जो इंजीनियर मनमानी करते हैं और जिस तरह लोग उन्हें पैसा दे देते हैं वह चीज उस समय तक खत्म नहीं हो सकती जब तक आप पब्लिक को इन्वाल्व नहीं करेंगे। यह ऑल इंडिया पॉलिसी और समाजवाद के अनुकूल हैं। मेरा निवेदन है सब जगह, हर गांव में, हर तहसील में डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, कनेक्शन के काम में पीपुल्स को इन्वाल्व करना चाहिए, एक कमेटी बनानी चाहिए जिसके मशविरे से पावर दी जाय, कनेक्शन दिये जायं, तो भ्रष्टाचार खत्म हो जायगा, वरना तकरीरों से, घोषणाओं से और पायस थिंकिंग से इस चीज को खत्म नहीं कर सकेंगे।

इसके अतिरिक्त पावर कट के बारे में अर्ज किया चाहता हूं। मेरा कहना है कि

(श्री मोहम्मद गफ्फार अली)

आपने तलवार लटका दी है कि इतनी खर्च कर दी 30 परसेंट से ज्यादा खर्च करेंगे तो बिजली काट दी जायेगी। यह खतरनाक पहलू है। मैं सुझाव रखूंगा, इंडिविजुअल कन्ज्यूमर की आप स्पेसिफाइड टाइम पर बिजली बन्द कर दीजिये, आफिस और कोर्ट का टाइम बदल दीजिये, 7 से 12 कर दीजिये और बिजली बन्द कर दीजिये। इससे इलेक्ट्रिक कट हो जायगा आप पावर कट कर रहे हैं और इंडिविजुअल कन्ज्यूमर के साथ इस तरह की बात करें कि इससे ज्यादा जला देंगे तो कनेक्शन काट दिया जायगा। इससे मुश्किल हो जायगी। आज मोमबत्ती और मिट्टी का तेल भी अवेलेबल नहीं है। मोमबत्ती बडी मंहगी हो गई और मिट्टी के तेल का अभाव है। आप स्पेसिफाइड टाइम मुकर्रर कर दीजिये और उसमें कनेक्शन स्टोप कर दीजिये, जिससे आपके यहां बिजली का कट हो जायगा। दूसरे मैंने सुझाव दिया था, सेक्रेटेरियेट है और दूसरी आफिस बिल्डिंग हैं, उनमें पावर कन्ज्यूम होती है, वहां कूलर चलता है, पंखे और सारी चीजें चलती हैं। आप आफिस का टाइम चेंज कर सकते हैं, और साथ ही उन्हें पाबन्द किया जाय कि यह जो कूलर और पंखे चलते हैं, इन्हें बन्द कर दिया जाय तो पावर कट हो जायगी। यह सुझाव मुझे देना था।

दूसरी ऐसी बात है कि जो होस्टलर्स हैं और विद्यार्थी हैं वे इम्तिहान दे रहे हैं। उनके इम्तिहान मई में खत्म हो जायेंगे। आज हर घर में बच्चे पढ़ने वाले हैं। आप पावर कट करेंगे तो बच्चे स्टडी कन्टीन्यू नहीं कर सकेंगे और वह फेल होते हैं तो यह आपकी जिम्मेदारी है, हुकूमत की जिम्मेदारी है, आपके कारण ही फेल हुए और उनका केरियर खराब हुआ। मेरा सुझाव था, आप इसको मई तक पेंडिंग रखें, उसके बाद यह कट कर सकते हैं। दूसरे जैसा मौलाना ने सुझाव रखा है कि सिनेमा घर बन्द कर दिये जायें। मैं भी इस राय का हूं, आप सिनेमा बन्द करवा दीजिये। यह मौलवियों जैसी मैं राय देता हूं। हमारा तो सिनेमा देखने का वक्त गुजर गया, हमें उससे फर्क नहीं पड़ता है। इसलिए आप इसको बन्द कर दीजिये। मेरा सुझाव था कि डिस्ट्रिब्यूशन के लिए और दूसरे स्टूडेंट की फैसेलिटी के लिए, इन पर ध्यान दिया जाय तो मैं आभारी होऊंगा।

श्री उपाध्यक्ष: श्री पी० के० चौधरी!

श्री पी० के० चौधरी (फुलेरा): उपाध्यक्ष महोदय, मैं सिर्फ पाइन्ट बोलूंगा ज्यादा लम्बा नहीं कहूंगा।

श्री हरिदेव जोशी: धन्यवाद!

श्री पी० के० चौधरी: पहली बात यह है, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का बजट है, केपिटल बजट है, वह साढे छब्बीस करोड़ रुपये का है, उसमें से रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन के लिए साढ़े छः करोड़ रुपये हैं, यानि वन फोर्थ है, 25 परसेन्ट। मेरा निवेदन है, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन को जितनी इम्पार्टेन्स दी जानी चाहिए, मैं समझता हूं, उतनी नहीं दी जाती है। उसकी वजह यह भी है, जहां तक इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का कम्पोजीशन है, कॉन्स्टिट्यूशन है, उसके सम्बन्ध में मैं माननीय मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, उसमें सात मेम्बर होते हैं, तीन तो आफिशियल मेम्बर हैं, टेक्निकल मेम्बर और अकाउण्टस मेम्बर और चार नॉन आफिशियल मेम्बर होते हैं, इनमें दो इन्डस्ट्री के रिप्रेजेंटेटिव हैं, एक लेबर का है, एक सोशल वर्कर है। मैं

(श्री पी० के० चौधरी)

चाहता हूं, कम से कम चार मेम्बर में से दो मेम्बर एग्रीकल्चरिस्ट को रिप्रजेंट करने वाले हों। इसमें आप परिवर्तन करके यह कर सकते हैं। मैं मानता हूं कि आज विद्युतिकरण का ग्रामीण जनता के ऊपर जितना असर होता है, उतना असर शहरी जनता के ऊपर नहीं होता है। हम ग्रीन रिवोल्यूशन की बात करते हैं, हम यह महसूस करते हैं कि अगर इस इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में एग्रीकल्चरिस्ट का रिप्रेजेन्टेटिव रहता है तो बजट के सम्बन्ध में निर्णय लेते वक्त रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन के लिए कितना बजट होना चाहिये, इसके सम्बन्ध में वह एसर्ट करता और इससे जरूर फर्क पड़ता। ग्रामीण क्षेत्र में क्या दिक्कत होती हैं, अगर एग्रीकल्चरिस्ट का रिप्रेजेन्टेटिव होता तो बोर्ड लेवल पर असर पड़ता है। आज नहीं है इसलिए आज असर नहीं पड़ता है। मेरा निवेदन यह है कि एग्रीकल्चरिस्ट के इन्ट्रेस्ट को वाच करने के लिए बोर्ड में उनका रिप्रेजेन्टेटिव रहना चाहिए। कम से कम चार नान आफिसियल मेम्बर्स में से दो नान आफिसियल मेम्बर एग्रीकल्चरिस्टके रिप्रजेन्टेटिव होने चाहिए।

दूसरी, उपाध्यक्ष महोदय, बात मैं यह कहना चाहता हूं कि रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन का बजट है इसमें स्टेट गवर्नमेन्ट का कन्ट्रीब्यूशन बहुत कम है। इस बात को, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का जो बजट एनेलेसिस किया है, उसमें कहा है:--

"The State Government have been keeping a provision for sub-transmission and rural electrification at a very low figure, but has been keeping a target at a very high figure on the assumption that the Board would be in a position to mobilise more funds from the Rural Electrification Corporation.

यानि रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन के अन्दर जो पांच सात करोड़ खर्च होता है उसमें राज्य सरकार का हिस्सा 1 करोड़ 80 लाख रुपये का होता है, बाकी का 5-6 लाख आर० एस० ई० बी० का खर्च होता है। कुछ दिनों पहले एम० पी० की एक टीम आयी थी, उसके सेन्ट्रल डिप्टी मिनिस्टर, पावर चेअरमेन थे। उन्होंने कहा, राज्य सरकार को कहना चाहिए, ज्यादा पैसा विद्युतिकरण के लिए बजट से दें। राज्य सरकार यह मान कर चलती है कि रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन की आर० एस० ई० बी० की जिम्मेदारी है। मैं मंत्री महोदय से कहना चाहूंगा आप ग्रामीण विद्युतिकरण चाहते हैं और ग्रीन रिवोल्यूशन चाहते हैं फिर भी अपनी तरफ से फण्ड नहीं देते हैं और 90 पर्सेन्ट फण्ड्स आर० ई० सी० से लेना चाहते ह। इस दृष्टिकोण में परिवर्तन करना आवश्यक है।

दूसरी बात मैं निवेदन करना चाहूंगा, कुछ मित्रों ने यहां पर यह कहा, इससे पहले एक बात और बता दूं, बजट स्पीच में माननीय वित्त मंत्रीजी ने यह बताया था हम फोर्थ प्लान के आखिर तक 6,618 विलेजों का इलेक्ट्रिफिकेशन करेंगे और 80,172 कुओं को बिजली देंगे। जब कि इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का बजट आया है, उसमें दिखाते हैं कि 5,800 गांवों को बिजली देंगे, मतलब है कि इसमें 800 गांव कम दिखाते हैं। और 80 हजार कुओं को बिजली पहुंचायेंगे। मैं

(श्री पी० के० चौधरी)

कहता हूं कि वित्त मन्त्री के भाषण में और इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के बजट में अन्तर नहीं आना चाहिए ।

दूसरी बात, मित्रों ने सुझाव दिया, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन के लिये कुछ सदस्यों ने कहा कि किसानों को बिजली दी जाती है एग्रीकल्चर के लिए, वह 13 पैसे में दी जाती है, यह बहुत कम पैसे में दी जाती है, इसको बढ़ाना चाहिये । मैं निवेदन करता हूं, मैं इसके बढ़ाने के पक्ष में नहीं हूं । इसमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए, एग्रीकल्चर की कोस्ट आफ प्रोडक्शन क्या है । मैं मंत्री महोदय को निवेदन करना चाहता हूं, भाखरा क्षत्र, चम्बल क्षेत्र, राजस्थान कैनाल एरिया में एक फसल की पिलाई, गेंहूं की फसल की पिलाई के दस रुपये इरिगेशन चार्जेज लगते हैं, यहां पर 13 पैसे एक यूनिट के हिसाब से लगते हैं तो एक किसान के 125 रुपये खर्च होते हैं, अगर गेहूं की फसल की एक पिलाई करें । मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इन्डस्ट्री को आप तीन पैसे यूनिट के हिसाब से देते हैं, वह आप एम्पलायमेंट पोटेंशियल्टी बढ़ाने के लिये और प्रोडक्शन बढ़ाने के लिये देते हैं, और एग्रीकल्चर के लिये 13 पैसे में देते हैं । उसका इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को रिटर्न कम आता होगा और उसका ओवर आल इम्पेक्ट इकानामी के ऊपर क्या पड़ता है---उसका ध्यान रखना चाहिए । मैं यह बात निवेदन करना चाहता हूं, मंत्री महोदय को, पचास साल पहले लेनिन ने कहा था :

Take the electricity to the countryside and then there will be revolution.

ग्रामों में क्रांति लानी है तो बिजली पहुंचाई जाए, 50 साल पहले उन्होंने कहा था । इसलिये मेरा निवेदन है कि जो एग्रीकल्चरल लोड है उसके टैरिफ को तो माफ करें । अगर टैरिफ बढ़ायेंगे तो ग्रीन रिवोल्यूशन के लिये अच्छा नहीं होगा । बढ़ते हो तो कोस्ट आफ प्रोडक्शन को सब्सीडाइज करना चाहिये । करोड़ों रुपए खर्च करके नहरें लाई जाती हैं । फसल की पिलई होती है । विद्युत को काम में लेने के बाद 125) खर्चा आता है । इसलिए टैरिफ को कम करें । बोर्ड की आमदनी बढ़ानी है आम एग्रीकल्चरल टैरिफ बढ़ाते हैं तो मैं इसके सख्त खिलाफ हूं ।

वैर से आने वाली माननीय सदस्या ने कहा कि 5 करोड़ का घाटा रहेगा 20 साल में भी । तो उसकी वजह है । रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन सभी जगह एक जैसा नहीं है । अलवर-भरतपुर में आप बिजली नहीं देते हैं । आप देंगे जहां एक एक किलोमीटर पर कुआ है । वहां दी जाए, हमें ख्याल नहीं लेकिन रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन को फायदा पहुंचाना है, रिटर्न्स बताने हैं तो जैसा माननीय सम्पतराज ने कहा एक किलोमीटर पर कुआ आता है, गांव आता है, बिजली नहीं देते हैं । आपने पहले आदेश दिए थे एक लाइन पर एक किलोमीटर, डेढ़ किलोमिटर पर जितने भी दूसरे गांव आयेंगे बिना सैंक्शन के उनको बिजली दी जाएगी । लेकिन अब फैसला किया है कि ऐसी जगह बिजली नहीं दी जाय । मैं इसको अच्छी बात नहीं मानता । उन्होंने कहा 80 लाइन खींचते हैं आप 11 के०वी० लाइन खींचते हैं । जरूरी नहीं है कि लाइन के लिये सैंक्शन चाहिए, यह रेडटेपिज्म इन्ट्रोड्यूज करते हैं । सैंक्शन करनी है तो पावर्स डेलीगेट करो सुप्रिटेंन्डिग इंजीनियर को:

Let the Executive Engineer sanction it.

Page No 163

श्री पी० के० चौधरी

लेकिन आज आपने क्लाज लगा दिया। वोर्ड की मीटिंग 3-4 महीने में एक बार होती है, लंबी चौड़ी बातें होती हैं, सेंक्शन नहीं मिलती है इसलिए वोर्ड ने जो फैसला किया है उसकी जगह आपको यह करना चाहिए।

Let the locality be sanctioned not by the Board but by the Executive Engineer.

सेंक्शन के बाद ही लाइन को जोड़ना यह सोचने का तरीका गलत है। क्योंकि यहां दलील दी गई कि बिना सेंक्शन लाइन खींच लेते हैं, इसलिए मैंने कहा है।

मीटर्स के बारे में जैसे माननीय झावरमल जी ने कहा, मीटर्स का झगड़ा है। मीटर्स के लिए हमारा कहना है कि मीटर्स का रुपया लेते हैं वह नहीं लेना चाहिए। वोर्ड का कहना है कि काश्तकार उसमें गड़बड़ी करता है चोरी करता है लेकिन मेरा कहना है कि काश्तकार एक या दो हो सकते हैं सब चोरी नहीं करते। मैं मानने को तैयार नहीं हूं। मैं इस प्रकार सबके बोनाफाइडीज पर संदेह करने को तैयार नहीं हूं। या तो मैन्यूफक्चरिंग है या और वजह हो सकती है। सारे के सारे काश्तकारों के लिए कहा जाए कि मीटर्स खराब हो जाते हैं, इसका मतलब चोरी की है, टैम्पर किया है...

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

एक दो मिनट में खतम करता हूं। मैं इस सुझाव का स्वागत करता हूं या तो आप लोकेलीटीवाइज मीटर को हटा दें, सालाना इतना पैसा जमा कराना पड़ेगा। मीटर खराब हो जाते हैं, भारी बिल आता है। जयपुर जिले में करीब डेढ़ लाख कुएं हैं, आपकी रिपोर्ट के अनुसार 18 हजार कुओं में बिजली पहुंचाई गई है, इसका मतलब अभी भी सवा लाख कुए...

श्री हरिदेव जोशी: जयपुर सेचूरेशन पाइंट पर पहुंच गया।

श्री पी० के० चौधरी: नहीं पहुंचा। हमारे जिले में जितनी पंचायत समितियां हैं, हर पंचायत समिति में एक एक स्कीम होनी चाहिए दिल्ली वाले कहते हैं कि आपकी राज्य सरकार हमारे पास स्कीम नहीं भेजती। उनका कहना कुछ हद तक सही है। 7-8 साल पहले आपने पैसा लेना शुरू किया लेकिन फायदा नहीं हुआ। आज हम चाहते हैं कि जयपुर जिले के लिए कम से कम जितनी पंचायत समितियां हैं सब में एक एक स्कीम भेजी जाए और सब में बिजली पहुंचाई जाए।

श्री केदारनाथ: परसेन्टेज सबसे ज्यादा जयपुर में है।

श्री पी० के० चौधरी: इरीगेशन के लिए कुछ पैसा हमको नहीं मिला है। राजस्थान में 200 करोड़ खर्च किया है जबकि जयपुर में केवल 40 लाख रुपया खर्च किया है। इसलिए मेरा निवेदन है कि 5 करोड़ रुपए तीन साल के फेज्ड प्रोग्राम के लिए जयपुर जिले में रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन के लिए आप दे दें। फिर कोई मांग नहीं करेगा। तीन या 4 साल का प्रोग्राम बनाकर आप दे दें, हमारा जिला सेचूरेशन पाइंट पर पहुंच जाएगा, कोई मांग नहीं करेगा और आपको अच्छा प्रोडक्शन देंगे। मेरी कान्स्टीट्यूएन्सी के लिए आपने डिटेल्ड बजट नहीं दिया, एक्सट्रेक्ट भेजा है। 400-500 आदमियों का हर तीसरे चौथे महीने यहां पर डेप्यूटेशन्स आते हैं, बिजली की वजह से आते हैं। जयपुर जिले में सबसे ज्यादा डिफीकल्टी वोल्टेज की है। उसकी वजह से आगमेंटेशन

Page No 164

(श्री पी० के० चौधरी)
प्राब्लेम जयपुर जिले में अधिक है, 11 के०वी० लाइन बहुत लंबी है, लोड बढ़ गया है, इसलिए ज्यादा स्टेशन्स होने चाहिए। मेरी कान्स्टीटूएंसी में 33 के०वी० लाइन का स्टेशन आपने रखा है और 5 हजार रुपए रखे हैं। मैं और अधिक नहीं कहना चाहता।

श्री हरिदेव जोशी : इसके लिए धन्यवाद तो दो··

श्री उपाध्यक्ष : विद्युत मन्त्री।

श्री हरिदेव जोशी (विद्युत मन्त्री): उपाध्यक्ष महोदय, इसके पहले कि मैं अपना भाषण शुरू करूं, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं····

(कई माननीय सदस्यो एक साथ के बोलने के लिये खड़े होने पर-शोर गुल-अश्रव्य)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज, माननीय सदस्य स्थान ग्रहण करें। विद्युत मन्त्री (please continue)

श्री हरिदेव जोशी : उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहूंगा जब तक मेरा जवाब समाप्त नहीं हो तब तक के लिए सदन का समय बढ़ाया जाय।

श्री लूणाराम : उपाध्यक्ष महोदय आपका आर्डर प्लीज तो शिरोधार्य है लेकिन हम भी कुछ निवेदन करना चाहते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य। तशरीफ रखें।

श्री हरिदेव जोशी : उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जब तक मैं अपना रिपलाई जारी रखूं तब तक के लिये सदन का समय बढ़ा दिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : क्या सदन की अनुमति है कि सदन का समय बढ़ाया जाय ?

(अनुमति प्रदान की गई)

सदन का समय मन्त्री महोदय का वक्तव्य समाप्त नहीं हो तब तक के लिये बढ़ाया गया।

श्री हरिदेव जोशी : उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्यों का बहुत ही आभारी हूं कि उन्होंने अपने विचार और कुछ सुझाव राजस्थान इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के बारे में दिये। कई माननीय सदस्यों ने तो अपने भाषण के दौरान में राजस्थान पूरे के लिये अपने सुझाव दिये। कुछ लोगों ने अपने क्षेत्र के दायरे तक ही सीमित रहना अच्छा समझा। इसके अलावा कुछ माननीयसदस्यों ने अपने तक ही सीमित रहना अच्छा समझा। और कुछ माननीय सदस्यों ने यहां पर यह भी कहा कि राजस्थान हिन्दुस्तान के बिजली के नक्शे में जितना ऊपर बढ़ना चाहिए था उतना नहीं बढ़ सका है। कई माननीय सदस्यों ने यह भी कहा कि राजस्थान में अभी तक बिजली का विकास नहीं के समान हुआ है। मैं उपाध्यक्ष महोदय, इसकी अधिक विगत में नहीं जाकर सबसे पहले माननीय सदस्यों को यह निवेदन करना चाहता हूं कि जब राजस्थान का निर्माण हुआ उसकी ओर मैं माननीय सदस्यों का ध्यान पहले उस समय की ओर आकर्षित करूंगा उस समय माननीय सदस्यों को पता होगा कि हमारी देशी रियासतों में बिजली का प्रयोग राजघरानों के लिये होता था और यह तो नहीं कहता कि बिजली थी ही नहीं पर इतना जरूर कहूंगा कि बिजली राजघरानों के महलों के लिये और राजा महाराजाओं के आखेट खेलने की जगह पर बिजली की व्यवस्था होती थी। माननीय सदस्यों को यह बताना चाहता हूं कि उस समय

(श्री पी० के० चौधरी)

की टोटल इन्स्टाल्ड कैपेसिटी कुल मिलाकर 13 मेगावाट थी। जब राजस्थान बना था उसके बाद में पहली पंचवर्षीय योजना के अन्त तक वह बढ़ कर 39 मेगावाट हुई। फिर दूसरी पंचवर्षीय योजना के आखिर में जाकर 134.57 मेगावाट हो गई। इसके बाद में हमारे तृतीय पंचवर्षीय योजना के अन्त में 203.39 मेगावाट बिजली राजस्थान में हुई। उपाध्यक्ष महोदय, चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के आखिर में तक यह बिजली 785.53 मेगावाट हो जायेगी। इस लिहाज से यह कहना कि यहां पर बिजली के मामले में प्रगति नहीं हुई मैं मानने को तैयार नहीं हूं। हमें गर्व है कि हमने बिजली के मामले में काफी तरक्की की है। हम काफी आगे बढ़े हैं। और हमने बिजली के मामले में बड़े पैमाने पर काम किया है। बहुत मुमकिन है बिखरी हुई रियासतों के कारण, बहुत मुमकिन है हम पहले से ही इतने पिछड़े हुए थे कि हम उसकी इतनी पृष्ठभूमि नहीं बना सके। कई कारणों से हमारा प्रोपर प्लानिंग नहीं हो सकने के कारण कुछ अभाव रहा हो आज हमारे ग्रोथ एण्ड डिस्ट्रिब्यूशन में कहीं कोई प्रकार की गड़बड़ नहीं और हमारे लिए यह भी सही है कि हम बिजली के मामले में पराश्रित हैं मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि भाखरा, चम्बल, और तीसरी सतपुड़ा पर आश्रित हैं और सबसे बड़ा हम कोटा में आटोमिक अनर्जी का एक थरमल प्लान्ट 400 मेगावाट का बना रहे हैं जो फर्स्ट स्टेज में 200 मेगावाट और सैकण्ड स्टेज में 200 मेगावाट और होगा। लेकिन इस प्लान्ट ने शुरू शुरू में ही काफी परेशानी पैदा कर दी है। इसलिए मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि अब हमें इसके अलावा भी जो अनटेप्ड सोर्सेज हैं उनको टेप करना चाहिए। हमने पंचम् पंचवर्षीय योजना के अन्त में यह कोटा का जो प्लान्ट है उससे 400 मेगावाट बिजली ट्रान्समिशन कर देंगे। जिससे राजस्थान को काफी बिजली मिलेगी पर इसमें मुझे खुद को ही सन्देह हो रहा है। वैसे उपाध्यक्षजी, हम हर प्रयत्न करेंगे कि इस दिशा में सही प्रयत्न करके इसको चालू कर दिया जायेगा।

श्री रामानन्द अग्रवाल : आखिर इसमें रुकावट क्या है ?

श्री हरिदेव जोशी : उपाध्यक्ष महोदय, हम काफी कोशिश कर रहे हैं और इसके साथ साथ हम डिस्ट्रिब्यूशन साइड में भी काफी अच्छा प्रयत्न कर रहे हैं। मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं कि हमने आज तक टोटल राजस्थान भर में जो लोकेलिटीज बिजली की लगायी हैं वह 5 हजार इलेक्ट्रीफाइड है। उसमें से दो हजार इलेक्ट्रीफाइड इन पिछले दो सालों में की है और अकेले इस वर्ष में हमने 18 हजार कुओं में बिजली को इमरसाइज किया है। कहने का तात्पर्य यह है कि माननीय सदस्य ने जो यह कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली लगाने का काम कम हुआ है वह सही नहीं है। राज्य सरकार इस ओर काफी जागरूक है। और राज्य सरकार ने काफी प्रयत्न किया है। उपाध्यक्ष महोदय, हमने तो जयपुर जिले में सबसे ज्यादा बिजली दी है अब मेरे पास कोई बैरोमीटर तो है नहीं कि किसके पास कितनी यूनिट बिजली गयी।

श्री केदारनाथ : इसीलिये तो आप शहर में जीत कर आगये।

श्री हरिदेव जोशी : माननीय सदस्य जो फुलेरा से आने वाले हैं उनकी तो आदत-सी पड़ गयी है कि वह हमेशा यही कहते

(श्री हरिदेव जोशी)

रहेंगे कि जयपुर जिले में कोई विकास का काम नहीं हो रहा है, कोई बिजली की की व्यवस्था जयपुर जिले में नहीं हो रही है। मैं उनसे साफ-साफ बता देना चाहता हूं कि दूसरे जिलों में जयपुर जिले से बहुत कम बिजली दी गयी है। वो माननीय सदस्य अपने जिले में जावे, अपने क्षेत्र जाकर ऐसी बात करें तो बात मानने में आसकती है। लेकिन विधान सभा में बैठकर राज्य सरकार के समक्ष यह कहें तो सर्वथा अनुचित है क्योंकि वहां तो सब फेक्टस पड़े हैं राज्य सरकार के सामने। उनसे ऐसा पता लगता है कि वह जो कुछ भी कह रहे हैं वह तथ्यों के विपरीत है। राजस्थान के अन्दर उपाध्यक्ष महोदय, अजमेर जिले में 17.79 प्रतिशत इलेक्ट्रीफिकेशन हुआ है। 16.70 अलवर जिले में इलेक्ट्रीफिकेशन हुआ है, बांसवाड़ा में 7.80 पर्सेन्ट हुआ, बाड़मेर में 5.71 प्रतिशत है, भरतपुर में 12.91 प्रतिशत इलेक्ट्रीफिकेशन हुआ हुआ है। भीलवाड़ा में 18.73 प्रतिशत है। और जयपुर में 24.32 प्रतिशत इलेक्ट्रीफिकेशन हुआ है। इसके बावजूद भी माननीय सदस्य यह शिकायत करते हैं तो मुझे दुःख होता है। उपाध्यक्ष महोदय, इस पर्सेंटेज को भी आप छोड़ दीजिये मैं आपको कुछ कुओं के बारे में निवेदन करना चाहूंगा कि अजमेर जिले में हमने 2,378 कुओं में बिजली दी, अलवर में 4,706 कुओं में बिजली दी है, बांसवाड़ा जिले में जहां से मैं आता हूं उस पर पक्षपात का आरोप लगाया जाता है वहां सिर्फ 624 कुओं को बिजली आज तक दी गयी है। अकेले जयपुर में 18,155 कुओं को बिजली दी गयी है पूरे राजस्थान में इसकी संख्या 64,350 कुल कुएं हैं बिजली जहां पर इनरजाइज की है। इसके बावजूद भी कोई अगर यह कहता है कि जयपुर की उपेक्षा की गई है मैं यह कहता हूं कि यह तथ्यों से विपरीत बात कही जाती है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि इन वर्षों में राजस्थान सरकार ने इलेक्ट्रीफिकेशन की ओर ज्यादा ध्यान दिया है। अभी एक माननीय सदस्या ने, जो बैर से आती हैं, किन्तु अभी यहां हैं नहीं, उन्होंने कहा था कि दूसरे स्टेट्स को रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन के लिये ज्यादा स्कीम्स मिली हैं और राजस्थान को कम मिली हैं। मैं सदन की जानकारी के लिये जो स्कीम्स स्टेट्स को मिली हैं वह बताना चाहूंगा :-

आन्ध्र को	29	स्कीम्स मिली हैं
असाम को	6	,,
बिहार को	23	,,
गुजरात को	23	,,
हरियाणा को	19	,,
हिमाचल को	9	,,
केरल को	12	,,
मध्य प्रदेश को	38	,,
महाराष्ट्र को	32	,,
मैसूर को	22	,,
मेघालय को	1	,,
उड़ीसा को	26	,,
पंजाब को	24	,,
राजस्थान को	28	,,
तमिलनाडु को	19	,,
उत्तर प्रदेश	46	,,
वेस्ट बंगाल को	31	,,
जम्मू कश्मीर को	6	,,

माननीय सदस्या ने कहा था कि राजस्थान बोटम से चौथे नम्बर पर है। वह इसलिये है कि टेल से राजस्थान चौथे नम्बर है, वैसे

(श्री हरिदेव जोशी) राजस्थान छठे नम्बर पर है। मैं यह स्पष्ट करदूं कि हमें इस बात से संतोष नहीं है कि महीने में 1 स्कीम मिले और साल में 12 मिले। हम चाहते हैं कि ज्यादा स्कीम्स मिलें और उनका हम अधिक से अधिक उपयोग कर सकें उतना ही अच्छा है।

उपाध्यक्ष महोदय, कुछ माननीय सदस्यों ने और भी कुछ बातें कही थीं जिनकी बहुत विगत में मैं नहीं जाना चाहता, किन्तु मैं माननीय सदस्यों को यह विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हमारी ओर से यह कोशिश कर रहे हैं कि बोर्ड का एडमिनिस्ट्रेशन अच्छा हो और बोर्ड इफेक्टिवली फंक्शन कर सके। सबसे पहली चीज जो मैं महसूस करता हूं वह यह है कि राजस्थान में जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का कम्पलीट नेशनेलाइजेशन हो। उदयपुर, आबू रोड और आबू ये तीनों पॉवर स्टेशन्स ऐसे हैं जो प्राइवेट हैं। हमारी यह नीति और यह भावना है कि भारत सरकार इसके लिये एक्ट ला सके तो बहुत अच्छा है। भारत सरकार जल्दी ही लाये वर्ना राजस्थान सरकार नया एक्ट लाकर इसको नेशनेलाइज करने की सोचती है और इस दिशा में कदम बढ़ाना चाहती है।

उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान आज की तारीख में शायद पहला और अन्तिम राज्य है जिसमें लेबर को रिप्रेजेन्टेशन बोर्ड ऑफ डाइरेक्टर्स में दिया है। हम यह चाहते हैं कि बोर्ड के तहत काम करने वाले लोग बाग अपने आपको उसका कर्मचारी न समझें बल्कि उसका भागीदार समझें। राज्य सरकार ने यह फैसला किया है और उनके प्रतिनिधि के रूप में एक व्यक्ति को बोर्ड ऑफ डाइरेक्टर्स के ऊपर लिया गया है। मैं यह आशा करके चलता हूं कि इससे निश्चित रूप से बोर्ड के काम के अन्दर अच्छे ढंग से सफलता मिलेगी, बोर्ड अच्छे ढंग से काम कर सकेगा, बोर्ड की अभिवृद्धि होगी और लेबर और प्रशासन के सम्बन्ध अच्छे होंगे। लेबर एक प्रकार से अपने को इसमें भागीदार समझ कर बोर्ड की हित वृद्धि में इन्टरेस्ट लेगा।

उपाध्यक्ष महोदय, यहां पर बिजली की जो कटौती की गई उस पर भी चर्चा की गई। मुझे ठीक तारीख तो याद नहीं मगर वह अगस्त का महीना था। जब एटोमिक पावर प्रोजेक्ट अथोरिटीज ने यह घोषणा की थी कि अब जल्दी ही एटोमिक पावर राजस्थान को मिल जावेगा, तब हम यह आशा करके चलते थे कि जैसा उन्होंने अनाउन्स किया उस अनाउन्समन्ट के अनुसार राजस्थान को पावर मिलेगी और इसी आशा से अगस्त सितम्बर में कट इम्पोज नहीं किया था। यह मैटर आफ ओपिनियन हो सकता है। अगर उस समय कट इम्पोज करते तो ज्यादा ठीक होता मैं उस तर्क में नहीं जाना चाहता लेकिन कुछ माननीय सदस्यों ने कहा कि एग्रीकल्चर पर कट इम्पोज किया है वह सूचना उनकी सही नहीं है। कोई कट नहीं किया। इन्डस्ट्री पर भी 20 के. डब्लू से ऊपर के जो यूनिट्स हैं उन पर कट इम्पोज किया है। कुछ माननीय सदस्यों ने कहा कि सिनेमा पर कट इम्पोज नहीं किया गया। उनकी सूचना गलत है। सिनेमाओं पर भी 40 परसेंट कट इम्पोज किया गया है और डोमेस्टिक कन्जम्पशन पर भी 25 परसेन्ट कट इम्पोज किया है। मगर अभी जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने बच्चों के इम्तिहान हैं और दूसरी कठिनाइयों की बात कही, मैं यह महसूस करता हूं कि इन सरकमस्टान्सेज पर पुनर्विचार करना चाहिए। डोमेस्टिक लाइट के लिये जो कट है उस कट को

(श्री हरिदेव जोशी)

हम विथड्रा करते हैं और इससे लोगों की कठिनाइयां हैं वे दूर होंगी। फ्रिज, पंखे, हीटर और दूसरी प्रकार की जो पावर इनमें काम आती हैं उन पर वह कट लागू रहेगा।

श्री रामानन्द अग्रवाल : पंखे पावर में नहीं हैं।

श्री हरिदेव जोशी : ठीक है।

श्री रोशनलाल शर्मा : गांवों के लिए कट किया है....

श्री हरिदेव जोशी : महरबानी करके बिराजिये।

इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड और गवर्नमेन्ट ने डोमेस्टिक पावर के कट को विथड्रा किया है। उसको कम्पेन्सैन्ट कैसे करेंगे इस सम्बन्ध में गवर्नमेन्ट विचार करेगी। आफिसेज के मार्निंग आवर्स पर कर सकें और दूसरी तरह से इसको एडजस्ट कर सकें उसके लिए विचार करके जल्दी ही फैसला करेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय, कुछ माननीय सदस्यों ने इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के सैन्ट्रल डिविजन के बारे में कुछ बात कही। मैं अकस्मात् इन सारी चीजों की विगत में तो नहीं जा सकता। परन्तु एक दो चीजें जो प्रश्नों के दौरान ध्यान में लाई गई हैं उनके बारे में निवेदन करूंगा। जैबरा कन्डक्टर्स के बारे में जोधपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने प्रश्न किया था और यह चार्ज लगाया था कि सर्टन डीलिंग्स में मौजूदा चीफ सेक्रेटरी और तत्कालीन चेयरमैन बोर्ड ने गोलमाल किया है। मैंने इसको देखा है और जो भी जानकारी प्राप्त कर सका हूं उसके अनुसार मैं कहना चाहूंगा कि श्री खुराना जब इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के चेयरमैन थे उस समय उनके सामने ये कन्डक्टर्स डिफेक्टिव है इस प्रकार की उनकी व. बोर्ड की जानकारी में नहीं लाया गया और उनके वहां से हट कर यहां चीफ सेक्रेटरी के पद पर आने के बाद एक असिस्टेन्ट इन्जीनियर द्वारा यह बात ध्यान में लाई गई। उसके बाद एक इन्क्वायरी कमेटी मुकर्रर की गई, उसमें टैक्निकल एक्सपर्टस, चीफ इन्जीनियर्स थे उन्होंने यह कहीं नहीं बताया कि इसमें तत्कालीन चैयरमैन इलैक्ट्रिसिटी बोर्ड इन्वोल्व है। इसलिए माननीय सदस्य का यह कहना कि वे सारे डिलिंग्स थे वे सारे गडबड़ वाले थे अथवा ऐसी चीज थी, मुझे इसमें तथ्य नहीं मालूम पड़ता और मैं ऐसा मान कर चलता हूं कि यह गलतफहमी पर आधारित हैं। अलबत्ता जो कमेटी बनी, उसने अपनी रिपोर्ट दी उसमें उस कमेटी ने यह बहुत स्पष्ट कर दिया था कि टैक्निकल जांच करने के लिये जिन लोगों को नियुक्त किया गया था उनने कितनी जांच की, अथवा क्या किया अथवा उनका फाल्ट है तो उस पर एक्शन लिया जाना चाहिए।

मैं यह भी स्पष्ट कर दूं कि उस पार्टी को पेमेन्ट करने के लिये जो एग्रीमेन्ट था वह क्लीयर था। एक पहला पोइन्ट था:

90 परसेन्ट अगेन्स्ट आर० आर०। रिमेनिंग टेन परसेन्ट विदिन वन मन्थ फ्रॉम दी डेट आफ रिसीट आफ मेटीरियल।

Ten percent within one month from the date of receipt of material at site subject to confirmation in the purescribed proforma..

Bank credit will be furnished by the firm.

(श्री हरिदेव जोशी)

जो 18 महीने का समय दिया गया था उसके अनुसार पेमेन्ट 18 महीने के बाद किया गया। इसलिए माननीय सदस्य का जो कहने का ट्रेण्ड है वह मेरी समझ के बाहर की बात है।

कुछ मीटरों की पर्चेज के बारे में भी बातें कही गई। इस बारे में प्रश्न भी पूछा गया था। हमारे जनरल फाइनेन्स के जो नियम हैं उनके अनुसार ऐसे आइटमों की खरीद के लिये यह व्यवस्था है कि टैण्डर इन्वाइट किये जावें। बोर्ड ने भी इन्हीं नियमों के अन्तर्गत टैण्डर इन्वाइट किये इन मीटरों के लिये। मैं अगर भूलता नहीं हूं तो जयपुर मैटल इन्जीनियरिंग कम्पनी को एक लाख दस हजार यूनिट मीटर खरीदने के लिये ऑर्डर दिया गया इसमें एक बार की पार्टी का पांच पैसा के हिसाब से लोअर टैण्डर था। लोकल पार्टी होने के कारण और स्टेट गवर्नमेंट का ऑर्डर होने के कारण इस पार्टी ने नेगोशियेसन करने पर पांच पैसा रिड्यूस कर दिया और इस तरह से यह लोएस्ट टैण्डरर हो गई। तो यह ऑर्डर इस पार्टी को दिया गया।

तो इस तरह बोर्ड की इस पर्चेज में कहीं कोई इर्रेगुलेरिटी नहीं थी। इनफेवरेटिज्म ही था। अब ऐतराज किया गया जब इस फर्म ने चार महीने के बाद कोई एक टैण्डर दिया मध्य प्रदेश इलेक्ट्रीसिटी बोर्ड को। यहां 38 में दिया गया और वहां 28 पर मीटर के हिसाब से दिया। कहा गया कि इस हिसाब से राजस्थान विद्युत बोर्ड को नुकसान हुआ। मैंने इस सारी चीज को समझने की कोशिश की। उपाध्यक्ष महोदय, यह मीटर का टैण्डर शायद अक्टूबर महीने में आया था। फरवरी में यहां से ऑर्डर प्लेस किया। अक्टूबर-फरवरी में पंजाब, हरियाणा और मध्यप्रदेश ने भी टैण्डर इन्वाइट किये और दो फर्मों ने यहां भी टैण्डर दिये। ये दोनों फर्में कट थ्रोट कम्पीटीशन कर रही थीं। इनमें एक बिड़लाजी की थी और दूसरी यह कमानी की। ये कट थ्रोट कम्पीटीशन दोनों, तीनों जगह पंजाब, हरियाणा और मध्य प्रदेश में भी करते रहे थे। हरियाणा में जयपुर मेटल ने बिड़लाजी की फर्म को मात दे दी। इसके रिवेन्ज में आकर उन्होंने मध्य प्रदेश में कट थ्रोट कम्पीटीशन में आकर लोएस्ट रेट दी, इन्होंने उससे भी लोएस्ट दे दी। अब इस पर से मैं यह समझता हूं कि चार महीने के बाद में मध्यप्रदेश में क्या आफर लगी यह इन्वीसेज कोई भी, खुदा भी नहीं कर सकता था, कोई चेयरमैन नहीं कर सकता था, कोई बोर्ड नहीं कर सकता था। इसलिए यहां के लोगों पर इल्जाम लगाना मैं बेबुनियाद मानता हूं।

इसी प्रकार से उपाध्यक्ष महोदय इन्हीं माननीय सदस्य ने कहा कि दिल्ली की ए० आई० सी० कम्पनी को डिवेल्यूएशन का फायदा दिया। मैं निवेदन करूं कि फेक्ट्स इससे विपरीत हैं। तथ्य ये हैं कि जो फर्म, थी उसको प्रायर डिवेल्यूएशन का ऑर्डर दिया गया। इण्डीजीनस माल नहीं मिलने से उस पार्टी ने क्लेम किया कि डिवेल्यूएशन के कारण प्राइस बढ़ी है इसलिए उसको इसका बेनीफिट दिया जाना चाहिए। एग्रीमेन्ट में इस पर अमेण्डमेन्ट हुआ। स्टेट लेवल पर मामले को स्क्रूटीनाइज किया गया और इसके बाद डिवेल्यूएशन का लाभ देने की बात तै हुई। पर खुराना जब थे और जब उनकी जानकारी में यह चीज लाई गई तो दस लाख का जो बेनीफिट दिया गया था उसको उन्होंने वापिस रिटर्न करवाया। और यही नहीं दस लाख और रिटर्न करवाया कस्टम और दूसरी प्रकार की चीजों के कारण ओवर पेमेन्ट जो हुआ

(श्री हरिदेव जोशी)

था उसका। इस तरह से बीस लाख फर्म से रिटर्न लिया गया। ये एफर्ट्स श्री खुराना ने परसनली किये थे। अब जो बात माननीय सदस्य ने कही है उसमें ऐसा लगता है कि क्यों उनको गलतफहमी हुई है। पूरी सूचनाएं माननीय सदस्य के पास नहीं थीं। सूचनाओं और सही सूचनाओं के अभाव में उन्होंने यह कहा ऐसा लगता है।

उपाध्यक्ष महोदय, कुछ माननीय सदस्यों ने बोर्ड के अन्दर टैक्नोक्रेट्स और एडमिनिस्ट्रेशन के बीच में कोई खाई है इस प्रकार की बातें कही हैं। मैं एक बात कह सकता हूं कि मुझे हिन्दुस्तान के सारे बोर्डों का अनुभव तो नहीं है पर पहले भी मेरे पास यह विभाग रह चुका है और आज भी यह है इस दरमियान मैंने चीजों को समझने की कोशिश की है।

राजस्थान इलेक्ट्रीसिटी बोर्ड में करप्शन नहीं है, यह नहीं कहता। इसमें फेवरटिज्म नहीं है, यह भी क्लेम नहीं करता, जो गल्तियां आम तौर से होती हैं वे यहां भी नहीं हैं यह भी नहीं कहता। मगर एक बात कह सकता हूं और वह यह है कि हमारे लेबर के साथ में अच्छे रिलेशनशिप हैं। वैसे ही टैक्नोक्रेट के साथ भी हैं और हम रिलेशनशिप को, अच्छे से अच्छा बनाये रखना चाहते हैं।

मुझसे उनकी एसोसियेशन के लोग मिले थे। अपनी ग्रीवान्सेज रक्खी। मैंने उनको विश्वास दिलाया है कि उनकी जो भी वाजिब बातें हैं उनको राज्य सरकार निश्चित रूप से स्वीकार करेगी। हमारे मन में कहीं कोई यह बात नहीं है कि चूंकि उन्होंने मांगें खड़ी की हैं इसलिए उनको तो अस्वीकार किया ही जाना चाहिए। उनकी जिनुइन डिफिकल्टीज को दूर किया जावेगा। फिक्सेशन, पेन्शन, प्रोवीडेण्ट फण्ड वगैरह जो भी इश्यूज हैं उनके वे वैसे काफी कम्पलीकेटेड इश्यूज हैं। पर फिर भी हम उनको जल्दी से जल्दी दुरुस्त करना चाहते हैं यह मैं उनको विश्वास दिलाना चाहता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, नये युवक इन्जीनियरो के बारे में बात कही गई। मैं एक ही सेन्टेन्स में कहना चाहता हूं कि जो चिन्ता इनके बारे में माननीय सदस्यों ने व्यक्त की है, वह चिन्ता मुझे भी उनके लिये है और आज तक बिसाइडस दी आर्डर्स जो उनके हक में निकल चुके हैं, कल रात को नया आर्डर और निकाल दिया है। आज मुझे फिर वे मिले थे। मैंने उनसे कह दिया है कि उनके लिए जो भी कर सकूंगा और जिस सीमा तक जा सकूंगा, जाने का प्रयास करूंगा और मैं यह चाहूंगा कि उन लोगों के नये होने के कारण से, नौसिखिये होने के कारण से और पावर की कमी होने के कारण से उन्हें किसी प्रकार की कठिनाई नहीं होगी। मैं यह मानकर चलता हूं कि उनकी जिम्मेदारी समाज की जिम्मेदारी है। उनके लिये राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। हम अपनी जिम्मेदारी को अदा करने में किसी प्रकार भी पीछे नहीं रहेंगे।

एक माननीय सदस्य ने जो गंगानगर से आते हैं उन्होंने यह कहा कि काटन जिनिंग एण्ड प्रेसिंग पर भी कट किया है। इस पर कोई कट नहीं है। कट से पहले जो पोजीशन थी वही आज उनकी पोजीशन है। जो सीजनल एण्ड स्टीज हैं (श्री रामानन्द अग्रवाल के खडे होने पर) उनमें आपकी आइल इण्डस्ट्री नहीं आती। उन पर····

श्री रामानन्द अग्रवाल: आइल तो सीजनल है।

श्री हरिदेव जोशी : आप खड़े हो रहे थे, मैं समझ गया। कॉटन और जिनिंग पर कट इम्पोज नहीं किया। मेरे सामने कई प्रकार की मांगे आई, विशेषकर अलवर से आने वाले माननीय सदस्य ने आयल मिल की बात कही, कइयों ने एक्सपोर्ट इण्डस्ट्रीज की बात कही। इन्डस्ट्रीज ने अपने कमिटमेंट एस.टी.सी. से कर रखे हैं और एस.टी.सी. ने फोरेन कन्ट्रीज के साथ कर रखे हैं मेरे लिये मुश्किल है इन्डस्ट्रीज को इतनी स्केल में दे पाऊं और इस प्रकार का फैसला करूं। इसलिये राज्य सरकार ने एक कमेटी कायम कर दी है जिसमें इन्डस्ट्री सेक्रेटरी भी हैं। वे मिलकर क्या किया जाना चाहिए और क्या नहीं किया जाना चाहिए, इसका फैसला वे खुद कर लेंगे। मेरी ओर से कोई रोड़े नहीं अटकाये जायेंगे, यह मैं विश्वास दिला सकता हूं। ओवर आल वे ही अब इस काम को देखेंगे। अगर किसी का स्लेब बढा देते हैं और किसी का घटा देते हैं तो मुझे कोई एतराज नहीं होगा।

इसी प्रकार मैं खुद मानता हूं इन्डस्ट्री डिपार्टमेन्ट जिस समय मेरे पास था

श्री रामानन्द अग्रवाल : किस इन्डस्ट्री के बारे में........

श्री हरिदेव जोशी : गुलाबपुरा टैक्सटाइल मिल है, केसोरायपाटन की शूगर इन्डस्ट्री है ये सारी की सारी पर यही कमेटी विचार करेगी और अपना फैसला देगी।

श्री केदार नाथ : भूख का कट हो रहा है।

श्री हरिदेव जोशी : बहुत जल्दी करूंगा। दो मिनिट में समाप्त करता हूं। मैं ऐसा समझता हूं बोर्ड का कम्पोजीशन बिलकुल ठीक है। उपाध्यक्ष महोदय, यहाँ पर यह बात कही पॉवर कट के कारण से लेबर प्रोब्लम पैदा हो गई है। मैं खुद भी मानता हूं लेकिन मेरे लिये अपने दायरे से बाहर जाकर कहने की बात हो जायेगी। इसलिये मैं इस बात को राज्य सरकार के समक्ष रख दूंगा और यह सोचूंगा जो कुछ लेबर के हित में हो सकता है, उसको किया जायेगा। मगर मैंने यह कोशिश जरूर की है पॉवर कट के कारण जो प्रॉब्लम खड़ी हुई है उससे एक तरफ यह परेशानी जरूर है लेकिन जिस तरफ इन्डस्ट्रीज को कुछ दे सकते हैं, उसको देने की बात है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : ट्रान्सफारमर्स के जलने की बात........

श्री हरिदेव जोशी : यह बिलकुल नई बात है। मैं ऑफ हैण्ड कुछ नहीं कह सकता हूं। इसके बारे मे स्टेडी करूंगा। इन पिछले दिनों में उपाध्यक्ष महोदय जो भी शिकायतें आई, छोटे कर्मचारियों की आई और चाहे बड़े कर्मचारियों की आई, मैंने अटेन्ड करने की कोशिश की है। हमारी डिफिकल्टी मेनीफोल्ड हो जाती है। बाज मर्तबा कई लोग गड़बड़ी करते है, हम चाहते हैं उनको वहां से हटायें। मैं आशा करके चलता हूं कि हम ऐसा कर सकेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय, लाइन मैन पटवारी बनता चला जा रहा है, यह बात कही गई है। मैं यह कोशिश करूंगा वह शोषक पटवारी नहीं बन सके। लेकिन आप जितने जागरूक होंगे, करप्शन उतना ही कम होगा। बाज मर्तबा सीधा फायदा उठाने के लिये आग होकर उसको ऐसा करने के लिये मौका देते है। मैं यह आशा करके चलता हूं सभी

(श्री हरिदेव जोशी)

जगह से यहां और बाहर सरकार को भी सहायता मिलेगी ।

कई माननीय सदस्यों ने इन्डीविज्यूअल गांवों को बिजली से जोड़ने के बारे में कहा । अपनी कॉन्स्टीटयूएन्सी में गांवों की एनरजाइजेशन नहीं होने के कारण अपनी अपनी बातें कही हैं । यह ऐसी बात है, मेरा ऑफ हैण्ड कहना ठीक नहीं है । मैंने हर एक की शिकायत सुनने की कोशिश की है और कोशिश में रहूंगा और इन महीनों में जितने लोग मुझ से मिले हैं, उन सब की बात सुनने का प्रयत्न किया है और जितने सुधार करने की कोशिश कर सकता था की है, आयन्दा भी उसी प्रकार दुरुस्त करने की कोशिश करूंगा । बहुत मुमकिन है सबका हित हो सके और बहुत मुमकिन है किसी का हित नहीं हो सके । जितनी मांग आज बिजली की हो रही है, उतनी सम्भव नहीं है और जुलाई महीने तक और भी नहीं हो़गी क्योंकि नये कनेक्शन देने बन्द कर दिये हैं और सोचते हैं पुराने पर कट लगा दिया है और नये कनेक्शन देते जायें यह भी वाजिब नहीं है । इसलिये हमें धैर्यतापूर्वक अच्छे मौसम का इन्तजार करना है । यह आशा करके चलते हैं । कल से ठीक-ठीक खबर आ रही है । दो-चार दिन के अन्दर सीजन शुरू हो जायेगा और राजस्थान में कट लगने के कारण उद्योगों और जन-जीवन की कठिनाई जल्दी ही समाप्त हो जायेगी । इन शब्दों के साथ में पुनः धन्यवाद देता हुआ अपना स्थान ग्रहण करता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष : सदन की कार्यवाही कल प्रातः 11.00 बजे तक के लिये स्थगित की जाती है ।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही रात्रि के 8-00 बजे, बृहस्पतिवार दिनांक 5 अप्रेल, 1973 के प्रातः 11.00 बजे तक के लिये स्थगित हुई ।)

परिशिष्ट 1

(तारांकित प्रश्न संख्या 960 की सूची)

PROGRESS OF THE INTENSIVE CATTLE DEVELOPMENT PROJECT SINCE INCEPTION

S.No.	Items	Unit	67-68	68-69	69-70	70-71	71-72	Remarks
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	BREEDING & TREATMENT							
	(a) A. I. Done.	No.	118	1123	2111	2207	2770	
	(b) Natural service.	No.	80	276	2133	4430	5092	
	(c) Castration	No.	62	1726	1402	5538	10251	
	(d) Inoculation	No.	—	25249	23194	45127	47344	
	(e) Treatment	No.	—	97259	—	46217	46821	
2.	FODDER DEVELOPMENT							
	(a) Demonstration of plots	No.	—	17(Continue)	17 (Continue)		17(Continue)	
	(b) Seed distributed	Kg.	—	800	400	—	1200kg.	
	(c) Chuff cutters distributed	No.	60	—	—	—	—	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
3.	DAIRY							
	(a) Co-operative societies	No.	12	32	36	81	81	
	(b) Co-operative Union	No.	—	1	—	—	—	
	(c) Loan advanced	Rs. in lacs	0.18	1.75	1.00	—	—	
4.	FEED MIXING PLANT	No.	—	1	—	—	—	
	Production	Qutles	—	814.20	3,487.46	4208.82	1147.10	
5.	CIVIL WORKS							
	Tube wells	No.	—	9	—	—	—	
6.	CATTLE SHOWS	No.	2	2	—	2	3	
7.	CALF RALLIES	No.	—	3	3	20	29	
8.	MILK SUPPLIED TO D. M. S.	Lacs lit.	—	32.51	6.87	20.07	48.00	
9,	CINEMA SHOWS	No.	—	—	3	47	54	

परिशिष्ट 2

(तारांकित प्रश्न संख्या 963 की सूची)

जिला नियोजन कार्यालय बीकानेर में 1968 से 1972 तक पिछले पांच सालों में जिन आशार्थियों को रोजगार दिलाया गया उसकी वर्षवार सूची:—

वर्ष	बीकानेर व चूरू सम्मिलित	केवल बीकानेर
1968	1,009	उपलब्ध नहीं
1969	755	640 (फरवरी से दिसम्बर)
1970	867	725
1971	1,055	795
1972	1,089	654

बीकानेर नियोजन कार्यालय की जीवित पंजिका पर दिनांक 28-2-73 को रोजगार की तलाश में उपलब्ध आशार्थियों का विवरण—

	कुल बेरोजगार युवक			कुल बेरोजगार युवतियां		
	कुल	इंजीनियर	चिकित्सक	कुल	इंजीनियर	चिकित्सक
स्नातक	487	11	10	58	..	..
स्नातकोत्तर	104	..	..	57	..	..

परिशिष्ट 3

(तारांकित प्रश्न सं० 334 की सूची)

अनुसूचित जन जाति के व्यक्तियों के पंजीकरण, नियुक्ति आदि का विवरण दिनांक 1-1-72 से 31-12-72 तक का ।

शैक्षणिक योग्यता	अनुसूचित जन जाति के व्यक्तियों के पंजीकरण की संख्या	नियुक्ति हेतु विभागों में नाम भेज गये व्यक्तियों की संख्या	जिनकी नियुक्ति हुई उनकी संख्या	बेरोजगारों की संख्या 31-12-72 तक
1	2	3	4	5
1. स्नातकोत्तर	51	12	..	51
2. स्नातक	64	36	..	64
3. मैट्रिक स्तर	75	58	1	74
4. मैट्रिक से नीचे	32	21	4	31

परिशिष्ट 4

(तारांकित प्रश्न संख्या 977 की सूची)

1. पंचायत भवन के पास
2. सांडू का चबूतरा
3. देशी दवाखाना
4. जोतों का मोहल्ला
5. तेलियों का मोहल्ला
6. खातियों का मोहल्ला
7. गंवाई कुआं
8. डाकोतों का वास
9. जगदेव जी के मकान पास
10. मालियों का मोहल्ला

परिशिष्ट 5

समयाभाव के कारण सदन में न लिये गये

तारांकित प्रश्नोत्तर

नई नियुक्तियों पर प्रतिबन्ध

978. **श्री मन्शीलाल महावर** (बस्सी) : क्या श्रम एवं नियोजन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि राज्य सरकार ने अतिरेक (Surplus) कर्मचारियों को शीघ्रातिशीघ्र नौकरी पर लगाये जाने के ध्येय से नयी नियुक्तियों पर प्रतिबन्ध लगा दिया परन्तु श्री आर. एन. भण्डारी सहायक निदेशक नियोजन सेवा निदेशालय के कार्यालय जिनके वे अध्यक्ष है की रिक्तियों (Vacancies) को राज्य के प्रशासन विभाग को सूचित तक नहीं किया जिसके फलस्वरूप इस कार्यालय में अभी तक अनेक लिपिक वर्ग की रिक्तियां बिना भरे पड़ी हुई हैं ?

(2) क्या यह सही है कि सहायक निदेशक नियोजन सेवा निदेशालय में नयी नियुक्तियों पर प्रतिबन्ध होने के कारण एक व्यक्ति श्री महावीर प्रसाद को नियोजन सेवा निदेशालय के कार्यालय में लीव रिजर्व के (अवकाश एवजी के) बहाने से एक एक माह तथा दो दो माह तक की नियुक्ति देकर पिछले एक साल से अभी तक चला रहे हैं तथा प्रत्येक बार रोजगार कार्यालय जयपुर से सांठ गांठ करके उसी दिन पंजीकृत करवाने तथा उसी दिन उसका नाम मनोनीत करके मंगवा लेते हैं जब कि अन्य आवेदक वर्षों से पंजीकृत रहते है तथा फिर भी उनके नाम मनोनीत नहीं होते हैं ?

उत्तर

(1) (क) जी हां।

(ख) केवल 3 क० लि० के पद रिक्त हैं। एक के लिये अनुपलब्धि प्रमाण-पत्र मांग लिया गया है। दो का प्रश्न विचाराधीन है।

(2) श्री महावीर प्रसाद को प्रारम्भ में केवल अवकाश एवजी में रखा गया था। चूंकि इस व्यक्ति को इस विभाग के कार्य का एक साल से अधिक अनुभव हो गया। अतः बाद में भी अवकाश एवजी हेतु रोजगार कार्यालय द्वारा इस व्यक्ति का नाम समय समय पर अपनी पुरानी वरिष्ठता तथा अनुभव के आधार पर प्रेषित किया गया।

चैरिटी फण्ड की राशि

979. **श्री किशन मोटवानी** (अजमेर पश्चिम) : क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि चैरिटी फण्ड के हैड से जिला मुख्यालयों पर कोई राशि जमा की जाती है ? अगर हां, तो किन किन मुद्दों से यह राशि इकट्ठी की जाती है व इस धन को किस अधिनियम के अन्तर्गत इकट्ठा किया जाता है तथा

Page No 178

(श्री किशन मोटवानी)

यह राशि किन कार्यों पर व्यय की जावेगी और किस अधिनियम के तहत व्यय की जावेगी ?

(2) चैरिटी फण्ड के अन्तर्गत अजमेर में कब से व कितनी राशि इकट्ठी की गई है व उसमें से किस किस अधिकारी ने कितना कितना धन किस किस काम पर व्यय किया है ? जब से यह चैरिटी फण्ड शुरू हुआ है.उस समय से आज तक किये गये व्यय की सूचना सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

उत्तर

(1) जी हां। नियंत्रित वस्तुओं की थोक व खेरूज कीमत निर्धारण के समय नये पैसे के फ्रेक्शन को राउन्ड अंक करने से जो धन प्राप्त होता था वह इस निधि में जमा कराया जाता था। यह धन राज्य सरकार की विज्ञप्ति क्रमांक दिनांक 10-8-61 के अनुसार वसूल की जानी थी। इस धन राशि का जनहित के लिये जैसे स्कूल, अस्पताल व अन्य धर्मार्थ कार्य पर उपयोग में किया जाता रहा है।

(2) चैरिटी फण्ड से जून, 1964 से सितम्बर, 72 तक इस निधि से 5,09,298-80 जमा हुए है। इस फण्ड से अब तक 4,67,302/- की राशि स्वीकृत कर दी जा चुकी है। सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

STATEMENT SHOWING THE AMOUNT OF CHARITY FUND GRANTED TO THE INSTITUTIONS

S. No.		Name of the Institutions.	Amount. Rs.
1.		2.	3.
1.	The	Adarsh Sahkari Mudranalaya Ltd. Ajmer.	150.00
2.	,,	Executive Engineer, P.W.D. (B&R) Ajmer.	75,000.00
3.	,,	—do—	50,000.00
4.	,,	—do—	8,000.00
5.	,,	Badhit Bal Vikas Samiti, Ajmer.	10,000.00
6.	,,	The Medical Superintendent, Madar Sanotorium, Madar.	8,000.00
7.	,,	Secretary, Meershali Club, Ajmer.	1,000.00
8.	,,	Manager, Mira School, Ajmer.	5,000.00
9.	,,	Secretary,S.M.B. Secondary School, Ramganj,Ajmer.	5,000.00
10.	,,	Secretary, Rajaswa Mandal Karamchari Jan Club, Ajmer.	1,000.00
11.	,,	Executive Engineer, P.W.D. (B&R), Ajmer.	6,000.00
12.	,,	Head Master, Government Higher Secondary School, Ramsar	5.000.00

1		2	3
13.	The	Head Master, Government Higher Secondary School, Pushkar.	10,000.00
14.	,,	Secretary, Bharat Sewak Samaj, Ram Basaria, Ajmer.	1,000.00
15.	,,	Principal, Medical College, Ajmer	25,000.00
16.	,,	Executive Engineer, P.W.D. (B&R), Ajmer.	6,000.00
17.	,,	Collector (Supply), Ajmer.	27,480.00
18.	,,	Head Master, Govt. Higher Secondary School, Kadera.	2,500.00
19.	,,	Head Master, Govt. Higher Secondary School, Sadara.	5,000.00
20.	,,	Head Master, Govt. Primary School, Bagaria.	2,500.00
21.	,,	Head —do— Sanwatsar.	1,500.00
22.	,,	Head Mistress, Govt. Girls', Primary School, Roopnagar.	1,500.00
23.	,,	Head Master, Govt. Primary School, Patan.	1,500.00
24.	,,	Head Mistress, Govt. Girls Primary School, Harmara.	1,500.00
25.	,,	Head Master, Govt. Primary School, Sawar.	2,500.00
26.	,,	—do— Kushyata.	2,500.00
27.	,,	—do— Khawas	2,500.00
28.	,,	Head Master, Govt. Higher Secondary School, Topdhara, Ajmer.	6,000.00
29.	,,	Head Master, Government Secondary School, Kharwa.	6,700.00
30.	,,	Head Master, Government Middle School, Barakhera.	5,000.00
31.	,,	Head Master, Government Primary School, Sarsura.	1,500.00
32.	,,	—do— Kotra.	2,250.00
33.	,,	—do— Guhara.	2,250.00
34.	,,	—do— Ratakot.	4,500.00
35.	,,	—do— Akodia.	800.00
36.	,,	Head Master, Govt. Primary School, Rampali.	635.00
37.	,,	—do— Kasir.	1,037.00
38.	,,	—do— Daulatpura	1,825.00
39.	,,	—do— Masuda.	1,826.00
40.	,,	—do— Jamola.	1,825.00
41.	,,	—do— Budhol.	2,250.00
42.	,,	—do— Gadi	1,900.00

Page No 180

1		2	3
43.	The Manager,	Adarsh Vidyalaya Multi Purpose Higher Secondary School, Ajmer.	5,000.00
44.	,,	Government Zenana Hospital, Kekri.	2,290.00
45.	,,	Government High School, Deogaon.	3,000.00
46.	,,	Government Middle School, Dadia.	2,750.00
47.	,,	Government Zenana Hospital, Arain.	25,000.00
48.	,,	Government High School, Ajmer.	500.00
49.	,,	Government Primary School, Ekalsingha.	1,500.00
50.	,,	Shiksha Sadan, Hatundi.	5,000.00
51.	,,	Municipal Council, Ajmer.	25,000.00
52.	,,	Govt. Higher Secondary School, Badanwara.	5,000.00
53.	,,	Govt. Girls Middle School, Pushkar.	5,100.00
54.	,,	Panchayat Samiti School, Seota.	3,425.00
55.	,,	Bangla Desh Refugee.	5,000.00
56.	,,	Head Master Higher Secondary School, Sarana.	4,000.00
57.	,,	Government Primary School, Beawar.	5,000.00
58.	,,	—do— Bisundhi.	5,000.00
59.	,,	Government Higher Secondary School, Manida.	3,000.00
60.	,,	—do— Kekri.	7,000.00
61.	,,	Shiksha Sadan Montesory School	5,000.00
62.	,,	Govt. Oswal Jain Higher Secondary School, Ajmer.	5,000.00
63.	,,	Government Higher Secondary School, Gawan.	5,000.00
64.	,,	Government Patel Higher Secondary School Beawar.	3,000.00
65.	,,	Government Primary School, Kishanpura	5,000.00
66.	,,	,, Middle ,, Sawyla (Ajmer)	5,000.00
67.	,,	Government Higher Secondary School, Baghora.	10,000.00
68.	,,	—do— Bhawanikhera.	3,000.00
69.	,,	—do— Bhinai.	7,050.00
		TOTAL ..	4,67,300.00

Sd/- 28.3.73.
**DISTRICT SUPPLY OFFICER,
AJMER**

थाना करेड़ा में दर्ज मामला

980. श्री विजयसिंह (मांडल) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि श्री मोजा गूजर निवासी ज्ञानगढ़ तहसील माण्डल का करीब 10 क्विन्टल गेहूं श्री हीरालाल निवासी ज्ञानगढ़ द्वारा गत वर्ष खलिहान में से रात को जबरन उठाकर ले जाने की एफ. आई. आर. थाना करेड़ा जिला भीलवाड़ा में समय पर दर्ज हो गई थी ?

(2) क्या यह सही है कि पुलिस सर्कल अफसर श्री नारायणलाल ने थानेदार करेडा से तफतीश अपने हाथ में लेकर कई महीनों तक फाइल को दबाये रखा ?

(3) क्या यह सही है कि मैंने माननीय कार्यवाहक मुख्यमंत्रीजी को इस मामले की जांच के लिये विशिष्ट अधिकारी की नियुक्ति हेतु लिखित निवेदन किया जिस पर जांच की विशेष व्यवस्था करने हेतु दिनांक 13-9-1972 को माननीय राज्य मंत्रीजी के नाम आदेश दिया किन्तु उस पर कुछ भी नहीं हुआ ?

(4) क्या यह भी सही है कि मैंने उपरोक्त आदेश के तीन महीने और 5 दिन बाद माननीय जी को दूसरी बार लिखित निवेदन कर सी. आई. डी. से जितना जल्दी हो सके जांच कराने का आदेश दिनांक 14-12-1972 को कराया उस पर भी अभी तक कुछ भी नहीं हुआ हैं ?

(5) क्या श्री मोजा गूजर ने माननीय राज्य गृह मंत्री जी के समक्ष उनके माण्डल क्षेत्र के दौरे के समय दिनांक 20-12-1972 को पेश होकर न्याय मांगने हेतु प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया था जिसे ढाई माह से अधिक हो चुका है ?

उत्तर

(1) जी हां ।

(2) थानेदार की शिकायत पर इस सम्बन्ध में दिनांक 13-4-72 को पंजीकृत अभियोग की तफतीश दिनांक 29-6-72 को पुलिस अधीक्षक भीलवाड़ा द्वारा श्री नारायणलाल वृत-अधिकारी गंगापुर को दी गई थी जिन्होंने तफतीश के उपरान्त दिनांक 16-11-72 को मुकदमें में एफ० आर० अदम वकुआ में दी ।

(3) माननीय प्रश्न कर्त्ता द्वारा माननीय मुख्य मंत्री जी को दिनांक 13-9-72 को प्रस्तुत किया गया प्रार्थना-पत्र आवश्यक कार्य हेतु पुलिस अधीक्षक भीलवाड़ा को प्रेषित कर दिया गया था। अब मामला पुनः तफतीश हेतु सी० आई० डी० को सौंप दिया गया है ।

(4) भाग 3 में स्थिति स्पष्ट की जा चुकी है ।

(5) जी हां । श्री मोजा गुजर द्वारा प्रस्तुत यह प्रार्थना पत्र भी पुलिस अधीक्षक भीलवाड़ा को उचित कार्यवाही हेतु प्रेषित कर दिया गया था परन्तु इससे पूर्व ही मुकदमें में अन्तिम प्रतिवेदन दिये जाने के फलस्वरूप इस प्रार्थना पत्र पर पुलिस अधीक्षक भीलवाड़ा द्वारा कोई कार्यवही नहीं की गई ।

गुड़ की खरीद

981. श्री नत्थी सिंह (नदबई) : क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि जिला परिवीक्षा एवं समाज कल्याण अधिकारी, जयपुर द्वारा छात्रावासों के लिये गुड़ 174/- रुपया प्रति क्विन्टल की दर से तथा पोषाहार केन्द्रों के लिये गुड़ 175/- रुपया प्रति क्विन्टल की दर से खरीदा गया है ? यदि हां, तो यह दरों में भिन्नता क्यों ?

(2) क्या यह सही है कि श्री वृन्दावन विहारी, जिला परिवीक्षा एवं समाज कल्याण अधिकारी ने 175/- रुपये प्रति क्विन्टल गुड़ खरीदने के आदेश सहायक निदेशक पोषाहार की बात चीत के आधार पर किये थे ? यदि हां, तो सहायक निदेशक पोषाहार के स्पष्टीकरण की प्रति सदन की मेज पर रखें। क्या सहायक निदेशक पोषाहार ने इस संबंध में लेखाधिकारी की सलाह ली थी ?

(3) क्या यह सही है कि उक्त परिवीक्षा अधिकारी पूर्व में झालावाड़ में निलम्बित हो चुके हैं ? यदि हां, तो क्या मामला भ्रष्टाचार विभाग को भेजा गया था ? और किन कारणों से मामला भ्रष्टाचार विभाग से वापिस लिया गया ? झालावाड़ सम्बन्धी जो आरोप पत्र है व जांच रिपोर्ट है उसकी प्रति सदन की मेज पर रखकर बतायें कि उन पर निर्णय कब तक ले लिया जावेगा ?

(4) क्या यह भी सही है कि मैसर्स मदनलाल लल्लू लाल, जयपुर द्वारा प्रारम्भ में लकड़ियां रु. 18.50 पैसे प्रति क्विन्टल की दर से सप्लाई की गई थी और आज उसी फर्म से रु. 12.50 पैसे प्रति क्विन्टल की दर से ली जा रही है ? यदि हां, तो खरीदने वाले अधिकारी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ? फर्म मदनलाल लल्लू लाल द्वारा बिना टेण्डर दिये हुये भी जिन आदेशों से माल सप्लाई करने को कहा गया कि प्रतियां सदन की मेज पर रखें। तथा जो मूल्य अधिक दिया गया है उसकी वसूली किससे की जा रही है ?

(5) क्या यह सत्य है कि मैसर्स मदनलाल लल्लू लाल ने चार माह तक पोषाहार केन्द्रों पर गुड़ सप्लाई न कर, जिला अधिकारी जयपुर से सांठगांठ कर एक दिन लड्डू बंटवाये ? क्या जिला अधिकारी जयपुर ने निदेशक समाज कल्याण या केयर से पूर्व आदेश 4 माह तक गुड़ न वितरित करने के प्राप्त कर लिये थे ? यदि नहीं, तो जिस अधिकारी ने फर्म को दोहरा फायदा पहुंचाया, मंहगे समय में गुड़ न सप्लाई कराकर निम्न श्रेणी के लड्डू बटवाने (जो कहीं बंटे कहीं न बंटे) का जो कार्य किया है के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

उत्तर

(1) जी हां। दरों में भिन्नता के केस के बारे में जांच की जा रही है।

(2) इस संबंध में जांच की जा रही है।

(3) जी हां। यह सही है कि श्री वृद्धावन बिहारी, जिला परिवीक्षा एवं समाज कल्याण अधिकारी पूर्व में झालावाड़ में निलम्बित हो चुके हैं। यह मामला भ्रष्टाचार विभाग को भेजा गया था लेकिन भ्रष्टाचार विभाग ने यह लिखते हुए केस

(समाज कल्याण मंत्री)

वापस लौटा दिया कि इस स्टेज पर उनके विभाग द्वारा किसी कार्यवाही की आवश्यकता नहीं है और सुझाव दिया कि विभाग द्वारा विभागीय जांच पूर्ण कर ली जाय और यदि जांच से कोई Cognixable अपराध सामने आये तो उनके विभाग को सूचित किया जाये। तद्नुसार को श्री वृन्दावन बिहारी शर्मा के विरुद्ध विभागीय जांच चल रही है जो कि शीघ्र ही समाप्त होने वाली है। आरोप पत्र की प्रतिलिपि सदन की मेज पर रख दी गई है।

(4) जी हां। यह सही कि मैसर्स मदनलाल लल्लू लाल से प्रारम्भ में लकड़ियां 18-50 पैसे तथा बाद में 12.50 पैसे की दर से क्रय की गई हैं। कारणों के बारे में जांच की जा रही है।

(5) यह सही है कि जिला परिवीक्षा एवं समाज कल्याण अधिकारी जयपुर ने मैसर्स मदनलाल लल्लू लाल ठेकेदार के जरिये पोषाहार केन्द्रों पर 4 माह तक निर्धारित स्केल से आधा गुड़ सप्लाई कर शेष आधे गुड़ के पेटे 4.40 प्रति किलो की दर से लड्डू क्रय कर 15 अगस्त 1972 को पोषाहार केन्द्रों पर वितरित करवाये। उक्त कार्यवाही के लिये जिला अधिकारी ने निदेशक, समाज कल्याण विभाग या केयर से कोई स्वीकृति प्राप्त नहीं की थी। इस अनियमित कार्यवाही के लिये तत्कालीन जिला अधिकारी को निलम्बित कर दिया गया है तथा विभागीय जांच की कार्यवाही प्रारंभ कर दी गई है।

राजस्थान सरकार

समाज कल्याण विभाग

आरोपों का विवरण जो श्री वृन्दावन बिहारी, जिला परिवीक्षा एवं समाज कल्याण अधिकारी, झालावाड़ (हाल टोंक) के विरुद्ध लगाये गये हैं।

आरोप संख्या 1

श्री वृन्दावन बिहारी ने जिला परिवीक्षा एवं समाज कल्याण अधिकारी झालावाड़ के पद पर कार्य करते हुए दिनांक 15-4-69 से 30-11-69 की अवधि में जान बूझ कर भौतिक सत्यापन के संबंध में अपने कर्त्तव्य की घोर अवहेलना की है, अनियमितता की तथा फर्जी कार्यवाही की है जिसके फलस्वरूप राज्य सरकार को हानि हुई है, जैसा कि संलग्न अभिकथन पत्र के अभिकथन संख्या 1 में दर्शाया गया है।

आरोप संख्या 2

उक्त समय में जब श्री वृन्दावन बिहारी, जिला परिवीक्षा एंव समाज कल्याण अधिकारी झालावाड़ के पद पर कार्य करते थे, उन्होंने राजकीय सामग्री क्रय करने के आदेशों की घोर अवहेलना की, नियमों का उल्लघंन किया तथा फर्जी कार्यवाही की, जैसा कि संलग्न अभिकथन के अभिकथन संख्या 2 में दर्शाया गया है।

आरोप संख्या 3

उक्त समय में जब कि श्री वृन्दावन बिहारी, जिला परिवीक्षा एवं समाज कल्याण अधिकारी, झालावाड़ के पद पर कार्य करते थे, उन्होंने जानबूझ कर केनवास शू के टेन्डर प्राप्त करने में गड़बड़ की तथा आदेश देने के बाद सी०एस०सी० मार्का शू के बजाय हल्की किस्म के स्वस्तिक मार्का शू छात्रावासों में सप्लाई करवाये

(समाज कल्याण मंत्री)
और इस प्रकार जानबूझकर राज्य सरकार को धोखा देही से हानि पहुंचाई है, जैसा कि अभिकथन के अभिकथन संख्या 3 में दर्शाया गया है।

अरोप सं० 4

उक्त समय में जब श्री वृन्दावन बिहारी, जिला परिवीक्षा एवं समाज कल्याण अधिकारी, झालावाड़ के पद पर कार्य करते थे उन्होंने जिला कार्यालय झालावाड़ के केशियर को बिना प्राधिकरण के विशेष वेतन का भुगतान किया और इस प्रकार उन्होंने जानबूझ कर नियमों का उल्लंघन किया, और अपने पद का दुरुपयोग किया है, जैसा कि संलग्न अभिकथन पत्र के अभिकथन संख्या 4 में दर्शाया गया है।

आरोप संख्या 5

उक्त समय में जब कि श्री वृन्दावन बिहारी, जिला परिवीक्षा एवं समाज कल्याण अधिकारी, झालावाड़ के पद पर कार्य करते थे, उन्होंने वेतन स्थिरीकरण के बारे में राज्य सरकार के आदेशों का जानबूझ कर उल्लंघन किया है, अपने कर्त्तव्य से पराङ्मुख रहे जैसा कि संलग्न अभिकथन के अभिकथन संख्या 5 में दर्शाया गया है।

आरोप संख्या 6

उक्त समय में जबकि श्री वृन्दावन बिहारी, जिला परिवीक्षा एवं समाज कल्याण अधिकारी झालावाड़ के पद पर कार्य करते थे, उन्होंने छात्रावास के पद स्थापन के बारे में जानबूझ कर अनाधिकृत कार्यवाही की तथा राजकार्य में जान बूझकर कर बाधा उत्पन्न की, जैसा कि संलग्न अभिकथन पत्र के अभिकथन संख्या 6 में दर्शाया गया है।

आरोप संख्या 7

उक्त समय में जब कि श्री वृन्दावन बिहारी, जिला परिवीक्षा एवं समाज कल्याण अधिकारी, झालावाड़ के पद पर कार्य करते थे, उन्होंने अपने अधीनस्थ कर्मचारी से ऋण लेकर दी राजस्थान गवर्नमेन्ट सर्वेन्ट्स एण्ड पेन्सनर्स कन्डक्ट रूल्स की धारा 8 का उल्लंघन किया और इस प्रकार उनका आचरण दोषपूर्ण पाया गया जैसा कि संलग्न अभिकथन पत्र के अभिकथन संख्या 7 में दर्शाया गया है।

आरोप संख्या 8

उक्त समय में जबकि श्री वृन्दावन बिहारी, जिला परिवीक्षा एवं समाज कल्याण अधिकारी झालावाड़ के पद पर कार्य करते थे, उन्होंने जानबूझ कर तथा बदनियती छात्रावास अधीक्षक को अनधिकृत तौर पर निलम्बित किया तथा अन्य अवैधानिक कार्यवाही की, जैसा कि संलग्न अभिकथन पत्र के अभिकथन संख्या 8 में दर्शाया गया है।

एस० डी०
निदेशक,
समाज कल्याण विभाग
राजस्थान, जयपुर।

परिशिष्ट 6

(तारांकित प्रश्न संख्या 966 की सूची)

APPENDIX I

University conditions for fresh Affiliation for LL. M. Standard to Dungar College, Bikaner w. e. from July, 1970 is as follows:—

1. A Recurring Grant of Rs. 5,000/- for Library Books be provided and spent immediately.
2. A Non-Recurring Grant of Rs. 65,000/- be provided and spent for Library during the next session.
3. Two more whole time teachers with LL. M. Degree be appointed w. e. from July, 1971 when the LL. M. (Part I) Class is started.
4. Only those persons who have Master's Degree be allowed to teach the LL. M. classes.
5. Some well known Scholars in the subjects prescribed for LL. M. be invited to deliver a Series of Special Lectures to give an idea to the students of the nature and standard of teaching involved.

परिशिष्ट 7

(ता० प्र० सं० 622 की सूची)

सूची अभावग्रस्त ग्राम तहसील झालरापाटन जिला झालावाड़

1. पुनिया पाटन
2. किशनपुरा
3. मोड़ी
4. बांस छोघरा
5. मानपुरा
6. बोडाबेड़ा
7. कोरड़ा राही
8. सूरजपुरा
9. आम रावला
10. लागरिया
11. अमरपुरा
12. दौलतपुरा
13. डागल
14. नाहरडी कलां
15. नाहरडी खुर्द
16. बनेड़ापुरा
17. कुलीपुरा
18. खमोपुरा
19. हरिपुरा
20. बोरायड़ी
21. दावडीबेड़ा
22. दुगपुरा
23. ब्रह्मपुरा
24. पिरथीपुरा
25. रूपपुरा
26. कुशालपुरा
27. गणेशपुरा
28. श्रीपुरा
29. विजयपुरा
30. गोविन्दपुरा
31. नया खेड़ा
32. आनन्दपुरा
33. लालपुरा
34. लालपुरी
35. मदनपुरा
36. नीमाखेड़ा
37. गोपालपुरा
38. कालिया बेड़ा
39. गोपालपुरा
40. कालिया टोकड़ी
41. गिरधरपुरा
42. देवनगर
43. नपानिधा वल्ला
44. रटसाई
45. हरिपुरा
46. रगनाथपुरा
47. कालिकी घांसखेड़ी
48. पीपला नामा
49. रतनपुरा
50. पाडरिया कुलनी
51. दुधालिया
52. खेमली कलां
53. धानपुर
54. माधपुरा
55. किशनपुरा
56. खेरोपा
57. मीरकोटी
58. सकनतपुरा

59. पंचपीपल्या
60. देवरो
61. बारडूंगरी
62. घूमयो
63. तेलियाबड़ी
64. बालमढ
65. वृन्दावन
66. बाला
67. मोकलपुरा
68. गोपालपुरा
69. रूपारेल
70. जेतपुरा
71. हरिपुरा
72. वडवेली
73. पुरा
74. मोरियामेड़ी
75. आसोदिया

परिशिष्ट 8

LIST OF CATCHMENT

S. No.	Name of Catchment	Catchments on which survey has been done	Catchments where land levelling work has been done (in acres)
1	2	3	4
	Panchayat Samiti Itawa		
1.	Gainta	50	-
2.	Sripura	80	—
3.	Dungarli	138	15
4.	Binayka	240	—
5.	Rajpura	60	—
6.	Sanmanpura	1269	—
7.	Kherli Borda	90	85.40
8.	Mithod	120	37
9.	Kanwarpura	25	3
10.	Pipalda	25	8
11.	Khiawada	120	120
12.	Bamboolia	60	26
13.	Khatoli	1500	14.76
14.	Adagaila	270	—
15.	Ganeshganj	315	313.32
16.	Itawa	410	400.29
17.	Nonera	10	5
18.	Pipalda khurd	5	0.23
19.	Keshopura	10	4.50
20.	Fatehpura	20	15.98
21.	Ranodia	225	223.06
22.	Gondi	390	386.83
23.	Doli	560	554.54
24.	Jharol	15	13.63
25.	Khiawada	110	109.33
26.	Kherli Borda	40	85.40

1	2	3	4
27.	Kherda	138	137.23
28.	Ganeshkhera	205	200.48
29.	Ganeshpura	5	4
30.	Khemriya	120	118
31.	Luhava	5	3
32.	Kajalia	32	30.20
33.	Kherli Kishanpura	36	35.60
34.	Bhainroopura	95	93.60
35.	Chhatarpura	16	15.56
36.	Kherlia	9	8.10
37.	Gordhanpura	4	4.00
38.	Bhimsara	106	106.00
39.	Bambolia khurd	48	47.32
40.	Nalaoda	192	190.81
41.	Kanwarpura	25	25
		7,193	3,335.17
	V. T. Panchayat Samiti, Ladpura		
1.	Kotri	315	—
2.	Ramgagar	170	—
3.	Tather	162	32
4.	Kishanpura	75	—
5.	Chandresal	175	64
6.	Bhimpura Jalkheda	509	—
7.	Deoli Arab-Nayanora	590	—
8.	Kansua	63	—
9.	Rajnagar	4	—
		2143	96
	V. T. Panchayat Samiti, Sultanpur		
1.	Toran I	48	48
2.	Bakhtari	80	15
3.	Kherli Toran I	436	—
4.	—do— II	126	—

1	2	3	4
5.	Sainja Bawari	432	—
6.	Nayagaon	500	—
7.	Motikua	532	—
8.	Budha Bombolia Rantan	260	—
9.	Kishorepura	137	—
10.	Dhanwa	23	—
11.	Digod	250	160
		2824	223
	Panchayat Samiti, Talera		
1.	Sunwasa	1000	125
2.	Kherla	156	—
3.	Aktasa	350	—
4.	Khurar	95	—
5.	Nootara	256	—
6	Gumanpura	410	—
7.	Ajeta	75	—
8.	Balop	75	—
9.	Teerath	200	—
10.	Khatker	100	—
		2712	125
	Grand Total	144,872	3,779.17

Copy of letter No. F. 2 (42) Agr./2/64 dated 7-7-1969 from the Dy. Secretary to Govt., Agr. (Coll. II) Department Jaipur, to the Director of Agriculture, Rajasthan, Jaipur and endorsed to all concerned.

Subject:—Pattern of financial assistance for soil/water conservation Schemes.

I am directed to convey approval of the Governor for financial assistance to the extent indicated in each case for the following soil water conservation schemes.

S. No.	Nature of work	Pattern of financial assistance				Remarks
		Normal area		Schedule area		
		Subsidy	Loan	Subsidy	Loan	
4.	Land levelling and grading	25%	75%	25%	75%	Provided the work is executed by Govt. either departmentally through contractor.

परिशिष्ट 9

(ता० प्र० सं० 626 की सूची)

तालिका 'अ'

(1) भू-खण्ड संख्या ए-3 सी स्कीम में श्री बद्री प्रसाद गोनक को दिनांक 24-3-44 को भूतपूर्व जयपुर राज्य द्वारा 5,000/- रुपये झाड़साई प्रति एकड़ की दर से आवंटन किया गया जिसका कुल क्षेत्रफल 7.12 एकड़ हैं ।

(2) भू-खण्ड संख्या ए-4 सी स्कीम में सेठ श्री जी० डी० बिड़ला को दिनांक 12-10-43 को भूतपूर्व जयपुर राज्य द्वारा 5,000/- रुपये झाड़साई प्रति एकड़ की दर से आवंटन किया गया जिसका कुल क्षेत्रफल 7.12 एकड़ हैं ।

(3) भू-खण्ड संख्या ए-5 सी स्कीम में श्री पदमपत सिघानिया को दिनांक 16-11-43 को भूतपूर्व जयपुर राज्य द्वारा 5,000/- रुपये झाड़साई प्रति एकड़ की दर से आवंटन किया गया जिसका कुल क्षेत्रफल 7.12 एकड़ हैं ।

(4) भू-खण्ड संख्या ए-6 सी स्कीम में श्री रामनाथ पोद्दार को दिनांक 12-10-43 को भूतपूर्व जयपुर राज्य द्वारा 5,000/- रुपये झाड़साई प्रति एकड़ की दर से आवंटन किया गया जिसका कुल क्षेत्रफल 7.12 एकड़ हैं ।

तालिका 'ख'

क्र० सं०	आवंटी का नाम	भू-खण्ड संख्या	आवंटन का दिनांक	विक्रय-पत्र का दिनांक	भू-खण्ड का क्षेत्रफल	दर	हस्तान्तरण फार्म का विवरण
1.	श्री बद्रीप्रसाद गोयनका	ए–3	24-3-44	10-8-44	7.12 एकड़	5,000/- प्रति एकड़	दी जयपुर उद्योग लिमिटेड ने दिनांक 29-8-59 को श्री बद्री प्रसाद गोयनका से खरीदा ।
2.	सेठ श्री जी० डी० बिड़ला	ए–4	12-10-43	21-4-44	7.12 एकड़	5,000/- प्रति एकड़	.. ..
3.	श्री पदमपत सिंघानिया	ए–5	16-11-43	12-6-44	7.12 एकड़	5,000/- प्रति एकड़	.. ..
4.	श्री रामनाथ आनन्दीलाल पोद्दार	ए–6	12-10-43	26-4-44 को मैसर्स नेशनल ट्रेडर्स लि०, जयपुर के नाम पर विक्रय-पत्र दिया ।	7.12 एकड़	5,000/- प्रति एकड़	मैसर्स लक्ष्मी ट्रेडर्स प्राइवेट लि०, जयपुर ने दिनांक 24-3-58 को खरीदा ।

परिशिष्ट—10

अतारांकित प्रश्न संख्या 635 की सूची

WAGE RECOMMENDATIONS

Recommended scales of pay for various grades

			House Rent Allow-per month
OPERATIVES GRADE:			
E. (Unskilled)	Daily	Rs. 2.35-006-2 95	Rs. 18.00 per month.
	Monthly	Rs. 61.10-1.56-76.70	
D. (Semi-Skilled)	Daily	Rs. 2.60-0.10-3.60	
	Monthly	Rs. 67.60-2 60-93.60	
C. (Skilled Lower)	Daily	Rs. 3.20-0.18-5.00	
	Monthly	Rs. 83.20-4.68-130.00	
B. (Skilled Upper)	Daily	Rs. 4.25-0.25-6.75	Rs. 15.60 per month.
	Monthly	Rs. 110.50 6.50-175.50	
A. (Skilled Highly)	Daily	Rs. 5.50 0.35-9.00 -0.40-9.80	
	Monthly	Rs. 143.0-9.10-234.0 -10.40-254.80	
CLERICAL, LOWER TECHNICAL & SUPERVISORY STAFF GRADE.			
TC.		Rs. 70-44-90-EB- 5-125	Rs. 13.00 per month.
I.		Rs. 82-5-137-EB 6-167	

II.	Rs. 95-6-155-EB-7-211	Rs. 15.60 per month.
III.	Rs. 110-8-190-EB-10-270	
IV.	Rs. 125-10-205-EB-12-325	
V.	Rs. 133-12-193-14-263-EB-15-388	Rs. 18.20 per month
VI.	Rs. 150-13-215-15-230-EB 20-450	
VII.	Rs. 180-15-255-EB 20-515	Rs. 19.50 per month.

DEARNESS ALLOWANCE

Dearness Allowance is linked with the All-India General Consumer Price Index (base 1949 : 100). At the Index figure of 200, the D.A. comes to Rs.87.50 per month. This shall be the D. A. for all workers. However in case of clerical, lower technical and supervisory staff, a sum of Rs. 8.50 more than the D.A. of Rs. 87.50 or whatever D. A. is payable in future for operativ is payable. In other works, the D.A. for clerical lower technical and supervisory staff constantly remains Rs. 8.50 per month more than the D. A. paid to the skilled operatives. Additional percentage D. A. as fixed by the First wage Board for Cement Industry also continues to be paid to all except unskilled workers at the same rates in all respects. The rates are as follows:—

1. D Grade operatives 5% of the basic wage.
2. Operatives C, B and A, Tally Checkers and Grades to VI of the clerical lower technical and Supervisory staff at 10 E of the basic wage.

परिशिष्ट—11

(तारांकित प्रश्न संख्या 316 की सूची)

क्र० सं०	नाम कार्यालय	अनुसूचित जाति एवं जन-जाति के व्यक्तियों को सन् 1971 से अब तक सीधे द्वितीय वेतन श्रृंखला में कितने भर्ती किये गये	अनुसूचित जाति एवं जन–जाति के कितने अध्यापकों को सन 1971 से अब तक सीधे तृतीय वेतन श्रृंखला में भर्ती किया गया
1	2	3	4
1.	संयुक्त निदेशक, जयपुर	6	—
2.	संयुक्त निदेशक, (महिला), जयपुर	1	—
3.	उप-निदेशक जोधपुर	5	—
4.	उप-निदेशक, महिला जोधपुर	—	—
5.	उप-निदेशक, उदयपुर	21	—
6.	उप-निदेशक (महिला), उदयपुर	—	—
7.	विद्यालय निरीक्षक, अलवर	—	12
8.	विद्यालय निरीक्षक, अजमेर	—	22
9.	विद्यालय निरीक्षक, बांसवाड़ा	—	29
10.	विद्यालय निरीक्षक, बाड़मेर	—	2
11.	विद्यालय निरीक्षक, भरतपुर	—	43
12.	विद्यालय निरीक्षक, बूंदी	—	14
13.	विद्यालय निरीक्षक, बीकानेर	—	—
14.	विद्यालय निरीक्षक, भीलवाड़ा	—	7
15.	विद्यालय निरीक्षक, चूरू	—	5
16.	विद्यालय निरीक्षक, चित्तौड़	—	23
17.	विद्यालय निरीक्षक, डूंगरपुर	—	6
18.	विद्यालय निरीक्षक, गंगानगर	—	21
19.	विद्यालय निरीक्षक, जयपुर (प्रथम) (द्वि०)	—	46
20.	विद्यालय निरीक्षक, जोधपुर	—	1
21.	विद्यालय निरीक्षक, झालावाड़	—	6

1	2	3	4
22.	विद्यालय निरीक्षक, झुंझुनूं	—	11
23.	विद्यालय निरीक्षक, जैसलमेर	—	9
24.	विद्यालय निरीक्षक, जालोर	सूचना प्राप्त नहीं हुई है ।	
25.	विद्यालय निरीक्षक, कोटा	—	36
26.	विद्यालय निरीक्षक, करोली	—	23
27.	विद्यालय निरीक्षक, नागौर	—	1
28.	विद्यालय निरीक्षक, पाली	—	22
29.	विद्यालय निरीक्षक, सिरोही	—	8
30.	विद्यालय निरीक्षक, सीकर	—	22
31.	विद्यालय निरीक्षक, टोंक	—	13
32.	विद्यालय निरीक्षक, उदयपुर	—	29
33.	कन्या विद्यालय निरीक्षिका, अजमेर	—	2
34.	कन्या विद्यालय निरीक्षिका, बीकानेर	—	—
35.	कन्या विद्यालय निरीक्षिका, कोटा	—	4
36.	विद्यालय वरिष्ठ उप-निरीक्षक, ब्यावर	—	10
37.	विद्यालय वरिष्ठ उप-निरीक्षक राजसमंद	—	—
38.	विद्यालय वरिष्ठ-उप-निरीक्षक, सवाई माधोपुर	—	—
39.	विद्यालय वरिष्ठ उप-निरीक्षक, धौलपुर	—	—
40.	कन्या विद्यालय उप-निरीक्षिका, जयपुर	—	—
41.	कन्या विद्यालय उप-निरीक्षिका, जोधपुर	—	2
42.	कन्या विद्यालय उप-निरीक्षिका, भरतपुर	—	1
43.	कन्या विद्यालय उप-निरीक्षिका, उदयपुर	—	—
44.	कन्या विद्यालय उप-निरीक्षिका, पाली	—	—
45.	कन्या विद्यालय उप-निरीक्षिका, सीकर	—	—
46.	कन्या विद्यालय उप-निरीक्षिका, चित्तौड़	—	—

परिशिष्ट--12

(अतारांकित प्रश्न संख्या 33 की सूची)

सूची वर्ष 67-68 से 71-72 तक जयपुर/जोधपुर/अजमेर/उदयपुर/बीकानेर/कोटा नगरों में देशी एवं विदेशी शराब की बिक्री से कर के रूप में राज्य सरकार को धनराशि प्राप्त हुई उसकी सूची—

क्रम संख्या	नाम नगर	67–68	68–69	69–70	70–71	71–72
			देशी मदिरा			
1.	उदयपुर	11,97,060.70	16,21,358.50	14,04,498.68	14,93,665.49	16,84,269.71
2.	बीकानेर	10,72,357.34	7,03,259.84	6,93,160.71	8,14,200.42	15,45,176.88
3.	जोधपुर	24,42,136.00	23,90,128.00	23,97,602.00	31,01,013.00	31,07,344.00
4.	अजमेर	17,39,784.91	26,12,136.31	28,69,241.77	31,00,100.00	34,48,018.00
5.	कोटा	10,10,356.60	18,10,890.65	19,72,137.33	20,41,736.16	24,37,710.83
6.	जयपुर सिटी	31,98,504.00	34,21,225.00	37,89,455.00	47,06,456.00	49,02,369.00
			विदेशी मदिरा			
1.	उदयपुर	4,32,399.00	4,99,406.00	3,81,036.00	4,76,810.00	3,99,303.00
2.	बीकानेर	83,922.48	75,732.89	87,025.05	84,735.57	77,775.49
3.	जोधपुर	4,16,410.00	5,24,524.00	7,19,500.00	9,33,233.00	11 66,385.00
4.	अजमेर	11,76,050.01	12,33,830.49	9,57,851.01	10,30,432.78	10,80,287.38
5.	कोटा	42,119.88	34,050.00	1,19,262.29	1,53,204.84	2,09,716.36
6.	जयपुर नगर	31,80,546.00	35,18,085.00	34,90,553.00	46,80,706.00	50,49,747.00

शुद्धि-पत्र

(बुधवार, दिनांक 4 अप्रैल, 1973)

स्तम्भ सं०	पंक्ति सं०	अशुद्ध	शुद्ध
1	2	3	4
2	ऊपर से 7	विमिन	विभिन्न
8	,, 7	जावें	जावेंगे
8	,, 14	चतुजु	चतुर्भुज
9	नीचे से 15	फिवथ	पिफ्त
21	ऊपर से 4	मेनशिया	म्युनिसिपल
22	नीचे से 5	िड	डीड
28	,, 16	सूचित जजाति	सूचित जन-जाति
32	ऊपर से 12	ोक्शन	प्रोडक्शन
51	,, 14	वीकृत	स्वीकृत
66	नीचे से 3	वेगाराम	बेगाराम
83	,, 7	मूमि	भूमि में
87	,, 1	मका ों	मकानों
90	ऊपर से 10	राज थान	राजस्थान
98	,, 1	सीप	सीधी
110	नीचे से 4	रखा	रखा गया
112	ऊपर से 16	ािरधारी	गिरधारी
119	,, 6	अजीन सिह	अजीत सिह
,,	नीचे से 3	विशेषविकार	विशेषाविकार
136	ऊपर से 12	जदोजद	जद्दोजहद
137	,, 12	अछा	अच्छा
139	,, 5	नावा	नावां
143	,, 14	रियल्टी	रियली
148	,, 8	दिमले	मिले
154	नीचे से 2	मोदय	महोदय,
156	,, 1	को व्हाइट	मनीको व्हाइट मनी
162	,, 1	उस उस	उस
163	ऊपर से 14	ले	के
228	नीचे से 13	वहां	वहां
230	,, 19	पये	रुपये

1	2	3	4
230	नीचे से 7	पया	रुपये
231	,, 16	जर्नता	जनता
233	ऊपर से 5	सिमित	सीमित
,,	,, 14	जित ी	जितनी
234	ऊपर से 6	म्	" मे "
,,	,, 15	स्कीमस	स्कीम्स
,,	,, 9	ह्	है
209 344	शीर्षक	राज० कृषि जोतों पर अधिकतम सीमा अधि-रोपण (सं०) वि० 73	राज० राज्य विद्युत् मंडल के आय-व्यय 73-74 पर विचार
238	ऊपर से 5	कार्या	कार्यों
240	नीचे से 1	कका	करा
248	,, 12	में मैं	में
256	ऊपर से 6	हाईडी	हाइडल
257	,, 1	श्री रामानत	श्री रामानन्द
,,	,, 15	एजेंट	एजेन्ट
258	,, 10	जानवारी	जानकारी
262	नीचे से 6	किलो ाट	किलोवाट
271	,, 2	ि टेंसियल्टिी	पोटेंसियल्टिी
273	ऊपर से 1	हरदेव	सहदेव
274	,, 2	ए ०	एस०
283	नीचे से 1	सिजिमसली	सिरियसली
287	,, 1	वेमक्शन	कनेक्शन
289	,, 6	फिजिकल	फिजिकल
290	ऊपर से 3	कर	पर
293	नीचे से 1	सरका	सरकार
294	,, 1	ां डक्शन	प्रोडक्शन
296	,, 14	यनिट	यूनिट
,,	,, 13	निश्चत	निश्चित
,,	,, 9	ीडा	रीडर
299	ऊपर से 13	बा	बात
300	नीचे से 9	स्किस्थ	शिकस्त
302	ऊपर से 16	ो गा	होगा

1	2	3	4
323	नीचे से 3	count ys de	countryside
324	ऊार से 8	सबीडाइ	सब्सीडाइज
327	नीचे से 1	दन	सदन
329	ऊार से 1	श्री पी०के० चौधरी	श्री हरिदेव जोशी
,,	,, 10	म	———
331	,, 3	की	———
,,	,, 8	जाकर	में जाकर
,,	नीचे से 17	हुआ हुआ	हुआ
336	,, 2	Cradit	Credit
,,	,, 1	Fism	Firm
342	ऊपर से 1	यह	यहां
348	शीर्ष	रिशिष्ट	परिशिष्ट